लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Acc. No. 78
Dated 21 March 2011

(खंड 6 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे. पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 19, बुधवार, 16 दिसम्बर, 2009/25 अग्रहायण, 1931 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	381 से 400	3-92
अतारांकित प्रश्न संख्या	4167 से 4396	92-529
सभा पटल पर रखे गए पत्र		530-554
राज्य सभा से संदेश		555
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति		
चौथा प्रतिवेदन		556
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन		556
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
पहले प्रतिवेदन से चौथा प्रतिवेदन		556
रक्षा संबंधी स्थायी समिति		
पहला और दूसरा प्रतिवेदन		557
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति		
पहला और दूसरा प्रतिवेदन		557
कार्य मंत्रणा समिति		
10वां प्रतिवेदन		558
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) प्रधानमंत्री की हाल की रूस यात्रा		
श्री एस.एम. कृष्णा		558-562
(दो) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पहले, चौदहवें, उन्नीसवें और इक्तीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
श्री पृथ्वीराज चव्हाण		562-564

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु इसे बुन्देलखण्ड के समान विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 565

(दो) मूंगफली उत्पादकों विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुर जिले के उत्पादकों के लिए, जिनकी फसल अपर्याप्त वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, को विशेष वित्तीय पैकेज की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी 565-566

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद में दीर्घावधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खेल-कूद कार्यकलाप को बढ़ावा देने हेतु एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन 566-567

(चार) कालीकट से खाड़ी देश जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 567-568

(पांच) गुजरात के बड़ोदरा में गैस आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाईन बिछाए जाने के कारण, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, उन प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु 'गेल' को आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री रामसिंह राठवा 568-569

(छ:) कारली और जम्बूसर के बीच तथा वोरभाटा और कोकरावाडा के बीच क्रमशः माही और नर्मदा नदियों पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 569

(सात) पश्चिम बंगाल के तमलुक, कोलाघाट, महिसादल और दुर्गाचक क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुवेन्दु अधिकारी 569-570

विषय	कॉलम

(आठ) मातृ स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे का निवारण करने तथा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवा का अधिकार कायम रखे जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 570-571

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2009

विचार करने के लिए प्रस्ताव 571

खंड 2 से 5 और 1 572

पारित करने के लिए प्रस्ताव 572

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009

विचार करने के लिए प्रस्ताव 572

खंड 2 से 3 और 1 573

पारित करने के लिए प्रस्ताव 573

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2009

विचार करने के लिए प्रस्ताव 573-574

खंड 2 और 1 574

पारित करने के लिए प्रस्ताव 574

उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2009 574-576

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 577-578

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 578-586

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 587-588

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 587-590

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 16 दिसम्बर, 2009/25 अग्रहायण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप कुछ नोटिस देंगे, तभी तो आपकी बात सुनेंगे। आप किस चीज पर बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग अपनी सीटों पर जाइये और बताइये कि आप क्या कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप नारे क्यों लगा रहे हैं, आप बताइये कि आप क्या बोलना चाहते हैं? किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, आप बताइये कि आप क्या कहना चाहते हैं? मुलायम सिंह जी, आपका क्या कहना है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : किस बात पर यह सब कर रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महंगाई पर।

अध्यक्ष महोदया : एक मिनट रुकिये। नारे रोकिये। महंगाई पर चर्चा 26 नवम्बर को हो चुकी है। अब क्या चाहिए? आप लोग वापस जाइये। आपका प्रश्न काल का सस्पेंशन रिजैक्ट कर दिया गया है और आपका एडजर्न-मोशन भी नियमों के विरुद्ध है, वह भी अस्वीकार कर दिया है, महंगाई पर चर्चा हो चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए। मुलायम सिंह जी, आप बताइये, आप क्या चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप नारे मत लगाइये, आप बताइये कि आप क्या चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : महंगाई पर रोक लगाओ।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.30½ बजे

(इस समय श्री गोपीनाथ मुंडे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

(इस समय डॉ. एन. शिवप्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

***381. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :**
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी आधारभूत सिंचाई क्षमता प्राप्त होगी;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकार के मानदंड/दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा एआईबीपी के तहत सतही लघु सिंचाई (एमआई) स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सभी परियोजनाओं/स्कीमों के पूरा होने पर 123.56 लाख हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता प्राप्त करने की योजना है।

(ग) एआईबीपी के तहत वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान क्रमशः 2098 करोड़ रुपये, 3080 करोड़ रुपये और 6600 करोड़ रुपये की निधि का आबंटन किया गया। एआईबीपी के तहत वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान अब तक क्रमशः 2301.9722 करोड़ रुपये, 5445.7051 करोड़ रुपये, 7598.2213 करोड़ रुपये और 3147.3909 करोड़ रुपये जारी किए गए। जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) एआईबीपी के दिशानिर्देशों की अद्यतन प्रति संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(ङ) परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग ने मानीटरिंग स्थल कार्यालयों के माध्यम से एक गहन मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना की है, जो अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में, इस उद्देश्य के लिए स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना की मानीटरिंग करते हैं। इस परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग करने तथा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से परियोजना प्राधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना तथा एकल स्कीमों में एक समूह वाली प्रत्येक एमआई परियोजना के संबंध में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसमें परियोजनाओं के पूरा होने तक क्षमता सृजन के वास्तविक लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा शामिल होता है। दिशानिर्देश में यह प्रावधान है कि एआईबीपी के तहत राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष में वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति पर ही केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। एमओयू में परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथि भी निर्दिष्ट होती है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब राज्य सरकार के नियन्त्रण से परे होता है, राज्य सरकार द्वारा परियोजना को पूरा करने में हुए विलंब का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करने पर, समय में छूट की मंजूरी देना आवश्यक होता है।

विवरण-I

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की स्थिति

राज्य/परियोजना का नाम	एआईबीपी के तहत वर्तमान स्थिति	निर्दिष्ट समय पर अथवा विलंबित	5 वर्षों से आगे वर्षों की संख्या जिससे परियोजना में अब तक विलंब हुआ	राज्य सरकार द्वारा पूरा किये जाने का अपेक्षित वर्ष
1	2	3	4	5
वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं				
आंध्र प्रदेश				
कानुपुर नहर	आस्थगित			
येराकलवा	चालू	देरी से	4	2011
एसआरसीपी का बाढ़ प्रवाह नहर (पीएमपी)*	चालू	समय पर		
श्रीराम सागर परियोजना-II (पीएमपी)	चालू	समय पर		
ताडीपुडी एलआईएस	चालू	समय पर		
पुष्कारा एलआईएस	चालू	समय पर		
रालीवागु (पीएमपी)	चालू	समय पर		
गोल्लावागू (पीएमपी)	चालू	समय पर		
मथाडीवागू (पीएमपी)	चालू	समय पर		
पेड्डावागू (पीएमपी)	चालू	समय पर		
गुण्डलाकम्मा जलाशय (पीएमपी)	चालू	समय पर		
जे. चोकराव एलआईएस (पीएमपी)	चालू	समय पर		
निलवई (पीएमपी)	चालू	समय पर		
खोमाराम भीमा (पीएमपी)	चालू	समय पर		
थोटापल्ली बैराज	चालू	समय पर		
ताराकर्मा तीरथ सागाराम परियोजना	चालू	समय पर		
पालेमवगू (पीएमपी)	चालू	समय पर		

1	2	3	4	5
मसूरीमिल्ली परियोजना	चालू	समय पर		
राजीव भीमा एलआईएस (पीएमपी)	चालू	समय पर		
इंदिरा सागर पोलावरम 2008-09 (XI)	चालू	समय पर		
(आंध्र प्रदेश)-कुल				
असम				
धनसिरी	चालू	देरी से	8	2012
चम्पामती	चालू	देरी से	8	2011
बोरोलिया	चालू	देरी से	8	2011
बूढ़ी दिहांग एलआईएस	चालू	देरी से	7	2011
(असम)-कुल				
बिहार				
पश्चिमी कोसी नहर	चालू	देरी से	8	2010
दुर्गावती	चालू	देरी से	8	2012
बाणसागर	चालू	केवल भुगतान के लिए		
बतान्ने	चालू	देरी से	4	2012
पुनपुन बैराज परियोजना	चालू	समय पर		
कोसी बैराज का पुर्नस्थांपन	चालू	समय पर		
(बिहार)-कुल				
छत्तीसगढ़				
कोसेरटेडा	चालू	देरी से	2	2011
महान्नदी जलाशय	चालू	पूरी होने वाली		
केलो	चालू	समय पर		

1	2	3	4	5
मिन्नीमाता (हसदेव बांगो फेज-IV)	चालू	समय पर		
(छत्तीसगढ़)-कुल				
गोवा				
तिल्लारी	चालू	देरी से	4	2011
(गोवा)-कुल				
गुजरात				
सरदार सरोवर	चालू	देरी से	8	
अजी-IV	चालू	देरी से	4	2013
ओजट-II	चालू	देरी से	4	2013
ब्राह्मणी-II	चालू	एसएसपी कमान में परियोजना का	लागू नहीं	
भादर-II	चालू	देरी से	2	2013
(गुजरात)-कुल				
हरियाणा				
जेएलएन्न लिफ्ट सिंचाई	आस्थगित			
(हरियाणा)-कुल				
हिमाचल प्रदेश				
शाहन्हर सिंचाई परियोजना	चालू	देरी से	7	2012
सिधाता	चालू	देरी से	4	2012
चेंजर लिफ्ट	चालू	देरी से	4	2012
बाल घाटी	चालू	समय पर		
(हिमाचल प्रदेश)-कुल				

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर				
रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	चालू	देरी से	5	2012
तराल लिफ्ट	चालू	देरी से	4	2011
रफियाबाद लिफ्ट सिंचाई	चालू	देरी से	3	2012
दादी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
मार्तण्ड नहर का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
मवखुल का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
कांडी नहर का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
पाराचिक खैस नहर परियोजना	चालू	समय पर		
अहजी नहर का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
(जम्मू और कश्मीर)-कुल				
झारखंड				
गुमानी	चालू	देरी से	7	2012
तोराई	आस्थगित			
कंसजोर	चालू	देरी से	7	2012
सोनुआ	चालू	देरी से	7	2012
सुरंगी	चालू	देरी से	7	2012
ऊपरी शंख	चालू	समय पर		
पंचखेरो	चालू	समय पर		
(झारखंड)-कुल				
कर्नाटक				
यूकेपी चरण-I	चालू	देरी से	8	2011

1	2	3	4	5
मालप्रभा (पीएमपी)	चालू	देरी से	8	2011
घाटप्रभा (पीएमपी)	चालू	देरी से	7	2011
करंजा	चालू	देरी से	7	2011
यूकेपी चरण-II	चालू	देरी से	3	2011
गंडोरीनाला	चालू	पूरी होने वाली	3	2010
यूकेपी चरण-I फेज-III	चालू			
वाराही परियोजना	चालू	समय पर		
दुग्धगंगा अंतर्राज्यीय परियोजना (पीएमपी)	चालू	समय पर		
भद्रा का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
हिप्पारगी परियोजना (पीएमपी)	चालू	समय पर		
(कर्नाटक)-कुल				
केरल				
मुवात्तुपुझा	चालू	देरी से	4	2012
कारापुझा (पीएमपी)	चालू	समय पर		
कन्हिरापुझा-ई.आर.एम. (पीएमपी)	चालू	समय पर		
(केरल)-कुल				
मध्य प्रदेश				
इंदिरा सागर	चालू	देरी से	8	2012
बाणसागर (यूनिट-II)	चालू	देरी से	1	2012
राजघाट बांध	चालू			
सिंध फेज-II	चालू	देरी से	6	2012
माही	चालू	देरी से	4	2012
बरियारपुर	चालू	देरी से	4	2012

1	2	3	4	5
बावनथाडी	चालू	देरी से	1	2011
महान्न	चालू	देरी से	1	2011
ओमकारेश्वर फेज-I	चालू	देरी से	1	2012
बारगी बांध आरबीसी 16 कि.मी.-63 कि.मी. फेज-I	चालू	समय पर		
बारगी डाइवर्जन प्रो. नहर (63 कि.मी. 104 कि.मी.) फेज-I	चालू	समय पर		
बारगी डाइवर्जन फेज-III	चालू	समय पर		
बारगी डाइवर्जन फेज-IV (2008-09)	चालू	समय पर		
पेंच डाइवर्जन परियोजना फेज-I	चालू	समय पर		
ओमकारेश्वर परियोजना फेज-II	चालू	समय पर		
ओमकारेश्वर नहर फेज-III	चालू	समय पर		
इंदिरासागर नहर फेज-III	चालू	समय पर		
इंदिरासागर नहर फेज-IV	चालू	समय पर		
इंदिरासागर इकाई-II (फेज-I एवं II)	चालू			
पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	चालू	समय पर		
निचली गोई 2008-09	चालू	समय पर		
ऊपरी बेड़ा 2008-09	चालू	समय पर		
(मध्य प्रदेश)-कुल				
महाराष्ट्र				
गोसीखुर्द	चालू			
गोसीखुर्द-राष्ट्रीय परियोजना	चालू	समय पर		
वाघुर	चालू	देरी से	8	2011
ऊपरी वर्धा (पीएमपी)	चालू	पूरी होने वाली		
वान (पीएमपी)	चालू	समय पर		
ऊपरी मन्नार	चालू	देरी से	2	2011

1	2	3	4	5
ऊपरी पेनगंगा	चालू	समय पर		
बावनथाडी	चालू	देरी से	1	2010
निचली दुधनना	चालू	समय पर		
तिल्लारी	चालू	समय पर		
वर्ना	चालू	समय पर		
पुन्नाद	चालू	समय पर		
गोथरा नाला (पीएमपी)	चालू	समय पर		
उतावली (पीएमपी)	चालू	समय पर		
पूर्णा (पीएमपी)	चालू	समय पर		
नंदुर मधमेश्वर	चालू	समय पर		
कार (पीएमपी)	चालू	समय पर		
निचली वर्धा (पीएमपी)	चालू	समय पर		
लाल नाला (पीएमपी)	चालू	समय पर		
खड़कपूर्ण (पीएमपी)	चालू	समय पर		
अरूणावती (पीएमपी)	चालू	समय पर		
तजंपोर एलआईएस	चालू	समय पर		
डोंगरगांव	चालू	समय पर		
गुल मध्यम सिंचाई परियोजना	चालू	समय पर		
बेम्बला सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	चालू	समय पर		
चन्द्र भागा सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	चालू	समय पर		
सपन सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	चालू	समय पर		
उत्तरमांड परियोजना	चालू	समय पर		
संगोला शाखा नहर	चालू	समय पर		
पेन्टाकली परियोजना (पीएमपी)	चालू	समय पर		

1	2	3	4	5
तराली परियोजना	चालू	समय पर		
धोम बालकवाडी परियोजना	चालू	समय पर		
मोरना गुरेघर परियोजना	चालू	समय पर		
अर्जुन परियोजना	चालू	समय पर		
प्रकाशा बैराज	चालू	समय पर		
सुलवाडे बैराज	चालू	समय पर		
सारंगखेडा बैराज	चालू	समय पर		
निचली पेढ़ी परियोजना (पीएमपी)	चालू	समय पर		
वांग (XI)	चालू	समय पर		
ऊपरी कुंडलिका परियोजना	चालू	समय पर		
निचली पंजारा परियोजना	चालू	समय पर		
नरदावे परियोजना (XI)	चालू	समय पर		
अरूणा परियोजना	चालू	समय पर		
(महाराष्ट्र)-कुल				
मणिपुर				
खुगा	चालू	देरी से	8	2010
थोबल	चालू	देरी से	7	2011
दोलाईथाबी बैराज परियोजना	चालू	देरी से	2	2011
(मणिपुर)-कुल				
मेघालय				
रोंगाई घाटी	आस्थगित			
(मेघालय)-कुल				
उड़ीसा				
ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	चालू	देरी से	8	2013

1	2	3	4	5
सुबर्णरिखा बहुउद्देश्यीय	चालू	देरी से	8	2013
रेंगाली	चालू	देरी से	8	2012
आनंदपुर बैराज	चालू	देरी से	8	2013
एकीकृत आनंदपुर बैराज (केबीके)*	चालू			
तितलागढ़	चालू	देरी से	6	2010
निचली इंद्रा	चालू	देरी से	5	2013
निचली सुकतेल	चालू	देरी से	5	2013
तेलनगिरी सिंचाई परियोजना (केबीके)	चालू	देरी से	1	2013
रेट सिंचाई परियोजना (केबीके)	चालू	देरी से	1	2012
कानुपूर	चालू	देरी से	1	2012
छेलिगाडा बांध	चालू	देरी से	1	2012
(उड़ीसा)-कुल				
पंजाब				
हिमाचल प्रदेश में तलवाडा से नीचे की सिंचाई	चालू	देरी से	4	2010
शहपुर कांडी	चालू	देरी से	3	
कांडी नहर विस्तार चरण II	चालू	देरी से	2	2011
प्रथम पटियाला फीडर और कोटल शाखा का पुनर्वास (नया इआरएम)	चालू	समय पर		
(पंजाब)-कुल				
राजस्थान				
आईजीएनपी-II	चालू	देरी से	7	
नर्मदा नहर	चालू	देरी से	6	2012
गंगा नहर का आधुनिकीकरण	चालू	देरी से	4	2011
(राजस्थान)-कुल				

1	2	3	4	5
त्रिपुरा				
गुमती	चालू	देरी से	8	2011
मानु	चालू	देरी से	8	2011
खोवाई	चालू	देरी से	8	2010
(त्रिपुरा)-कुल				
उत्तर प्रदेश				
मध्य गंगा नहर चरण II	चालू	समय पर		
सरयू नहर	चालू	देरी से	8	2011
बाणसागर	चालू	देरी से	7	2012
लखवर व्यासी	आस्थगित			
पूर्वी गंगा नहर	चालू	पूरी होने वाली		
लचुरा बांध का आधुनिकीकरण	चालू	समय पर		
हरदोई शाखा प्रणाली का सुधार (ईआरएम)	चालू	समय पर		
नया कचनौडा बांध	चालू	समय पर		
(उत्तर प्रदेश)-कुल				
पश्चिम बंगाल				
तीस्ता बैराज	चालू	देरी से	8	2013
तटको	चालू	देरी से	4	2011
पतलोइ	चालू	देरी से	4	2011
सुबर्णरेखा बैराज	अस्थागित			
(पश्चिम बंगाल)-कुल				
कुल जोड़				

*कृषि समस्याग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज

*उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिले

**विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

विवरण-II

एआईबीपी के तहत आरंभ से अब तक शामिल तथा पूरी हो चुकी एमआई स्कीमों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	चालू स्कीमों की कुल संख्या
1	2	3
(क)	विशेष वर्गीय राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	120
2.	असम	665
3.	मणिपुर	40
4.	मेघालय	80
5.	मिजोरम	73
6.	नांगालैंड	166
7.	सिक्किम	26
8.	त्रिपुरा	127
9.	हिमाचल प्रदेश	129
10.	जम्मू और कश्मीर	453
11.	उड़ीसा (केबीके)*	61
12.	उत्तराखंड	992
(ख)	गैर विशेष वर्गीय राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	82
2.	छत्तीसगढ़	164
3.	मध्य प्रदेश	230
4.	महाराष्ट्र	89
5.	बिहार	60
6.	पश्चिम बंगाल	32
7.	राजस्थान	7
	कुल	3596

*अविभाजित कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी जिले

विवरण-III

एआईबीपी के तहत 2006-07 से 2009-10 तक जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए)/अनुदान का राज्य वार ब्यौरा

राशि (करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2006-07 से 2008-09 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता	2006-07 से 2009-10 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता	कार्यक्रम के आरंभ से अब तक कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	7	9
1.	आंध्र प्रदेश	843.4220	987.7692	855.1800	662.6610	2686.3712	3349.0322	4617.2917

1	2	3	4	5	6	7	7	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.0000	47.1800	33.9580	0.0000	108.1380	108.1380	187.6380
3.	असम	30.2685	77.3380	405.9540	388.6887	513.5605	902.2492	1074.3057
4.	बिहार	3.2300	62.2400	109.7029	18.6300	175.1729	193.8029	676.1054
5.	छत्तीसगढ़	10.7050	96.9640	193.0402	60.8853	300.7092	361.5945	637.4640
6.	गोवा	1.9100	32.4800	39.2300	0.0000	73.6200	73.6200	204.6700
7.	गुजरात	121.8885	585.7200	258.6100	0.0000	966.2185	966.2185	5458.7405
8.	हरियाणा	3.1700	0.0000	0.0000	0.0000	3.1700	3.1700	90.5400
9.	हिमाचल प्रदेश	3.9300	114.0500	119.3178	32.4000	237.2978	269.6978	370.1143
10.	जम्मू और कश्मीर	37.7716	199.2251	393.0661	54.5550	630.0628	684.6178	818.1041
11.	झारखंड	1.2900	9.2244	3.7200	0.0000	14.2344	14.2344	103.4694
12.	कर्नाटक	160.3729	349.9000	442.4190	182.7980	952.6919	1135.4899	3626.7790
13.	केरल	16.6468	0.0000	0.9045	3.8120	17.5513	21.3633	169.2524
14.	मध्य प्रदेश	48.3100	500.3450	473.7824	446.7544	1022.4374	1469.1918	3658.9924
15.	महाराष्ट्र	465.5213	972.2500	2257.8313	907.4835	3695.6031	4603.0866	5903.1389
16.	मणिपुर	156.3042	103.9870	221.6733	12.4113	481.9645	494.3758	691.8293
17.	मेघालय	0.7500	1.1600	24.8009	0.0000	26.7109	26.7109	45.2935
18.	मिजोरम	14.2354	34.3434	50.7176	0.0000	99.2964	99.2964	128.5274
19.	नागालैंड	10.5995	40.5100	48.5979	0.0000	99.7074	99.7074	135.0951
20.	उड़ीसा	133.8846	624.3590	724.4387	245.7401	1482.6823	1728.4224	2802.2696
21.	पंजाब		13.5000	9.5400	0.0000	23.0400	23.0400	464.8266
22.	राजस्थान	11.6000	156.5300	178.6200	22.2800	346.7500	369.0300	1952.6232
23.	सिक्किम	3.3236	3.2400	0.0000	0.0000	6.5636	6.5636	13.4849
24.	त्रिपुरा	22.5131	8.1000	43.1750	0.0000	73.7881	73.7881	226.0017
25.	तमिलनाडु		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000

1	2	3	4	5	6	7	7	9
26.	उत्तर प्रदेश	81.8954	150.6900	315.4732	62.1540	548.0586	610.2126	2707.6356
27.	उत्तराखंड	84.7298	265.6500	371.6580	45.2232	722.0378	767.2610	937.4064
28.	पश्चिम बंगाल	6.7000	8.9500	22.8100	0.9144	38.4600	39.3744	209.5741
	कुल	2301.9722	5445.7051	7598.2213	3147.3909	15345.8986	18493.2895	37931.1732

दिसम्बर, 2006 से प्रभावी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश

(क) वित्त पोषण के लिए पात्रता मानदंड

1. इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं (क) जिन्हें योजना आयोग की निवेश स्वीकृति प्राप्त है (ख) जो निर्माण की अंतिम अवास्था में हैं और जो अगले चार वित्तीय वर्ष में पूरे किए जा सकते हों (ग) जो किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न पा रहे हों, को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में परियोजनाओं के उन घटकों, जो किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, को भी शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ईआरएम परियोजना के चयन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड जारी रहेंगें। इस कार्यक्रम में लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं (क) सूखा प्रवण क्षेत्रों (ख) आदिवासी क्षेत्रों; (ग) राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सिंचाई विकास वाले राज्य; और (घ) कृषि संबंधी आपदा वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत पहचान किए गए जिलों को छोड़ करके एक दर एक आधार पर एआईबीपी के तहत निर्मणाधीन परियोजना के पूरा होने पर ही नई परियोजना को शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के पैकेज में शामिल की गई परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

2. पूर्वोत्तर राज्यों की सतही लधु सिंचाई (एमआई) स्कीमें (नई तथा निर्माणाधीन दोनों), पर्वतीय राज्यों (हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल) तथा उड़ीसा के सूखा प्रवण के बी के जिले जो राज्य टीएसी/योजना विभाग द्वारा अनुमोदित की गई है इस कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि (i) प्रत्येक स्कीमें कम से कम 20 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को लाभाविन्त कर रही हो तथा स्कीमों के समूह (5 किमी की रेडियस के भीतर) जिसे कम से कम 50 हेक्टेयर की कुल चरम सिंचाई क्षमता की जाती हो। (ii) प्रस्तावित लघु सिंचाई स्कीमों का लाभ लागत अनुपात 1 से अधिक हो और (iii) इन स्कीमों की विकास लागत 1.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से कम हो। गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए, केवल वे लघु सिंचाई स्कीमें जिनकी क्षमता 50 हेक्टेयर से अधिक हो जो आदिवासी क्षेत्रों तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती हों उन्हें एआईबीपी के तहत शामिल किया जा सकता है। योजना आयोग के परामर्श से स्कीमों को शुरू करना तय किया जायेगा।

(ख) वित्त पोषण की शर्तें तथा संवितरण की पद्धति

1. केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में होगी जोकि विशेष श्रेणी राज्यों+ के मामले में परियोजना लागत का 90% होगी, इन परियोजनाओं से सूखा प्रवण क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्र तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा तथा गैर विशेष श्रेणी राज्यों** के मामले में परियोजना लागत का 25% होगी। राज्यों के हिस्से के रूप में परियोजना की शेष लागत की व्यवस्था राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करनी होगी।

2. वित्तीय वर्ष के दौरान, संस्वीकृत अनुदान दो किस्तों में जारी किया जायेगा। पहली किस्त अनुमानित परिव्यय

पर तथा दूसरी किस्त व्यय की पुष्टि पर आधारित होती है। कुल संस्वीकृत अनुदान का 90% अनुदान घटक तत्काल जारी किया जायेगा तथा शेष 10% तभी जारी किया जायेगा जब स्वीकृत व्यय 70% का व्यय कर लिया जायेगा। पहले वर्ष के बाद के वर्षों के लिए वित्तपोषण विगत वर्षों के व्यय की पुष्टि पर आधारित होगा।

3. राज्य सरकारों के परियोजना प्राधिकारियों को राज्य हिस्से सहित अनुदान घटक भारत सरकार द्वारा इसे जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर अनिवार्यत: जारी करना होगा।

4. राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए जल संसाधन के साथ समझौता ज्ञापन करना होगा (वृहद/मध्यम स्कीमों के लिए अनुलग्नक-II तथा तथा लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अनुलग्नक-III) जिसमें शेषलागत, शेष के लिए व्यय की वर्ष वार फेजिंग तथा वृहद/मध्यम परियोजनाओं के लिए चार वित्तीय वर्षों में और पूरा होने की लागत तिथि सहित लघु सिंचाई स्कीमों के लिए दो वित्तीय वर्षों के लिए लक्षित सिंचाई क्षमता सृजित करने संबंधी समझौता का विवरण देना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, गैर विशेष श्रेणी राज्यों में लघु सिंचाई स्कीमों के लिए राज्य सरकार को दो वित्तीय वर्षों में पूरा किए जाने का अपना कार्यक्रम तथा निर्माण के पश्चात रखरखाव के लिए जल प्रयोक्ता संघों के गठन का वचन पत्र (अनुलग्नक-IV) देना होगा।

5. परियोजना के मुख्य इंजीनियर द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा तथा इस पर राज्य सरकार के सचिव (जल संसाधन/सिंचाई)/सचिव (वित्त) के प्रतिहस्ताक्षर होंगे। उपयोग प्रमाण पत्र में वर्ष दर वर्ष आधार पर समझौता ज्ञापन में यथास्वीकृत सिंचाई क्षमता की वास्तविक उपलब्धि होनी चाहिए। समझौता ज्ञापन में दिए गए अनुसार किसी विशेष वर्ष में वास्तविक उपलब्धि कम होने की स्थिति में, आगे दिए जाने वाला अनुदान वास्तविक लाभ प्राप्त कर लेने के बाद जारी किया जायेगा। तथापि, समझौता ज्ञापन में दी गई पूरा करने की अंतिम लक्षित तिथि वही रहेगी।

6. यदि राज्य सरकारें पूरा करने की स्वीकृत तिथि तक अनुपालना नहीं कर पाती हैं तो जारी किया गया अनुदान घटक ऋण के रूप में माना जायेगा तथा केन्द्रीय ऋण की वसूली सामान्य शर्तों के अनुसार की जायेगी।

7. राज्यों को वित्तीय वर्ष के पूरा होने के नौ महीने के भीतर परियोजना के एआईबीपी घटक पर किए गए व्यय के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यदि व्यय के लेखा परीक्षित विवरण, केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने के नौ महीने के भीतर नहीं प्रस्तुत की जाती है तो आगामी वर्षो के लिए केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. राज्य सरकारों को वर्ष दर वर्ष आधार पर एआईबीपी के तहत किए जाने वाले कार्य के लिए परियोजना के विशेष बजट प्रावधान की पुष्टि करनी चाहिए।

(ग) परियोजनाओं की निगरानी

1. गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देते हुए केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा वृहद/मध्यम परियोजनाओं की व्यापक वास्तविक और वित्तीय आवधिक निगरानी की जायेगी।

   केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार मार्च तथा सितम्बर को समाप्त अवधि के लिए निगरानी दौरे तथा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। बाद की किस्तों का जारी किया जाना वास्तविक और वित्तीय जांच तथा केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिशों और जल संसाधन मंत्रालय की संतुष्टि के आधार पर होगा। कार्यो विशेष रूप से सृजित सिंचाई क्षमता की प्रगति के लिए भारत सरकार द्वारा नवीनतम तकनीकें अर्थात दूर संवेदी प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी का उपयोग किया जा सकता है तथा परियोजना के पूर्ण होने के बाद राज्यों को समय-समय पर केन्द्र सरकार को परियोजना के आवश्यक सूचना संबंधी ब्यौरे मुहैया कराने होंगे।

2. राज्य सरकार द्वारा अपने स्वतंत्र निर्माण अभिकरणों के माध्यम से लघु सिंचाई स्कीमों की निगरानी कराई जाती है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नमूना आधार पर इन

स्कीमों की आवधिक निगरानी तथा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों का आकलन किया जायेगा।

*विशेष श्रेणी वाले राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल शामिल हैं। उड़ीसा के अविभाज्य कोरापुट, बोलंगीर तथा कालाहांडी (केबीके) जिले की परियोजनाओं को विशेष श्रेणी वाले राज्यों के समान माना जायेगा।

**विशेष श्रेणी में शामिल न किए गए अन्य राज्य गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य होंगे।

अनुलग्नक-I

प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत पूरा किए जाने के लिए समस्याग्रस्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल जिले की निम्नलिखित परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं:

महाराष्ट्र	1.	वान
	2.	ऊपरी वर्धा
	3.	पोथरा नाला
	4.	उतावली
	5.	पूर्णा
	6.	लाल नाला
	7.	कर
	8.	अरूणावती
	9.	निचली वर्धा
	10.	वेम्बला
	11.	सपन
	12.	पेन तकली
	13.	खडकपूर्णा
	14.	चन्द्र भागा
	15.	धाम
	16.	नवरगांव
	17.	निचली
कर्नाटक	1.	मलप्रभा
	2.	घटप्रभा चरण-III
	3.	वोटेहोल
	4.	हिप्पारगी
	5.	मार्कन्डेय
	6.	भद्रा का आधुनिकीकरण
	7.	हचनकोप्पुलु लिफ्ट
	8.	कंचनहल्ली लिफ्ट
	9.	कामसमुद्र
	10.	रामेश्वर लिफ्ट
	11.	बाल्लेरी नाला
	12.	भीम समुद्र टैंक का पुनरूद्वार और संवर्द्धन
	13.	हरंगी
	14.	हेमावती
	15.	यगाची
	16.	दुधगंगा
	17.	चिकलीहोल
आंध्र प्रदेश	1.	श्रीराम सागर परियोजना से बाढ़ प्रवाह नहर
	2.	गुंडलकम्मा जलाशय
	3.	श्रीरामसागर चरण-II
	4.	पलेमवागु
	5.	रल्लीवागु
	6.	मथादिवागु
	7.	गोल्लावागु

8. पेड्डावागु

9. राजीव एलआईएस (भीमा प्रोजेक्ट)

10. वेलिगल्लु

11. अलीसागर एलआईएस

12. गुथपा एलआईएस

13. जे चोका राव (गोदावरी एलआईएस)

14. नीलवई

15. किन्नर सेन

16. दुम्मुदुदम एनएसटेलपांड

17. श्रीपद सागर एलआईएस

18. राजीव सागर एलआईएस (दुम्मुगुडम)

19. प्रनहिता-चेवेल्ला

20. कोइल सागर एलआईएस

21. सिंगुर नहर

22. इंदिरा सागर एलआईएस

23. कोमारम भीम

24. चोटापल्ली हनुमन्थ रेड्डी एलआईएस

25. मोडिकुन्टावागु

केरल

1. चित्तुरपुझा परियोजना

2. करापुझा परियोजना

3. मालमपुझा

4. कोरियाकुट्टी कारपा

5. बाणसुरसागर

6. कंजीरापुझा

टिप्पण:- इन परियोजनाओं को एआईबीपी सहायता योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के अधीन है।

अनुलग्नक-II

सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार और.......................सरकार के बीच

समझौता ज्ञापन

1. यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार के केन्द्रीय सहायता (सीए) कार्यक्रम के तहत अगले चार(4) वित्तीय वर्ष में निर्माणाधीन.......................सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और........ ....सरकार के बीच किया जाता है।

2. ....सिंचाई परियोजना को योजना आयोग द्वारा वार्षिक रूप से.......................हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए.......................करोड़ रुपए की लागत से.............. में अनुमोदित की गई थी।

3. राज्य सरकार के अनुसार.......................के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत.................. .....करोड़ रुपए तथा.......................के मूल्य स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित नवीनतम अनुमानित लागत...... ....करोड़ रुपए है। ....तक.......... ....करोड़ रुपए व्यय हुए हैं और....................... हेक्टेयर क्षमता सृजित की जा चुकी है।

4. इस प्रकार.......................हेक्टेयर की शेष क्षमता सहित इस परियोजना को पूरा करने की शेष लागत....................... करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने वाले घटकों के वास्तविक और वित्तीय ब्यौरे संलग्न हैं। सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए वर्ष वार वास्तविक लक्ष्य* नीचे दिए गए अनुसार होंगे:

पहला वर्ष	–	कोई लक्ष्य नहीं
दूसरा वर्ष	–	कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 30% एआईबीपी में शामिल करना
तीसरा वर्ष	–	कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 60% एआईबीपी में शामिल करना
चौथा वर्ष	–	100% सिंचाई क्षमता को एआईबीपी में शामिल करना

5. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार नीचे दी गई शर्तों के

अधीन अगले चार(4) वित्तीय वर्षों में परियोजना को पूरा करने के लिए.......................करोड़ रुपए की पूर्ण शेष लागत को शामिल करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने को सहमत हो गए हैं:

(i) यह परियोजना.......................सरकार द्वारा.......................तक पूरी की जाएगी। निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची से इस परियोजना को हटाने के लिए इसके पूरा होने के तत्काल बाद इसके पूरा होने की सूचना सीडब्ल्यूसी, जल संसाधन मंत्रालय और योजना आयोग को दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय सहायता दो किस्तों पहली कुल अनुदान की 90% और दूसरी कुल अनुदान की 10%, में दी जाएगी जिसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जारी किया जाना है।

(iii) अनुदान के 10% की शेष दूसरी किस्त सहमत व्यय का 70% व्यय होने और वर्ष के लिए क्षमता सृजन के वास्तविक लक्ष्य के प्राप्त होने और उपयोग प्रमाणपत्र में इसका उल्लेख होने के पश्चात जारी की जाएगी।

(iv) केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की गहन निगरानी की जाएगी तथा बाद की किस्तों का जारी किया जाना केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित होगा।

(v) राज्य सरकार कार्यों के निष्पादन में वांछित गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेगी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपनी निगरानी रिपोर्ट में भी इस पहलू को शामिल किया जाएगा।

................200.. को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित

.................सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से

सचिव.......................सरकार ....

आयुक्त (परियोजना),
जल संसाधन मंत्रालय

*क्षमता सृजन के कार्यक्रम में परिवर्तन केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से होगा।

अनुलग्नक-III

लघु सिंचाई स्कीमों के पूरा होने पर जल संसाधन मंत्रालय तथा.......................सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

1. यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार की एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता (सीए) के अंतर्गत अगले दो(2) वित्तीय वर्षों में.......................निर्माणाधीन लघु सिंचाई स्कीमों के पूरा होने के लिए जल संसाधन मंत्रालय और.......................सरकार के बीच किया जाता है।

2. ....सिंचाई स्कीमें वार्षिक रूप से...............हेक्टेयर की सिंचाई करने के लिए.......................में. .... करोड़ रुपये से राज्य योजना आयोग/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी।

3. राज्य सरकार के अनुसार,.......................मूल्य स्तर पर परियोजना की नवीनतम अनुमानित अनुमानित लागत.......... ....करोड़ रुपए है। ....तक व्यय....... ....करोड़ रुपये तथा.......................हेक्टेयर क्षमता पहले ही सृजित कर ली गई है।

4. इस प्रकार इस परियोजना को पूरा करने की शेष लागत. ....हेक्टेयर की शेष क्षमता सहित.................करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले घटकों के वास्तविक और वित्तीय ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए वर्षवार वास्तविक लक्ष्य इस प्रकार होंगे।

प्रथम वर्ष-एआईबीपी में शामिल सिंचाई क्षमता 10%

दूसरे वर्ष-एआईबीपी में शामिल सिंचाई क्षमता 100%

5. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन अगले दो(2) वित्तीय वर्षों में परियोजना को पूर्ण करने के लिए.......................करोड़ रुपए की पूर्ण शेष लागत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने पर सहमत है:

(i) यह परियोजना.......................तक.......................सरकार द्वारा पूरी की जायेगी। निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची से परियोजना को हटाने के लिए इसे पूर्ण किये जाने की सूचना तत्काल जल संसाधन मंत्रालय को देंगे।

(ii) केन्द्रीय सहायता वर्ष दर वर्ष आधार पर दो किस्तों में, पहली 90% दूसरी कुल अनुदान का 10% जारी की जायेगी।

(iii) अनुदान के 10% की शेष दूसरी किस्त वर्ष में 70% का स्वीकृत व्यय कर लिए जाने तथा सृजन क्षमता के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेने तथा उपयोग प्रमाणपत्र में दर्शाए जाने पर जारी की जायेगी।

(iv) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की गहन निगरानी की जायेगी तथा जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर बाद की किस्त जारी की जायेगी। एआईबीपी के तहत क्रियान्वित की जा रही सतही लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर की 7 तारीख तक अवश्य प्रस्तुत करनी होगी।

(v) राज्य सरकार कार्यों के निष्पादन में वांछित गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

नई दिल्ली दिनांक.............

में हस्ताक्षरित

................सरकार की ओर से	भारत सरकार की ओर से
सचिव........................सरकार	....
	आयुक्त (परियोजना),
	जल संसाधन मंत्रालय

*केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से सृजन क्षमता के कार्यक्रम में अंतर रखा जायेगा।

विवरण-IV

गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में नई सतही लघु सिंचाई स्कीमों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वचन पत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,
.... कार्यकारी
(नाम, पदनाम)
.... मंत्रालय

भारत सरकार
नई दिल्ली

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत सतही लघु सिंचाई स्कीमों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराये जाने को ध्यान में रखते हुए........................की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति सहमत हैं,........................राज्य के गवर्नर..... ....कार्यकारी (नाम, पदनाम)........................ मंत्रालय/......................विभाग.......................सरकार "एसजी" को संदर्भित करते हैं, एतदद्वारा घोषित करते हैं तथा निम्नलिखित का वचन लेते हैं।

(i) एसजी कार्यक्रम के अनुसार सतही लघु सिंचाई स्कीमों को पूर्ण करने पर सहमत हैं।

(ii) एआईबीपी के तहत क्रियान्वित की जा रही सतही लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर की 7 तारीख तक अवश्य प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) एसजी निर्माण के बाद रखरखाव के लिए जल प्रयोगकर्ता संघ बनाएंगी तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे प्रयोक्ता के बारे में भारत सरकार को सूचित करेंगे।

(iv) विफलता की स्थिति में, कार्यक्रम के तहत एसजी को मुहैया कराया गया केन्द्रीय हिस्सा वापस किया समझा जायेगा और वित्त मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्धारित ब्याज सहित एक मुश्त किस्त में वसूल किया जायेगा।

दिनांक.......................	हस्ताक्षर.......................
स्थान.......................	सचिव (जल संसाधन/सिंचाई)
की उपस्थिति में	.......................सरकार
(गवाह)	.......................राज्य के
	राज्यपाल की ओर से

[हिन्दी]

बांधों/जलाशयों का घटता जलस्तर

•382. **श्री समीर भुजबल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश बांधों/जलाशयों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है और इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता हासिल हुई है?

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश में 81 जलाशयों की भंडारण स्थिति को मॉनीटर कर रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान वर्षा ऋतु के अंत तक (30 सितंबर) में इन जलाशयों के कुल सक्रिय भंडारण की स्थिति संलग्न विवरण में राज्यवार दी गई है। इस संबंध में आंकड़ों से गत 10 वर्षों में वर्षा ऋतु के अंत में, देश में मॉनीटर किए गए जलाशयों के कुल सक्रिय भंडारण में किसी घटती हुई प्रवत्ति का पता नहीं चलता है।

वर्षा ऋतु के दौरान बांधों/जलाशयों में जल के भंडारण में तब वृद्धि होती है, जब इनसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए बांधों/जलाशयों में अंतर्वाह अपेक्षित बर्हिप्रवाह से अधिक होता है। भंडारित जल का गैर-वर्षा ऋतु के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और बांधों/जलाशयों में भंडारण उस अवधि के दौरान कम हो जाता है। जलाशयों में किसी भी समय जल का भंडारण इनके संबंधित आवाहों में प्राप्त वर्षा जल और जलाशयों से जल की निकासी की मात्रा पर निर्भर करता है।

वर्ष 2009 के दौरान देश में मानसून की वर्षा काफी कम हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 के दौरान वर्षा में समग्र कमी अर्थात वर्ष 2009 के दौरान सामान्य वर्षा के संबंध में वर्षा की विभिन्नता -22% है। कम वर्षा के कारण बांधों/जलाशयों में प्रवाह अपेक्षाकृत कम रहा है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मानीटर किये जा रहे 81 जलाशयों संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्षा ऋतु के अंत में उनका सक्रिय भंडारण 90.49 बीसीएम था, जो पिछले 10 वर्षों के औसत सक्रिय भंडारण की तुलना में 10 प्रतिशत कम है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, बांधों/जलाशयों में जल का प्रचालन तथा विनियमन संबंधित परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, देश में वर्षा की कमी को ध्यान में रखते हुए, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित की सलाह देते हुए 30.06.09 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की गई थी :

- उपलब्ध सतही जल संसाधनों को सावधानी से उपयोग करना और किसी संभव कमी को पूरा करने के लिए संभव भूमि जल संसाधनों का उपयोग करना।
- राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार पीने के जल की आपूर्ति और कृषि को प्राथमिकता देते हुए जलाशयों में उपलब्ध पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना।
- पेयजल, कृषि, अनुप्रयोगों और वाष्पीकरण-हानि को शामिल करते हुए प्रत्येक जलाशय के लिए जल बजट तैयार करना।
- जल उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा खोदे हुए सफल अन्वेषी कुओं को अधिगृहीत करना।
- सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के संपर्क में रहना तथा भूजल के क्षमता-स्रोतों की पहचान करने में तकनीकी सहायता प्राप्त करना, ताकि उनका शीघ्रतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सके।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	मॉनीटर किए गए जलाशयों की संख्या	वर्तमान में बीसीएम में एफआरएल में मॉनीटर की गई -कुल सक्रिय क्षमता	पिछले 10 वर्षों के दौरान वर्षा ऋतु के अंत में मानीटर किए गए जलाशयों का कुल सक्रिय भंडारण									
				30.9. 1999	30.9. 2000	30.9. 2001	30.9. 2002	30.9. 2003	30.9. 2004	30.9. 2005	30.9. 2006	30.9. 2007	30.9. 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	5	20.04	13.93	13.27	8.13	4.44	4.87	10.29	18.03	18.44	18.03	18.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	झारखंड	5	1.79	1.23	1.23	1.20	1.19	1.12	1.25	0.99	1.16	1.34	1.30
3	गुजरात	8	10.91	6.73	3.96	4.60	7.37	9.29	7.21	9.18	9.79	10.25	7.61
4	हिमाचल प्रदेश	2	12.39	11.59	7.81	9.26	7.99	10.22	5.71	11.78	11.87	8.95	12.10
5	कर्नाटक	14	23.32	15.54	16.88	12.85	12.53	11.80	17.56	21.34	21.80	21.68	19.45
6	केरल	5	3.61	2.65	2.84	2.27	1.24	1.41	2.52	3.38	2.50	3.53	2.24
7	मध्य प्रदेश	5	26.86	8.02	4.21	5.48	5.71	7.22	9.05	11.49	21.17	17.75	13.23
8	छत्तीसगढ़	2	3.81	3.14	1.90	2.95	2.05	3.80	2.94	3.31	3.40	2.41	3.07
9	महाराष्ट्र	11	10.98	9.28	6.92	5.21	7.74	5.85	8.03	8.74	10.66	10.27	9.14
10	उड़ीसा	7	15.33	12.23	8.62	12.52	10.01	13.72	11.38	10.19	14.99	14.25	12.78
11	पंजाब	1	2.34	0.44	1.02	1.63	1.14	1.00	0.63	1.76	1.87	1.21	1.47
12	राजस्थान	3	3.28	1.21	1.27	2.17	0.75	2.30	2.65	1.67	3.25	2.93	2.41
13	तमिलनाडु	6	4.23	1.20	2.99	1.24	0.63	1.12	2.26	4.12	3.49	4.12	2.57
14	त्रिपुरा	1	0.31	0.26	0.27	0.21	0.26	0.28	0.27	0.20	0.08	0.31	0.12
15	उत्तर प्रदेश	2	6.36	6.35	5.43	5.80	4.50	5.23	2.07	3.56	3.97	2.22	3.76
16	उत्तराखंड	2	4.81	1.39	2.12	1.24	0.70	1.18	1.00	1.16	1.74	3.65	3.66
17	पश्चिम बंगाल	2	1.39	1.30	0.91	0.95	1.24	0.30	1.05	0.36	0.94	1.25	1.18
	योग	81	151.77	96.47	81.64	77.70	69.51	80.71	85.85	111.26	131.13	124.15	114.26

एफआरएल : पूर्ण जलाशय स्तर बीसीएम : बिलियन क्यूबिक मीटर

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोग

***383. श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उनके प्रवेश एवं कार्यसंचालन को विनियमित करने हेतु कोई तंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) दिनांक 11 फरवरी, 2000 से शिक्षा क्षेत्र में आटोमेटिक रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति प्रदान की गई है। इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं भी विश्वविद्यालयों/उच्चतर अध्ययन संस्थाओं के साथ संयुक्त अकादमिक/अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में संकाय, विद्यार्थी तथा अकादमिक सामग्री के आदान-प्रदान, सुविधाओं की व्यवस्था करने और कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) सम्पन्न कर सकते हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन के संबंध में केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने संबंधी विनियम बनाए हैं। सरकार विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के एक विधायी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं को विनियमित करने से होने वाले संभावित लाभों में निम्न स्तरीय संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को रोकना, अध्ययन के नवाचारी क्षेत्रों में भारतीय विद्यार्थियों की सुलभता, अत्यधिक अनुसंधान अवसर, नामांकन में वृद्धि तथा वर्ष 2020 तक उच्चतर शिक्षा में 30 प्रतिशत के लक्षित सकल नामांकन अनुपात को हासिल करने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान

*384. **श्री जयराम पांगी :**
श्रीमती अन्नू टंडन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई विदेशी सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) प्रत्येक राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नए स्कूल खोलने, स्कूल भवनों के निर्माण, अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों के निर्माण और शिक्षकों की भरती में हो रही संचयी प्रगति का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले दो वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त केन्द्रीय निधीयन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़)

वर्ष	जारी निधियां
2007-08	11445.325
2008-09	12625.798
2009-10 (30-11-2009 तक)	10167.975

(घ) और (ङ) तीन विदेशी निधीयन एजेंसियों नामतः विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और यूरोपीय आयोग ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को दो चरणों में सहायता प्रदान की है। केन्द्र सरकार को विदेशी निधीयन एजेंसियों द्वारा की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रुपए करोड़)

नाम	सर्व शिक्षा अभियान चरण-I (2004-07)	सर्व शिक्षा अभियान चरण-II (2007-10) (30/11/2009 तक)
विश्व बैंक	2233.18	2736.16
अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग	1554.75	962.47
यूरोपीय आयोग	942.94	136.54
कुल योग	4730.87	3835.17

(च) सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मदद करता है। इसके समग्र लक्ष्यों में शामिल हैं- सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिरोध, स्त्री-पुरूष और सामाजिक वर्गीय अंतरालों को पाटना और बच्चों के अधिगम स्तरों में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करना।

विवरण

30.9.2009 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचयी प्रगति

क्रम सं.	राज्य	खोले गए नए स्कूल	निर्मित स्कूल भवन	निर्मित अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष	भर्ती किए गए शिक्षक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7932	9454	37533	39766
2.	अरुणाचल प्रदेश	936	1599	2658	5121
3.	असम	0	7132	41234	0
4.	बिहार	28588	5685	82038	160145
5.	छत्तीसगढ़	16397	14261	16343	59938
6.	गोवा	5	0	33	169
7.	गुजरात	0	797	17884	0
8.	हरियाणा	2301	1606	13178	7874
9.	हिमाचल प्रदेश	1151	0	8139	3453
10.	जम्मू और कश्मीर	11238	4858	4585	27222
11.	झारखंड	26822	17537	29680	80068
12.	कर्नाटक	10541	3287	39583	21798
13.	केरल	0	315	6128	0
14.	मध्य प्रदेश	52945	37436	44609	78672
15.	महाराष्ट्र	7634	1.1807	38960	12158
16.	मणिपुर	0	457	61	0
17.	मेघालय	3622	1343	2385	8965
18.	मिजोरम	310	1184	733	1548
19.	नागालैंड	56	150	3361	0

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	15277	11317	29393	68752
21.	पंजाब	1892	561	16576	4813
22.	राजस्थान	46026	8340	67980	85633
23.	सिक्किम	84	58	341	185
24.	तमिलनाडु	6813	6292	26981	25473
25.	त्रिपुरा	1320	1429	1639	3902
26.	उत्तर प्रदेश	42410	47769	224819	248637
27.	उत्तराखंड	2307	2876	4854	5998
28.	पश्चिम बंगाल	1402	3642	83715	59032
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	0	56	67
30.	चंडीगढ़	18	9	66	748
31.	दादरा और नगर हवेली	86	46	294	377
32.	दमन और दीव	8	11	11	63
33.	दिल्ली	6	6	1137	36
34.	लक्षद्वीप	8	0	0	28
35.	पुदुचेरी	10	0	166	41
	कुल एसएसए	288155	201264	847153	1010682

छात्रों का नैतिक और सामाजिक विकास

***385. श्री राजैया सिरिसिल्ला :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर सामान्य बल दिए जाने के अलावा छात्रों के नैतिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2005 का आशय मूल्यों का समावेश और नैतिक विकास का पोषण करना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सामाजिक तथा नैतिक मूल्य विकसित करने हेतु शिक्षा

को एक सशक्त औजार बनाने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में पाठ्यचर्या को पुन: समायोजित किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इस नीति में उल्लेख किया गया है कि बहु-संस्कृति आधारित हमारे इस समाज में शिक्षा को संपूर्ण एवं शाश्वत मूल्यों का पोषण करना चाहिए जो हमारी एकता एवं सत्यनिष्ठा की ओर उन्मुखी हो। ऐसी मूल्यपरक शिक्षा से रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरपन, हिंसा, अंधविश्वास तथा भाग्यवाद जैसी बुराइयां दूर होनी चाहिए और साथ ही इसमें हमारी धरोहर, राष्ट्रीय तथा सार्वभौमिक लक्ष्यों तथा धारणाओं पर आधारित अत्यंत सकारात्मक विषयवस्तु शामिल होनी चाहिए।

(ग) और (घ) स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के तहत विद्यार्थियों के मन में सामाजिक न्याय तथा समानता जैसे मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतावादी तथा बहुवादी समाज के रूप में भारत की सांविधिक परिकल्पना सृजित करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत स्कूल शिक्षा के वृहत लक्ष्यों के रूप में जनतंत्र तथा समानता, न्याय, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, पर-कल्याण की चिंता, धर्मनिरपेक्षता, मानव मर्यादा एवं अधिकारों का अभिनिर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में इस बात का भी उल्लेख है कि शांति की संस्कृति विकसित करना शिक्षा का एक निर्विवाद लक्ष्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में नैतिक विकास और सहिष्णुता, अहिंसा, विवाद निपटान, अंतर संस्कृति समझबूझ तथा सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ एक कार्यनीति के रूप में शांति शिक्षा का सुझाव दिया गया है। इसमें एक ऐसी पाठ्यचर्या का सुझाव दिया गया है जो बच्चों में विचारों तथा कार्य करने की स्वतंत्रता और सावधानीपूर्वक सुविचारित मूल्य आधारित निर्णय लेने की शक्ति विकसित करने का प्रयास करे।

(ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 की परिकल्पना के अनुरूप हैं। ''मानव मूल्यों में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता'' नामक एक केन्द्रीय योजना मौजूद है जिसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में माननीय मूल्यों संबंधी जानकारी को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना के तहत, भारत के संविधान में समाविष्ट सत्य, शांति, प्रेम, सदाचार, अहिंसा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु अध्ययन-अध्यापन सामग्री तथा श्रव्य-दृश्य सहायक तैयार करने, शिक्षक प्रशिक्षण, सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन करने, सृजनात्मक कार्यकलाप, स्कूली बच्चों हेतु थिएटर, संग्रहालय कोना स्थापित करने जैसे कार्यकलापों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने हेतु विभिन्न एजेंसियों को 10 लाख रु. की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में ''शांति शिक्षा'' विषय में देशभर के शिक्षकों तथा शिक्षक अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने हेतु 6 सप्ताह का एक कार्यक्रम मौजूद है।

[हिन्दी]

फर्जी शैक्षणिक संस्थाएं

***386. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक फर्जी और गैर-मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं के बारे में छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा देश में ऐसी संस्थाओं के विस्तार को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाली कार्यरत संस्थाओं को चिन्हित किया है। ऐसे विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने बिना अनुमोदन प्राप्त किए तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों का संचालन करने वाली 203 संस्थाओं की पहचान भी की है। ऐसी संस्थाओं की राज्य-वार संख्या विवरण-II में दी गई है। विद्यार्थियों एवं आम जनता की सूचना हेतु इस संबंध में जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अपनी संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कार्रवाई जाती है। यह सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार को भी भेजी जाती है।

ऐसी संस्थाओं में दाखिला न लेने हेतु विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को चेतावनी देते हुए प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। दिनांक 17 जून, 2008 को मंत्रालय ने विद्यार्थियों के लिए एक सार्वजनिक 'अपील' जारी की है कि संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता एवं ख्याति तथा प्रासंगिक कानून के तहत उनकी मान्यता के बारे में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा किसी भी शंका की स्थिति में, प्रासंगिक सांविधिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। सांविधिक निकायों को भी ऐसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ प्रभावी अभियान तथा कानून के तहत उनके खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई है तथा मीडिया से भी ऐसी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित करने से इंकार करने का अनुरोध किया गया है चाहे इससे विज्ञापन से प्राप्त राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़े।

विवरण-I

फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की राज्य-वार सूची

बिहार

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

दिल्ली

2. वारनासेया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) जगतपुरी, दिल्ली

3. कामर्शियल विश्वविद्यालय लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली

4. यूनाइटेड नेशन्स विश्वविद्यालय, दिल्ली

5. वोकेशनल विश्वविद्यालय, दिल्ली

6. एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरीडिकल विश्वविद्यालय, एडीआर हाउस, 8 जे, गोपाल टावर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

7. भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरी संस्थान, नई दिल्ली

कर्नाटक

8. बडगनवी सरकार वर्ल्ड ओपन विश्वविद्यालय एजूकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)

केरल

9. सेंट जॉन विश्वविद्यालय, किशनट्टम, केरल

मध्य प्रदेश

10. केशरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

महाराष्ट्र

11. राजा अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर

तमिलनाडु

12. डी डी बी संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु

पश्चिम बंगाल

13. भारतीय वैकल्पिक औषध संस्थान, कोलकाता

उत्तर प्रदेश

14. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

15. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

16. राष्ट्रीय इलेक्ट्रो काम्प्लेक्स होम्योपैथी विश्वविद्यालय, कानपुर

17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा (उत्तर प्रदेश)

19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

20. इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद्, इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोड़ा, माकनपुर, नोएडा फेज-II (उत्तर प्रदेश)

21. गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन, उत्तर प्रदेश

नोट: भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ की मान्यता तथा इसके द्वारा प्रदान की गई बी.एड/एम.एड डिग्रियों की मान्यता से संबंधित मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

विवरण-II

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन के बिना तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित कर रही संस्थाओं की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बिना अनुमोदन वाली तकनीकी संस्थाओं की संख्या
महाराष्ट्र	75
दिल्ली	24
कर्नाटक	22
तमिलनाडु	16
उत्तर प्रदेश	16
पश्चिम बंगाल	15
हरियांणा	10
चंडीगढ़	9
आंध्र प्रदेश	7
गुजरात	3
पंजाब	2
गोवा	1
राजस्थान	1
कुल	203

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय छात्रों पर हमले

*387. **श्री जोसेफ टोप्पो :**
श्री गणेश सिंह :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न देशों, विशेषकर आस्ट्रेलिया और कनाडा में, छात्रों सहित भारतीयों पर हमले किए जाने की बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं प्रकाश में आई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह मामला संबंधित देशों के साथ उठाये जाने, छात्रों आदि को परामर्श जारी किए जाने सहित कार्यवाही किए जाने के बावजूद विदेशों में भारतीय छात्रों पर हमले जारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन देशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) आस्ट्रेलिया में पढ़ रहे और काम कर रहे भारतीयों पर हमलों के कुछ मामलों की सूचना मिली है। तथापि, कनाडा से किसी घटना की सूचना नहीं है। ऐसे हमलों का कारण लूटपाट, बदले की भावना और कुछ मामलों में नस्ली तत्व होने की सूचना मिली है। गत 3 वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं पर उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

आस्ट्रेलिया में हमलों के मामलों के संबंध में, मामले को आस्ट्रेलिया सरकार के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया गया है और उनसे कहा गया है कि हमलों की ऐसी घटनाएं न होने दे और आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की रक्षा और सुरक्षा का उत्तरदायित्व आस्ट्रेलिया के अधिकारियों का है। भारत का दौरा करने वाले आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडलों, जिनमें हाल में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आया प्रतिनिधि मंडल शामिल है, को आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा, रक्षा और कुशलता से जुड़ी भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता से अवगत कराया गया था। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दोहराया था कि हम हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं करेंगे और सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, की सुरक्षा और कल्याण को संरक्षण प्रदान करने के लिए सभी सम्भव उपाय करने के लिए वचनबद्ध हैं।

दोनों देशों के बीच छात्रों के आवागमन के बारे में एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है जिसकी पहली बैठक 06 अक्टूबर, 2009 को हुई है और जिसमें आस्ट्रेलिया में भरतीय छात्रों के हितों और कल्याण को बढ़ाने के लिए अनेक ठोस उपायों पर सहमति हुई है। संयुक्त कार्यकारी दल ने भारत और आस्ट्रेलिया

में शिक्षा प्रदाताओं और पृष्ठांकन ऐजेंटों की गतिविधि के लिए कठोर विनियमनकारी तंत्र विकसित करने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त कार्यकारी दल ने दोनों देशों के बीच छात्रों के आवागमन के बेहतर प्रबंध, जिसमें ऐजेंटों द्वारा अवांछनीय अथवा अवैध गतिविधियों का आदान-प्रदान शामिल है, के बारे में एक सहयोग ज्ञापन करने का भी निर्णय लिया है।

आस्ट्रेलिया सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और अनेक उपायों की घोषणा की है जिनमें विकटोरिया और न्यू साउथ वैल्स में पुलिस व्यवस्था को कड़ा करना शामिल है ताकि आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये कदम लाभकारी रहे हैं और हमलों की घटनाओं में की घटनाओं में कमी आई है।

विवरण

गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में छात्रों सहित भारतीयों पर हमलों की घटनाओं के ब्यौरे

क्रमांक	देश	घटनाओं के ब्यौरे
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय नागरिकों जिनमें छात्र शामिल हैं, पर हमलों के 2006 में 4, 2007 में 1, 2008 में 17 और 2009 (11.12.2009 तक) में 105 मामलों की सूचना मिली है।
2.	बुल्गारिया	गत 3 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों पर हमलों के 5 मामले हुए हैं।
3.	जर्मनी	2007 में जर्मन निवासियों के एक गिरोह द्वारा भारतीय नागरिकों को पीटे जाने के दो मामलों की सूचना मिली थी। जुलाई, 2007 में एक नियो-नाजी द्वारा एक भारतीय विद्यार्थी को पीटा गया था जब वह डेसडेन में ट्राम में यात्रा कर रहा था।
4.	घाना	सितम्बर, 2006 में एक सशस्त्र लूटपाट के दौरान उत्पात पैदा करने वालों द्वारा एक भारतीय नागरिक की हत्या कर दी गई थी। 2008 में दो घटनाओं की सूचना मिली थी जिनमें पीड़ित भारतीय नागरिक थे। 2009 में एक भारतीय की सशस्त्र लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई थी जबकि एक अन्य का 23.20 किलो अपरिष्कृत सोना लूट लिया गया था।
5.	ईरान	2008 और 2009 में जहीदान में अपराधियों द्वारा भारतीय व्यावसायिकों पर हमले/लूटपाट की दो घटनाओं की सूचना मिली थी।
6.	आयरलैंड	अप्रैल, 2009 में भारतीय नागरिक पर हमले की एक घटना की सूचना मिली थी।
7.	इटली	2008 और 2009 में हमले की एक-एक घटना हुई है।
8.	आइवरी कोस्ट	(i) 2008 में एक भारतीय नागरिक पर हमले के एक मामले की सूचना है। यह स्थानीय युवाओं द्वारा एक कंपनी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन का एक भाग था जिसमें भारतीय नागरिक काम करता था।
		(ii) गत् वर्ष अबिदजान में कबाड़ी के सामान के कुछ भारतीय व्यापारियों ने अबिदजान पोर्ट क्षेत्र में दुराचार और लूटपाटकी शिकायत की थी।

1	2	3
9.	कजाकिस्तान	बटुवे, मोबाइल फोन और अन्य व्यक्तिगत सामान छीनते समय पीटने की छुटपुट घटनाओं, जिनमें भारतीय नागरिक शामिल थे, की सूचना मिली है जबकि 2006 में कोई घटना नहीं हुई, 2007 में तीन और 208 तथा 2009 में लूटपाट के एक-एक मामलों की सूचना मिली थी।
10.	कुवैत	2007 में कुवैत के जलीब शुयोक क्षेत्र में रह रहे भारतीय समुदाय ने वहां उत्पन्न कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सूचित किया था जहां बैग छीनने, प्रताड़ना शारीरिक हमले की घटनाओं को कुछ अपराधिक तत्वों द्वारा लूटपाट की मंशा से अंजाम दिया जा रहा था।
11.	फिलीपीन्स	2006 में 18 भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों की मृत्यु की सूचना मिली थी जो फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के शिकार हुए थे। 2007 में ऐसे पांच मामलों की, 2008 में 14 मामलों तथा 2009 में 7 मामलों की सूचना थी।
12.	पोलैंड	अक्तूबर, 2008 में एक पब में भारतीय छात्रों के एक समूह पर नस्ली अपशब्ध कहे गए और एक पर किसी तेजधार की चीज से हमला किया गया था।
13.	रूस परिसंघ (मॉस्को)	रूस से असामाजिक और अपराधिक तत्वों द्वारा भारतीय नागरिको पर हमलों की 16 घटनाएं हुई हैं।
14.	द. अफ्रीका	जोहानसबर्ग में गुंडों ने दो भारतीयों पर हमला किया था, एक ही हमले में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई और दूसरा गम्भीर रूप से घायल हो गया था।
15.	सूडान	अक्तूबर, 2009 में जूबा में डाकुओं द्वारा एक भारतीय की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
16.	ब्रिटेन	गत 3 वर्षों के दौरान ब्रिटेन से भारतीय नागरिकों पर हमलों की 3 घटनाओं की सूचना मिली है। ऐसे हमलों का कारण लूटपाट बताया गया है।
17.	संयुक्त राज्य अमेरिका	प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 2007 में एक भारतीय छात्र पर उसके दो सहपाठियों ने हमला किया था। 2008 में असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीयों नागरिकों पर हमलों की दो घटनाएं हुई थीं और हिंसात्मक तत्वों ने पांच भारतीय नागरिकों को गोली मार कर मार दिया था। 2009 में जेक्सन हाइट, क्वीन्स में तीन सदस्यों के एक गिरोह द्वारा एक भारतीय नागरिक पर हमला किया गया था। अक्तूबर 2009 में सैन फ्रांसिको से एक भारतीय साफ्टवेयर इंनजीनियर पर उसके सहनिवासी द्वारा हमला किया गया था।
18.	युगांडा	12 अप्रैल 2007 को कम्पाला में दंगों के दौरान एक भारतीय नागरिक पर हमला किया गया था जो इस घटना में मारा गया था।

1	2	3
		अप्रैल, 2007 में एक गिरोह हिंसा ने एक भारतीय नागरिक जो अपनी मोटर साइकिल पर सवार था भीड़ में चला गया और उस पर हमला हुआ। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।
19.	उक्रेन	2007 के दौरान 4 मामलों और 2008 के दौरान दो मामलों ने नस्लभेदी हमलों की कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थीं जिनमें भारतीय समुदाय के सदस्य और छात्रों को मामूली चोटें आई थीं। 2009 में किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

प्रशासनिक सुधार

*388. **श्री शेर सिंह घुबाया :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वीरप्पा मोइली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों के आलोक में ऊीरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा की विद्यमान पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां। प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन के विभिन्न पहलुओं में सुधारों की सिफारिश करते हुए 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। सरकार ने अब तक (i) सूचना का अधिकार से संबंधित प्रथम रिपोर्ट; (ii) दूसरी रिपोर्ट-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन (iii) तीसरी रिपोर्ट-संकट प्रबंधन; (iv) चौथी रिपोर्ट-शासन में नैतिकता; (v) छठी रिपोर्ट-स्थानीय अधिशासन पर निर्णय लिये हैं। स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है। अन्य रिपोर्टें विचाराधीन हैं। सभी 15 रिपोर्टों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं और इन्हें विभाग की वेबसाइट www.darpg.nic.in पर भी देखा जा सकता है। उपरोक्त पांच रिपोर्टों पर सरकार के निर्णय भी कथित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) जी हां। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी दसवीं रिपोर्ट, "कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन" में कतिपय सिफारिशें की हैं, जो कि सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

आपदाओं के संबंध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन

*389. **श्री विश्व मोहन कुमार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं की दृष्टि से संरचना संबंधी इंजीनियरिंग के बारे में कोई अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस अध्ययन से उत्तराखंड और बिहार सहित विभिन्न स्थानों पर पर्वतों/चट्टानों में कुछ संरचनात्मक दोषों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और

(ख) जी हां। वर्तमान में अध्ययन चल रहा है तथा निष्कर्ष प्राथमिक स्तर पर है।

(ग) और (घ) यह अध्ययन केवल अगराखल के निकट एक अस्थिर ढाल पर किया गया है न कि सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य में। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अगराखल में अब तक किए गए अध्ययन से चट्टानों में किन्हीं संरचनात्मक दोषों का पता नहीं चला है। इन चट्टानों में पाई गई दरारें प्राकृतिक हैं।

(ङ) उपचारात्मक उपायों का प्रश्न नहीं उठता।

देश में जल संकट

***390. श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री वरूण गांधी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भाग जल संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं तथा इनके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थायी और कुशल जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु लक्षित कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) पूरे देश के लिए जल की औसत वार्षिक उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आकलित की गई है। स्थलाकृति, जलविज्ञान और अन्य बाधाओं के कारण उपयोग किए जाने योग्य जल 1123 बीसीएम आकलित किया गया है। राष्ट्रीय समग्र जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने निम्न मांग एवं उच्च मांग स्थिति के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की कुल आवश्यकता वर्ष 2010, 2025 और 2050 तक क्रमशः 694 से 710 बीसीएम, 784 से 843 बीसीएम और 973 से 1180 बीसीएम आकलित की है। तथापि, जल की उपलब्धता वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न होती है और इसमें स्थानिक एवं अस्थाई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वर्ष 2009 के दौरान पूरे देश में मानसून वर्षा कम रही है। भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009 के दौरान 19 राज्यों में मानसून वर्षा में कमी रही है। वर्ष 2009 के दौरान वर्षा में समग्र रूप से कमी-22% है। केन्द्रीय जल आयोग की निगरानी के अंतर्गत 81 जलाशयों से संबंधित आंकड़े भी दर्शाते हैं कि मानसून मौसम 2009 के अंत तक कुल सक्रिय क्षमता पिछले दस वर्षों के औसत सक्रिय भंडारण से लगभग 10 प्रतिशत कम थी।

राष्ट्रीय जल नीति में उल्लेख किया गया है कि देश में उपलब्ध जल संसाधन को अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किए जाने योग्य संसाधनों की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। नीति में आगे उल्लेख किया गया है कि उपयोग किए जाने योग्य जल संसाधनों में वृद्धि करने हेतु जल के उपयोग के लिए अंतर-बेसिन अंतरण के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और खारे अथवा समुद्री जल के अलवणीकरण जैसी गैर-पारंपरिक विधियों और साथ ही छत के वर्षाजल संचयन सहित वर्षा जल संचयन जैसी संरक्षण पद्धतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है और इन तकनीकों के लिए जोर देते हुए सीमांत अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।

जल के संरक्षण के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जलाशयों एवं पारंपरिक जल निकायों में जल का भंडारण, वर्षाजल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण शामिल है। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराती है। राज्यों को चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और विशेष श्रेणी राज्यों के अविभाजित केबीके जिलों और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के सूखा-प्रवण/जनजातीय क्षेत्रों में नई लघु सिंचाई स्कीमें शुरू करने के लिए भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जिसे 1996-97 के दौरान शुरू किया गया है, के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने हेतु परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत कुल 72 वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं और 4752 लघु सिंचाई स्कीमें शामिल की गई हैं और विभिन्न राज्य सरकारों को एआईबीपी के अंतर्गत 18,493 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी 1974-75 से 2007-08 तक कार्यान्वित की गई है। सीएडी एवं

डब्ल्यूएम को 2008-09 से राज्य क्षेत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल लगभग 988 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए हैं। (आरआरआर) संबंधी स्कीम भी स्वीकृत की है और राज्यों को इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता 248 करोड़ रुपये है। सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक स्कीम भी XI वीं योजना के दौरान अनुमोदित की गई है। अभी तक लाभग्राहियों को 208.59 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एआईबीपी, सीएडी एवं डब्ल्यूएम, जल निकायों की आरआरआर और डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I से विवरण-IV में दिया गया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भी वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रदर्शनात्मक कार्यक्रम करता है।

राज्यों एवं अन्य दावाधारकों के साथ परामर्श से जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल मिशन के लिए मिशन दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया है - जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत परिकल्पित आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय जल मिशन के लिए अभिज्ञात किए गए पांच उद्देश्य हैं : (क) सार्वजनिक क्षेत्र में समेकित जल आंकड़ा आधार और जलवायु परिवर्तन का जल संसाधन पर प्रभाव का आकलन; (ख) जल संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए नागरिक एवं राज्य कार्रवाई को प्रोत्साहन; (ग) अति-दोहित क्षेत्रों पर अधिक जोर देना; (घ) जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना; और (ङ) बेसीन स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन देना।

विवरण-I

एआईबीपी के अंतर्गज जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	843.42	987.77	855.18	662.66
2	अरुणाचल प्रदेश	27.00	47.18	33.96	0.00
3	असम	30.27	77.34	405.95	388.69
4	बिहार	3.23	62.24	109.70	18.63
5	छत्तीसगढ़	10.71	96.96	193.04	60.89
6	गोवा	1.91	32.48	39.23	0.00
7	गुजरात	121.89	585.72	258.61	0.00
8	हरियाणा	3.17	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	3.93	114.05	119.32	32.40
10	जम्मू और कश्मीर	37.77	199.23	393.07	54.56
11	झारखंड	1.29	9.22	3.72	0.00

1	2	3	4	5	6
12	कर्नाटक	160.37	349.90	442.42	182.80
13	केरल	16.65	0.00	0.90	3.81
14	मध्य प्रदेश	48.31	500.35	473.78	446.75
15	महाराष्ट्र	465.52	972.25	2257.83	907.48
16	मणिपुर	156.30	103.99	221.67	12.41
17	मेघालय	0.75	1.16	24.80	0.00
18	मिजोरम	14.24	34.34	50.72	0.00
19	नागालैंड	10.60	40.51	48.60	0.00
20	उड़ीसा	133.88	624.36	724.44	245.74
21	पंजाब	0.00	13.50	9.54	0.00
22	राजस्थान	11.60	156.53	178.62	22.28
23	सिक्किम	3.32	3.24	0.00	0,00
24	त्रिपुरा	22.51	8.10	43.18	0.00
25	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	81.90	150.69	315.47	62.15
27	उत्तराखंड	84.73	265.65	371.66	45.22
28	पश्चिम बंगाल	6.70	8.95	22.81	0.91

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान	2008-09 के दौरान	2009-10 के दौरान नवम्बर, 09 तक
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	188.13	238.59	250.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	594.61	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	6095.19
5.	छत्तीसगढ़	1423.20	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	3057.66	0.00	0.00
8.	हरियाणा	1998.54	2332.22	4411.19	788.24
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	606.81	777.61	1292.83	1432.35
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	3030.02	5771.29	1500.00	2200.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	892.22	490.07	0.00	589.67
15.	महाराष्ट्र	0.00	622.27	2623.63	1651.79
16.	मणिपुर	207.04	184.07	554.47	195.53
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	15.00	6.43	0.00	0.00
19.	नागालैंड	15.10	19.43	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	494.83	1101.91	2976.25	0.00
21.	पंजाब	2434.39	3589.24	6091.13	0.00
22.	राजस्थान	1143.79	1804.38	4630.31	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1607.35	1740.48	0.00	3150.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तर प्रदेश	4537.52	5746.30	7094.76	2066.00
27.	उत्तराखंड	205.81	0.00	409.92	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	88.96	231.58	0.00	1600.00

विवरण-III

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	जारी की गई कुल निधि		
		2007-08	2008-09	2009-10
1.	तमिलनाडु	16.60	79.08	115.95
2.	आंध्र प्रदेश	8.30	2.17	18.27
3.	कर्नाटक	—	0.23	1.62
4.	उड़ीसा	—	5.03	0.60

विवरण-IV

डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम स.	राज्य	जारी की गई कुल निधि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	गुजरात	43.373
3.	कर्नाटक	26.674
4.	मध्य प्रदेश	2.00
5.	महाराष्ट्र	13.839
6.	राजस्थान	18.913
7.	तमिलनाडु	103.792

[अनुवाद]

नए वायु गुणवत्ता मानदंड

*391. **श्री रूद्रमाधव राय :**
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने हाल ही में देश में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों हेतु यूरोपीय संघ के समरूप नए वायु गुणवत्ता मानदंड अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रदूषणकारी छह ऐसे नए तत्वों को शामिल किया है जिन्हें पहले नहीं मापा जाता था;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रदूषणकारी तत्वों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन बड़े वायु प्रदूषण चूककर्त्ताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दंडित किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा नए वायु गुणवत्ता मानदंडों को लागू करने और उनकी निगरानी करने हेतु क्या प्रभावी उपाए किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों और सीमाओं को हाल ही में संशोधित किया है और 12 प्रदूषकों के लिए सीमाएं अधिसूचित की गई हैं (एनएएक्यूएस की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है)। भू-उपयोग पर आधारित क्षेत्र वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है ताकि आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समान परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड हो सकें। परिवेशी वायु में सीमा, नाइट्रोजन डाइआक्साईड (NO_2), आर्सेनिक, निकेल, बेन्जीन और बेन्जो (a) पाईरिन यूरोपीय संघ (ईयू) मानकों के अनुरूप है। तथापि; 10 माइक्रोन (PM_{10}) से कम आकार के विविक्त कण पदार्थों और 2.5 माइक्रोन ($PM_{2.5}$) के कम आकार के विविक्त कण पदार्थों के लिए मानक यूरोपीय संघ के मानकों की तुलना में अधिक शिथिल हैं। कार्बन मामनोक्साईड, ओजोन और सल्फर डाइक्साईड (SO_2) के लिए भारतीय मानक यूरोपीय संघ के मानकों की तुलना में अधिक कड़े हैं। हमारे एनएएक्यूएस में अमोनिया को अतिरिक्त रूप में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी के लिए छः नए प्रदूषक तत्वों को शामिल किया गया है, जिनमें ओजोन, बेन्जीन, बेन्जो (a) पाईरिन, आर्सेनिक, निकेल और $PM_{2.5}$ शामिल हैं।

(ङ) पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सत्यापित करने के लिए अत्यधिक प्रदूषकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करता है। देखे गए गैर-अनुपालन के स्तर के आधार पर, जैसा मामला हो, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और/अथवा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर उद्योगों को निदेश जारी किए जाते हैं। सीपीसीबी द्वारा ताप विद्युत, सीमेंट, फर्टिलाईजर आदि जैसे क्षेत्रों में प्रमुख चूककर्ताओं के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एक राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) सीपीसीबी ने प्रोटोकाल की मानीटरी के विकास और नई परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों की मानीटरी और प्रवर्तन के लिए आवश्यक अवसंरचना के लिए कार्य आरंभ किया है।

विवरण-I

नए वायु गुणवत्ता मानदंड

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानक (2009)

क्र. सं.	प्रदूषक	समय भारित औसत	परिवेशी वायु में संकेद्रण		
			औद्योगिक, आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्र	पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित)	मापन की विधियां
1	2	3	4	5	6
1.	सल्फर डाईआक्साइड (SO_2),($\mu g/m^3$	वार्षिक*	50	20	- उन्नत वेस्ट और गाइके
		24 घंटे**	80	80	- अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेस
2.	नाइट्रोजन डाईआक्साड (NO_2), $\mu g/m^3$	वार्षिक*	40	30	- परिवर्तित जेकाब ओर होचीइशर (ना-अर्सइनाइट)
		24 घंटे**	80	80	- चिमिलयूमाइनसेंस
3.	विविक्त पदार्थ (10µm से कम आकार) अथवा PM_{10} $\mu g/m^3$	वार्षिक*	60	60	- ग्रेवीमेट्रिक - टीओईएम
		24 घंटे**	100	100	- बीटा अटेनउएशन

1	2	3	4	5	6
4.	विविक्त पदार्थ (2.5µm से कम आकार) अथवा $PM_{2.5}$ µg/m³	वार्षिक*	40	40	- ग्रेवीमेट्रिक - टीओईएम
		24 घंटे**	60	60	- बीटा अटेनउएशन
5.	ओजोन (O_3) µg/m³	8 घंटे**	100	100	- यूवी फोटोमेट्रिक - चिमिलयूमाइनसेस
		1 घंटा**	180	180	- रसायन पद्धति
6.	सीसी (Pb) µg/m³	वार्षिक*	0.50	0.50	- ईपीएम 2000 पर सेम्पलिंग के बाद एएएस/आईसीपी पद्धति अथवा समान फिल्टर पेपर
		24 घंटे**	1.0	1.0	- टेफलोन फिल्टर प्रयोग करते हुए ईडी-एक्सआरएफ
7.	कार्बन मोनोआक्साइड (CO) mg/m³	8 घंटे**	02	02	- नोन डिसपर्सिव इन्फ्रारेड (एनडीआईआर) स्पेक्ट्रोस्कोपी
		1 घंटा**	04	04	
8.	अमोनिया (NH_3) µg/m³	वार्षिक*	100	100	- चिमिलयूमाइननसेंस
		24 घंटे**	400	400	- इंडोफेनल ब्लयू मैथॉड
9.	बेनजीन (C_6H_6) µg/m³	वार्षिक*	05	05	- गैस क्रोमोटोग्राफी आधारित निरंतर एबजोरप्शन और डेजोरप्शन के बाद जीसी विश्लेषण
10.	बीएपी (केवल विविक्त चरण) ng/m³	वार्षिक*	01	01	- घुलनशील निष्कर्षण के बाद एचपीएलसी/जीसी विश्लेषण
11.	आर्सेनिक, ng/m³	वार्षिक*	06	06	- ईपीए 2000 पर सैम्पलिंग के बाद एएएस/आईसीपी पद्धति अथवा समकक्ष फिल्टर पेपर
12.	निकल, ng/m³	वार्षिक*	20	20	- ईपीए 2000 पर सैम्पलिंग के बाद एएएस/आईसीपी पद्धति अथवा समकक्ष फिल्टर पेपर

* 24 घंटों के एकरूप अंतरालों पर सप्ताह में दो बार विशिष्ट स्थल पर लिए गए वर्ष में न्यूनतम 104 मापों का वार्षिक योगात्मक माध्य।

** 24 घंटे अथवा 8 घंटे अथवा 1 घंटे मानीटर मान, जो भी लागू हो, वर्ष में समय के 98% तक समेकित किए जाऐंगे। समय के 2% तक वे सीमाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन मानीटरिंग के दो लगातार दिनों में नहीं।

टिप्पणी: 1. जब भी और जिधर भी मानीटरिंग परिणाम मानीटरिंग के दो लगातार दिनों तक उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित श्रेणी के लिए ज्यादा होंगे, इसकी नियमित अथवा निरंतर मानीटरिंग प्रारंभ करने के लिए तथा आगे अन्वेषण के लिए पर्याप्त कारण के आधार पर विचार किया जाएगा।

विवरण-II

नए वायु गुणवता मानदंड

राज्य	2006-07				2007-08				2008-09				2009-10 (अगस्त 09 तक)				
	पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत इकाईयों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		राज्य प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नि. समितियों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत इकाईयों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		राज्य प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नि. समितियों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत इकाईयों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		राज्य प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नि. समितियों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत इकाईयों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		राज्य प्र.नि. बोर्ड/प्रदूषण नि. समितियों को जारी किए गए निदेशों की संख्या		कुल
	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	बंद करने के अलावा	बंद करने के लिए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	2	1	शून्य	4	शून्य	शून्य	5	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	15
असम	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	4	शून्य	2	1	1	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	12
बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
छत्तीसगढ़	2	शून्य	शून्य	शून्य	2	1	4	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	3	शून्य	14
दमन	1	शून्य	6	1	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10
दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2
गुजरात	16	9	73	शून्य	11	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
हरियाणा	6	1		शून्य	1	शून्य	2	शून्य	4	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	17
हिमाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4
झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	3
कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	2	शून्य	शून्य	1	शून्य	5
मध्य प्रदेश	2	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	1	1	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	10
महाराष्ट्र	6	शून्य	शून्य	शून्य	1	2	3	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	15
उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	1	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5
पंजाब	1	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	2	शून्य	5	1	1	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	15
राजस्थान	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	2	1	शून्य	1	1	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	10
तमिलनाडु	शून्य	शून्य	1	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	2	1	5	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13
उत्तर प्रदेश	9	शून्य	1	शून्य	2	1	2	शून्य	1	2	4	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	23
उत्तराखंड	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	5	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	8
कुल	47	10	85	1	23	14	25	5	24	12	29	9	7	0	13	0	304

इंटरनेशलन कन्वेंशन फार एनफोर्स्ड डिसेपियरेन्स

*392. **श्री मनीष तिवारी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन फार दि प्रोटेक्शन आफ आल परसन्स फार एनफोर्स्ड डिसेपियरेन्स पर हस्ताक्षर करने वालों में से है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2007 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत द्वारा इस कन्वेंशन की अभी अभिपुष्टि की जानी बाकी है जिसके द्वारा यह इसका एक पक्षकार राष्ट्र बनेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि भारत द्वारा इस संधि की अभिपुष्टि न किए जाने से यह कन्वेंशन लागू होने से रुका हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां। भारत एनफोर्स्ड डिसेपियरेंस से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने दिनांक 20 दिसंबर, 2006 के संकल्प 61/177 के माध्यम से इस अभिसमय को पारित किया था। भारत ने 6 फरवरी, 2007 को पेरिस में विशेष हस्ताक्षर समारोह अर्थात हस्ताक्षर के लिए खोले जाने के दिन इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) भारत ने अभी इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है।

(घ) गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय इस विधान के कार्यान्वयन के प्रश्न की जांच कर रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर तथा अनुसमर्थन या सहमति की स्वीकृति के लिए खुला है और 20 देशों के द्वारा इसके अनुसमर्थन या सहमति के बाद लागू होगा। अब तक 18 देशों ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन या सहमति प्रदान कर दी है। ऐसे 81 देश हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, परंतु सबने अभी तक इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है। अतएव संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य दो सदस्य देशों द्वारा इसके अनुसमर्थन या सहमति प्रदान किए जाने के बाद यह लागू होगा।

भारतीय प्रबंध संस्थान

*393. **श्री तथागत सत्पथी :**
श्री संजय भोई :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंध संस्थानों को विदेशों में कैम्पस स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंध संस्थानों को अपने निजी कालेजियम स्थापित करने की भी अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संरचना क्या है; और

(ङ) भारतीय प्रबंध संस्थानों के कार्यकरण को सुचारु बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय प्रबंधन संस्थान स्वायत्त निकाय हैं जहां कार्यकलापों के प्रबंधम हेतु स्वतंत्र शासी बोर्ड मौजूद हैं और उम्मीद है कि वें अपने कार्यकरण को सरल एवं कारगर बनाने हेतु उचित कदम उठाएंगे। तथापि, यदि भारतीय प्रबंधन संस्थान चाहें तो सरकार सहायता प्रदान करने को इच्छुक है।

[हिन्दी]

कोयला द्रवीकरण

*394. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले से तेल निकालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ प्रयोग के तौर पर किन-किन तकनीकों को अपनाया गया है;

(ग) क्या निजी कंपनियों ने भी कोयले से तेल का उत्पादन करने हेतु विदेशी कंपनियों के सहयोग से परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि दिखायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कोयले से निकाला गया तेल कब तक उपलब्ध हो जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जी, हां। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से देश में कोयला द्रवीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। उद्यमियों को केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों के रूप में कोयला द्रवीकरण को अधिसूचित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गयी है। कोयले को तेल में परिवर्तित करने की प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों पद्धतियों की विभिन्न देशों में वाणिज्यिक रूप से जांच की गयी है। परोक्ष पद्धति के माध्यम से कोयला द्रवीकरण कुछ समय से दक्षिण अफ्रीका में मेसर्स सेसोल द्वारा तेल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रचालन में रहा है। नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के कोयले के साथ डायरेक्ट कनवर्जन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक प्रायोगिक परियोजना की आयल इंडिया लि. द्वारा पूर्व में सफलतापूर्वक जांच की गयी है। एक अन्तर्मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर कोयला मंत्रालय ने तलचर कोलफील्ड् में मैसर्स स्ट्रैटेजिक एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लि. (एसईटीएल) तथा मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. (जेएसपीएल) प्रत्येक को एक-एक, कुल दो कोयला ब्लाक आबंटित किए हैं। आबंटित किए गए कोयला ब्लाकों के नाम - मेसर्स एसईटीएल को आबंटित नार्थ आफ अर्खपाल - श्रीरामपुर ब्लाक तथा मेसर्स जेएसपीएल को आबंटित रामचंडी है। प्रत्येक परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता लगभग 80,000 बैरल तेल प्रतिदिन है। प्रस्तावित तेल का उत्पादन सात वर्षों में आरंभ हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी किया जाना

*395. **श्री एस.आर. जेयदुरई :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पासपोर्ट जारी करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे पासपोर्टों की संख्या कितनी है जिन्हें जारी करने में चार महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण को सुचारु बनाने तथा आवेदकों को बिना किसी कठिनाई के पासपोर्ट जारी करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर नए पासपोर्ट जारी करने के लिए 30 दिनों तथा पासपोर्ट को पुन: जारी करने के लिए समय सीमा 15 दिनों की है।

(ख) विलम्ब के कई दृष्टांत रहे हैं, जोकि मुख्य रूप से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब, पासपोर्ट आवेदकों द्वारा भेजी गई अपूर्ण/गलत सूचना तथा कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) सरकार ने समय-समय पर कई कदम उठाए हैं, जिनमें

(i) लंबित कार्य को पूरा करने के लिए विशेष अभियान;

(ii) पुलिस प्राधिकारियों के साथ संपर्क करके पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाना;

(iii) आवेदकों के ऐसे वर्गों का विस्तार करना, जो बाद में पुलिस सत्यापन के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) ऐसे आवेदकों, जिनके वर्तमान पासपोर्टों में पुलिस रिपोर्ट स्पष्ट हैं तथा पासपोर्ट रिकार्ड में जिनके विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, उन्हें पुलिस सत्यापन के बिना पुनः पासपोर्ट जारी करना;

(v) वरिष्ठ नागरिकों तथा अवयस्कों को कुछ औपचारिकताएं पूरा करने पर पुलिस सत्यापन के बिना पासपोर्ट जारी करना; और

(vi) विलम्बित पासपोर्ट मामलों को निपटाने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों के द्वारा नियमित अंतराल पर पासपोर्ट अदालतें/शिविर आयोजित करना शामिल है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

*396. **श्री जयवंत गंगाराम आवले :** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना के अंतर्गत किए जाने वाले आबंटन की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है/उस पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना में कोई अन्य परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) एमपीलैड्स निधि की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग ने सूचित किया है कि वे इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद, जो लंबित है, और साथ ही जब अतिरिक्त निधि की उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तब इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेंगे।

(ग) और (घ) फिलहाल, एमपीलैड योजना में कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा का स्तर

*397. **श्री एम.बी. राजेश :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु कोई कार्यबल गठित किया है अथवा गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सरकार ने उच्चतर शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जिनमें गुणवत्ता संबंधी पहलू शामिल हैं, पर सलाह देने और उपाय सुझाने के लिए समय-समय पर दलों का गठन किया है। इनमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उच्चतर शिक्षा के नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी सलाह देने के लिए प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में समिति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और यशपाल समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई हेतु उच्चतर शिक्षा संबंधी कार्यबल और विश्वविद्यालयों में बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु कार्यबल शामिल है।

(ग) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। ग्यारहवीं योजना में योजनागत आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है जिसका उद्देश्य मौजूदा उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की अवसंरचना में सुधार हेतु संवर्द्धित आबंटन और असेवित राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी नई कोटिपरक संस्थाओं की स्थापना, विश्वस्तरीय मानकों पर आधारित नवाचार विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, आयोजना एवं वास्तुकला स्कूलों, जैसी कोटिपरक संस्थाओं की स्थापना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं शोध हेतु 50 केन्द्रों की स्थापना करके गुणवत्ता में सुधार करना है।

उच्चतर शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता बड़ी चिंता का विषय है। केन्द्र सरकार द्वारा कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशों का मुद्दा केंद्र सरकार

द्वारा उठाया गया था, तब शिक्षकों के लिए समूह 'क' सिविल सेवाओं के वेतन और भत्तों से अधिक वेतन और भत्तों की सहमति सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गई थी कि पात्रता शर्तें कठोर होंगी और योग्यताएं उच्च स्तर की होगी। उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु को भी 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। ये उपाय कालांतर में यह सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षिक व्यवसायों में प्रवेश की प्रक्रिया को कठोर बनाने और वेतन एवं अन्य प्रोत्साहनों को उदार बनाने के जरिये सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं इस व्यवसाय में आएंगी।

[हिन्दी]

बांध/जलाशय

***398. राजकुमारी रत्ना सिंह :**
डॉ. प्रभा किशोर ताविआड :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार बड़े बांधों/जलाशयों की संख्या कितनी है तथा उनमें कितने पानी का भंडार है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा बांधों/जलाशयों के प्रबंध में क्या ठोस भूमिका निभायी जाती है;

(ग) क्या सरकार ने असुरक्षित बांधों/जलाशयों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बांध-वार, जलाशय-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) देश में 4711 बड़े बांध हैं जिनकी कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 218.9 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है। बड़े बांधों की संख्या और उनकी सक्रिय भंडारण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) बांधों/जलाशयों का स्वामित्व एवं प्रबंधन सामान्यतः राज्य सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका बांध के स्वामी द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी सुरक्षा एवं पुनर्वास के संबंध में सलाह देने तक सीमित है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) का गठन किया गया है जिसमें 16 राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं। सीडब्ल्यूसी ने बांधों के सुरक्षा निरीक्षण हेतु दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं और उसे अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने असुरक्षित बांधों/जलाशयों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने मौजूदा विधियों की समीक्षा करने एवं भारत में सभी बांधों के लिए बांध सुरक्षा की एकीकृत प्रक्रिया विकसित करने के लिए 1982 में एक स्थायी समिति का गठन किया था। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट (बांध सुरक्षा प्रक्रिया की रिपोर्ट-जुलाई 1986) में राज्यों में बांध सुरक्षा प्रकोष्ठों के लिए प्रशासनिक ढांचे और इसके कार्यों तथा साथ ही केन्द्र में बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका के संबंध में सुझाव दिए हैं। यह रिपोर्ट सभी राज्यों को उनके मार्गदर्शन हेतु परिचालित कर दी गई है।

विवरण

बांध/जलाशय

भारत में पूर्ण बांधों के राज्यवार वितरण का सार
(स्रोत: बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 2009)

क्रम सं.	राज्य	पूर्ण बांध	सक्रिय भंडारण क्षमता (मिलियन घन मीटर)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	283	27305.13
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0.01
3	असम	2	12.46
4	बिहार	24	1842.22
5	छत्तीसगढ़	243	6217.24
6	गोवा	5	44.30
7	गुजरात	598	16137.80
8	हिमाचल प्रदेश	13	13917.15
9	जम्मू और कश्मीर	10	27.98
10	झारखंड	49	2472.07

1	2	3	4
11	कर्नाटक	229	33631.21
12	केरल	53	5384.27
13	महाराष्ट्र	1676	25523.01
14	मध्य प्रदेश	899	26906.28
15	मणिपुर	2	396.50
16	मेघालय	5	697.96
17	नागालैंड	1	1220.00
18	उड़ीसा	157	17224.61
19	पंजाब	14	2368.75
20	राजस्थान	180	8284.85
21	पांडिचेरी	1	13.79
22	सिक्किम	2	7.10
23	तमिलनाडु	107	6500.47
24	त्रिपुरा	1	312.00
25	उत्तराखंड	13	5671.08
26	उत्तर प्रदेश	115	15345.01
27	पश्चिम बंगाल	28	1475.15
	कुल	4711	218938.40
			अथवा 218.938 बिलियन क्यूबिक मीटर

[अनुवाद]

भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन

*399. **श्री अधीर चौधरी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या खाका तैयार किया गया है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ अनुमानित कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना दस्तावेज के अनुसार, सीआईएल की योजना 2006-07 में 43.32 मि.टन से 2011-12 में 54.56 मि.टन भूमिगत कोयला उत्पादन को बढ़ाने की है। इसके अलावा, सीआईएल द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार भूमिगत कोयला उत्पादन को 2011-12 तक 54.56 मि. टन से बढ़ाकर 66.63 मि.टन करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एससीसीएल की योजना 9.703 मि.टन की क्षमता वाले 7 भूमिगत परियोजनाओं के निर्माण की है।

(ग) भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं:-

(1) सीएमपीडीआई को सहायक सहायक कम्पनियों के परामर्श से अपनी मौजूदा खानों के आधुनिकीकरण हेतु एक कार्य योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर विचार किया गया है:-

- उपयुक्त स्थानों पर अधिक उत्पादन एवं लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करना।
- मैनुअल लोडिंग के स्थान पर एसडीएल/एलएचडी की तैनाती करना तथा जहां कहीं सम्भव हो, परिवहन पद्धति का पुनर्गठन करना।
- अतिरिक्त शाफ्ट तथा इंक्लाइन/ड्रिफ्टों द्वारा निकासी क्षमता में वृद्धि करना।
- अतिरिक्त कोयला विनिंग उपकरणों की तैनाती।

(2) जोखिम लाभ-शेयरिंग आधार पर निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा विकास हेतु सात उच्च क्षमता वाले ग्रीनफील्ड भूमिगत खानों की पहचान की गई है।

(3) ग्लोबल भूमिगत खनन कंपनियों के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम व्यवस्था के अधीन उच्च कोटि के कोकिंग कोयले तथा तापीय कोयले के 1600 मिलियन टन से अधिक के अनुमानित भंडारों वाले 18 परित्यक्त खानों की विकास हेतु पहचान की गई है।

(4) सीआईएल ने अपनी भूमिगत खानों से उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त कार्य दल (एचपीटीएफ) का गठन किया है। इस समिति ने उत्पादन के स्तर को 54.56 मि.टन से बढ़ाकर 66.63 मि.टन करने अर्थात 11वीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) तक 12.07 मि.टन की वृद्धि करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.703 मि.टन की अनुमानित क्षमता वाली 7(सात) भूमिगत परियोजनाओं के निर्माण के अलावा एससीसीएल ने गोदावरी घाटी कोलफील्ड के बाहर कोयला ब्लाकों के आबंटन का अनुरोध किया है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीआईएल तथा एससीसीएल दोनों द्वारा इस प्रयोजनार्थ 6697.53 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च किए जाने की संभावना है।

नए प्राणी उद्यान

***400. श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्री अर्जुनराम मेघवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राणी उद्यानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में प्राणी उद्यानों/पक्षी अभ्यारण्यों के विकास हेतु किसी विजन दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) बचाव केन्द्रों और सर्कसों सहित देश में 197 प्राणी उद्यान हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भविष्य में देश के चिड़ियाघरों के विकास के लिए "एक्स सीटू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड जूज इन इंडिया विजन-2020" नामक एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस डाक्यूमेंट के आधार पर सभी चिड़ियाघरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों/फॉर्मेट के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान्स तैयार करें। इसके अतिरिक्त, देश में 95 पक्षी अभयारण्य हैं, लेकिन पक्षी अभयारण्यों के लिए कोई विजन डॉक्यूमैंट नहीं है।

समझौता ज्ञापन को रद्द करना

4167. श्री यशवीर सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेलिया तथा उत्कल स्थित कोयला ब्लाकों के आबंटन के संबंध में निजी पार्टियों तथा मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य खनन निगम के बीच हुए समझौता ज्ञापन को रद्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को मध्य प्रदेश के सीधी जिला में अमेलिया ब्लाक में कोयला खनन हेतु 1283.570 हेक्टेयर के अपवर्तन प्रस्ताव में मैसर्स सैनिक खनन एंड एलाईड सर्विसेज लिमिटेड के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश खनन निगम लिमिटेड को निदेश करने के लिए सूचित किया है। एक अन्य अनुरूप मामले में, केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को उड़ीसा में अंगुल जिला में उत्कल ब्लाक में कोयला खनन हेतु 137.02 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन प्रस्ताव में मैसर्स सैनिक खनन एंड एलाईड सर्विसेज लिमिटेड के साथ हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को रद्द करने के लिए उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को निदेश करने के लिए भी सूचित किया है।

(ग) ये निर्णय दिनांक 20 जनवरी, 2009 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में लिए गए थे जिसमें न्यायालय के उपरोक्त

वर्णित प्रस्तावों के संबंध में केंद्रीय शक्ति संपन्न समिति (सीईसी) की टिप्पणियों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए मंत्रालय को निदेश दिया है। सीईसी ने टिप्पणी दी है कि एक संयुक्त उपक्रम कंपनी जहां सरकार केवल अल्पसंख्या में शेयरधारी है और दैनिक संचालन निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा प्रबंधित किए जाने हैं उसके माध्यम से कोयला ब्लाक के विकास और संचालन में संबद्ध वैधता, अधिमान्यता और जनहित को (क) संशोधित कायेला खनन नीति दिनांक 12.12.2001; (ख) यद्यपि ओएमसी लीज होल्डिंग कंपनी होगी, निजी कंपनी को वास्तविक लाभ उपार्जित होंगे, निजी पार्टी को वास्तविक लाभ उपार्जित होंगे; (ग) ओएमसी का दैनिक प्रबंधन में कोई नियंत्रण नहीं होगा; (घ) चेक और बैलेंस यह सुनिश्चित करने के लिए सही स्थान पर रखे जाएं कि कोयला को बेहिसाब रूप में न हटाया जाए तथा उसका कम मूल्यांकन न हो; और (ङ) परियोजना में जनहित शामिल हो, के संबंध में विशेषरूप से सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कैटोक अभिसमय

4168. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापकों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रपारीय संगठित अपराध के विरुद्ध अभिसमय (कैटोक) का भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं करने के क्या कारण हैं जबकि भारत स्वापक आयातों से सबसे ज्यादा प्रभावित है;

(घ) विश्व के कितने देशों ने अब तक इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया है;

(ङ) क्या भारत का विचार उपर्युक्त अभिसमय का अनुसमर्थन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 15 नवंबर, 2000 को पारित किया गया था। भारत ने 12 दिसंबर, 2002 को अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे, परन्तु अभी इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। यह अभिसमय नशीले पदार्थों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्रीय अभिकरण की स्थापना से संबंधित नहीं है।

(ग) इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया गया है, क्योंकि इस विधान के कार्यान्वियन के लिए कानून बनाना अपेक्षित है, जिससे संबंधित कार्य अभिसमय के कार्यान्वियन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नशीले पदार्थों के संबंध में यह अभिसमय इस विषय से संबंधित नहीं है। तथापि, भारत नशीले पदार्थों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों अर्थात (i) नशीली औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961 (ii) मनोप्रभावी पदार्थों पर अभिसमय तथा (iii) नशीली औषधियों व मनोरोगी पदार्थों में अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988 का एक पक्ष है। भारत नशीली औषधियों व मनोप्रभावी पदार्थों पर सार्क अभिसमय, 1990 का भी पक्ष है।

(घ) अब तक 151 राज्य इस अभिसमय के पक्ष बन गए हैं।

(ङ) और (च) भारत में इस अभिसमय के प्रावधानों को लागू करने के लिए विधान कार्यान्वियन के बाद भारत का इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों का दाखिला

4169. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण डाक सेवकों, बार काउंसिल आफ इंडिया तथा स्टेट बार काउंसिलों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दाखिला संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

के अंतर्गत तदर्थ अथवा संविदा आधार पर नियुक्त डाकियों को उनके बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए श्रेणी-II (भूतपूर्व सैनिकों सहित गैर-स्थानांतरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के समकक्ष) के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय बार परिषद तथा राज्य बार परिषदों के कर्मचारियों के बच्चों के संबंध में श्रेणी-I/II (किसी अन्य श्रेणी के बच्चों के समकक्ष) के तहत दाखिला हेतु विचार किया जाता है।

मालदीव में राडारों का अधिष्ठापन

4170. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव सरकार ने आस-पास के समुद्र की निगरानी के लिए समूचे द्वीप में राडार अधिष्ठापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) राडारों को अधिष्ठापित करने पर कुल कितना व्यय होगा तथा क्या इन राडारों में भारत के विशेषज्ञ होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) भारत और मालदीव दोनों रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने 20-22 अगस्त, 2009 तक मालदीव की सरकारी यात्रा की। दोनों पक्षों ने समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने सहित सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

ललित कला महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति

4171. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मवेलीकारा में रामा वर्मा राजा द्वारा शुरू किया गया ललित कला महाविद्यालय दयनीय स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से इस महाविद्यालय को अपने अधीन लेने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के अनुसार यह कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त कालेजों की सूची में शामिल नहीं है और इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 12 ख के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूनेस्को केन्द्र

4172. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जैव प्रौद्योगिकी हेतु यूनेस्को का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या प्रस्तावित कार्य होंगे; और

(ग) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) जी हां, सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन फरीदाबाद, हरियाणा में यूनेस्को जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। यह केन्द्र जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर-विषयक शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। यह एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच सहयोग का केन्द्र-बिंदु भी होगा। इस समय, यह केन्द्र गुड़गांव, हरियाणा की एक अस्थायी सुविधा से कार्य कर रहा है। शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्यक्रमों, डिजसइन और मुख्य कैम्पस के निर्माण संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। फरीदाबाद में स्थायी कैम्पस जुलाई, 2012 तक कार्य करने लगेगा।

व्याख्याता हेतु नेट/सलेट

4173. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रवक्ताओं हेतु राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी)/राज्य स्तरीय अर्हता परीक्षा (एसएलईटी) में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है;

(ख) क्या अधिकांश विषयों में सफलता का प्रतिशत 3 प्रतिशत से भी कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें सुधार लाने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम कौन-कौन से हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की जाती है और राज्यवार परिणाम तैयार नहीं किए जाते। राज्य पात्रता परीक्षाएं संबंधित राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है और इनके परिणाम एकत्र नहीं किए जाते। जून, 2006 से जून, 2009 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले और इसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

	शामिल अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण करने वाले अभ्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रतिशतता
जून, 2006	95,600	6,920	7.24
दिसम्बर, 2006	78,968	5,267	6.67
जून, 2007	91,802	5,792	6.31
दिसम्बर, 2007	1,04,867	5,931	5.66
जून, 2008	109,096	6,270	5.75
दिसम्बर, 2008	124,952	6,569	5.26
जून, 2009	143,835	9,528	6.62

(ख) जी, नहीं।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए तैयार करने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक कोचिंग स्कीम है।

[हिन्दी]

गुजरात में धार्मिक स्थलों तथा मंदिरों का संरक्षण

4174. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के धार्मिक स्थलों तथा मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक शुरू किए गए कार्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी हां। गुजरात में 91 धार्मिक स्थलों तथा मंदिरों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है तथा इनका संरक्षण और अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(ख) इन स्मारकों के उचित संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण के अलावा पर्यटकों से संबंधित सुविधाएं जैसे पेय जल सुविधाएं, प्रसाधन खंड, सूचना पट्ट, रैम्प तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए पहिया कुर्सी भी मुहैया करवाई गई है। पर्यटकों के लाभार्थ इन स्मारकों के आस-पास के हिस्सों को भूदृश्य, रास्ते आदि बना कर विकसित किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में नवम्बर, 09 तक इन स्मारकों/स्थलों पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

2006-07	—	37.88 लाख रुपए
2007-08	—	44.39 लाख रुपए

2008-09	—	158.10 लाख रुपए
2009-10 (नवम्बर, 09 तक)	—	56.45 लाख रुपए

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

4175. **श्री तूफानी सरोज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड परिवार परामर्श केन्द्र चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो परिवार परामर्श केन्द्र के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) वर्तमान में राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इन परिवार परामर्श केन्द्रों का विस्तार जिला स्तर तक किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो देश के कितने जिलों में अब तक ये केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(च) देश के प्रत्येक जिले में इन केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड परिवार परामर्श केन्द्र चला रहे हैं जो योग्य व्यावसायिक परामर्शदाताओं के माध्यम से उन महिलाओं को निःशुल्क परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं जो अत्याचार, पारिवारिक मतभेद, दहेज, मद्यव्यसनिता तथा अन्य पारिवारिक कुसमंजन जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।

(ग) इस समय संचालित ऐसे केन्द्रों की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(घ) से (च) स्कीम के मानदंडों के अनुसार परिवार परामर्श केन्द्र देश के सभी जिलों में स्थापित किए जाने हैं। ये केन्द्र अभी तक 124 जिलों को छोड़ कर सभी जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं, (विवरण-II संलग्न है)। इन जिलों को धीरे-धीरे शामिल किया जाएगा क्योंकि स्कीम के मानदण्डों के अनुसार प्रतिवर्ष केवल 60 नए परिवार परामर्श केन्द्र ही खोले जा सकते हैं।

विवरण-I

परिवार परामर्श केन्द्रों की संख्या (राज्य वार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	परिवार परामर्श केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	57
2.	अरुणाचल प्रदेश	8
3.	असम	35
4.	बिहार	54
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	51
7.	हरियाणा	28
8.	हिमाचल प्रदेश	11
9.	जम्मू और कश्मीर	30
10.	कर्नाटक	66
11.	केरल	41
12.	मध्य प्रदेश	60
13.	महाराष्ट्र	77
14.	मणिपुर	17
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	11
17.	नागालैंड	9
18.	उड़ीसा	36
19.	पंजाब	17
20.	राजस्थान	40

1	2	3
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	66
23.	त्रिपुरा	14
24.	उत्तर प्रदेश	73
25.	पश्चिम बंगाल	49
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
27.	चंडीगढ़	6
28.	दिल्ली	33
29.	लक्षद्वीप	3
30.	पुदुचेरी	12
31.	छत्तीसगढ़	20
32.	उत्तराखंड	17
33.	झारखंड	37
	कुल	992

विवरण-II

देश के उन जिलों का ब्यौरा जहां इस समय परिवार परामर्श केन्द्र नहीं हैं।

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	12
4.	बिहार	4
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	–
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू और कश्मीर	7
10.	कर्नाटक	1
11.	केरल	–
12.	मध्य प्रदेश	9
13.	महाराष्ट्र	3
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	5
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	4
19.	पंजाब	9
20.	राजस्थान	8
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	3
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	10
25.	पश्चिम बंगाल	–
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–
27.	चंडीगढ़	–

1	2	3
28.	दिल्ली	-
29.	लक्षद्वीप	-
30.	पांडिचेरी	2
31.	छत्तीसगढ़	6
32.	उत्तराखंड	5
33.	झारखंड	4
	कुल	124

[अनुवाद]

केरल सिंचाई तथा जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 का अधिनियम

4176. **श्री सी. शिवासामी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल सिंचाई तथा जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पड़ोसी राज्यों तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार के विधि (विधान-ख) विभाग की अधिसूचना सं. 5857/विधान ख1/05/विधि दिनांक 18 मार्च, 2006 में इस अधिनियम का ब्यौरा उपलब्ध है।

(ग) इस संबध में, तमिलनाडु सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में 2006 का वाद सं. 3 दायर किया जिसमें निम्नवत याचना की:-

(i) केरल विधान सभा द्वारा पारित केरल सिंचाई एवं जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2006 के तहत मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में की गई घोषणा इसके अनुप्रयोग एवं इस पर प्रभाव की दृष्टि से असंवैधानिक हैं।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.02.2006 को दिए गए फैसले के अनुसार स्थायी व्यादेश की डिक्री पारित करना जिसके तहत केरल को इसका प्रयोग करने देने अथवा तमिलनाडु को 142 फुट तक मुल्ला पेरियार बांध के जल स्तर में वृद्धि करने तथा मरम्मत कार्य करने से रोकने की बात कही गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25.09.2006 को यह कहते हुए एक आदेश पारित किया कि "दो राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अथवा भारत सरकार के हस्तक्षेप से यदि संभव हो तो इस विवाद का समाधान कर सकती हैं।" माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने 29.11.2006 को नई दिल्ली में मुल्लापेरियार बांध मुद्दे पर तमिलनाडु और केरल राज्यों के मुख्य मेत्रियों की एक अंतर्राज्जीय बैठक बुलाई। माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने 18.12.2006 को तमिलनाडु और केरल के मंत्री (डब्ल्यूआर/पीडब्ल्यू) के साथ इस मामले पर आगे चर्चा की। तमिलनाडु और केरल राज्यों ने उपरोक्त बैठकों में अपने-अपने रुख को दोहराया और दोनों राज्यों को स्वीकार्य समाधान के संबंध में कोई सहमति नहीं बन पाई। इस प्रकार, यह मामला न्यायाधीन हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4177. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरी पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों से दूसरी पाली में पोलिटेक्नीक आरम्भ करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, हैदराबाद के दक्षिण-केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय में 105 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उक्त कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों की एक समिति द्वारा मौजूदा डिग्री संस्थाओं में

पोलिटेक्नीक संस्थाओं की दूसरी पाली चलाने हेतु योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की गयी थी। एआईसीटीई की सिफारिशों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई करने के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य स्तरीय समिति ने शैक्षिक वर्ष 2009-10 के लिए 91 मौजूदा इंजीनियरिंग संस्थाओं में दूसरी पाली के पोलिटेक्नीक के लिए अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिश अग्रेषित कर दी है। हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उक्त संस्थाओं में दूसरी पाली के पोलीटेक्नीकों के लिए अनुमोदन पत्र जारी कर दिया गया था।

अपशिष्टों का पाटन

4178. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री नरहरि महतो :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने देश के तटवर्ती क्षेत्रों में अपने खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का पाटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश किया है कि तटवर्ती क्षेत्रों का इन कंपनियों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाए; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, विदेशी देशों द्वारा तटीय क्षेत्रों में उनके खतरानाक अपशिष्ट पादार्थों के डम्प करने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान, सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा गैर बायो अवक्रमित नगरीय ठोस अवपशिष्ट मिश्रित अपशिष्ट कागज के आयात के दो मामले और कुवैत से ई-अपशिष्ट के तीसरे मामले का पता लगाया था। सारे प्रेक्षित माल का खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा-पारीय संचालन) नियमावली, 2008 के उपबंधों के अनुसार पुनः निर्यात किया गया है। खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा-पारीय संचालन) नियमावली, 2008 के उपबंधों के अनुसार भारत में पाटन/निपटान प्रयोजनों के लिए अपशिष्टों का आयात अनुमति नहीं है, तथापि, नियमावली में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुरूप प्लास्टिक, कागज, अपशिष्ट और मेटल स्क्रेप जैसे पुनः चक्रणीय अपशिष्ट का आयात वास्तविक उपयोगकर्ताओं, जिन्हें संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त है, द्वारा पुनः चक्रण के लिए अनुमति है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विशाष रूप से खतरनाक अपशिष्टों के आयात और निर्यात से संबंधित नियमावली में निर्धारित उपबंधों के कार्यान्वयन को देखने के लिए राजस्व विभाग, डीजीएफटी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों सहित समन्वय समिति गठित की है। नियमावली में सारे प्रेक्षित माल के साथ प्रत्यायित प्रयोगशाला से शिपमेन्ट पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र/टेस्ट रिपोर्ट और मूवमेंट डॉक्यूमेन्ट होना अपेक्षित है। सीमाशुल्क प्राधिकरणों को गलत घोषणा करने से रोकने के लिए प्रेक्षित माल के लिए रेन्डम नमूना लेना अपेक्षित है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वनरोपण कार्यक्रम

4179. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई गैर-सरकारी संगठन वनरोपण में शामिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन-से अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वन संसाधनों से राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ङ) वन माफिया तथा अन्य लोगों द्वारा भविष्य में वन संसाधनों के विनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं तथा ऐसे कितने मामले उपर्युक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए हैं; और

(च) देश के 33% क्षेत्र को वन भूमि में शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत हरित भारत स्कीम

के लिए सहायता अनुदान 2008-09 से बंद है, गैर सरकारी संगठन वृक्षा रोपण में शामिल थे।

(ग) मंत्रालय द्वारा वनावरण के लिए गैर सरकारी संगठन के योगदान के लिए कोई पृथक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) वन सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों का है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य/संघ शासित सरकारों को 'वन प्रबंध योजना का तीव्रीकरण' की केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के माध्यम से बेहतर, संचार, गतिशीलता, अस्त्र और शस्त्र प्रदान करके उनकी वन सुरक्षा मशीनरी को फ्रंट लाइन वन शक्ति के साथ सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(च) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के मध्यम से वांछित वन क्षेत्र प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं; अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए वन क्षेत्र के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार का त्वरित कार्यक्रम; एक नई राज्य प्लान स्कीम, पारि-विकास बल स्कीम, एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम; एनआरईजीएस के पास इसके अनुज्ञेय कार्यों की अनुसूची में वनीकरण/वृक्ष रोपण कार्य और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित अन्य केन्द्रीय और राज्य स्कीम।

दूरस्थ शिक्षा शैक्षणिक संस्था

4180. **श्री जयंत चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दूरस्थ शिक्षा के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु कोई विनियामक ढ़ांचा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन संस्थाओं द्वारा कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार के पास भारत में चल रहे दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों तथा इनमें भर्ती छात्रों का कोई डाटाबेस है;

(च) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति स्थापित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नई नीति का मसौदा तैयार किया है। आम जनता सहित स्टेक होल्डरों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस नीति के मसौदे में दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी.ई.सी.) को दूरस्थ पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को संचालित करने के मानकों को निर्धारित करने की भूमिका सौंपी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार को कुछ शिक्षा संस्थाओं द्वारा किए गए तथाकथित कदाचार के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) को अग्रेषित किया गया है। इस प्रकार की संस्थाओं में से एक संस्था द्वारा अप्राधिकृत अध्ययन केन्द्रों को संचालित करने की जांच भी सरकार ने की है।

(ङ) से (छ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डी.ई.सी.) ने – भारत में दूरस्थ शिक्षा से संबंधित सूचना आधार के नाम से भारत में दूरस्थ शिक्षा के बारे में डाटाबेस प्रकाशित किया है।

[हिन्दी]

अंग्रेजी में प्रवेश परीक्षा

4181. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले हेतु प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश की शैक्षणिक संस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का प्रवेश सुलभ कराने के लिए अन्य भाषाओं में प्रवेश परीक्षा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (एआईईईई) के माध्यम से अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। तथापि, ग्रेज्युएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एम. एस.सी. (जेएएम) में संयुक्त प्रवेश परीक्षा और सामान्य प्रवेश परीक्षा (कैट) में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी में ली जाती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न-पत्र तैयार करने का निर्णय संयुक्त प्रवेश बोर्ड जैसे आयोजक निकाय द्वारा लिया जाता है जो समय-समय पर प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं तथा जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

नाभिकीय ऊर्जा अपशिष्ट का निपटान

4182. **श्री पी.के. बिजू :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाभिकीय ऊर्जा अपशिष्ट के निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आदेश देने से पूर्व नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति करने वाली कंपनी के इतिहास और सेवा की समीक्षा करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत-अमरीका परमाणु करार के अनुसार जब परमाणु ऊर्जा में वद्धि होगी तब औद्योगिक और घरेलू दोनों के लिए परमाणु ऊर्जा की प्रति यूनिट अनुमानित लागत क्या होगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी. हां। नाभिकीय ऊर्जा अपशिष्ट के निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हुई हैं।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के सात केन्द्रों, नामत:, ट्रॉम्बे, तारापुर, कलापाक्कम, रावतभाटा, नरोरा, ककरापार और कैगा में रेडियोसक्रिय अपशिष्ट-पदार्थ प्रबंधन सुविधाएं अवस्थित हैं। इन सुविधाओं का अभिकल्पन, निर्माण तथा कमीशनन देश में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के सूत्रपात के साथ ही चार दशक पहले शुरू किए गए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के आधार पर किया गया है। इन सुविधाओं में, गैस, द्रव तथा ठोस की शक्ल में जनित रेडियोसक्रिय अपशिष्ट-पादार्थों के संसाधन निपटान के लिए अपशिष्ट-पदार्थ प्रबंधन प्रणालियां सम्मिलित हैं।

रेडियोसक्रिय गैसीय अपशिष्ट-पदार्थ को डैमिस्टरों, अधिशोषण, उच्च दक्षता वाले विविक्त वायु निस्यंदकों के जरिए निस्यंदन आदि जैसी संसाधन प्रक्रियाओं की सहायता से स्रोत पर ही विसंदूषित किया जाता है और मानीटरन के बाद उसे आगे और परिक्षेपण के लिए लम्बी चिमनियों में से निस्सारित किया जाता है।

रेडियोसक्रिय द्रव तथा ठोस अपशिष्ट-पदार्थों को उनमें मौजूद रेडियोसक्रियता की मात्रा के आधार पर, निम्न, मध्यवर्ती तथा उच्च-स्तर की रेडियोसक्रियता वाले अपशिष्ट-पदार्थों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। अपशिष्ट-पदार्थों को अलग-अलग किया जाता है और उसमें मौजूद रेडियोसक्रियता की अधिक मात्रा को कायम रखने के लिए उसे संसाधित किया जाता है।

निम्न तथा मध्यवर्ती स्तर की रेडियोसक्रियता वाले द्रव अपशिष्ट-पदार्थों को रासायनिक, आयन विनिमय, वाष्पन तथा झिल्ली पृथक्करण जैसी विधियों से संसाधित किया जाता है। रेडियोसक्रियता की अधिक मात्रा को हटा दिया जाता है और उसे सीमेंट जैसे उपयुक्त मैट्रिक्स में अनुकूलित किया जाता है। ठोसीकृत अपशिष्ट-पदार्थ को उपयुक्त पात्रों में पैक किया जाता है और उन्हें सतह के नजदीक अवस्थित निपटान सुविधाओं में भंडारित किया जाता है/उनका निपटान किया जाता है। इन सुविधाओं का डिजाइन बहु-रोधक सिद्धांत के आधार पर तैयार किया जाता है और उनमें मानीटरन तथा चौकसी संबंधी व्यापक व्यवस्थाएं होती हैं। संसाधित बहिःस्रावों को मानीटर किया जाता है और उन्हें प्राधिकृत सीमाओं के भीतर ही पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है।

उच्च स्तर की रेडियोसक्रियता वाले अपशिष्ट पदार्थ को बोरोसिलिकेट कांच के मैट्रिक्स में काचीकृत किया जाता है और स्टील के कनस्तरों में बंद कर दिया जाता है। बाद में इन कनस्तरों को विशेष तौर पर निर्मित वायु शीतित सुविधाओं में अंतरिम अवधि के लिए भंडारित किया जाता है।

(ग) और (घ) आदेश दिए जाने से पहले, विधिवत् रूप से गठित स्थायी समिति सभी नाभिकीय ईंधन आपूर्तियों का तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन करती है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित किए जाने वाले रिएक्टरों से प्राप्त होने वाली परमाणु विद्युत के अनुमानित शुल्क की जानकारी, वाणिज्यिक करार किए जाने के बाद ही मिल पाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में संस्कृत

4183. डॉ. भोला सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के केन्द्रीय विद्यालयों में 6ठी से 10वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों ने इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पूर्ववर्ती योजना बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा VI से VIII तक संस्कृत पढ़ाई जाती है। कक्षा IX और X में छात्र के पास संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में से किन्ही दो भाषाओं को चुनने का विकल्प होता है। कक्षा XI और XII में, छात्र संस्कृत को या तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में या अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकता है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में हाल ही में संस्कृत के शिक्षण संबंधी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भूमिगत जलाशय

4184. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री महेन्द्र कुमार राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूजल की वर्तमान उपलब्धता तथा सिंचाई सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग की प्रतिशतता का आकलन करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितना प्रतिशत वर्षा का जल भूजल में जाता है जो जलस्तर को बढ़ाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार जल वितरण को सुगम बनाने के लिए वर्षा जल को एकत्र करने हेतु भूमिगत जलाशयों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) 2004 में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किए गए भूमि जल के मूल्यांकन अनुसार, देश में वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल स्रोत का 433 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के रूप में मूल्यांकन किया गया है। प्राकृतिक निस्सरण हेतु 34 बीसीएम रखते हुए निवल वार्षिक भूमिजल उपलब्धता को 399 बीसीएम अनुमानित किया गया है। देश में सभी उपयोगों के लिए भूमिजल विकास के 58% के स्तर के साथ 231 बीसीएम के रूप में अनुमानित की गई है। सिंचाई हेतु भूमिजल निकासी 212 बीसीएम है, जो कुल भूमि जल निकासी का 92% है।

(ग) मूल्यांकन के अनुसार, मानसून वर्षा से जलभृत के लिए पुरर्भरण 248 बिलियन क्यूबिक मीटर के रूप में अनुमानित किया गया है। देश में वार्षिक वृष्टिपात को 4000 बीसीएम के रूप में विचार करते हुए, मानसून वर्षा पुनर्भरण, समग्र रूप से देश के लिए वार्षिक वर्षा का 6.2% है।

(घ) और (ङ) जल वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए वर्षा जल का उपयोग करने हेतु भूमिगत जलाशय का निर्माण की परिकल्पना जल संसाधन मंत्रालय की किसी चालू स्कीम में नहीं की गई है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के पास विविध अवसंरचनाओं जैसे परिस्रवण टैंकों, चेक बांधों, उप सतही डाइकों, पुनर्भरण शैक्टों/ट्रेंचों, इजेक्शन कुंओं, गैबिऑन संरचनाओं इत्यादि

का निर्माण करके भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के कार्य में सहायता करने की स्कीमें हैं।

[अनुवाद]

श्रीसैलम बांध पर केन्द्रीय जल आयोग का अध्ययन

4185. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम बांध पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) वर्ष 1966 में केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम बांध का डिजाईन बाढ़ अध्ययन किया था। अध्ययन में बांध के स्पिलवे के डिजाईन के लिए स्वीकार्य 13.55 लाख क्यूसेक बाढ़ निस्सरण की तुलना में 19.2 लाख क्यूसेक के 1000 वर्ष वापसी अवधि बाढ़ निस्सरण को अपनाने का सुझाव दिया गया। उच्च स्पिलवे क्षमता से श्री सैलम बांध में आने वाली बाढ़ का बेहतर प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होगी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के सुझाव का कार्यान्वचन नहीं किया है।

[हिन्दी]

पॉलिटेक्निक की स्थापना हेतु सहायता

4186. **श्रीमती कमला देवी पटले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षता विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलिटेक्निक पर योजना प्रस्तुति के अंतर्गत पॉलिटेक्निक की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ख) शेष जिलों हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव का कब तक अनुमोदन कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) "कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटेक्निक उप-मिशन" की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से पॉलिटेक्निकों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए विचार किया गया है। इन सभी 11 जिलों को वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान वित्तीय सहायता जारी की गई है।

[अनुवाद]

कोयले का मूल्य

4187. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का है जैसाकि योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा के और अधिक मंहगी होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। एकीकृत ऊर्जा नीति एक सामान्य नियम के रूप में यह सिफारिश करती है कि कोयला सहित सभी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों के मूल्य को बिक्री बिन्दु पर व्यवसाय समानता मूल्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धी बाजार से व्यवसाय समानता मूल्य निर्धारित होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि ऊर्जा उपयोग और अंतर ईधन विकल्प आर्थिक रूप से युक्तिसंगत हो।

(ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा कोयले की कीमत 16 अक्तूबर, 2009 से बढ़ायी गयी है। ईसीएल और बीसीसीएल

को छोड़कर सीआईएल की सभी कोयला कंपनियों में सभी ग्रेडों के कोयले के लिए रन आफ माइन (आरओएम) कोयले की कीमतें तत्कालीन विद्यमान कीमतों की तुलना में 10% बढ़ायी गई है तथा ईसीएल और बीसीसीएल द्वारा उत्पादित कोयले के संबंध में ईसीएल की ऐसी खानों से ग्रेड ए और बी के रानीगंज के कोयले के भाग, जिसकी समतुल्य गुणवत्ता वाले समान मूल्य के कोयले का आयात करने के संबंध में विशेष कीमतों पर विशिष्ट उपभोक्ताओं को समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत आपूर्ति की जाती है, के सिवाय 15% की वृद्धि की गई है। कोकिंग कोयले की कीमत निर्धारित करने के लिए भी, सीआईएल ग्रेड/गुणवत्ता भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आयात समानता के सिद्धांत का पालन करती है।

(घ) और (ङ) जहां तक ऊर्जा की लागत का संबंध है, विद्युत क्षेत्र को प्रदान किए गए कोयले की औसत पिटहेड कीमत 700/- रु. प्रतिटन है। लाभ कमाने वाली कंपनियों में कोयले की कीमत में 10% वृद्धि और घाटे वाली कंपनियों में 15% की वृद्धि संबंधी हाल के संशोधन से 11% की भारित औसत वृद्धि होगी। इसलिए, विद्युत क्षेत्र के लिए वृद्धि का प्रभाव 77/- रु. प्रतिटन होने की संभावना है। 0.7 कि.ग्रा. प्रति केडब्ल्यूएच की विशिष्ट खपत से विद्युत उत्पादन पर प्रभाव केवल लगभग 5 पैसे प्रति यूनिट बनता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राप्त शिकायतें

4188. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टेशनरी और बिजली उपकरणों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्यों पर खरीदने के संबंध में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों और पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास कितनी शिकायतें लम्बित हैं और इन शिकायतों पर कार्रवाई कब तक पूरी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी) ने सूचित किया है कि उसे एक माननीय संसद सदस्य से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा उच्चतर दरों पर बिजली उपकरणों की खरीद के आरोप निहित हैं। यह शिकायत एक तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. के मुख्य सतर्कता अधिकारी को आयोग द्वारा पहले ही अग्रेषित कर दी गई है।

(ग) सी.वी.सी. ने सूचित किया है कि दिनांक 30.11.2009 की स्थिति के अनुसार, आयोग में 343 शिकायतें लम्बित थीं। इन शिकायतों पर कार्रवाई एक माह की अवधि के भीतर पूरी हो जाने की सम्भावना है।

(घ) आयोग उन शिकायतों, जिनमें गम्भीर और सत्यापनीय आरोप और एक स्पष्ट सतर्कता दृष्टिकोण समाविष्ट हैं, पर समुचित अभिकरणों से जांच रिपोर्ट मंगवाता है। कतिपय मामलों में आयोग अपने ही अधिकारियों के माध्यम से सीधी जांच-पड़ताल भी संचालित करता है।

चरण सिंह जन्म शताब्दी समारोह

4189. श्री संजय सिंह चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002 में भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी मनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शताब्दी समारोह की याद में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करने हेतु 10 करोड़ रु. निर्धारित किए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित परिसंपत्तियों की प्रगति क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय स्तर पर चौधरी चरण सिंह की जन्म-शताब्दी मनाने के उद्देश्य से स्मरणोत्सव कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए भारत सरकार द्वारा 11 दिसम्बर, 2002 को पूर्व उप-राष्ट्रपति, श्री भैरो सिंह शेखावत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। स्मरणोत्सव कार्यक्रमों के लिए वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान 10.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था। इसमें से 15 राज्यों में प्रत्येक 40.00 लाख रु. की लागत एक-एक पर्यटन ग्राम की स्थापना के लिए राज्य पर्यटन विकास निगमों को 6.00 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी। इसके अलावा 5 पर्यटन ग्रामों (उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में एक-एक और दिल्ली में 3 ग्राम) के विकास के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) को 1.30 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी।

अमरीकी राष्ट्रपति का भारत दौरा

4190. **श्री रमेश राठौड़ :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति अगले वर्ष भारत दौरा करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 2010 में भारत यात्रा के लिए भेजा गया निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार तारीखों सहित यात्रा के विवरण को राजनयिक माध्यमों से अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

जल संरक्षण

4191. **श्री भूपेन्द्र सिंह :**
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की कुल आवश्यकता की तुलना में जल की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल संरक्षण के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक एवं निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को वर्षवार कितनी निधियों का आबंटन किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) एकीकृत जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की कुल आवश्यकता का वर्ष 2010, 2025 और 2050 के लिए क्रमश: 694 से 710 बी सी एम, 748 से 843 बी सी एम और 973 से 1180 बीसीएम आकलन किया है, जो निम्न मांग और उच्च मांग स्थिति पर निर्भर है। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) Xवीं योजना के तहत राज्य और केन्द्र योजना के अंतर्गत सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण का कुल परिव्यय लगभग 92,143 करोड़ रुपये था और योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार xवीं योजना के दौरान किया गया व्यय लगभग 1,04,789 करोड़ रुपये था। इन क्रियाकलापों के लिए xiवीं योजना में 2,32,311 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

(ग) से (ङ) जल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित स्कीमों की संकल्पना, आयोजना और कार्यान्वियन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार इत्यादि, जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं राज्यों को सहायता मुहैया कराती है। एआईबीपी, सीएडी एवं डब्ल्यूएम और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II से IV में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य-वार कुल जल आवश्यकता

(स्रोत : एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन की रिपोर्ट)

(बिलियन घन मीटर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2010 निम्न	वर्ष 2010 उच्च	वर्ष 2025 निम्न	वर्ष 2025 उच्च	वर्ष 2050 निम्न	वर्ष 2050 उच्च
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	64.7	66.4	71.1	78.5	90.2	109.8
अरुणाचल प्रदेश	1.4	1.4	2.0	2.1	12.3	12.6
असम	18.2	18.8	21.8	24.1	37.6	50.1
बिहार (झारखंड सहित)	47.0	47.7	59.7	64.3	77.2	106.6
गोवा	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9
गुजरात	34.5	35.3	42.9	46.0	49.6	56.8
हरियाणा	31.7	32.1	31.3	31.8	31.2	31.6
हिमाचल प्रदेश	5.7	5.8	5.7	6.0	6.5	6.7
जम्मू और कश्मीर	7.0	7.1	8.7	9.1	12.0	15.5
कर्नाटक	35.5	36.4	39.5	42.7	46.3	58.8
केरल	11.3	11.6	14.3	15.6	25.3	30.9
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	49.7	51.2	62.2	67.6	82.6	113.6
महाराष्ट्र	54.1	56.1	67.1	74.0	83.7	101.5
मणिपुर	1.5	1.5	1.6	1.7	2.4	5.1
मेघालय	1.1	1.2	1.3	1.5	2,0	2.2
मिजोरम	0.4	0.4	0.6	0.6	1.1	1.2
नागालैंड	1.2	1.2	1.5	1.6	6.0	6.1
उड़ीसा	23.5	24.0	26.3	32.8	41.4	49.1
पंजाब	51.0	51.1	48.6	48.8	47.1	47.5
राजस्थान	52.4	55.3	53.7	54.8	57.2	59.6

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8
तमिलनाडु	43.5	44.1	48.5	51.6	52.2	61.7
त्रिपुरा	1.6	1.6	1.8	2.0	6.6	6.9
उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	116.4	118.0	127.5	137.0	144.8	171.6
परिमच बंगाल	36.5	37.3	41.1	44.5	52.6	66.4
संघ राज्य क्षेत्र	1.8	1.8	2.3	2.5	3.5	4.0

विवरण-II

एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	843.42	987.77	855.18	662.66
2	अरुणाचल प्रदेश	27.00	47.18	33.96	0.00
3	असम	30.27	77.34	405.95	388.69
4	बिहार	3.23	62.24	109.70	18.63
5	छत्तीसगढ़	10.71	96.96	193.04	60.89
6	गोवा	1.91	32.48	39.23	0.00
7	गुजरात	121.89	585.72	258.61	0.00
8	हरियाणा	3.17	0.00	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	3.93	114.05	119.32	32.40
10	जम्मू और कश्मीर	37.77	199.23	393.07	54.56
11	झारखंड	1.29	9.22	3.72	0.00
12	कर्नाटक	160.37	349.90	442.42	182.80

1	2	3	4	5	6
13	केरल	16.65	0.00	0.90	3.81
14	मध्य प्रदेश	48.31	500.35	473.78	446.75
15	महाराष्ट्र	465.52	972.25	2257.83	907.48
16	मणिपुर	156.30	103.99	221.67	12.41
17	मेघालय	0.75	1.16	24.80	0.00
18	मिजोरम	14.24	34.34	50.72	0.00
19	नागालैंड	10.60	40.51	48.60	0.00
20	उड़ीसा	133.88	624.36	724.44	245.74
21	पंजाब	0.00	13.50	9.54	0,00
22	राजस्थान	11.60	156.53	178.62	22.28
23	सिक्किम	3.32	3.24	0.00	0.00
24	त्रिपुरा	22.51	8.10	43.18	0.00
25	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	81.90	150.69	315.47	62.15
27	उत्तराखंड	84.73	265.65	371.66	45.22
28	पश्चिम बंगाल	6.70	8.95	22.81	0.91

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान	2008-09 के दौरान	2009-10 के दौरान नवंबर 09 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	188.13	238.59	250.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0.00	0.00	594.61	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	6095.19
5.	छत्तीसगढ़	1423.20	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	3057.66	0.00	0.00
8.	हरियाणा	1998.54	2332.22	4411.19	788.24
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	606.81	777.61	1292.83	1432.35
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	3030.02	5771.29	1500.00	2200.00
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	892.22	490.07	0.00	589.67
15.	महाराष्ट्र	0.00	622.27	2623.63	1651.79
16.	मणिपुर	207.04	184.07	554.47	195.53
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	15.00	6.43	0.00	0.00
19.	नागालैंड	15.10	19.43	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	494.83	1101.91	2976.25	0.00
21.	पंजाब	2434.39	3589.24	6091.13	0.00
22.	राजस्थान	1143.79	1804.38	4630.31	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1607.35	1740.48	0.00	3150.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	4537.52	5746.30	7094.76	2066.00

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तराखंड	205.81	0.00	409.92	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	88.96	231.58	0.00	1600.00
	कुल	18888.72	27713.52	32429.10	19768.77

विवरण-IV

जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कुल जारी निधि		
		2007-08	2008-09	2009-10
1.	तमिलनाडु	16.60	79.08	115.95
2.	आंध्र प्रदेश	8.30	2.17	18.27
3.	कर्नाटक	—	0.23	1.62
4.	उड़ीसा	—	5.03	0.60

आयातित मशीनरी

4192. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की प्रत्येक कोयला कंपनियों के पास एक वर्ष से अधिक समय से अनुप्रयुक्त पड़ी आयातित मशीनरी का ब्यौरा क्या है; और इनका मूल्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की किसी भी सहायक कंपनी में एक वर्ष से अधिक समय से कोई भी आयातित मशीनरी अनुप्रयोग नहीं पड़ी है। तथापि, महानदी कोलफील्ड लि. और नार्दर्न कोलफील्ड लि. में कुछ उपकरण एक वर्ष से अधिक समय से खराब पड़े हैं। खराब पड़ी मशीनों का कारण घटिया सर्विस सपोर्ट, अपेक्षित कलपुर्जो की अनुपलब्धता तथा अपेक्षित, कलपुर्जों/एसेम्बली की अधिक उच्च लागत है जिससे मरम्मत महंगी हो गई है।

[अनुवाद]

पर्वतीय पारि-प्रणाली

4193. **श्री प्रेम दास राय** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मौसम पद्धति की परिवर्तनशीलता जानने के लिए पर्वतीय पारि-प्रणाली महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहाड़ों को समुद्रों/महासागर की तरह पृथ्वी संसाधन माना जा सकता हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास पर्वतीय पारि-प्रणाली को पृथ्वी विज्ञान की परिधि में लाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी नहीं। परंतु भारतीय ग्रीष्म मानसून परिसंचरण, हिमालय-तिब्बत के पठार की ज्यामिति, इसके पश्चिमी घाटों के किनारे के जटिल पर्वत-विज्ञान और समुद्र-भूमि के समग्र संरूपण से अत्यधिक प्रभावित होता है। दूसरी ओर मौसम स्थितियों और विशेष तौर पर मानसून में लघु और दीर्घ अवधि की परिवर्तनीयता के प्रति पर्वतीय पारि-प्रणालियों की संवेदनशीलता को समझना काफी महत्वपूर्ण है।

(ख) और (ग) जी हां, जहां तक स्वच्छ जल की आपूर्ति और उसके भंडारण का संबंध है, हिमालय के हिम, बर्फ और इसके हिमनद उत्तर भारत की बारहमासी नदियों को स्वच्छ जल प्रदान करते हैं तथा ये पूर्व में बहने वाली सभी प्रायद्वीपीय नदियों के लिए वर्षा से आने वाले स्वच्छ जल का भी स्रोत हैं।

(घ) और (ङ) इस समय, सरकार की पर्वतीय पारि-प्रणालियों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्षेत्र की परिधि के भीतर लाने की कोई योजना नहीं है। परंतु, सरकार की जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में हिमालय की पारिप्रणाली को बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट मिशन शुरू करने का विचार है ताकि हिमाचय के हिमनदों और पर्वतीय पारिप्रणाली के संधाधनों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रबंधन उपाय तैयार किए जा सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना

4194. **श्री पूर्णमासी राम : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत आरटीआई आवेदकों को सूचना देने से इंकार नहीं किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आरटीआई आवेदकों को सूचना दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना आयोग ने निर्णय किया है कि धारा 7(9) प्रकटन से छूट की अनुमति नहीं देती है। यह केवल उस फार्म, जिसमें इसे मांगा गया है, से भिन्न फार्म में प्रकटन की अनुमति देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्निहित व्सवस्था है कि आवेदनकर्ता निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्त करना है।

उर्दू और हिन्दी भाषाओं के विकास हेतु निधियां

4195. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में उर्दू और हिन्दी भाषाओं के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु निधियां आबंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा देश-वार इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश-वार और भाषा-वार वास्तविक मांग क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) हिंदी भाषा के विकास के लिए सांविधानिक दिशा-निर्देश के अनुसार सरकार हिंदी के विकास और प्रोत्साहन के लिए विदेश मंत्रालय के उपशीर्ष "विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार-प्रसार" के तहत निधियां आबंटित कर रही है।

(ख) निधियों को देश-वार आबंटित नहीं किया जाता, बल्कि विदेश मंत्रालय द्वारा अपने विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को विदेश में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने में सहायक विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि हिंदी शिक्षण कक्षाओं का आयोजन, हिंदी दिवस स्मरणोत्सव तथा विश्व हिंदी दिवस, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन, हिंदी पुस्तकों तथा हिंदी अधिगम सामग्री आदि का वितरण करने के लिए उनके विशेष प्रस्तावों के प्राप्त होने पर एक विशेष अनुदान के तौर पर संस्वीकृति दी जाती है। सरकार मारीशस सरकार के साथ 50% साझेदारी के आधार पर मॉरीशस में स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के बजट में अंशदान देती है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में विदेश में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए आबंटित निधियां निम्नलिखित हैं:-

वित्तीय वर्ष 2006-2007	1,60,00,000/-	रुपए
वित्तीय वर्ष 2007-2008	6,60,00,000/-	रुपए
वित्तीय वर्ष 2008-2009	1,00,00,000/-	रुपए
वित्तीय वर्ष 2009-2010	2,12,00,000/-	रुपए

(ख) (i) इसके अलावा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), केंद्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा के सहयोग से विदेश में 13 हिंदी पीठों को चला रही है। 13 पीठों पर गत 3 वर्षों के व्यय का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष 2006-2007	1,74,64,473/-	रुपए
वित्तीय वर्ष 2007-2008	1,65,79,169/-	रुपए
वित्तीय वर्ष 2008-2009	2,33,17,511/-	रुपए

(ii) आईसीसीआर विदेश में भेजने के लिए एक हिंदी पत्रिका प्रकाशित करने पर भी काम कर रही है। परिषद विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के पुस्तकालयों के लिए हिंदी व उर्दू की पुस्तकों के खरीदने के साथ-साथ विदेश में हिंदी और उर्दू को प्रोत्साहित करने में जुटे विश्वविद्यालयों को देने के लिए ही खरीदती है।

(ग) वार्षिक आधार पर निधियों को गैर-योजनागत व्यय के तहत आबंटित किया जाता है।

सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज

4196. **श्री सुखदेव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी और सरकारी क्षेत्र में कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों के बीच इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या के असंतुलन को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में तथा विकसित देशों में इंजिनियरिंग संस्थाओं में विद्यार्थी/अध्यापक का अनुपात क्या है; और

(ङ) देश में इस अनुपात में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) सम्प्रति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा देश में अनुमोदित मौजूदा निजी इंजीनियरिंग संस्थाओं की संख्या 2655 है जबकि अनुमोदित सरकारी संस्थाओं की संख्या 251 है।

(ख) और (ग) राज्यों के बीच इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में असंतुलन को दूर करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) एआईसीटीई ने अब केवल उन राज्यों में मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों की दूसरी पाली की अनुमति प्रदान कर दी है जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार उपलब्ध सीटों की संख्या अखिल भारतीय औसत से कम है।

(i) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शिक्षा की विभिन्न शाखाओं की संतुलित वृद्धि के लिए, परिषद ने कई इंजीनियरिंग संथाओं की स्थापना की अनुमति प्रदान करने की एक नीति अपनाई है जिसमें उन राज्यों में न्यूनतम तीन पारंपरिक शाखाएं आवश्यक होंगी जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार उपलब्ध सीटों की संख्या अखिल भारतीय औसत से अधिक है, जबकि उन राज्यों, जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रति लाख जनसंख्या के अनुसार उपलब्ध सीटों की संख्या अखिल भारतीय औसत से कम है, वहां ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है।

(iii) परिषद ने कई तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में तीन निकटवर्ती क्षेत्रों में समग्र भूमि क्षेत्र के कब्जे की अनुमति प्रदान कर दी है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार, छात्र-अध्यापक अनुपात 15:1 है जिसमें कैडर का अनुपात 1:2:6 (प्रोफेसर : सहायक प्रोफेसर : लेक्चरर) है। अध्यापकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा एक संशोधित वेतन वेतन ढांचे का अनुमोदन किया गया है।

हज के दौरान स्वाइन फ्लू से मौत

4197. **श्री मिलिंद देवरा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष वार्षिक हज यात्रा के दौरान स्वाइन फ्लू से कुछ हज यात्रियों की मौत हो गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक स्वाइन फ्लू से दो भारतीय हज यात्रियों की मृत्यु हुई है। उनके ब्यौरे हैं:

(i) श्री मोहम्मद ईसा अली पटेल, पुत्र स्वर्गीय ईसा अली पटेल, निवासी सी-1850 कोट पारसीवाड, नवा रास्ता,

भरूच-392001, गुजरात, पासपोर्ट सं. एच-2919992; आयु 73; हज यात्री, हज के लिए प्राइवेट टूर आपरेटर मैसर्स अल हुज्जा इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई के जरिए गया था तथा किंग अब्दुल अजीज अस्पताल (अल जाहिर), मक्का में 19.11.2009 को 12.30 अपराह्न बजे उसकी मृत्यु हुई।

(ii) श्री अब्दुल्ला थयुलथिल, पुत्र थयुलथिल अली निवासी थयुलथिल हाऊस, पोस्ट आफिस थोंडरनाडु कोरमे, वाया वैल्लामुंडा, जिला वायानाड, केरल, पासपोर्ट सं.: एच-5114445, कवर सं. केएल-7688-2; आयु 58 वर्ष/पुरुष; हजयात्री, हज के लिए भारत की हज समिति के जरिए गया था तथा 28.11.2009 को 4.30 बजे उसकी मृत्यु हुई।

भू-स्वामियों को मुआवजा

4198. **श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, चवारा, केरल के खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जानकारी है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उन भू-स्वामियों को मुआवजे की उपयुक्त धनराशि स्वीकृति संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी भूमि का कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह लागू ही नहीं होता।

(ग) और (घ) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), जोकि इस विभाग का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, तीन स्थानों अर्थात् उड़ीसा रेत सम्मिश्र (ऑस्कॉम), छतरपुर, उड़ीसा; केरल में चवारा तथा तमिलनाडु में मानवलाकुरिचि में खनन कार्य कर रहा है। हालांकि, ऑस्कॉम तथा चवारा के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथापि, मानवलाकुरिचि के संबंध में एक शिकायत मिली है। शिकायत का निपटारा उपयुक्त तरीके से किया गया है।

बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और गणित पाठ्यक्रम

4199. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में बारहवीं के विद्यार्थी सत्र 2011-12 से विज्ञान और गणित के लिए समान पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई) द्वारा 9 से 10 अगस्त, 2008 तक हैदराबाद में और 24 से 25 अगस्त, 2009 तक दिल्ली में आयोजित माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सम्मेलन के दौरान उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गणित विषयों में एक कोर पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

[हिन्दी]

पर्यावरण को क्षति

4200. **श्री मुरारी लाल सिंह : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कोयला खानों से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वनों के संरक्षण के संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) खनन प्रचालनों, विशेषकर ओपनकास्ट खनन के दौरान कुछ सीमा तक भूमि और पर्यावरणीय क्षति हो जाती है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. एक नीतिगत मामले के रूप में खनित भूमि के पुनरुद्धार और पुनःस्थापन के लिए नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है और अपने खनन क्षेत्रों और आसपास के इलाकों को स्वच्छ तथा हराभरा रखने के लिए सभी संभव उपशमन उपाय भी करती है। पर्यावरणीय मंजूरी के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाता है और प्रदूषकों की मानीटरिंग की सतत प्रक्रिया है।

खनन प्रचालन आरंभ करने से पहले सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सतही खनिक, सतत खनिक, लांगवाल और हाइवाल खनन लागू करके नई प्रौद्योगिकी को अपनाने जैसी बहुआयामी पर्यावरण के अनुकूल कार्रवाई की जाती है। साथ ही खानों में अस्थायी उत्सर्जकों, औद्योगिक उत्सर्जक में कमी/उपशमन, खतरनाक अपशिष्टों के संचलन/निपटान, भूमि अपक्षय के लिए उपचारी उपाय दिन-प्रतिदिन कार्यकलाप के रूप में किए गए हैं।

(ग) कोयला कंपनियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तैयार वन (संरक्षण) अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय भू-भाग पर कब्जा

4201. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक पड़ोसी देशों ने भारतीय भू-भाग पर कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों ने कब्जा किए गए भू-भाग पर अपनी सैन्य डिवीजनों की स्थापना कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ङ) पाकिस्तान ने भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर में लगभग 78,000 वर्ग कि.मी. भू-भाग पर अवैध कब्जा कर रखा है। चीन ने भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर में लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. भू-भाग पर अवैध कब्जा कर रखा है, इसके अलावा 5,180 वर्ग कि.मी. अवैध रूप से पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपा गया है। सरकार पाकिस्तान और चीन द्वारा भारतीय भू-भाग पर अवैध कब्जे को मान्यता प्रदान नहीं करती तथा दोनों संबंधित सरकारों के साथ इस मामले को उठाया गया है।

पासपोर्ट कार्यालयों में साफ्टवेयर समस्या

4202. श्री महेन्द्र कुमार राय : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पासपोर्ट जारी करने से संबंधित कार्य कुछ निजी कंपनियों को आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रयोग किए जा रहे साफ्टवेयर जो उक्त कंपनियों द्वारा प्रदत्त हैं; संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) व्यापक कम्प्यूटरीकरण, नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने तथा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) में सुधार के बावजूद पासपोर्ट चाहने वालों की तेजी से बढ़ती मात्रा के कारण मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई। नागरिकों को समयपूर्वक, पारदर्शी, अधिक पहुंच तथा विश्वसनीय तरीके से सभी पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने पासपोर्ट सेवा परियोजना शुरू की है। परियोजना के मूलभूत डिजाइन में सरकारी कर्मचारियों के पास सभी महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व रखकर सभी गैर-राजकीय, गैर-सुरक्षा और गैर-संवेदनशील कार्यों को निजी ठेकेदार से बाहर से करवाना शामिल है। व्यापक और पारदर्शी दो चरण वाली शार्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) को परियोजना हेतु

सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया। पहले चरण की गतिविधियों जैसे टोकन जारी करना, आवेदन प्रपत्रों की प्रारंभिक संवीक्षा, शुल्क की स्वीकृति, दस्तावेजों, फोटो लेना आदि सेवा प्रदाता के स्टाफ द्वारा निष्पादित किए जायेंगे, जबकि संवेदनशील गतिविधियों जैसे दस्तावेजों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, पासपोर्ट प्रदान करने संबंधी निर्णय, पासपोर्टों का मुद्रण और प्रेषण सरकारी स्टाफ द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(ग) से (ङ) परियोजना का अनुप्रयोग साफ्टवेयर सेवा प्रदाता (एसपी) द्वारा विकसित किए जाने की प्रक्रिया में है। सेवा प्रदाता द्वारा इसको पूरी तरह विकसित किए जाने तथा तीसरी पार्टी लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षण किए जाने के पश्चात ही साफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।

[हिन्दी]

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल

4203. **श्री के.डी. देशमुख :**
श्री पी. कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल (टीआई) इंडिया ने सरकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अभिसमय के मुख्य प्रावधानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार देश में किस स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्विट्जरलैण्ड जैसे देशों में भारतीयों द्वारा जमा परिसंपत्ति एवं धन की वसूली के लिए इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (इंडिया) ने सरकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करने पर विचार करने हेतु आग्रह किया था। इस अभिसमय के मुख्य-मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

- विधिक शब्दावली को पारिभाषित और मानकीकृत करना;
- राज्य पक्षकारों से अपेक्षा करता है कि वे सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए भ्रष्टाचार निवारण उपाय विकसित करें;
- राज्य पक्षकारों से अपेक्षा करता है कि वे विशिष्ट घृणास्पद कार्यों की अपराध के रूप में स्थापना करे;
- अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्पण, परस्पर विधिक सहायता और संयुक्त जांच-पड़ताल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करता है;
- परिसंपत्ति उगाही की व्यवस्था करता है;
- प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना आदान-प्रदान उपायों की व्यवस्था करता है;
- उसके अंतर्गत हस्ताक्षर और अनुसमर्थन से संबंधित तकनीकी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

(ग) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित "भ्रष्टाचार संकल्पना सूचक", पर 2009 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 180 देशों में 84वां है।

(घ) और (ङ) भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर 9 दिसंबर, 2005 को हस्तारक्षर किये हैं।

मध्याह्न भोजन योजना में भेदभाव

4204. **श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री रमाशंकर राजभर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के 38 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के दौरान दलित समुदाय के बच्चों को अलग बैठाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में दलितों के विरुद्ध इस प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) और (ख) दो राज्यों में जातिगत भेदभाव के कुछ मामले मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सरकार की जानकारी में आए थे। तथापि, संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा जांच के बाद आरोप मिथ्या पाए गए थे।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शिक्षकों और समुदाय सदस्यों को शामिल करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि बच्चे सामाजिक सद्भावना एवं सहयोग को बढ़ाते हुए सख्य भाव से साथ-साथ भोजन ग्रहण करें।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पर्यटक वीजा पर यात्रा करने वाले लोग

4205. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कितने व्यक्तियों ने पर्यटक वीजा पर जम्मू और कश्मीर का दौरा किया;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इन व्यक्तियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में संपत्ति पर दावा करने के मामले में केन्द्र सरकार को कोई नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपनी राय से उच्चतम न्यायालय को अवगत करा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) विगत एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से नियंत्रण रेखा प्रवेश परमिट पर 2358 व्यक्तियों ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की थी।

(ख) विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय से ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय ग्रामीण विश्वविद्यालय का दर्जा

4206. **श्री ओम प्रकाश यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार) को केन्द्रीय ग्रामीण विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और इग्नू में अनियमितताएं

4207. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :**
श्री पी. कुमार :
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य अधिकारियों तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के कुलपति के विरुद्ध मानदंडों के उल्लंघन और अनियमितताओं तथा कदाचार के विश्वविद्यालय-वार, वर्ष-वार कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में निर्णय लिया जा चुका है;

(ग) संबंधित अधिनियमों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) निपटान के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त

विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित और निगमित सांविधिक स्वायत्त निकाय है और केन्द्र सरकार इनके दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखती तथापि इन विश्वविद्यालयों का विजिटर होने के नाते भारत के राष्ट्रपति को किसी विश्वविद्यालय में दाखिले अथवा वित्त से संबंधित किसी मामले के बारे में जांच कराने का अधिकार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) जिसे देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान आबंटित और वितरित करने का अधिदेश प्राप्त है, भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विरुद्ध आरोप/शिकायतों की जांच-पड़ताल कर सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विजिटर/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नागालैंड विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और विश्व भारती के कुलपतियों और अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय कुप्रबंध, निधियों के दुर्विनियोजन, नियुक्तियों में अनियमितताओं, संविधियों और अध्यादेशों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों/शिकायतों, सांविधिक अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोपों इत्यादि की जांच-पड़ताल करने के लिए तथ्य अन्वेषण समितियां गठित की हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार की 400 करोड़ रु. की परियोजना में बिना पारदर्शी नीतियों के प्राईवेट पक्षकारों का पक्ष लेने की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से प्राप्त शिकायत की मंत्रालय जांच कर रहा है।

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय इनके संबंधित अधिनियमों से अभिशासित किए जाते हैं जिनमें इन विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्टों तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखाओं को संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। इस पद्धति में आंतरिक जांच बिन्दुओं के तंत्र के साथ-साथ इस प्रावधान से इन विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है।

[हिन्दी]

नेपाल की यात्रा के लिए पहचान-पत्र की अनिवार्यता

4208. **श्री देवराज सिंह पटेल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेपाल यात्रा के समय पहचान-पत्र रखना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत-नेपाल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, दोनों सरकारें, दोनों देशों के नागरिकों के लिए वायुयान से यात्रा करते समय पहचान दस्तावेज उपलब्ध करवाने के प्रति सहमत हुई हैं। सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यह अपेक्षाएं मुख्यतया भारत और नेपाल के बीच हवाई यात्रा की सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए दोनों देशों द्वारा लागू की गईं।

(ग) दोनों देशों के बीच यात्रा हेतु यह अपेक्षाएं कुछ समय से प्रचलित हैं तथा इनके कारण कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

4209. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रणी विदेशी कंपनियां देश के परमाणु ऊर्जा बाजार में निवेश करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीय कंपनियों के साथ किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, विकास, सहयोग तथा निपटान चाहे स्वयं करे अथवा अपने द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण अथवा कारपोरेशन या ऐसी किसी सरकारी कंपनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा केन्द्रीय सरकार का हो, द्वारा कराए।

(ग) और (घ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, उत्तरोत्तर रूप से लगभग 40,000 मेगावाट की कुल नाभिकीय विद्युत क्षमता स्थापित करने संबंधी ब्यौरे तैयार करने के लिए, रूसी परिसंघ, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

साइरस रिएक्टर को बंद करना

4210. **श्री जगदीश शर्मा :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) के अनुसंधान रिएक्टर "साइरस" को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थित अनुसंधान रिएक्टर "साइरस" को दिसम्बर, 2010 तक बंद करने की योजना है।

(ख) और (ग) इस रिएक्टर को दिसम्बर, 2010 में स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि इसका उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने वाला है।

'नील गाय' की संख्या

4211. **श्री जगदानंद सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गंगा के क्षेत्र एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में 'नीलगाय' की संख्या बहुत अधिक है जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 'नीलगाय' की संख्या में वृद्धि को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) गंगाई क्षेत्रों में स्थित राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने नीलगायों की बढ़ती संख्या के बारे में अभ्यावेदन दिया है, क्योंकि वे कृषि फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रही हैं। नीलगाय को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-III में शामिल किया गया है। राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत इन जानवरों का शिकार करने की अनुमति देने के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी भारतीय वन्यजीव संस्थान को यह निर्देश दिए हैं कि वह प्रभावित महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन कराए जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की सिफारिश की जा सके।

'नासा' का पोलर मिशन

4212. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्रीमती मीना सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा), अमरीका ने चन्द्रमा की सतह पर जल की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) चंद्र खनिजिकी मापक (चंद्रयान-I में वाहित नासा का एक उपकरण) के आंकड़े के विश्लेषण ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के पास की सतह पर हिम तथा हाइड्रोक्सिल के रूप में जल की उपस्थिति की अति विश्वसनीय पुष्टि की है।

(ग) जल तथा अन्य संसाधनों की उपस्थिति से चंद्रमा पर आवास स्थापित करने की उम्मीद बढ़ सकेगी। लेकिन ऐसी संकल्पनाओं को व्यावहारिक रूप से प्रारंभ करने के लिए और भी उन्नत मिशनों की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान

4213. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री मधुगौड यास्खी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंटर फार सिविल सोसायटी द्वारा हाल ही में जारी ''इकोनोमिक फ्रीडम आफ द वर्ल्ड-2009, एनुअल रिपोर्ट'' में भारत का स्थान विगत वर्ष के 77 से घटकर 86 हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट में भारत का स्थान घटाने के क्या कारण दिए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भविष्य में इसके स्थान में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) जी हां। सेंटर फार सिविल सोसायटी (सीसीएस) के सहयोग से तैयार की गई ''इकॉनामिक फ्रीडम आफ द वर्ल्ड-2009 : एनुअल रिपोर्ट'' में आर्थिक स्वतंत्रता नेटवर्क द्वारा संगणित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में वर्ष 2007 में भारत का स्थान 86वां था। यह एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान का अपने निजी मानकों एवं भार का प्रयोग करते हुए की गई गणना का अनुमान है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवषीय योजना (2007-2012) का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में त्वरित विकास हासिल करना है जो कि अधिक समावेशी भी हो तथा व्यापक आधार पर लाभ प्रदान करे और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। समावेशिता के लिए योजना की प्रतिबद्धता शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और गरीबी, महिला एवं बाल पर्यावरण और अवसंरचना आदि से संबंधित मानीटरिंग योग्य लक्ष्यों में दर्शाई गई है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने न्यायसंगत एवं समावेशी विकास हासिल करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त गरीबों एवं प्रतिकूलताग्रस्त समूहों के लिए विशेषरूप से लक्षित गरीबी-रोधी कार्यक्रम हैं। डिलीवरी और अभिशासन में सुधार पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। ये उपाय अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दृष्टिकोण में ''आर्थिक स्वतंत्रता'' प्राप्त करने में अधिक सहायक होंगे।

सोमालिया समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह

4214. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अंतर्गत सोमालिया समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह (सीजीएसपी) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.जी.एस.पी. के गठन के बाद इसकी कोई बैठक हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसमें क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या भारत सीजीएसपी में शामिल है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारतीय नौसेना को क्या भूमिका सौंपी गई है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) सूचना के आदान-प्रदान, अलग-अलग देशों की नौसेनाओं की कार्रवाई को समन्वितकरने/अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती को समाप्त करने में संलग्न नौसेना गठबंधनों (यूरोपियन संघ नौसेना बल अमरीका के नेतृत्व में संयुक्त कार्य बल-151); सार्वजनिक और मर्चेंट समुद्रवर्ती जागरूकता पैदा करने तथा पकड़े गए डकैतों के संबंध में विधायी/आपराधिक न्याय विषयों की जांच करने हेतु मंच तैयार करने के लिए दिसंबर, 2008 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1851 के अनुसरण में जनवरी, 2009 में एक अनौपचारिक अंतर-सरकारी परामर्शतंत्र सोमालिया समुद्री डकैती संबंध संपर्क समूह (सीजीपीसीएस) का गठन किया गया है। सीजीपीसीएस एक परामर्शक मंच है। अभियानों के संबंध में अपने संबंधित कमांड संरचना के अंतर्गत अलग-अलग नौसेनाएं और नौसेना गठबंधन कार्य करते हैं।

(ग) और (घ) सीजीपीसीएस की निम्नलिखित बैठकें हुई हैं:

न्यूयार्क में 14 जनवरी, 2009 को प्रथम पूर्ण बैठक

काहिरा में 17 मार्च, 2009 को द्वितीय पूर्ण बैठक

न्यूयार्क में 29 मई, 2009 को तीसरी पूर्ण बैठक

न्यूयार्क में 10 सितंबर, 2009 को चौथी पूर्ण बैठक

उक्त चार सीजीपीसीएस बैठकों के विचार-विमर्श और निर्णयों को प्रदर्शित करने वाली विज्ञप्तियां विवरण-I से IV में संलग्न हैं।

(ङ) और (च) सीजीपीसीएस के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने इसके कार्य के सभी पहलुओं में सक्रिय भूमिका निभायी है तथा इसकी बैठकों में भाग लिया है। भारत ने एक युद्धपोत तैनात किया है, जो व्यापारिक पोत के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्गरक्षा प्रदान करता है। भारत किसी बहु-राष्ट्रीय नौसेना गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तथापि, भारत अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती को समाप्त करने में संलग्न अन्य नौसेनाओं और नौसेना गठबंधनों के साथ अपनी गतिविधियों को समन्वित करता है।

विवरण-I

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती के संबंध में 14 जनवरी, 2009 को न्यूयार्क में आयोजित संपर्क समूह की पहली पूर्ण बैठक

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती के संबंध में संपर्क समूह की बैठक 14 जनवरी, 2009 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित की गयी थी तथा इसमें निम्नलिखित विवरण पर सहमति हुई थी:

पाठ प्रारंभ:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प, 1851 के अनुसरण में सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूह 14 जनवरी, 2009 को स्थापित किया गया था, ताकि सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती को रोकने के लिए देशों व संगठनों के मध्य कार्रवाई का समन्वयन व विचार-विमर्श सुविधाजनक बनाया जा सके। सीजीपीसीएस आवधिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस बैठक में आस्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, जिबुती, मिस्र, फ्रांस, जर्मन, यूनान, भारत, इटली, जापान, कीनिया, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, ओमान, रूस, साऊदी अरब, सोमालिया टीएफजी, स्पेन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लैंड, अमरीका तथा यमन के साथ-साथ अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो), संयुक्त राष्ट्र सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

संपर्क समूह ने गहरी चिंता के साथ यह नोट किया है कि सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती में 2008 में काफी वृद्धि हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में वृद्धि किए बिना समुद्री जहाजों पर हमलों में वृद्धि हो सकती है। 2008 में 100 हमलों में 40 सफलतापूर्वक जब्ती सहित सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया था। डकैत बंधकों, जहाजों तथा सामान को छोड़ने के लिए मिलियन डालर की फिरौती की मांग कर रहे हैं। डकैती से सोमालिया को मानवीय सहायता व सुपुर्दगी में रूकावट आती है। विश्व के अत्यधिक यात्रा वाले मार्ग पर जहाजों के बीमा प्रीमियम में लगभग मनाही के स्तर तक वृद्धि होती है। केप आफ गुड हॉप के आस-पास जहाजों को मार्ग परिवर्तन के लिए मजबूर करके छिटपुट अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होती हैं तथा जहाजों पर शत्रुतापूर्ण इरादे से हमले के कारण पर्यावरण संबंधी आपदाओं में वृद्धि होती है। यह डकैती सोमालिया में विधि द्वारा स्थापित नियमों तथा सुरक्षा के व्यापक अभाव के लक्षण हैं और सतत् रूप से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि डकैती सोमालिया के समुद्री तट पर अवैध मात्सियिकी तथा जहरीले व्यर्थ पदार्थ फेकने सहित सोमालिया में समग्र स्थिति के द्योतक हैं, जिससे सोमालियाई अर्थव्यवस्था तथा समुद्री पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार डकैती से संबंधित मुद्दों को बड़ी चुनौतियों के कारक के रूप में रखा जाए तथा सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूह पर समर्थन के साथ-साथ सोमालिया पर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह जैसी पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को प्रोत्साहन दिया गया। सीजीपीएससी का विचार है कि इसके कार्यकलाप सोमालिया में शांति व स्थिरता बनाने के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भाग है।

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संरचना का सृजन सोमालिया के समुद्री तट पर समुद्र में डकैती व सशस्त्र लूटपाट से निपटने के पहलुओं पर राज्यों, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संपर्क के मंच के रूप में कार्य करने के लिए सुरक्षा परिषद संकल्प, 1851 के अनुसरण में किया गया था, इसलिए सीजीपीसीएस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबद्ध सूचना प्रदान करने सहित अपने कार्यकलापों की प्रगति के बारे में नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित करेगा, ताकि इसे परिषद की आवधिक रिपोर्टों में संभावित रूप से शामिल किया जा सके।

सीजीपीसीएस समुद्र में डकैती तथा सशस्त्र लूटपाट के उन्मूलन के लिए स्वयं सोमालिया की मुख्य भूमिका तथा डकैती से निपटने तथा डकैती में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए स्वयं सोमालिया की प्रचालनात्मक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए इसकी सहायता करने के महत्व पर जोर देता है।

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूह सुरक्षा परिषद के संकल्पों के अनुसरण में डकैती की समस्या पर ध्यान देने के लिए देशों, उद्योगों तथा क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है। विशेष उल्लेख के रूप में सीजीपीसीएस अलग-अलग राष्ट्रों, संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ), नाटो तथा यूरोपीय संघ द्वारा पिछले 6 वर्षों के दौरान चलाए गए डकैती विरोधी अभियानों की सराहना करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प, 1851 के अनुसरण में सोमालिया के समुद्री तट पर समुद्र में डकैती व सशस्त्र लूटपाट से निपटने वाले राज्य व क्षेत्रीय संगठन 2009 में यथासंभव सोमालिया के समुद्री तट पर समुद्र में डकैती तथा सशस्त्र लूटपाट से संबद्ध सूचना का समन्वय करने के लिए क्षेत्र में केंद्र (डकैती विरोधी समन्वय केंद्र) स्थापित करने पर विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा केंद्र स्थापित होने पर संपर्क समूह अंतिम व्यवस्था स्थापित करेगा। सीजीपीसीएस ने सभी सहयोगी राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों से यह कहा है कि वे अंतरिम व अनुवर्ती दोनों सुविधाओं का समर्थन करें।

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूह इस बात से सहमत है कि सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती की समस्या से निपटने के लिए बेहतर प्रचालनात्मक सूचना की आवश्यकता है तथा सदस्य देशों का आह्वान करता है कि वे क्षेत्र में अतिरिक्त प्रचालनात्मक सूचना तथा जासूसी उपकरणों का योगदान दें।

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित समूह संदिग्ध डकैतों को गिरफ्तार करने व उन पर मुकदमा चलाने के महत्व को मानता है। सीजीपीसीएस राज्य पक्षों का आह्वान करता है कि वे संबद्ध संधियों तथा लागू अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करें, जिसमें डकैती से निपटने, संदिग्ध अधिकार क्षेत्र स्थापित करने व संदिग्ध डकैतों की सुपुर्दगी स्वीकार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय व मेरीटाइम नेविगेशन की सुरक्षा के लिए अवैध कार्यों से निपटने के लिए 1988 के अभिसमय सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय करारों का यथोचित लागू करने पर विचार करने के लिए समुद्र के नियमों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विशेष रूप से शामिल है।

सीजीपीसीएस संदिग्ध डकैतों को गिरफ्तार करने उन पर मुकदमा चलाने के इच्छुक देशों की क्षमता को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक विकल्पों की जांच करेगी। वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक ढांचे सहित डकैती से निपटने के लिए अन्य अवसंरचनाओं का विकास करने के विकल्पों की भी जांच करेगी। समूह न्यायिक क्षमता का निमार्ण करने के लिए राज्यों, मादक पदार्थों व अपराध से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्वागत करता है तथा विशेष रूप से संदिग्ध डकैतों का मुकदमा चलाने के लिए कीनिया सरकार के समर्थन की सराहना करता है। सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूहों ने क्षेत्र में पारगमन करने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर डकैती व सशस्त्र लूटपाट की गतिविधियों से निपटने व उनकी रोकथाम करने के लिए उपाय करने के लिए समुद्री नौवहन उद्योग व अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों के कार्यों को नोट किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योग समूहों ने डकैती के खतरे से निपटने के प्रयास किए हैं। इनमें विश्व के अग्रणी नौवहन, मालवाहन व बीमा संगठनों द्वारा साझा सर्वोत्तम प्रबंधन प्रक्रिया के साझा सेटों को अपनाना महत्वपूर्ण है, जो कि यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा केंद्र-हॉर्न ऑफ अफ्रीका (एसएससी-एचओए) द्वारा की गयी सिफारिशों पर आधारित है। सीजीपीसीएस खतरे की सूचना तथा सर्वोत्तम प्रक्रिया के स्वैच्छिक नियोजन तथा वितरण में वृद्धि करने के लिए आईएमओ, नौवहन उद्योग के प्रतिनिधियों तथा नौवहन कंपनियों के साथ कार्यकर्ता रहेगा।

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूह सोमालिया की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा इसके प्राकृतिक साधनों पर संप्रभु अधिकारों के लिए अपने सम्मान की पुन: पुष्टि करता है तथा इसके सहभागी यह सुनिश्चित करें कि उनके ध्वज वाले जहाज इन अधिकारों का सम्मान करें।

सीजीपीएस डकैती विरोधी प्रयासों में ठोस योगदान देने वाले किसी राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अथवा सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से बुरी तरह प्रभावित किसी भी देश को सहभागिता प्रदान करता है। इस प्रकार संपर्क समूह बेल्जियम, नार्वे, पुर्तगाल, स्वीडन तथा अरब लीग को आमंत्रित करता है।

सीजीपीसीएस ने छह संबंधित मुख्य क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं: डकैती विरोधी अभियानों के लिए प्रचालन व सूचना सहायता में सुधार करना, डकैती विरोधी समन्वय तंत्र स्थापित करना, डकैतों की गिरफ्तारी अभियोजन व उनको हिरासत में रखने के लिए न्यायिक

ढांचों को मजबूत बनाना, वाणिज्यिक नौवहन स्वजागरूकता व अन्य क्षमताओं को मजबूत बनाना, बेहतर राजनयिक व जन सूचना प्रयास करना, डकैती से संबंधित वित्तीय प्रभाव को रोकना।

सहभागी चार कार्य समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं, जिनमें सभी सीजीपीसीएस पक्ष मुख्य केंद्रों पर ध्यान देने के लिए भाग ले सकते हैं। कार्य समूह-1 सैन्य व प्रचालन समन्वय तथा सूचना बांटने व क्षेत्रीय समन्व्य केंद्र स्थापित करने से संबंधित कार्यकलापों पर ध्यान देंगे तथा इनका संयोजन यूनाइटेड किंगडम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समर्थन से किया जाएगा। डेनमार्क यूएनओडीसी के समर्थन से डकैती के न्यायिक पहलुओं पर ध्यान देने के लिए कार्य समूह-2 का संयोजन करेगा। अमरीका आईएमओ के समर्थन से नौवहन स्वजागरूकता व अन्य क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए कार्य समूह-3 का संयोजन करने के लिए सहमत है। मिस्र डकैती के सभी पहलुओं पर राजनयिक व जनसूचना प्रयासों में सुधार करने के लिए कार्य समूह-4 का संयोजन करने के लिए सहमत हुआ है।

अतिरिक्त रूप से सहभागी राज्यों ने डकैतों तथा उनके कार्यकलापों के लिए वित्तीय प्रवाह पर ध्यान देने के महत्व की पुष्टि की तथा इस मामले पर कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया। सीजीपीसीएस डकैतों तथा उनकी गतिविधियों के लिए ऐसे वित्तीय प्रवाह के प्रश्न की जांच करने के लिए अवैध वित्तीय प्रभाव पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकायों का भी आह्वान करता है कि वे सीजीपीसीएस तथा मामले से संबंधित अन्य समूहों को यथोचित रिपोर्ट दें।

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूह, संपर्क समूह तथा कार्य समूह की बैठकों के परिणामों की रिपोर्ट करने तथा उनके निर्धारण को समर्थन देने के लिए एक लघु सचिवालय स्थापित करने पर सहमत हुआ है। सीजीपीसीएस उपयुक्त तथा संबद्ध संगठनों एवं एजेंसियों से अनुरोध करता है कि वे सचिवालय के लिए योगदान दें।

सोमालिया के समुद्री तट पर डकैती से संबंधित संपर्क समूह यह मानता है कि रूचि रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीजीपीसीएस ने राज्यों की सहभागिता की अपेक्षा बहुत महान हैं तथा विस्तृत समुदायों को सीजीपीसीएस के महत्वपूर्ण निष्कर्षों, तर्काधारों तथा कार्यकलापों के बारे में सूचित करने का वचन देता है। यह मानता है कि डकैती का उन्मूलन करने के लिए कार्यकलापों के प्रभावशाली समन्वय के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समन्वय होना अपेक्षित है तथा इस प्रकार वह सीजीपीसीएस व गैर-सीजीपीसीएस सदस्यों से निविष्टयां प्राप्त करने का इच्छुक है।

सोमालिया के समुद्री तट डकैती से संबंधित संपर्क समूह चार कार्य समूह व अन्य घटनाक्रमों की दिशा व प्रगति की समीक्षा करने के लिए मार्च, 2009 में फिर से बैठक करने की योजना बना रहा है। उस समय यह नए सदस्यों को शामिल करने पर विचार करेगा।

विवरण-II

सोमालिया समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह की द्वितीय पूर्ण बैठक 17 मार्च, 2009

विज्ञप्ति

आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चीन, डेनमार्क, जिबोती, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, भारत, इटली, जापान, केन्या, कोरिया गणराज्य, द. नीदरलैंड, नोर्वे, ओमान, पुर्तगाल, रूस, साऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, यमन, अफ्रीकी संघ, द. इंटरनेशनल समुद्रवर्ती संगठन, अरब राज्य लीग, उत्तरी एटलांटिक संध संगठन (नाटो) और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की भागीदारी के साथ मिस्र की अध्यक्षता में 17 मार्च, 2009 को सोमालिया समुद्र डकैती संबंधी संपर्क समूह (सीजीपीसीएस) की दूसरी पूर्ण बैठक कैरो में आयोजित की गई।

सीजीपीसीएस ने चार कार्य समूहों में से प्रत्येक के अध्यक्ष के प्रस्तुतीकरण को सुना। समूह ने सभी चार कार्य समूहों की उनकी सफल बैठकों के लिए प्रशंसा की तथा मेजबान देशों और संगठनों को अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। समूह ने कार्य समूहों द्वारा अभी तक किए गए कार्य की प्रशंसा की, तथा मेजबान देशों और संगठनों को धन्यवाद ज्ञापित किया। समूह ने कार्य समूहों द्वारा अभी तक किए गए कार्य की प्रशंसा की, अध्यक्षों के सार को नोट किया तथा निर्णय लिया कि कार्य समूह भविष्य में निम्नलिखित कार्य करेंगे;

कार्य समूहः 1: ब्रिटेन की अध्यक्षता के अंतर्गत भविष्य में कार्यसमूह 1 के निरंतर अपना कार्य करने की आवश्यकता पर सहमति थी। इस पर सहमति हुई कि इन संदर्भों में समुद्री डकैती विरोधी समन्वय केन्द्र की संभावित भूमिका और अधिदेश सहित सैनिक समन्व्य

पर वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा क्षेत्रीय क्षमता विकास हेतु विकल्पों सहित अध्यक्ष के सार में पता लगाए गए कार्यों पर कार्य समूह निरंतर कार्य करता रहेगा।

कार्य समूह 2: संपर्क समूह ने डेनमार्क की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य समूह 2 के निरंतर अपना कार्य करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की। समूह ने सहमति प्रकट की कि क्रमशः कार्यों को करने की वांछनीयता को नोट करते हुए अध्यक्ष के सार में पता लगाए भविष्य के कार्यों पर कार्य समूह 2 का निरंतर कार्य करते रहना आवश्यक है।

सीजीपीसीएस द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के लिए समुद्री डकैती को इसके सभी पहलूओं को समाप्त करने संबंधी सीजीपीसीएस के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने संबंधी अन्य गतिविधियों सहित संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन से संबद्ध व्यय की अदायगी में सहायता करने के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय नय निधि हेतु कानूनी कार्यरचना स्थापित करने के लिए कार्यसमूह 2 को कार्य सौंपने पर भी संपर्क समूह ने सहमति प्रकट की।

कार्य समूह 3: संपर्क समूह ने कार्य समूह 1 के कार्य से संबंधित विषयों का नजदीक से समन्वय करने के लिए कार्य समूह 3 को कहने के साथ इसको कोई तात्कालिक कार्य प्रदान किए बिना संयुक्त राज्य अमरीका की अध्यक्षता के अंतर्गत रखते हुए कार्यसमूह 3 को अपने निपटारे में रखने का निर्णय लिया।

कार्य समूह 4: संपर्क समूह ने निर्णय लिया कि कार्य समूह 4 को मिस्र की अध्यक्षता के अंतर्गत अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए तथा सीजीपीसीएस हेतु संचार रणनीति विकसित करने की कार्य समूह 4 द्वारा की गई सिफारिश का स्वागत किया। इस संबंध में सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के राजनैतिक अधिकारी की भूमिका पर बल देते हुए पहचान किए गए लक्षित श्रोताओं तक सीजीपीसीएस के संदेश को प्रसारित करने के तरीकों की जांच करने का कार्य समूह को सौंपा गया। सीजीपीसीएस के सचिवालय में प्रेस और मिडिया अधिकारी हेतु सम्भावित भूमिका की जांच करने का कार्य भी कार्यसमूह को सौंपा गया।

सम्पर्क समूह ने उन सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं जिनका भूमि पर समुद्री डकैती को समाप्त करने से प्रत्यक्ष संबंध है पर आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट अपनी अगली बैठक में प्रस्तुत करने में संयुक्त राष्ट्र की तत्परता का स्वागत किया।

सीजीपीसीएस में निर्णय लेने के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि सम्पर्क समूह में निर्णय आम सहमति से लिए जाएगें। आगे इस पर सहमति हुई कि सीजीपीसीएस के कार्यसमूह निर्णय नहीं लेते बल्कि सीजीपीसीएस के विचारार्थ हेतु अध्यक्षों के सार के जरिए सिफारिशें करते हैं।

सीजीपीसीएस की अध्यक्षता के विषय पर भी चर्चा की गई तथा समूह की आम सहमति यह थी कि स्वैछिक आधार पर अध्यक्षता को अनुकमिक किया जाएगा। तब तक कोई देश अपवाद स्वरूप बैठक की मेजबानी के लिए अनुरोध नहीं करता देशों के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यावहारिक कारणों हेतु सीजीपीसीएस का स्थल न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय होगा। इस पर सहमति हुई कि अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए सम्पर्क समूह की बैठक तदर्थ आधार पर होगी जबकि प्रत्येक बैठक की तिथि पूर्व बैठक में निर्धारित की जाएगी।

विभिन्न देशों से उम्मीदवारी में प्रस्तुतीकरण के अवसर पर सीजीपीसीएस की सदस्यता में विस्तार करने की रूपात्मक्ता पर प्रारम्भिक चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष इसकी अगली बैठक में विचारार्थ सीजीपीसीएस के सदस्यों के उम्मीदवारों के पत्रों को परिचालित करेगा।

इस पर सहमति हुई कि जब तक कि किसी पूर्व बैठक की आवश्यकता नहीं होती सीजीपीसीएस जुलाई के प्रथम सप्ताह में अपनी अगली बैठक आयोजित करेगा।

डेनमार्क ने कोपनहेगन में मई 5-6 को कार्य समूह 2 की बैठक में रिपोर्ट की। संदिग्ध समुद्री डकैतों की गिरफ्तारी, हिरासत और अभियोजन को कारगर बनाने के संबंध में सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ समग्र रूप से सम्भावित सीमा तक सहयोग करने की आवश्यकता पर कार्य समूह 2 ने बल दिया। अभियोजन हेतु देशों के मध्य साझा दायित्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आईटीएफ हेतु अनुशंसित विधायी कार्यरचना पर सहमति प्रकट करने के अतिरिक्त, कार्यसमूह को वितरित किया गया। प्रथम दस्तावेज में अभियोजन की अडचनों की सूची जिसने अभी तक अभियोजन के प्रयासों को आवश्यकता से कम कारगर बनाया है। दूसरे दस्तावेज में उन कदमों की जांच सूची उपलब्ध कारवाई गई है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहे कि वे संदिग्ध समुद्री डकैतों को अभियोजित करने में सक्षम हैं। कई देशों ने संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय

अथवा क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव दिए, जबकि कई अन्य देशों ने ऐसे तंत्र की स्थापना में आने वाली कठिनाईयों के बारे में प्रकाश डाला। सम्पर्क समूह ने संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन को कारगर बनाने तथा जांच सूची के इस्तेमाल सहित कार्यसमूह 2 द्वारा सूचित अड़चनों को दूरी करने के लिए विशेषकर सम्पर्क समूह द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में देशों द्वारा की गई प्रगति के बारे में अपनी अगली बैठक में रिपोर्ट करने का कार्य, कार्यसमूह 2 को सौंपा। इसने कार्यसमूह 2 को समुद्री डकैती को इसके सभी पहलुओं से समाप्त करने के संबंध में संपर्क समूह के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के संबंध में अन्य गतिविधियों सहित संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन से संबद्ध व्यर्थ की अदायगी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास निधि हेतु विस्तृत विचारार्थ विषय तैयार करने; समुद्री डकैती की घटनाओं में साक्ष्य एकत्र करने के लिए देशों को प्रत्याख्यान द्वारा जेनिरम टेमपलेट के इस्तेमाल को विकसित करने; "शिप राइडर्स की अवधारणा की और जांच करने; तथा तटीय देशों सहित संबंधित राष्ट्रीय विधायी व्यवस्थाओं पर सूचना एकत्र करने को जारी रखने के लिए मादक द्रव्यों तथा अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यायलको आमंत्रित करने के कार्य सौंपे। सम्पर्क समूह ने संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन हेतु सम्भावित अंतर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय तंत्रों पर विचार करने को जारी रखने के लिए भी कार्य समूह 2 को कहा।

सम्पर्क समूह ने पत्रों के जरिए मुख्यत: कार्य करने वाले कार्यसमूह 3 को समुद्री डकैती हमलों में संलिप्त नौका स्वामियों/परिचालकों, क्रियू तथा सैनिकों से प्राप्त शिक्षा को एकत्र करने की प्रगति की तिमाही समीक्षा करने तथा सीखी गई शिक्षा के साथ नौकाओं के मालिकों को अद्यतन समुद्री सलाह देने के लिए कहा। सोमालिया के तट से गुजरने वाले आनबोर्ड जहाजों पर किसी सीमा तक बीएमपी का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा समुद्री डकैती विरोधी-उपाय मार्गदर्शन के प्रसार की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसको कहा गया। कार्य समूह को श्रमिक समस्याओं का पता लगाने और क्रियू प्रशिक्षण प्रशिक्षण तथा घटना के पश्चात् गतिविधियों के समर्थन में श्रमिक संबंधी मार्गनिर्देश विकसित करने के लिए भी कहा गया।

मिस्र ने कैरो में कार्य समूह 4 की 25 मई को हुई बैठक में रिपोर्ट किया। कार्य समूह 4 ने इसके द्वारा विकसित संचार रणनीति पर रिपोर्ट दी तथा उन महत्वपूर्ण संदेशों की पहचान की जो कि लक्षित श्रोताओं तक प्रेषित किए जाने चाहिए। इसने सोमाली उप प्रधानमंत्री अबदेल इब्राहिम के प्रस्तुतिकरण तथा सोमालिया हेतु संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक कार्यालय की रिपोर्ट का स्वागत किया। सम्पर्क समूह ने संचार और मीडिया रणनीति की संस्तुति की तथा सम्पर्क समूह की संचार रणनीति के पहलुओं पर राजनयिक और सार्वजनिक सूचना प्रयासों में सुधार करने के अपने प्रयासों को जारी रखने तथा इसके लिए और विचार विकसित करने का कार्य समूह 4 को सौंपा।

सम्पर्क समूह ने उन औपचारिक प्रणाली सहित अनौपचारिक वित्तीय प्रणालियों को समझने पर सहमति प्रकट की जो सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती को वित्त पोषित कर रहे हैं तथा उसको कारगर बना रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने कायरो में सम्पर्क समूह बैठक में किए गए अनुरोध के अनुसार भूमि आधारित समुद्री डकैती विरोधी परियोजनाओं के पैकज का प्रस्तुतीकरण दिया। सम्पर्क समूह ने सहमति प्रकट की कि भूमि आधारित समुद्री डकैती विरोधी पहलों और इसकी गतिविधियों के बीच सम्पर्क समूह कैसे समन्वय स्थापित कर सकता है, इस पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय लिखित में प्रस्ताव तैयार करेगा।

अदन की खाड़ी तथा सोमाली बन्दरगाह से समुद्री डकैती के स्रोत को समाप्त करने में सामान्य हित रखने में देशों और संगठनों का समूह ही सम्पर्क समूह है। विभिन्न देश विभिन्न तरीकों से समुद्री डकैती को समाप्त करने के प्रयासों में अपना योगदान दे सकते हैं; कुछ अपने राष्ट्रीय न्यायालयों में संदिग्ध समुद्री डकैतों को अभियोजित कर सकते हैं; जबकि कुछ समुद्री डकैती विरोधी अंतर्राष्ट्रीय न्यास निधि में योगदान दे सकते हैं अथवा क्षेत्र में समता निर्माण प्रयासों में सहायता कर सकते हैं। चूंकि समुद्री डकैती का भार सभी देशों पर है, सम्पर्क समूह किसी भी तरीके से मौद्रिक योगदान देने के लिए भागीदारी करने के लिए सभी देशों को प्रोत्साहित कर सकता है। सम्पर्क समूह की चार कार्य समूहों की प्रगति और निर्देश तथा अन्य घटनाओं की समीक्षा करने के लिए न्यूयार्क शहर में सितम्बर, 2009 में दुबारा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता जापान करेगा।

विवरण-III

सोमालिया समुद्री-डकैती संबंधी संपर्क समूह की तीसरी पूर्ण बैठक

सोमालिया समुद्री-डकैती संबंधी संपर्क समूह की बैठक 29 मई 2009 को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित वक्तव्य पर सहमति हुई।

पाठ प्रारंभ

सोमालिया समुद्री-डकैती संबंधी संपर्क समूह की तीसरी पूर्ण बैठक 29 मई 2009 को न्यूयार्क सिटी में आयोजित की गई।

संपर्क समूह ने सभी सदस्यों और खासतौर पर केन्या का अभिवादन किया, जिन्होंने संदिग्ध समुद्री-डकैतों के लिये न्याय मांगने के लिये स्वयं को सामने खड़ा किया। सम्पर्क समूह ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास कोष के गठन किये जाने को अपनी मंजूरी प्रदान की ताकि संदिग्ध समुद्री-डकैतों के अभियोजन और साथ ही समुद्री-डकैती का उसके सभी पहलुओं से मुकाबला करने संबंधी संविदा समूह के उद्देश्यों के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य कार्यकलापों से संबंधित खर्च के भुगतान में मदद की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय न्यास कोष स्वायत्तशासी होगा जिसमें सरकारें, उद्योग और अन्यों जो इस निमित्त योगदान आबंटित कर सकें, अपना योगदान कर सकेंगे। संपर्क समूह ने कार्य समूह 2 से कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यास कोष के गठन और प्रबंधन से जुड़े सभी विधिक पहलुओं की निगरानी करे। संयुक्त राष्ट्र ने कोष के प्रशासन में सहायता करने की पेशकश की। पनामा, लाइबेरिया, बहामास और मार्शल द्वीप समूह ने न्यूयार्क घोषणा पर हस्ताक्षर किया जिसमें यह कहा गया कि वे समुद्री डकैतों के हमलों से समुद्री पोतों की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त सर्वोत्कृष्ट प्रबंधन पद्धति का प्रयोग करेंगे और यह अपेक्षा करते हैं कि उनके ध्वज लगाने वाले सभी जहाजी बेड़े अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा संहिता के अनुपालन के हिस्से के रूप में आत्म रक्षा उपायों को अपनाएं और लेखबद्ध करें। सकल टन भार के हिसाब से अकेले पनामा, लाइबेरिया, बहामास और मार्शलद्वीप समूह का पूरे विश्व के पचास प्रतिशत जहाजी माल वाहन पर हिस्सा है। संपर्क समूह ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री-व्यापार संगठन के प्रयासों सहित इस घोषणा का स्वागत किया और अन्य देशों को भी समुद्री-डकैती निरोधक उपाय संबंधी मार्गनिर्देशों को अंगीकार और कार्यान्वयन करने के लिये प्रोत्साहित किया।

संपर्क समूह ने यूरोपीय संघ के नौसैनिक बल (ईयूएनएवीएफओआर) और सम्मिलित समुद्री-व्यापार बल (सीएमएफ) बहराइन जो बहरीन में हुई शेयर्ड एवेयरनेस और डिकान्फ्लिक्सन (शेड) के माध्यम से संचालन संबंधी समन्वयन से संबंधित है, की प्रस्तुतियों को सुना। शेड बैठकों के अंतर्गत संपर्क समूह राष्ट्रों से सैनिक प्रस्तुतियां शामिल हैं जो हार्न आफ अफ्रीका और सोमाली बेसिन में सैनिक निरूद्ध-समुद्री डकैती संचरलनों से जुड़े हैं। शेड बैठको में ई.यू.एन.ए.वी.एफ.ओ.आर., सी.एम.एफ., उत्तर अटलाण्टिक संधि संगठन, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जापान, कोरिया गणराज्य, भारत, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन तुर्की, अमेरिका, इंटरपोल और उद्योग की प्रस्तुतियां शामिल की गई हैं। संपर्क समूह ने सफल समुद्री डकैती हमलों की दर को कम करने में योगदान करने में चल रहे सैनिक समन्वयन की सफलता को मान्यता दी है। संपर्क समूह ने नोट किया कि शेड तंत्र का विकास जारी है और उसका खुला और सर्वग्राही ढांचा क्षेत्र में नियोजित सैनिक परिसम्पत्तियों के प्रभावी उपयोग के लिए एक साधन के रूप में है।

सोमाली ट्राजीसनल फेडरल सरकार (टी.एफ.जी.) के विदेश मंत्री मोहम्मद उमर ने संपर्क समूह को सोमालिया के समर्थन में उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सोमाली तट रक्षक के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और अधिक सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही अवैध मछली पकड़ने तथा विषैले कचड़े को समुद्र में फेंके जाने के संबंध में सोमालिया की चिंता को दोहराया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस संबंध से अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए आह्वान किया। संपर्क समूह ने विदेश मंत्री उमर को उनकी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया और उनकी इस दृढ़ता पर सहमति प्रकट की कि समुद्री डकैती का अंतिम हल एक स्थित सोमाली सरकार के होने पर ही संभव हो सकेगा।

यूनाइटेड किंगडम ने लंदन में 7-8 मई को आयोजित कार्य समूह-I की बैठक में रिपोर्ट किया। इससे इस तंत्र और ढांचे की नकल न होने के महत्व और सैनिक चेयर-आफ कमान की एकजुटता की पुनः पुष्टि हुई। कार्य समूह-I ने कई संपर्क समूह देशों द्वारा मौजूदा सैनिक योगदान का अभिनन्दन किया और उन्हें तथा अन्यों को प्रोत्साहित किया कि समुद्री डकैती के खिलाफ युद्ध में और अधिक परिसम्पत्तियां प्रदान की जाएं। उसने क्षेत्रीय क्षमता निर्माण के संबंध में कार्य समूह-I के अधिदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय क्षमता विकास का मूल्यांकन करने के लिए चल रहे कार्य का स्वागत किया। कार्य समूह-I द्वारा उद्योग के प्रतिनिधियों तथा कुछ सदस्य राष्ट्रों की दृढ़ चिन्ता को नोट करते हुए तथा साथ ही इस संबंध में भावी वार्ता के महत्व को स्वीकारते हुए व्यापारिक जहाजी बेड़े संबंधी सशस्त्र सुरक्षा पर चर्चा की गई। संपर्क समूह ने कार्य समूह-I से कहा कि सुरक्षा आपरेशन की जिम्मेदारी के क्षेत्रों की स्थापना के लिए चीन से प्राप्त प्रस्तावों सहित संचालनात्मक

समन्वयन की समीक्षा की कार्रवाई जारी रखी जाए और यह सहमति हुई कि एक क्षेत्रीय समुद्री डकैती निरोधक समन्वयन केन्द्र के लिए संभावित जरूरत पर विचार किया जाना जारी रखा जाएगा। संपर्क समूह ने कार्य समूह-I से यह भी कहा कि क्षेत्रीय क्षमता विकास को प्राथमिकता के आधार पर जारी रखा जाए।

विवरण-IV

सोमालिया समुद्री-डकैती संबंधी संपर्क समूह की चतुर्थ पूर्ण बैठक

सोमालिया समुद्री-डकैती संबंधी संपर्क समूह की बैठक 10 सितम्बर 2009 को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित वक्तव्य पर सहमति हुई।

पाठ प्रारंभ

सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह की चौथी बैठक 10 सितम्बर, 2009 को जापान की अध्यक्षता में न्यूयार्क सिटी में आयोजित की गई।

संपर्क समूह ने सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैतों को सफल हमलों की दर में आई बड़ी कमी का स्वागत किया जिसमें खासतौर पर सहमत बेस्ट मैंनेजमेंट पद्धतियों के उपरांत व्यापारिक जहाजों पर जबकि कुल डकैती की घटनाओं की संख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है (इस वर्ष की घटनाओं की संख्या पहले ही 156 हो चुकी है जबकि पिछले वर्ष केवल 111 घटनाएं घटी थी)। तथापि उसे संतोष है कि सोमालिया के समुद्री तट पर समुद्री डकैती के खिलाफ युद्ध में काफी प्रगति हुई है और यह प्रगति संपर्क समूह के गठन के उपरांत देखी गई है। हमलों की संख्या बढ़ने के बावजूद सफल हमलों की दर काफी घटी है। सत्रह नए देशों में इस बैठक में हिस्सा लिए जिससे भागीदार देशों की संख्या है 28 से बढ़कर 45 हो गई। इस बढ़ी हुई भागरदारी से यह संकेत मिलता है कि डकैती की वारदातों के खिलाफ अभियान में सहयोग के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

संपर्क समूह ने सोमाली टी.एफ.जी. से उनके वक्तव्यों को सुना। राजदूत डुअले ने संपर्क समूह और उसके प्रतिभागियों को उनके प्रयासों और खासतौर पर अपने नौसैनिक परिसम्पत्ति को नियोजित करने के लिए ताकि सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैती के खिलाफ युद्ध किया जा सके, उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने बल देकर कहा कि समुद्री डकैती की इस विपत्ति से लड़ने और क्षेत्र में जहाजों पर सशस्त्र डकैतों से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। संपर्क समूह ने संतोष व्यक्त किया कि सोमालिया द्वारा समुद्री डकैती से लड़ने के लिए प्रयास और किए गए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने तट रक्षक दल को विकसित किया है और यह स्वीकारा कि सोमालिया में स्थिरता ही समुद्री डकैती के मुद्दे का अंतिम हल है और उन्होने एक अधिक स्थिर सोमालिया के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की पुनः पुष्टि की।

संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैती और सशस्त्र लूट-पाट की समस्याओं को हल करने के लिए अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट की है जिसमें व्यापक-व्यवस्था समन्वयन तंत्र भी शामिल है। उन्होंने समुद्री डकैती के बुनियादी कारणों का सामना करने के लिए परियोजना भूमि-आधारित पहलों अद्यतन प्रस्तावों पर भी संपर्क समूह को संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। संपर्क समूह ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वे दूसरे देशों तथा अपनी एजेंसियों के साथ पूरी तरह मिल कर अपने कार्यकलापों को जारी रखें, ताकि समुद्री डकैती की समस्या को व्यापक, सघन और व्यापक आधार ढंग से हल किया जा सके।

संपर्क समूह ने सोमाली टी.एफ.जी. और सोमालिया के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि जो सोमालिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के अध्यक्ष हैं से अनुरोध किया कि अपने आगामी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह के एजेंडा के माध्यम से समुद्री डकैती से लड़ने के लिए मूर्त रूप से भूमि आधारित पहल की जाए जो संपर्क समूह के कार्यकलापों के साथ-साथ चेलगी।

संयुक्त राज्य ने लंदन और न्यूयार्क सिटी में क्रमशः 10 जुलाई और 9 सितम्बर को आयोजित कहार्य समूह-I की बैठकों में भागीदारी की। संपर्क समूह चल रही बहुराष्ट्रीय सैनिक सहयोग की सफलता का स्वागत किया जो अप्रत्याशित स्तर पर है और अदन की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के संवदेनशील हिस्से में समुद्री डकैतों की सफलता की दर को कम करने में योगदान कर रहा है। उसने सम्मिलित समुद्री व्यापार बलो, ई.यू. नेवल फोर्स अटलांटा और नैटो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ट्रांजिट करीडोर समन्वयन गाइड के समझौते का स्वागत किया और साथ ही क्षेत्र में सैनिक अभियानों में लगे गाइड को इस केवियट के साथ मान्यता प्रदान की कि उन्हें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को जारी रखाना चाहिए और जहां संभव हो दूसरी नौसेनाओं के साथ भी सहयोग करते रहना चाहिए। संपर्क समूह ने अपनी बैठक के समय चलाए गए कार्य समूह-I की अनुवाई वाले क्षेत्रीय क्षमता विकास जरूरत मूल्यांकन अभियान का भी स्वागत किया जो जिबुती आचरण संहिता के कार्यान्वयन से चलाए जा रहे कार्य से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। संपर्क समूह ने इस अभियान की रिपोर्ट और

उसकी सिफारिशें मिलने की कामना की और पूरे क्षेत्र में जिसके अंतर्गत सोमालिया का आंतरिक क्षेत्र भी शामिल है बढ़ी हुई समुद्री डकैती निरोधक क्षमता प्रदान करने की त्वरित कार्रवाई की जरूरत पर सहमति प्रकट की जो समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालिक हथियार के रूप में होगा और लम्बे समय तक इसके मूलकारणों को हल करने में मददगार होगा।

संपर्क समूह ने आई.एम.ओ. जिबोती कोड ट्रस्ट फंड (मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड जापान द्वारा शुरू किया गया) की स्थापना का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैती पर कड़ी सतर्कता को और मजबूत किया जाना चाहिए जब समुद्री डकैती विरोधी सूचना आदान-प्रदान केन्द्र केन्या, तँजानिया और यमन में चल रहे हैं और जिबोटी में एक प्रशिक्षण केन्द्र अपना कार्य शुरू कर चुका है। इसने अन्य भागीदारों को इस निधि में अपना वित्तीय योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

डेनमार्क ने कोपेनहेगेन में 26-27 अगस्त को आयोजित कार्य समूह 2 की बैठक में रिपोर्ट किया। अध्यक्ष के निष्कर्ष जिन्हें वितरित किया गया था का संदर्भ लेते हुए कार्य समूह 2 के अध्यक्ष ने बैठक से प्राप्त अनेक विशिष्ट परिणामों को रेखांकित किया और यह नोट किया कि कार्य समूह-2 का कार्य संपर्क समूह को संगत विधिक मुद्दों पर सलाह प्रदान करना और राष्ट्रों एक संगत संगठनों को एक पूरा प्रायोगित टूल ("एक लीगल टूल-बाक्स") प्रदान करना है। इस संबंध में कार्य समूह-2 ने कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों, टेम्पलेटों और अन्य पत्रों को प्रस्तुत किया जिन्हें अध्यक्ष के निकर्ष के साथ जोड़ा गया था और जो कार्य समूह की बैठक से संबंधित थे। संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्य तंत्रों के मुद्दों पर जो राष्ट्रीय अभियोजन के संभावित अतिरिक्त होंगे, कार्य समूह-2 ने चर्चा दस्तावेज के आधार पर संपर्क समूह से आगे मार्गदर्शन करने के लिए कहा। अंतिम रूप से कार्यसमूह 2 ने डकैतों को बंदी बनाने तथा संदिग्ध डकैतों का हिरासत में रखने व उनके अभियोजन के साथ-साथ डकैती के सभी पहलुओं से निपटने के संबंध में संपर्क समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने से संबंधित अन्य कार्यकलापों से जुड़े व्यय को पूरा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास कोष स्थापित करने के लिए विचारार्थ विषयों के प्रारूप पर बरीकी से कार्य किया है। संपर्क समूह ने कार्य समूह 2 द्वारा किए गए विस्तृत कार्य को नोट किया है तथा डकैती से निपटने के लिए और कारगर तथा कानूनी रूप से ठोस आधार सुनिश्चित करने के लिए दी गई सलाह का उपयोग करने के लिए सभी देशों व संगठनों को प्रोत्साहित करता है। संपर्क समूह ने कार्य समूह से कहा है कि वह कार्य समूह 2 के अध्यक्ष के निष्कर्षों में उल्लिखित भावी कार्रवाई तथा संपर्क समूह द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर अपना कार्य जारी रखें। संदिग्ध डकैतों के अभियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा संरचनाओं के मामले पर संपर्क समूह ने कार्यसमूह 2 से कहा है कि वह वार्ता दस्तावेज, अफ्रीकी संघ आयोग व क्षेत्र के राज्यों के साथ अध्यक्ष के विचार विमर्श तथा 20-21 अक्तूबर को इस मामले पर विशेषज्ञों की बैठक में नीदरलैंड के निमंत्रण को नोट करते हुए इच्छुक सहभागियों से निविष्टियों के आधार पर अपना विचार-विमर्श जारी रखें।

संपर्क समूह ने सोमालिया के समुद्र तट पर संपर्क समूह की पहल के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय न्यास कोष के लिए विचारार्थ विषयों को अनुमोदित कर दिया है। संपर्क समूह ने महासचिव से अनुरोध किया है कि वह इस परिपूर्ण बैठक में हुई सहमति के अनुसार सोमालिया के तट पर संपर्क समूह की पहल के सर्मथन में अंतर्राष्ट्रीय न्यास कोष के विचारार्थ विषयों को शीघ्र कार्यान्वित करने से संबंधित प्रक्रिया में जुट जाएं। संपर्क ने कोष में योगदान देने के लिए सभी इच्छुक पात्र को प्रोत्साहित किया।

अमेरिका ने कार्यसमूह 3 के विचार-विमर्श पर रिपोर्ट दी। कार्यसमूह 3 के अध्यक्ष ने रिपोर्ट दी है कि क्षेत्र में जहाज के मालिकों व संचालकों को बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिकों सहित 12 उद्योग संगठनों ने 26 फरवरी, 2009 को पिछली बार आई.एम. को प्रस्तुत की। एम.पी. को अद्यतन बनाने की पिछली बचनबद्धता पर कार्रवाई की। अध्यक्ष ने यह रिपोर्ट भी दी कि आई.एम. ने समुद्र में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा तथा डकैतों द्वारा हमले से संबंधित कल्याण संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक की मेजबानी की। उन्होंने यह नोट किया कि संपर्क समूह की सहायता से मिस्त्र ईयूएनएवीएफओआर के सहयोग से सुजे कनाल में पारगमन करने वाले जहाजों को चार्ट व प्रशिक्षण वीडियो के साथ परामर्श प्रदान करता है तथा फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली वितरित करता है।

कार्य समूह 3 ने हाल ही में उद्योग श्रमिकों व सरकार के बीच संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए और सूचना प्राप्त करने के लिए सहभागियों को प्रश्न भेजे हैं। कार्य समूह 3 के सहभागियों के साथ इस सूचना को साझा किया जाएगा तथा उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। संपर्क समूह ने उद्योग व श्रमिक बीएमपी पर हाल ही के अद्यतन/संशोधन को नोट किया है। मात्स्यिकी

उद्योग व समुद्र में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को मानता है। संपर्क समूह ने कार्य समूह 3 को अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा है।

9 सितम्बर, 2009 को साइप्रस, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका तथा 10 सितम्बर को कोरिया गणराज्य न्यूयार्क घोषणा पर हस्ताक्षर करने में पनामा, लिब्रेरिया, द बहामास और मार्शल द्वीप के साथ शामिल हुए जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वे समुद्री डकैती हमलों के विरुद्ध जहाजों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त श्रेष्ठ प्रबंधन प्रथाओं को लागू करेंगे। सकल टैनेज के हिसाब से विश्व पोत परिवहन का पचास प्रतिशत से अधिक इन देशों के पास है। संपर्क समूह ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन प्रयासों सहित इस घोषणा का स्वागत किया तथा समुद्री डकैती विरोधी-उपाय मार्ग निर्देशों को लागू करने और कार्यान्वित करने के लिए अन्य राष्ट्रों को प्रोत्साहित किया।

कार्यसमूह 4 के अध्यक्ष मिस्र ने संचार रणनीति को और कार्यान्वित करने के तौर तरीकों पर चर्चा के उद्देश्य से यदि संपर्क समूह द्वारा निर्देश दिया जाता है तो आगामी महीनों में अन्य बैठक आयोजित करने में अपनी तत्परता व्यक्त की। इस कार्य में इस रणनीति को प्रकाश में लाने के लिए वित्तीय अवयवों सहित परिचालनात्मक अवयवों पर सोमालिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ताओं और स्टैकहोल्डर्स के साथ समन्वय और परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी। संपर्क समूह ने अगले कदमों पर संयुक्त राष्ट्र के साथ संपर्क करने तथा इसके निष्कर्षों पर संपर्क समूह को वापिस रिपोर्ट करने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध किया।

संपर्क समूह ने औपचारिक प्रणालियों सहित अनौपचारिक वित्तीय प्रणालियों को समझने में सहमति प्रकट की जो सोमालिया के तटीय क्षेत्र में समुद्री डकैती को वित्तीय पोषित कर रहे हैं तथा कारगर बना रहे हैं। संपर्क समूह ने संलग्न को अपने लोगों के रूप में लागू करने का निर्णय लिया तथा जहां भी व्यावहारिक हो, लोगों का इस्तेमाल करने के लिए भागीदारों को प्रोत्साहित किया।

संपर्क समूह ने समुद्र पर स्थिति के संबंध में सतर्क रहने तथा समुद्री डकैती हमलें में सम्भावित वृद्धि का मुकाबला करने के लिए सभी संबंधित देशों के साथ निरंतर सहयोग करने पर सहमति प्रकट की। चूंकि समुद्री डकैती का भार सभी देशों पर है, संपर्क समूह किसी भी तरीक से मौद्रिक योगदान देने के लिए भागीदारी करने के लिए सभी देशों को प्रोत्साहित कर सकता है। संपर्क समूह की चार कार्य समूहों की प्रगति और निर्देश तथा अन्य घटनाओं की समीक्षा करने के लिए न्यूयार्क में जनवरी 2010 में दुबारा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता नार्वे करेगी।

पाकिस्तान के साथ संबंधों का सामान्यीकरण

4215. **श्री शरीफुद्दीन शारिक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ सार्थक वार्ता आरंभ करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक सद्भावना संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ प्रधान मंत्री व विदेश मंत्री स्तर पर कई बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में पाकिस्तान के नेताओं को यह बतलाया गया था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी सार्थक वार्ता उसके इस आश्वासन के सैद्धान्तिक व वास्तविक रूप से होने पर ही हो सकती है कि वह भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों के लिए किसी भी तरीके से अपने भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि वह मुंबई हमलों के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार हर कार्य करेगा। सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान मुंबई हमले के अपराधियों के विरुद्ध तथा साथ ही इस हमले को प्रेरित, नियोजित व कार्यान्वित करने वाले व्यापक षडयंत्र को उजागर करने के उद्देश्य के साथ कार्रवाई करेगा।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बी.एड. कालेज

4216. **श्री के. सुगुमार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ने सभी बी.एड. कालेजों को अपने प्राचार्य तथा शिक्षण कर्मचारियों का फोटो प्रस्तुत करने के लिए कहा है ताकि प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) प्राचार्य वाले कालेजों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) मान्यता प्राप्त करने के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रधानाचार्य और संकाय सदस्यों के निर्धारित ब्यौरे, जिनमें नाम, पते, शैक्षिक अर्हताएं और फोटो शामिल हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इससे मान्यता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में प्रॉक्सी प्रधानाचार्य की नियुक्ति सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की धारा 13 और 17 के अंतर्गत कार्रवाई करना संभव हो सकता है।

बाढ़ क्षेत्र संबंधी अध्ययन

4217. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.) ने बाढ़ क्षेत्र योजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बाढ़ क्षेत्र योजनाओं के उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) को Xवीं योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई बाढ़ संबंधी स्कीमों के 'आकलन अध्ययन' की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आईआईपीए ने नवम्बर, 2009 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:-

(i) भारत की मुख्य नदियों पर केन्द्रीय जल आयोग का बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क।

(ii) 'बिहार में मोकामा टाल क्षेत्र और उड़ीसा में बालासोर जिले के भोगरई और जालेश्वर ब्लाकों में उड़ीसा तट नहर' किए गए जलनिकास सुधार कार्य का मूल्यांकन।

(iii) नदी कटाव परियोजनाएं जैसे उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी पर अयोध्या बिलवारीघाट तटबंध; उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी पर होबर्ट तटबंध; बिहार में सारग तटबंध; बिहार में गंगा नदी पर घामौन; पश्चिम बंगाल में मधुगड़ी; पश्चिम बंगाल में सनकोपड़ा एवं खोदाबंदापुर; असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नागाघुली-मौजान; असम में नामडंग; असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दैनीगांव; असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पलासबाड़ी से गुमी।

(iv) तट कटाव परियोजना जैसे थुथुकडी जिला, तमिलनाडु में पेरियाथलई ग्राम में ग्रोइन का निर्माण और त्रिसूर जिला, केरल में एक 1680 मी. लम्बे समुद्री दीवार का निमार्ण।

(v) तीस्ता जल विद्युत परियोजना, रंजीत जल विद्युत परियोजना और मानस तीस्ता संपर्क नहर नामक जल संसाधन परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण।

(vi) वाराणसी एवं कोलकाता में सीडब्ल्यूसी के कार्यालय भवनों का निर्माण।

आईआईपीए की अंतिम रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संबंधित संगठनों को यथोचित कार्रवाई हेतु एवं भावी योजना के लिए परिचालित कर दी गई है।

(ग) और (घ) बार-बार आने वाली बाढ़ की त्रासदी को कम करने के लिए संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों के जरिए बाढ़ से काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाढ़ क्षेत्र स्कीमें तैयार की जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार Xवीं योजना के अंत तक विभिन्न संरचनात्मक/गैर-संरचनात्मक उपायों के जरिए 18.22 मिलियन हे. क्षेत्र को काफी हद तक बाढ़ सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चार्टर स्कूल

4218. **श्री आनंदराव अडसुल :**
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'चार्टर स्कूलों' की अवधारणा को कार्यान्वित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चार्टर स्कूलों की वकालत सरकारी स्कूलों के खराब कार्यनिष्पादन तथा छोटे शहरों एवं गांवों में भी बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूलों में कराने की बढ़ती प्रवृति के आधार पर की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकारी स्कूलों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) इस समय केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (घ) प्रशन नहीं उठते।

(ङ) माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियाने नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना केन्द्र सरकार द्वारा मार्च 2009 में शुरू की गई है। इस स्कीम में प्रत्येक आवास से उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर, माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके तथा महिला-परुष, सामाजार्थिक तथा विकलांगता संबंधी अड़चनों को दूर करके समानता में वृद्धि करके कक्षा IX-X में नामांकन में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन

4219. **श्री उदय सिंह :**
श्री लालजी टन्डन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क में हाल में संपन्न जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकसित देश जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को लचीला बनाने के लिए इस पर दबाव डाल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत का क्या मत है;

(घ) क्या कोपेनहेगन बैठक में भारत की स्थिति संबंधी सर्वानुमति बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) की बैठक आयोजित की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 22 सितंबर, 2009 को हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से यह निष्कर्ष निकला था कि जलवायु परिवर्तन की समस्या इस समय की एक गंभीर चुनौती है और यह कि कोपेनहेगन की डील व्यापक होनी चाहिए और इसमें निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

(i) जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन के लिए अत्यधिक असुरक्षित और दरिद्रतम लोगों हेतु सहायता देने के क्रम में संवर्धित कार्रवाई करना।

(ii) औद्योगिक देशों के लिए उत्सर्जन न्यूनीकरण संबंधी ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करना।

(iii) आवश्यक सहायता के साथ विकासशील देशों प्रदूषण कम करने से संबंधित राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त कार्रवाइयां करना।

(iv) वित्तीय और प्रौद्योगिकीय संसाधनों का प्रर्याप्त रूप से उन्नयन करना तथा

(v) सगानता आधारित अधिशासी ढ़ांचा विकसित करना।

(ख) जलवायु परिवर्तन के संबंध में हुई अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में विकसित देशों में भारत जैसे प्रमुख विकासशील देशों से यह

आवाहन किया गया है कि वे प्रदूषण को कम करने के संबंध में प्रतिबद्धताओं के रूप में न्यूनीकरण हेतु वैश्विक प्रयासों में योगदान करें। इससे उत्सर्जनों के संदर्भ में ''बिजनेस एज यूजुअल'' से डेविएशन हो सकेगा।

(ग) जलवायु परिवर्तन के संबंध में सरकार की विचारधारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचे, क्योटो प्रोटोकाल और बाली कार्य योजना द्वारा पूरी तरह संरक्षित है। भारत सरकार के क्रियाकलाप समानता और साझा किन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों और अपनी-अपनी कार्य क्षमताओं के सिद्धांतों द्वारा अभिप्रेरित होंगे, जैसाकि कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना में निर्धारित नीति में उल्लेख किया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक अभी नहीं बुलाई गई है।

ए.आई.सी.टी.ई. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

4220. श्री निशिकांत दुबे :
श्री रूद्रमाधव राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यरो (सी.बी.आई.) को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई) के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के लिए अभियोजन चलाने की अनुमति मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ए.आई.सी.टी.ई. में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने और मामले की जांच करने का अनुमोदन किया है।

(ग) शिकायतें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दी गई हैं और वर्तमान में जांच चल रही है।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में ई-गवर्नेंस पद्धति लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ii) अलग-अलग अर्थबोध की संभावना और अनियमितताओं को दूर करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में संशोधन किया जा रहा है।

(iii) कुलपतियों (विद्यमान एवं पूर्व) के स्तर तक के व्यक्तियों को शामिल करके अपीलीय समितियों को सुदृढ़ बनाया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत कंपनियों को कोयले की आपूर्ति

4221. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत उत्पादक कंपनियों विशेषकर दामोदर घाटी निगम लि. (डीवीसीएल) से अपनी मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. ने कोयले की आपूर्ति के लिए डीवीसी के साथ किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियां गैर-सरकारी संगठनों/सहकारी समितियों को भी सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कोयले की आपूर्ति कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम सहित विभिन्न विद्युत उत्पादक कंपनियों से विगत में समय-समय पर कोयले की आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे और स्थायी लिंकेज समिति-अल्पावधि (एसएलसी-एसटी) द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार कोयले की

आपूर्ति की गयी थी। तथापि, इस समय, दामोदर घाटी निगम लि. (डीवीसी) के अंतर्गत विद्युत स्टेशनों सहित अन्य विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) द्वारा अभिशासित की जा रही है, जो अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 2009-10 के दौरान विद्युत स्टेशन-वार यथा आबंटित वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) को दर्शाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। डीवीसी सहित विभिन्न मौजूदा टीपीपी को एफएसए के माध्यम से 306 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के अलावा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2009-10 में आरंभ होने वाले नए तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला आबंटित किया है और दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा तापीय विद्युत संयंत्र (यूनिट-VII - 250 मे.वा.) को भी इस सूची में शामिल किया गया है। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) इस संयंत्र सहित ऐसे नए संयंत्रों के साथ समझौता-ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके आधार पर कोयले की आपूर्ति आरंभ की जाएगी। इसके अलावा, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) ने ईंधन आपूर्ति करार में सीईए द्वारा आबंटित वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) के अलावा डीवीसी के मौजूदा विद्युत स्टेशनों को अपनी भूमिगत खानों से 0.78 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करने का एक पृथक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) भी सम्पन्न किया है।

(ङ) और (च) नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के प्रावधानों के अनुसार, कोल इंडिया लि., के अंतर्गत कोयला कंपनियां छोटे तथा मध्यम क्षेत्र से संबंधित निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामित को-आपरेटिव सोसाइटियों सहित विभिन्न एजेंसियों को ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति कर रही हैं। नामित एजेंसियों तथा 2008-09 के दौरान और 2009-10 के दौरान अब तक उन्हें आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख टन)

राज्य	राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के नाम	आपूर्ति की गयी मात्रा 08-09	आपूर्ति की गयी मात्रा 09-10 (अनं.)
1	2	3	4
असम	असम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन	0.31	0.12
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	0.53	0.26
	छत्तीसगढ़ स्टील रोलर्स एसोसिएशन	0.002	0.24
जम्मू और कश्मीर	कश्मीर क्रांतिकारी कन्ज्यूमर्स को-आपरेटिव लि.	0.29	0.12
	जे.एंड के. स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	0.16	013
	जे एंड के स्माल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	0.05	0.15
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लि.	2.25	2.14
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	4.65	2.74
नागालैंड	सीकेडिमा मल्टीपर्पज को-आपरेटिव सोसाइटी	0.21	0.07
	डीजूल मल्टीपर्पज को-आपरेटिव	0.17	0.01
उड़ीसा	उड़ीसा स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि.	1.11	0.53

1	2	3	4
	उड़ीसा कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फेडरेशन लि.	0.15	0.48
पंजाब	पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि.	0.14	0.09
राजस्थान	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि.	0.58	0.29
उत्तर प्रदेश	यू.पी. स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि.	5.78	4.31
गोवा	गोवा हैण्डीक्राफ्ट्स रूरल एंड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.		0.10
गुजरात	साउथ गुजरात फेडरेशन इंडस्ट्रीज लि.	0.39	0.40
	न्यू सौराष्ट्र ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन		0.10
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो.	0.07	0.00
झारखंड	झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट लि.	1.25	1.02
कर्नाटक	कर्नाटक स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन	0.18	0.24
सिक्किम	मैसर्स रंजीत एसोसिएट्स (प्रा.) लि.	0.00	0.12
उत्तराखंड	यू.पी. हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.	0.08	0.20

[अनुवाद]

शांति अध्ययन हेतु संस्थान

4222. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय तथा यूनेस्को का विचार देश में शांति अध्ययन तथा सतत विकास संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह संस्थान एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य संस्थानों के साथ समन्वय करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जी, हां। यूनेस्को के महासम्मेलन ने हाल ही में सम्पन्न 35वें सत्र में अपने महानिदेशक को भारत सरकार के सहयोग से शांति शिक्षा में शिक्षण, शोध एवं क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु नई दिल्ली में यूनेस्को के श्रेणी-I संस्थान के रूप में महात्मा गांधी शांति शिक्षा एवं सतत् विकास संस्थान की स्थापना करने के प्रयोजनार्थ सीटों और प्रचालनात्मक समझौते के संबंध में बातचीत करके इन्हें तैयार करने और इन पर हस्ताक्षर करने के लिए वप्राधिकृत किया है। समग्र रूप से इस संस्थान के कार्यकलापों का मुख्य ध्यान शिक्षा के माध्यम से शांति की संस्कृति को पोषित करने, सतत् आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों के प्रति आदर भाव पैदा करने पर होगा। यह संस्थान विशेषत: एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित अन्य संस्थानों के साथ अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु समन्वय करेगा।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल संबंध

4223. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल में माओवादियों की सरकार के गठन के बाद नेपाल के साथ अपने सदियों पुराने संबंधों को बनाए रखने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो नेपाली माओवादियों द्वारा किए गए हमलों को देखते हुए नेपाल में रहने वाले भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को नेपाल में माओवादियों की सरकार के गठन के बाद नेपाल में जारी भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) नेपाल के साथ हमारे संबंध निकट, पारंपरिक तथा समय की कसौटी पर परखे गए हैं तथा इनमें व्यापक परिदृश्य शामिल है। भारत ने माओवादी नेता, श्री पुष्प कमल दहल "प्रचण्ड" के नेतृत्व वाली सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में 14-17 दिसंबर, 2008 तक भारत की सरकारी यात्रा की थी तथा हमारे राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री और विपक्ष के नेता से मुलाकात की थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की मुख्य विशेषताओं को दोहराया तथा संबंधों में और सुधार लाने हेतु कार्य करने के लिए अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र को पुन: सक्रिय करने के लिए भी सहमत थे।

(ख) विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा व संरक्षा भारत सरकार के लिए बाध्यकारी व मुख्य चिंता है। भारतीयों पर हमलों के प्रत्येक सूचित मामले को नेपाली प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है तथा हमारी चिंता समग्र रूप से प्रकट की जाती है।

(ग) और (घ) नेपाल में एक खुले व स्वतंत्र समाज के रूप में विभिन्न मतों के लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग दोनों देशों के बीच निकट संबंधों को प्राथमिकता नहीं देते। 18-22 अगस्त, 2009 तक नेपाल के प्रधानमंत्री, श्री माधव कुमार नेपाल की भारत यात्रा के दौरान नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया था कि वह भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की गतिविधियों के लिए अपने भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

4224. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री जी.एस. बासवराज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग अगले ढाई वर्षों के दौरान 200 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना संबंधी आपके मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा मांगी गई तथा योजना आयोग द्वारा संस्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि कब तक प्रदान करने के लिए सहमत हुई है; और

(ङ) इन विद्यालयों की स्थापना किन-किन स्थानों पर किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 11वीं योजना के दौरान विभिन्न स्थानों जिनमें महानगर, रक्षा अथवा अर्द्ध सैनिक बलों से जुड़े लोगों की पर्याप्त संख्या वाले क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या अधिक हो, शामिल हैं, में 200 केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ 813.70 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। विद्यालयों का सही स्थान-निर्धारण संबंधी निर्णय स्थानीय मांग तथा अलग-अलग प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाना है।

हरियाणा को जल की आपूर्ति

4225. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा नहर से हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मांगे गए जल की मात्रा की तुलना में हरियाणा को कितनी मात्रा में जल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या हरियाणा राज्य सरकार ने आपके मंत्रालय से आगरा नहर के माध्यम से जल की आपूर्ति में वृद्धि करने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) हरियाणा को इस नहर से मांग के अनुसार पानी की आपूर्ति की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अक्तूबर 2007 से सितम्बर, 2009 के दौरान आगरा नहर से हरियाणा को दी जाने वाली जल की मात्रा में लगभग 50% की समग्र कमी हुई है।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) हरियाणा सरकार की सूचना के अनुसार हरियाणा द्वारा आगरा नहर से मांगी गई जल की मात्रा नहीं दी जा रही है तथा आगरा नहर, गुडगांव नहर फीडर और आगरा नहर से निकल रही अन्य वाहिकाओं का विनियामक नियंत्रण उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। इन वाहिकाओं द्वारा जलापूर्ति किए गए क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नहर और जल निकास अधिनियम लागू किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा क्षेत्र भी शामिल है और इसलिए हरियाणा का अपने क्षेत्र में अनाधिकृत जल निकास संबंधी कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से के जल में मनमानी कटौती की गई है तथा अधिनियम के तहत इसको नियंत्रित करने की बजाए अनाधिकृत जल निकास किया जाता है।

आर.टी.आई. के बारे में जागरूकता

4226. श्री पी. कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.टी.आई. जागरूकता अभियानों से मात्र 13 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा 33 प्रतिशत शहरी जनसंख्या लाभान्वित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या में जागरूकता के सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर एक स्वतंत्र अध्ययन से यह अवलोकित हुआ है कि 13 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 33 प्रतिशत शहरी जनसंख्या आर.टी.आई. अधिनियम के प्रति जागरूकता है, तथा यह कि इस संबंध में समुचित सरकारों की ओर से पहलों की कमी है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने जनता के बीच जागरूक पैदा करने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो एवं दूरदर्शन तथा पोस्टरों के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया है। इसने सूचना चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शिका भी प्रकाशित की है और यह सूचना के अधिकार का प्रचार करने के लिए राज्य सूचना आयोगों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित एक योजना लागू कर रही है।

[हिन्दी]

अनुसंधान एवं विकास के लिए आबंटन

4227. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत आबंटित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपलब्ध अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार,

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुसंधान एवं विकास पर प्रतिशतता के रूप में व्यय 0.88 प्रतिशत है। देश में आवर्धित अनुसंधान एवं विकास की मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इनमें अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाना, स्वायत्त अनुसंधान संगठनों की स्थापना, उद्योग के लिए जनसाधन के सृजन हेतु स्वायत्त संस्थानों की स्थापना, उभरते एवं फ्रन्टलाइन क्षेत्रों में सुविधाओं का सृजन, उद्योग में अनुसंधान एवं विकास पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तथा सहायक उपाय करना, उत्कृष्ठ अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सार्वजनिक निजी अनुसंधान एवं विकास भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां निजी क्षेत्रक उद्योगों में भी संचालित की जा रही हैं।

स्मारकों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार

4228. श्री लालचन्द कटारिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्मारकों के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार के लिए निजी कंपनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ इन कंपनियों से कितनी निधि प्राप्त हुई तथा इन स्मारकों के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) स्मारकों के रखरखाव, सुधार तथा जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों के अनुरक्षण तथा नवीकरण के लिए निजी कंपनियों के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी का नाम, स्मारक का नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकतानुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण, सुधार तथा नवीकरण के लिए वार्षिक योजना तैयार की जाती है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

ऐसी निजी कंपनियों की सूची जिनके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण तथा नवीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्र. सं.	स्मारक का नाम	निजी कंपनी का नाम	परियोजना के लिए प्रतिबद्ध धनराशि	2006-07		2007-08		2008-09	
				आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
1.	जन्तर मन्तर, दिल्ली	एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल्स लि.	10 लाख	12,52,239 रु.	2,21,043 रु.	शून्य	4,55,611 रु.	शून्य	10,296 रु.
2.	ताजमहल, आगरा	इंडियन होटल्स कंपनी लि. (टाटा समूह)	1.87 करोड़	शून्य	8,76,073 रु.	शून्य	4,800 रु.	शून्य	शून्य

सरस्वती नदी को पुर्वावस्था में लाना

4229. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक सरस्वती नदी 77 किलोमीटर लंबे हावड़ा-संकरेल-रायगंज खंड में एक नाला बनकर रह गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस नदी को पुर्वावस्था में लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि ऐतिहासिक सरस्वती नदी ने अपनी लंबाई के अधिकांश भाग में अपनी जल निकासी क्षमता खोई है तथा अब मृतप्राय अवस्था में है। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नदी की दो शाखाएं - एक उत्तरी तरफ तथा दूसरी दक्षिणी तरफ है। उत्तरी भाग 34 कि.मी. लम्बा तथा दक्षिणी भाग 43 कि.मी. लम्बा है। दोनों भाग हुगली को जोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आगे रिपोर्ट दी कि "उत्तरी भाग तुलनात्मक रूप में अच्छी अवस्था में है जबकि दक्षिणी भाग अपनी जल निकासी क्षमता खो रही है।"

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने 32.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी के दक्षिणी भाग के पुनरुद्धार हेतु स्कीम तैयार की है। स्कीम को 24.07 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि हेतु अनुमोदन मिला है तथा अभी तक 2.72 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

सांविधिक विकास बोर्ड

4230. श्री संजय निरूपम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय को उत्तरी महाराष्ट्र तथा कोंकण क्षेत्रों के लिए पृथक सांविधिक विकास बोर्ड के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इन बोर्डों का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने, दिनांक 13-7-2006 को राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए संकल्प के आधार पर, केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पांच जिलों धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक और अहमदनगर को कवर करते हुए उत्तरी महाराष्ट्र के लिए एक अलग सांविधिक विकास बोर्ड का गठन करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 371(2) को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उसी प्रकार केन्द्रीय गृह मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा 20 फरवरी 2005 को पारित संकल्प प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य के कोंकण क्षेत्र हेतु एक अलग विकास बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की गई है। योजना आयोग की राय है कि पिछड़ापन कोंकण क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड स्थापित करने हेतु संवैधानिक संशोधन करने के लिए अपने आप में कोई कारण नहीं है क्योंकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास अपनी विकास मशीनरी को तेज करने के लिए अन्य साधन उपलब्ध हैं। अतः इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

कोयला रेक का आबंटन

4231. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने विभिन्न निजी कारपोरेट घरानों को कोयला के रेक आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन कारपोरेट घरानों ने आबंटित कोयले की बिक्री खुले बाजार में तथा कतिपय बंद उद्योगों को की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने बताया है कि वे सरकारी कंपनियों तथा निजी कारपोरेट घरानों को आबंटित रेकों का अलग से हिसाब नहीं रखते हैं। पिछले तीन वर्षों तथा

चालू वर्ष (अक्तूबर, 2009 तक) के दौरान निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं सहित कोल इंडिया लि. की कोयला कंपनियों द्वारा रेल के माध्यम से प्रेषित कोयले एवं कोयला उत्पादों की मात्रा निम्नवत दी गई है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	एनईसी	कुल
2009-10 अक्तूबर, 09 तक	8.911	10.944	18.103	12.462	11.440	22.912	30.887	0.399	116.058
2008-09	15.534	19.241	33.809	19.826	21.313	43.138	54.179	0.647	207.687
2007-08	14.683	20.1110	33.860	16.533	22.986	43.444	51.685	0.995	204.296
2006-07	17.611	19.406	30.541	13.322	23.361	41.885	48.547	0.957	195.630

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. ने बताया है कि हाल ही में विगत में भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) से सम्बद्ध 10 उपभोक्ताओं पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपने ही संयंत्र में उपयोग किए बिना बाजार में कोयला बेच दिए जाने का आरोप लगाया गया है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर बीसीसीएल ने ऐसी यूनिटों को कोयले की आपूर्ति बंद कर दी है। इसके अलावा, ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) में आमतौर पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विक्रेता के पास खरीददार से किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण करने/मांग करने के अधिकार सहित उसका सत्यापन करने और कोयले के अन्त्य उपयोग का वास्तविक सत्यापन करने एवं अपने आप उसकी प्रमाणिकता से संतुष्ट होने का अधिकार है। खरीददार विक्रेता के निदेशों का पालन करने तथा ऐसे सत्यापन/निरीक्षण करने में पूरा सहयोग देने के प्रति बाध्य होगा।

[अनुवाद]

यूनाइटेड किंगडम द्वारा अपने नागरिकों को परामर्श

4232. श्रीमती मेनका गांधी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को आतंकवादी हमलों के मद्देनजर गोवा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई की यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफसीओ) विदेश यात्रा करने वाले अपने राष्ट्रिकों को यात्रा सार (सलाह) जारी करता है। इसे उनकी वेबसाइट पर पेस्ट किया जाता है और स्थिति के उनके बदलते मूल्यांकन के आधार पर इसे अद्यतन किया जाता है। गोवा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै के संबंध में एफसीओ की वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूदा यात्रा सलाह निम्नलिखित हैं:-

"पूरे भारत में आतंकवाद का अत्यधिक सामान्य खतरा है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और बैंगलोर में हुए हाल के हमलों में लक्जरी होटलों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों और पूजा स्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया गया। पश्चिमी देशों के राष्ट्रिकों तथा निर्वासित जनों के रहने के सार्वजनिक स्थानों, जिनमें प्रमुख महानगरीय केन्द्र (दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई) और गोवा जैसे पर्यटन क्षेत्रों को भविष्य के हमलों में निशाना बनाया जा सकता है। आपको राष्ट्रीय महत्व के दिनों जैसे गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), रमजान (11 अगस्त से 9 सितम्बर 2010), ईद (10/11 सितंबर, 2010) और दिवाली (5 नवंबर, 2010) के आस-पास विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विगत में इन्हीं अवधियों में आतंकी हमले तेज हुए थे।"

(ग) यात्रा सलाह जारी करने के मामले को समय-समय पर ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त ढंग से उठाया गया है।

[हिन्दी]

एम.डी.एम.एस./एस.एस.ए. की समीक्षा

4233. श्री दारा सिंह चौहान :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 22 सितम्बर, 2006 को सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठक में उपरोल्लिखित कार्यक्रमों के सुचारु कार्यकरण के लिए सुझाव एवं सिफारिशें की गईं थीं; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों तथा सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) माननीय प्रधानमंत्री ने 22.9.2006 को सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञान और गणित अध्यापन सहित पाठ्यचर्या सुधार, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर सहयोग और मतैक्य में वृद्धि करने हेतु उत्तम प्रणालियों का आदान-प्रदान तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए राज्यों की रैकिंग से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी।

उपर्युक्त सुझाव पर उठाए गए कदमों में 1.4.2008 से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और गणित अध्यापकों के लिए सर्व शिक्षा अभियान मानदण्डों में परिवर्तन करना शामिल है। राज्यों के साथ होने वाली त्रैमासिक पुनरीक्षण बैठकों में सामान्य व्यवहार के रूप में विभिन्न राज्यों की अच्छी प्रणालियों का आदान-प्रदान किया जाता है। 9.12.2006 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय ने 2005-06 से जिला सूचना पद्धति के अंतर्गत शैक्षिक विकास सूचकांक के अंतर्गत राज्यों की रैकिंग करना आरंभ किया है।

पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

4234. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं की तर्ज पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई कल्याण योजना तैयार करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने "विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण - मनमुटाव से संयोजन तक" नामक अपनी सातवीं रिपोर्ट "अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मुद्दों" पर निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(i) सरकार एक सर्वेक्षण की क्रियाविधि तय कर सकती है और अन्य पिछड़े वर्गों का राज्यवार समाजार्थिक सर्वेक्षण आयोजित कर सकती है जो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का एक आधार बन सकता है।

(ii) सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार और कार्यान्वित करने की जरूरत है जिससे वे शेष समाज के बराबर आ सकेंगे।

(ग) और (घ) उपरोक्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

उच्च नामांकन दर

4235. श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन की उच्च दर प्राप्त की है जो कि राष्ट्रीय औसत से दुगुनी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वर्ष 2006-07 (अनंतिम) में राष्ट्रीय औसत 12.17 प्रतिशत की तुलना में हिमाचल प्रदेश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात 15.93 प्रतिशत है। उच्च नामांकन के लिए मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) राज्य में समुचित संख्या में कॉलेज उपलब्ध होना,

(2) विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करना;

(3) विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना;

(4) छात्रावासों की उपलब्धता;

(5) कॉलेजों में विभिन्न एड्-ऑन पाठ्यक्रमों को शुरू करना।

[अनुवाद]

परिणामी बजट

4236. श्री अनंत कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के परिणामी बजट तैयार करने की प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई संशोधित नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संशोधित नीति कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वनक्षेत्र

4237. श्री दत्ता मेघे :
श्री वरूण गांधी :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन नीति के अनुसार देश के कुल भू-भाग का एक तिहाई भाग वनक्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वनरोपण के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है या तैयार की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भू-क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से को वनावरण के अंतर्गत लाने का है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में यह लक्ष्य दो तिहाई हिस्से को वनावरण के अंतर्गत लाने का है। भारतीय वन सर्वेक्षण की 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2009' के अनुसार, 2007 में देश का वृक्षावरण और वनावरण 78.37 मिलियन हेक्टेयर है जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 23.84 प्रतिशत

है। चूंकि रिकार्डेड वन क्षेत्र की उपलब्धता सीमित है, इसलिए वनावरण और वृक्षावरण के प्रयोजनार्थ वनीकरण के लिए शेष भूमि की जरूरत को गैर-वन भूमि से पूरा करने की आवश्यकता है। इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, अर्थात राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, 'वनावरण के पुन:स्थापन और पुनरोद्धार के त्वरित कार्यक्रम' के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, पारिस्थितिक विकास बल स्कीम, जो कि एक केन्द्रीय स्कीम है, एन आर ई जी एस, जिसकी अनुसूची में वनीकरण वृक्षारोपण आदि गतिविधियां शामिल हैं तथा अन्य केन्द्रीय और राज्य स्कीमों से मदद मिलती है।

[अनुवाद]

राष्ट्र विरोधी तत्वों को वीजा जारी करना

4238. श्री अब्दुल रहमान :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री राधा मोहन सिंह :
शेख सैदुल हक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा भारत की यात्रा करने वाले कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों को बहुउद्देशीय वीजा जारी करने में कतिपय अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों/वाणिज्य दूतावासों द्वारा जिन लोगों को वीजा जारी किया गया है, उनके नाम सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) पासपोर्ट सं. 097536400 धारक पाक मूल के अमेरिकी राष्ट्रिक डेविड कोल्मैन हेडली को 18 जुलाई, 2007 को पांच वर्षों के लिए व्यापार वीजा संख्या जेड 314473 जारी किया गया था।

3 मार्च, 2006 को जारी और 3 मार्च, 2011 तक वैध पासपोर्ट सं. जेवी 533373 धारक पाकिस्तान मूल के कनेडियाई राष्ट्रिक तहव्वुर राणा हुसैन को 31 अक्तूबर, 2008 को एक वर्ष का व्यापार वीजा सं. एएफ 232384 जारी किया गया था।

9 अगस्त, 2007 को जारी और 8 अगस्त, 2012 तक वैध पासपोर्ट सं. डब्ल्यूबी 694622 धारक पाकिस्तान मूल की कनेडियाई राष्ट्रिक समराज राणा अख्तर (तहव्वुर राणा हुसैन की पत्नी) को 31 अक्तूबर, 2008 को 5 वषो का पर्यटन वीजा सं. एएफ 232383 जारी किया गया था।

गृह मंत्रालय के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार यूएसए में भारतीय मिशन व केंद्रों के प्रमुखों को पाकिस्तान मूल के अमेरिकी व कनेडियाई नागरिकों को वीजा प्रदान करने का विवेकाधिकार है। तीनों वीजा रद्द कर दिए गए हैं। श्री डेविड कोल्मैन हैडली, श्री तहव्वुर राणा हुसैन और श्रीमती समराज राणा हुसैन को वीजा करने को पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। पाकिस्तानी मूल के सभी विदेशियों को वीजा जारी करने की नीति की समीक्षा की जा रही है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम में संशोधन

4239. श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम को पुनर्जीवित और उसमें संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्व के बीस सूत्रीय कार्यक्रम में क्या परिवर्तन किए हैं; और

(ग) संशोधित बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार ने अक्तूबर, 2006 में बीस सूत्री कार्यक्रम की पुन:संरचना की है। इस पुन:संरचित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 कहा जाता है, जो पहली अप्रैल 2007 से प्रचालन में आया है। पिछले 20 सूत्री कार्यक्रम में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पुन:संरचित बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर मानीटरिंग के अतिरिक्त ब्लाक स्तरीय मानीटरिंग को भी शामिल किया गया है।

विवरण

सूत्र सं.	बीस सूत्री कार्यक्रम-1986	बीस सूत्री कार्यक्रम-2006
I.	गरीबी उन्मूलन	गरीबी हटाओ
II.	वर्षा पर निर्भर कृषि के लिए नीति	किसान मित्र
III.	सिंचाई के पानी का बेहतर इस्तेमाल	
IV.	उन्नत कृषि-अधिक उत्पाद	
V.	भूमि सुधार	
VI.	ग्रामीण मजदूरों के लिए विशेष कार्यक्रम	श्रमिक कल्याण
VII.	पीने का स्वचछ पानी	शुद्ध पेयजल
VIII.	सभी के लिए स्वास्थ्य	जन-जन का स्वास्थ्य
IX.	दो बच्चों का आदर्श परिवार	
X.	शिक्षा का विस्तार	सबके लिए शिक्षा
XI.	अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए न्याय	अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण
XII.	महिलाओं के लिए समानता	महिला कल्याण
XIII.	युवा वर्ग के लिए नए अवसर	युवा विकास
XIV.	लोगों के लिए आवास सुविधाएं	सबके लिए आवास
XV.	गंदी बस्तियों का सुधार	बस्ती सुधार
XVI.	वानिकी के लिए नई नीति	पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि
XVII.	पर्यावरण संरक्षण	
XVIII.	उपभोक्ता कल्याण	खाद्य सुरक्षा
XIX.	गांवों के लिए ऊर्जा	ग्रामीण ऊर्जा
XX.	उत्तरदायी प्रशासन	ई-शासन
		बाल कल्याण
		सामाजिक सुरक्षा
		ग्रामीण सड़क
		पिछड़ा क्षेत्र विकास

भारतीय विश्वविद्यालयों का रैंक

4240. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री राकेश सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व के सौ शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों का नाम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों की वस्तुस्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जबकि कतिपय संस्थाएं अथवा अभिकरण यदा-कदा अपने स्वयं के मानदंड के अनुसार विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा संस्थाओं की रैंक की सूची प्रकाशित करते हैं तथापि विश्वविद्यालयों के वैश्विक रैंक के लिए कोई प्रामाणिक सरकारी अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण नहीं है। टाइम्स हायर एजूकेशन सप्लीमैंट (टी. एच.ई.एस.) द्वारा विश्व के विश्वविद्यालयों के हाल ही में किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई को 163वें स्थान पर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को 181वें स्थान पर रखा गया है। जबकि दिल्ली और मुंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैश्विक रूप से विख्यात संस्थाओं की तुलना में अन्य सभी संस्थाओं से उच्च स्कोर प्रदान किया गया है तथापि उक्त सर्वेक्षण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को निचला रैंक प्रदान करने के दो घटक अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का कम स्कोर बताया गया है।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। मौजूदा उच्चतर और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए आबंटन में वृद्धि करके और शामिल न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी नई गुणवत्तामूलक संस्थाओं की स्थापना करके, विश्व स्तर के मानकों वाले नवाचार विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, आयोजना और वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना करके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि के अग्रणी क्षेत्रों में 50 प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करके गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना के योजनागत आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण की गुणवत्ता बड़ी चिन्ता का मामला है। जब केन्द्र सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में वेतन समीक्षा की सिफारिशों पर विचार किया तो सरकार ने इस शर्त के आधार पर शिक्षकों के लिए समूह "क" सिविल सेवा के अधिकारियों से अधिक वेतन और अन्य भत्तों पर सहमति व्यक्त की थी कि शिक्षकों की पात्रता शर्तों को कठोर बनाया जाएगा तथा अर्हताएं भी उच्च स्तर की होगी। उच्चतर शिक्षा के शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु को भी 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से तथा वेतन और अन्य प्रोत्साहनों को उदार बनाकर कालान्तर में अकादमिक व्यवसाय में सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्ति ही आएंगे।

सभी विद्यालयों में हिन्दी

4241. श्री पुलीन बिहारी बासके : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के साथ हिन्दी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्कूल बोर्डों हेतु हिन्दी के लिए समान महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 द्वारा अनुशंसित त्रिभाषा सूत्र में माध्यमिक स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक दक्षिण भारतीय भाषा और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

किलों का विकास

4242. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषत: महाराष्ट्र सरकार से किलों के विकास के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को महाराष्ट्र सरकार की ओर से शिवनेरी किले, रायगढ़ किले तथा वसई किले के संरक्षण तथा कर्नाटक सरकार की ओर से चित्रदुर्ग किले के संरक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संरक्षण के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इन किलों का संरक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चर्मशोधनशालाओं द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करना

4243. **श्रीमती अन्नू टंडन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रदूषणकारी चर्मशोधनशालाओं के मालिकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के लिए संगत पर्यावरण कानून और उप-कानूनों को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चर्मशोधन इकाइयों द्वारा अवैध रूप से गैर-उपचारित बहिस्राव के कारण आर्सेनिक और विषैलेपन से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की सफाई कराने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) मौजूदा कानूनों के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले चर्म उद्योगों के मालिकों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमों सहित, सख्त कार्रवाई करने हेतु नामश: पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 जैसे प्रर्याप्त प्रावधान हैं। अत: संगत पर्यावरणीय कानूनों को मजबूत करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रभावित क्षेत्रों के बारे में प्रश्न में कोई विशेष ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए हैं। जैसे और जब भी विशेष मामले ध्यान में लाए जाते हैं, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवश्यक कार्रवाई करती हैं। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य के लिए, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में 30.09.96 से पारिस्थितिकीक्षति (क्षतिपूर्ति का निवारण और भुगतान) प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। इस प्रधिकरण को प्रदूषण फैलाने वालों से पुन: प्राप्त की जानी वाली क्षतिपूर्ति को निर्धारित करने का अधिकार है, विशेष रूप से चर्मशोधनशालाओं से नष्ट पर्यावरण को परिवर्तित करने की लागत के रूप में और व्यक्तियों/परिवारों को प्रतिपूर्ति प्रदान करना जिन्हें प्रदूषण के कारण नुकसान हुआ है।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान वार्ता

4244. **श्रीमती मीना सिंह :**
श्री पी.के. बिजू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर मुद्दे, सर क्रीक विवाद और सियाचीन ग्लेशियर से संबंधित विवाद पर भारत-पाकिस्तान की वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष मुंबई में हुए आतंकी हमलों के कारण इन मुद्दों से संबंधित वार्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) समन्वित वार्ता के चार दौर, जिनमें जम्मू और कश्मीर, सरक्रीक और सियाचीन

सहित आठ विषय शामिल हैं, 2004 से 2008 के बीच आयोजित किए गए और पांचवा दौर 2008 में शुरू हुआ। पांचवे दौर में विश्वास बहाली के उपाय और जम्मू तथा कश्मीर सहित शांति और सुरक्षा पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ताएं की गयी थीं, उसके बाद 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर आतंकी हमले के बाद वार्ता प्रक्रिया रोक दी गयी। सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान मुंबई हमले के अपराधियों के खिलाफ प्रयोजन के साथ कार्य करे और उस बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश करे, जिसने इस हमले के लिए उकसाया, योजना बनाई और इसे संचालित किया। पाकिस्तान ने कहा है कि वह मुंबई हमले के दोषियों को कानून की गिरफ्त में लाएगा। पाकिस्तान के साथ कोई सार्थक वार्ता केवल उनकी अपनी वचनबद्धता को अकसर पूरा किए जाने और अपने नियंत्रण के भूक्षेत्र का उपयोग किसी तरह से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाने की अनुमति न दिए जाने के आधार पर हो सकती है।

[अनुवाद]

लुप्त हो चुके स्मारक

4245. श्री वैजयंत पांडा :
श्री नीरज शेखर :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री वरुण गांधी :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुप्त हो चुके विशिष्ट स्मारकों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में उत्तरदायी मुख्य कारक क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन स्मारकों की पुनः खोज करने और उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रदर्शन करने वाले किसी समूह द्वारा कुछ विरासत स्थलों/स्मारकों को क्षतिग्रस्त किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) बड़ी संख्या में परिचरों की भर्ती सहित देश में विरासत/ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) ऐसे 35 स्मारक/स्थल हैं जो लुप्त हैं। इनका ब्यौरा (राज्य-वार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन स्मारकों के लुप्त होने के मुख्य कारण हैं - शहरीकरण का दवाब, व्यवसायीकरण तथा विकास परियोजनाएं। देश के विभाजन के समय लोगों के देशान्तरण ने भी इसमें योगदान दिया होगा।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नियमित सर्वेक्षण/निरीक्षण करके तथा साथ ही विभिन्न जिला प्राधिकारियों के साथ बातचीत द्वारा इन स्मारकों/स्थलों के वास्तविक स्थान का पता लगाने के भरसक प्रयत्न किए किन्तु अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं।

(ङ) और (च) किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक पर ऐसी अप्रिय घटना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हाल में कुछ आंदोलनकर्त्ताओं ने जन्तर-मन्तर के परिसरों में तोड़-फोड़ की थी।

(छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास स्मारक परिचरों की कमी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुनः संरचना के समय इस मुद्दे का समग्र ढंग से हल किया जाएगा।

विवरण

लुप्त केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची।

स्मारक/स्थल का नाम

असम

1. सम्राट शेरशाह की तोपें, ना-सादिया, जिला तिनसुकिया

अरुणाचल प्रदेश

1. पया के निकट ताम्र मंदिर के खण्डहर, जिला लोहित

दिल्ली

1. शेरशाह की दिल्ली का मोती दरवाजा, मौजा बाबरपुर बाजिदपुर, जिला नई दिल्ली

2. पूल चादर, मौजा चौकरी मुबारकाबाद, जिला उत्तर दिल्ली

3. अलीपुर कब्रिस्तान, अलीपुर शिविर ग्राउंड, जिला उत्तर दिल्ली

4. बाराखम्भा कब्रिस्तान, इम्पीरियल सिटी, जिला दिल्ली

5. कैप्टन मैक बारनेट तथा अन्यों का मकबरा जो किशनगंज पर आक्रमण में गिर गया, किशनगंज, जिला उत्तर दिल्ली

6. रेलवे स्टेशन के निकट तीन गुम्बदों वाला मकबरा, निजामुद्दीन, जिला दक्षिण दिल्ली

7. "राइट अटैक, लैफ्टीनेंट एफ.आर. मानसेल, आर.ई डायरेक्टिंग इंजीनीयर, सं. I बैटरी-राइट, मेजर जेम्स ब्राइंड, आर.ए., कमांडिंग, आर्मामेंट फाइव 18-पाउंडर्स : एक 18-इंच हॉबिटजर I टू साइलेन्स मोरी बेस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल, पुलिस लाइन में हॉस्पिटल का पूर्व, जिला उत्तर दिल्ली।

8. "सं, II बैटरी-राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमांडिंग आर्मामेन्ट टू 18-पाउंडर्स; सेवन 8-इंच हॉबिटजर, टू ब्रीच कश्मीर बेस्टन" अंकित सीज बैटरी का स्थल कर्जन हाउस का अहाता, जिला उत्तर दिल्ली।

9. इंचला वाली गुमटी, गांव मुबारकपुर कोटला, जिला दक्षिण, दिल्ली

10. सर्वेक्षण भूखंड सं. 167 के भाग में सम्मिलित जोगाबाई के नाम से प्रसिद्ध टीला, जामिया नगर, जिला दक्षिण दिल्ली।

11. प्लेटफार्म के दोनों प्रवेश द्वारों के साथ शमसी तालाब, महरौली, जिला दिल्ली

12. कश्मीरी गेट के बाहर की ओर निकोलसन मूर्ति, इसका प्लेटफार्म, इसके आस पास के उद्यान, मार्ग एवं अहाता दीवार, जिला उत्तर दिल्ली

गुजरात

1. प्राचीन स्थल, सेजकपुर, जिला सुरेन्द्रनगर

2. ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435, वडोदरा, जिला वडोदरा

हरियाणा

1. मुगल कोस मीनार, मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा

2. मुगल कोस मीनार, शाहबाद, जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा

जम्मू एवं कश्मीर

1. शीतला, नारद, ब्रह्मा तथा राधा कृष्ण की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कठुआ

2. शेर पर सवार देवी की शैल नक्काशी, बसोहली, जिला कठुआ

3. विश्वेश्वर तथा अन्य गुफा मंदिर, बसोहली, जिला कठुआ

कर्नाटक

1. प्रागैतिहासिक स्थल, कित्तूर, जिला मैसूर

राजस्थान

1. किले में लेख, नागर, जिला टोंक

2. बारहवीं शताब्दी का मंदिर, बारन, जिला बारन

उत्तराखंड

1. कुटुम्बरी मंदिर, द्वारहाट, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

2. खेरा की बांदी, पुराना कब्रिस्तान, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार

3. वैराटपत्तन के नाम से स्थानीय तौर पर अभिज्ञात प्राचीन भवनों के अवशेष, ढिकुली, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल

उत्तर प्रदेश

1. बन्द कब्रिस्तान, कटरा नाका, तहसील बांदा, जिला बांदा

2. संडी खेडा नामक विशाल घ्वस्त स्थल, पाली, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई

3. कब्रिस्तान, जालौन (बस स्टैंड), तहसील जालौन, जिला जालौन

4. तोपची बरकिल का मकबरा, रनगांव, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर

5. इमामबाड़ा अमिन-उद-दौला, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

6. लखनऊ फैजाबाद रोड पर 3, 4 और 5 मील पर स्थित तीन मकबरे, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

7. 6 तथा 7 मील पर कब्रिस्तान, जहरैला रोड, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

8. गौ घाट स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ, तहसील लखनऊ, जिला लखनऊ

भारतीय इंजीनियरों का स्तर

4246. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री एम.आई. शानवास :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नासकॉम जोकि एक साफ्टवेयर उद्योग समूह है की इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट कराया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत में 75 प्रतिशत इंजीनियरिंग के छात्र नौकरी पर रखने योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों के अल्प स्तर के क्या कारण हैं और उन्हें इस उद्योग में रोजगार दिलाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार नासकॉम ने अपनी रिपोर्ट "नासकॉम पर्सपेक्टिव 2020: ट्रांसफॉर्म बिजनेस, ट्रांसफॉर्म इंडिया" में इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए रोजगार की दर 26 प्रतिशत दर्शायी है। मंत्रालय ने नासकॉम द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है। कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ इंजीनियरिंग छात्रों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए फिनिशिंग स्कूल, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों के पाठ्यक्रम में उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तन आदि की सिफारिश की है। वर्तमान में समस्या को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा फिनिशिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन

4247. श्री उमाशंकर सिंह :
श्री घनश्याम अनुरागी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऊर्जा और व्यापार मार्ग के संबंध में भारत और ईरान के बीच कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत-ईरान-पाकिस्तान-पाइपलाइन परियोजना में आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) इन बाधाओं के कब तक समाप्त होने की संभावना है; और

(च) इस करार के परिणामस्वरूप भारत को कितनी ऊर्जा मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) 16-17 नवंबर, 2009 को ईरान के विदेश मंत्री श्री मानोशेहर मोताकी की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे, छाबहार पत्तन और रेलवे परियोजना के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण कारीडोर पर विचार-विमर्श किया। ईरानी तेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री सेफोला यासनसाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तथा ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी के अध्यक्ष ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर, 2009 तक भारत की यात्रा की। दोनों पक्षों ने तेल और गैस के क्षेत्र में भारत व ईरान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

(ग) से (ङ) भारत उक्त परियोजना के माध्यम से ईरान से प्राकृतिक गैस का आयात करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। मूल्य निर्धारण, सुपुर्दगी का स्थान, परियोजना, अवसंरचना इत्यादि जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसी बहुपक्षीय परियोजनाओं में लंबा विचार-विमर्श होता है तथा इस प्रकार के विचार-विमर्श को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दर्शायी जा सकती।

(च) इस परियोजना के चरण-I में प्रतिदिन 30 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) गैस की आपूर्ति किए जाने का अनुमान है।

पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरे

4248. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को रिहा कराने का अनुरोध करते हुए मंत्रालय को एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में गुजरात सरकार द्वारा कितने पत्र लिखे गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों और उनकी मत्स्य नावों को पकड़ने के बारे में गुजरात की राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को कई बार सूचित किया है। ऐसे पत्रों में पाकिस्तान की हिरासत से भारतीय मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई पर शीघ्र कार्रवाई करने के अनुरोध भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात से कई संसद सदस्यों तथा गुजरात की विधान सभा के सदस्यों ने भी विगत तीन वर्षों में इस संबंध में इस मंत्रालय को लिखा है।

(ग) बंदियों के संबंध में भारत-पाक न्यायिक समिति 26 फरवरी, 2008 को स्थापित की गयी थी। समिति ने दोनों सरकारों को सिफारिशें दी थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मछुआरों को कोंसली सहायता प्रदान करना व उन्हें तत्काल रिहा करना तथा एक-दूसरे की जेलों में राष्ट्रिकों की एक संकलित सूची का आदान-प्रदान करना शामिल है। समिति ने जून, 2008 में पाकिस्तान की जेलों तथा अगस्त, 2008 में भारतीय जेलों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान इसने अपनी बैठकें भी आयोजित की। अगस्त 2008 में भारत में आयोजित अपनी अंतिम बैठक में समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उन सभी बंदियों को तत्काल रिहा करने तथा उनके संबंधित देशों को वापस भेजने की सिफारिश की थी, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है तथा जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा चुकी है। पाकिस्तान ने अगस्त, 2008 में 34 भारतीय मछुआरों तथा नवंबर, 2008 में अन्य 99 मछुआरों को रिहा कर दिया था। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारत ने मई, 2008 में अपनी जेलों से 14 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा कर दिया था। पाकिस्तान की हिरासत में बाकी भारतीय मछुआरों की नावों की रिहाई के विषय को सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है।

[अनुवाद]

संस्कृत की अध्यापन पद्धतियां

4249. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के क्षेत्रीय महाविद्यालयों के पास संस्कृत अध्यापन पद्धति के शिक्षण की सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन महाविद्यालयों के पास संस्कृत अध्यापन के विकास के लिए कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (जिन्हें पहले क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों के नाम से जाना जाता था) के पास "संस्कृत अध्यापन पद्धतियों" को पढ़ाने के लिए संकाय नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय संस्थानों से संलग्न प्रदर्शन बहु-उद्देश्य स्कूल पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत भाषा प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

गंडक परियोजना के लिए धनराशि का आबंटन

4250. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गंडक परियोजना के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के लिए बिहार राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर इस धनराशि से कितना कार्य किया गया है;

(ग) पुलों और नहरों के निर्माण सहित परियोजना के लंबित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार नहरों पर पुलों/पुलियों के तत्काल निर्माण के लिए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (च) योजना आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, बिहार राज्य हेतु "पूर्वी गण्डक नहर का पुनरुद्धार" परियोजना को विशेष स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। परियोजना को वर्ष 2003-04 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत तथा राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप में अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना हेतु वास्तविक अनुमोदित अनुमानित लागत 294 करोड़ रु. थी। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के पश्चिम चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिलों में 3.50 लाख है. की क्षति ग्रस्त सिंचाई क्षमता का पुनरुद्धार करना है। नहर प्रणाली में 241 कि.मी. की तिरहुत मुख्य नहर तथा 5540 कि.मी. की वितरण प्रणाली शामिल है। वर्ष 2005-06 तक 51.98 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 31.3.2008 तक कुल व्यय (प्रारंभिक गतिविधियों पर) 3.15 करोड़ रु. रहा।

राज्य सरकार ने सूचित किया कि पूर्वी गण्डक नहर प्रणाली हेतु कार्य पहले बिहार राज्य निर्माण निगम को आबंटित किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा इसे रद्द कर दिया गया, और इसलिए कार्य रुक गया। राज्य सरकार ने हाल ही में सूचित किया कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, इस परियोजना के कार्य हेतु संविदा पर नागार्जुन निर्माण कंपनी लिमिटेड के साथ दिनांक 6.8.2009 को हस्ताक्षर किए गए। इस कार्य को वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्ण करने की योजना है। आगे, इस परियोजना हेतु हाल ही में 48 करोड़ रु. की राशि जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अशोक के शिलालेख

4251. श्री सिद्धांत महापात्र : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पोटागढ़ स्थित अशोक के शिलालेखों की वर्तमान स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिलालेखों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) उड़ीसा में पोटागढ़ स्थित किसी अशोक शिलालेख का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जाता। तथापि, इस राज्य के गंजम जिले में जौगाड़ा स्थित अशोक शिलालेख का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यह भली भांति परिरक्षित है।

(ग) स्मारक पर कुछ जीर्णोद्धार कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1.25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

बांग्लादेश के साथ संबंध

4252. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया प्रक्षेत्र विशेषकर भारत, पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में तथा आर्थिक रणनीतिक संबंधों के संबंध में अब बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बांग्लादेश से उसका समर्थन प्राप्त करने के संदर्भ में विशेषकर आतंकवाद को रोकने के लिए उसके साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) सरकार बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। भारत सरकार, व्यापार और आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सतत कार्य कर रही है। आतंकवाद और भारतीय विद्रोही समूहों संबंधी विषयों को गृह सचिव स्तरीय वार्ता, संयुक्त कार्य समूहों और बीएसएफ तथा बांग्लादेश राइफल्स के महा निदेशकों के स्तर पर सीमा समन्वय बैठकों सहित उच्चतम स्तर तथा दोनों देशों के बीच मौजूद संस्थागत तंत्रों के जरिए बांग्लादेश

सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है। बांग्लादेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने भूभाग के इस्तेमालकी अनुमति नहीं देते।

भूजल का गिरता स्तर

4253. **श्री शक्ति मोहन मलिक :**
डॉ. रामचन्द्र डोम :
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री आर.के. सिंह पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूजल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित भूजल प्रबंधन एवं स्वामित्व संबंधी विशेषज्ञ दल ने सितम्बर, 2007 में अपनी रिपोर्ट योजला आयोग को प्रस्तुत की। विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारीश किए गए उपायों में निम्मलिखित शामिल हैं:-

- सभी राज्यों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ जल प्रयोक्ता समूह और सरकार की भूमिका एवं दायित्व को निर्धारित करते हुए संशोधित भूजल कानून का अधिनियमन करना तथा अति दोहित क्षेत्रों में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा मध्यस्थता करना।

- कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा उपलब्ध भूजल के संवधर्न के लिए तकनीकी उपाय, बाढ़ मैदानी जल भृतों का विकास तथा सुरक्षित रूप से दोहन किए जाने वाले भूजल की मात्रा का पता लगाने के उद्देश्य से गहरे ज़लभृतों का व्यापक अध्ययन करना।

- पूर्व निर्धारित अवाधि के लिए पृथक फीडरों के माध्यम से आबाधित विद्युत की आपूर्ति तथा ऊर्जा एवं जल के और अधिक कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहन देना।

- भूजल की समस्या वाले क्षेत्रों में नए कुओं का सामुदायिक प्रबंधन, पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग तथा सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकी के प्रयोग पर सब्सिडी।

- जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान जल स्तर को कायम रखा गया है अथवा इसमें सुधार हुआ हैं, ऐसी पंचायतों को जल के संपोषित उपयोग के लिए पानी पुरस्कार प्रदान करना।

- प्रयोक्ता समूह द्वारा भूजल संसाधन के उपयोग की आयोजना की आधार प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य भूजल बोर्ड द्वारा भूजल स्तर की वैज्ञानिक मानीटरिंग करना तथा भूजल उपयोग के स्थाई स्तर का आकलन करना।

(ग) विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:-

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक, कृत्रिम पुनर्भरण परियोजना की मंजूरी तथा 7 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में भूजल संसाधन के संवर्धन के लिए 'डगवेल के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण' स्कीम का कार्यान्वियन करना।

- गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में बाढ़ मैदानी जलभृतों की मैपिंग।

- जल संरक्षण पद्धतियों के विषयों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कृषक सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी) का कार्यान्वियन।

- लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से भूजल संवर्द्धन एवं कृत्रिम पुनर्भरण की नवीनतम पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिजल संवर्द्धन पुरस्कारों एवं राज्य जल पुरस्कार आरंभ करना।

- राज्य भूमिजल संगठनों के संयोजन से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल स्तर की आवधिक मानीटरिंग और भूजल संसाधन का आकलन जिसमें सरकार को भूजल विकास एवं प्रबन्धन स्कीमों की आयोजना का आधार प्राप्त होता है।

[हिन्दी]

भारतीयों के लिए कल्याण कोष

4254. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असहाय भारतीयों को भोजन, आश्रम, विधिक सहायता और अन्य कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए खर्च किए जाने हेतु 4.80 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त धनराशि के संवितरण का मिशनवार ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) समय-समय पर भारतीय मिशनों, विशेष रूप से खाड़ी देशों में कठिनाई ने प्रवासी भारतीय कल्याण सहायता के लिए उनसे संपर्क करते हैं। मंत्रालय ने इन देशों में फंसे कामगारों को तत्काल कल्याण सहायता देने के लिए 2008 में बेहरीन में हमारे मिशन की मार्फत उत्प्रवास कामगार संरक्षण समिति को 6.42 लाख रुपये, 2009 में ईरान में हमारे मिशन को 18.00 लाख रुपये, मलेशिया में हमारे मिशन को 2.60 लाख रुपये और सीजीआई सेन्ट पीटरबर्ग को 2.37 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने ऐसे प्रवासी भारतीय नागरिकों, जो कठिनाई में होते हैं, को मौके पर कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले 17 देशों और मालद्वीव में भारतीय मिशनों में, हाल ही में भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष द्वारा दी जाने वाली कल्याण सेवाओं में पारिवारिक/घरेलू क्षेत्रों और अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में कठिनाइयों का सामना कर रहे प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए रहने और खाने का प्रबंध करना, जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को आपात चिकित्सा सुविधाएं देना, बेदखल किए गए जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को हवाई भाड़ा देना, उचित मामलों में प्रवासी भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करना, और उन मामलों में, आकस्मिक और मृतक प्रवासी भारतीय के पार्थिव शरीरों को विमान द्वारा भारत लाने अथवा स्थानीय तौर पर अंतिम संस्कार करने/दफनाने का खर्च प्रदान करना है, जहां प्रायोजक उपलब्ध न हो अथवा संविदा के अनुसार ऐसा करने का इच्छुक न हो और परिवार उस लागत को वहन करने की स्थिति में न हो।

योजना के अनुसार, भारतीय समुदाय कल्याण कोष का वित्तपोषण प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से बजट सहायता, कोन्सूलर सेवाओं पर सेवा प्रभार लगा कर भारतीय मिशनों द्वारा एकत्र की गई निधियों और भारतीय समुदाय से स्वैच्छिक अंशदानों की मार्फत किया जाएगा। भारतीय समुदाय कल्याण कोष ने इस वर्ष से कार्य करना आरंभ कर दिया है और पहले 3 वर्षों के लिए मंत्रालय का अंशदान अधिकतम 1.60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मिशनों को रिलीज की गई राशि नीचे दर्शाई गई है :

क्रमांक	भारतीय मिशन का नाम	स्वीकृत राशि
1.	कतर, बेहरीन, मलेशिया, ओमान	प्रत्येक को 15 लाख रुपए
2.	इण्डोनेशिया, मालद्वीव	प्रत्येक को 5 लाख रुपए
3.	सीरिया	1.75 लाख रुपये

जलवायु परिवर्तन

4255. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री एम. कृष्णास्वामी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री मिलिन्द देवरा :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में विकसित, विकासशील और गरीब देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या विकसित राष्ट्रों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पर्यावरण अवक्रमण का एक बड़ा कारण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कोपेनेहेगन शिखर सम्मेलन में क्या आम राय बनने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज

(यू एन एफ सी सी सी) सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुबंध-I के पक्षकार देशों (विकसित देश) के भूमि प्रयोग, भूमि प्रयोग परिवर्तन और वानिकी को छोड़कर, ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन में 1990 की 13 बिलियन टन सी $ओ_2$ की मात्रा से 2006 में 14.3 बिलियन टन सी $ओ_2$ तक की वृद्धि हुई है। गैर-अनुबंध-I के पक्षकारों द्वारा 2005 में यू एन एफ सी सी सी को प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक राष्ट्रीय पत्र के अनुसार भी वर्ष 1994 के लिए उनकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की कुल मात्रा 11.7 बिलियन टन थी।

(ख) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई वर्षों में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के स्टॉक में वृद्धि वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। चूंकि विकसित देशों में औद्योगिक गतिविधियां 1750 में ही शुरू हो गई थीं, इसलिए वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख स्टॉक इकट्ठा होने के लिए वही देश जिम्मेदार हैं।

(ग) क्योटो प्रोटोकाल की आवश्यकताओं के अनुसार, सरकार द्वारा विकसित देशों पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे प्रदूषण न्यूनीकरण के संबंध में गहन प्रतिबद्धताएं करें। हालांकि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, तथापि वह ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम करने के लिए स्वैच्छिक रूप से कदम उठा रही है और आठ राष्ट्रीय मिशनों में से दो मिशन अर्थात् द नेशनल सोलर मिशन और नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी न्यूनीकरण से संबंधित है। इसके अलावा, सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा क्षमता में सुधार करने, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग, पावर सेक्टर में सुधार, परिवहन के लिए स्वच्छतर और कम कार्बन युक्त ईधन के प्रयोग, वनीकरण और वनों के संरक्षण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और मास रेपिड ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने हेतु अनेक नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए सतत विकास के संबंध में अनेक कदम उठाए हैं।

(घ) कोपेनहेगन में यूनाइटेड नेशंस की जलवायु परिवर्तन पर कांफ्रेंस अपने पूरे जोरों पर चल रही है। भारत भी अन्य समान विचारों वाले देशों के साथ इस कांफ्रेंस में भाग ले रहा है और यह दवाब बना रहा है कि विकसित देशों को गहन उत्सर्जन न्यूनीकरण प्रतिबद्धताएं करनी चाहिएं तथा विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियां शीघ्रातिशीघ्र स्थानांतरित करनी चाहिएं। इस अवस्था में कोपेनहेगन के निष्कर्षों को बता पाना कठिन है।

[अनुवाद]

राजदूतावास के वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं

4256. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राजदूतावास के वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में मृतक के परिवारों को समुचित मुआवजा प्रदान करने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा संबंधित दूतावास से मुआवजे का भुगतान कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जहां मृतक के परिवारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है?

विदेश राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) हालांकि ऐसी गाड़ियां चलाने वाले विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को राजनयिक संबंधों से संबंधित 1961, वियाना अभिसमय के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त है, यही अभिसमय यह भी दर्शाता है कि ऐसे सभी व्यक्ति जोकि विशेषाधिकार प्राप्त हैं और प्रतिरक्षण उपभोग करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे प्राप्तकर्ता देश के विनियमों का आदर करें। सरकार ने सभी विदेशी प्रतिनिधियों को भारतीय विधि के बारे में सलाह दे दी है, जोकि वे सभी व्यक्ति, जिनके पास गाड़ी हैं, चलाते हैं, मालिक हैं, सार्वजनिक स्थलों में गाड़ी उपयोग करने से उत्पन्न किसी भी व्यक्ति के मृत्यु या शारीरिक चोट की स्थिति में उनके दायित्व को सुनिश्चित करता है। इन प्रतिनिधियों को साफ कर दिया गया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके सदस्य जिनके पास गाड़ी है, चलाते हैं, मालिक हैं, के पास हमेशा तृतीय पक्ष की जोखिम संबंधी वैध बीमा पालिसी है और यह भी सुनिश्चित करें कि पालिसियों का नियमित रूप से नवीनीकरण हो रहा है और किसी भी परिस्थिति में चूक न हो। जहां वांछित है, वहां इस प्रकार की क्षतियों की अदायगी का दायित्व बीमा कंपनियों का है।

योजनाएं लागू करने में कठिनाइयां

4257. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने अपने राज्य में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी योजनाएं लागू करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के तकनीशियनों को वीजा

4258. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्री राजैया सिरिसिल्ला :
श्री पी. बलराम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत संयंत्रों के उपकरणों की संस्थापना के लिए भारत आने वाले चीन के तकनीशियनों को वीजा जारी करने से इंकार कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारण 30 विद्युत संयंत्रों के कार्य में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) भारत में कार्य के लिए सभी विदेशी राष्ट्रिकों के लिए रोजगार वीजा प्राप्त करना अपेक्षित है। जो लोग व्यापार वीजा लेकर परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, उनसे अपने देश वापस जाने और रोजगार वीजा के लिए फिर से आवेदन करने के लिए कहा गया था। कुछ परियोजनाएं अधिकृत रूप से चालू किए जाने हेतु उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रही है। सभी जायज मामलों में रोजगार वीजा जारी करने में सरकार ने सहयोग किया है।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन हेतु योजना बनाना

4259. **श्री सुदर्शन भगत :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चल रही विकास संबंधी योजनाएं देश में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार योजनाएं बनाते समय रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन की आवश्यकता को ध्यान में रखने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी नहीं। इस समय चल रही विकास संबंधी योजनाएं देश में रोजगार के अवसरों का सृजन कर रही हैं।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य इस अवधि के दौरान 58 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन करना है तथा इसके लिए, इसने सेवाओं एवं उद्योग में ऐसे क्षेत्रकों की पहचान की है जिनमें विकास की अधिक संभावना है।

इसके अतिरिक्त, इसने कई पहलों पर जोर दिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कल्याण, तथा अवसरों में वृद्धि करेंगी। उदाहरण के तौर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) रोजगार के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा अन्य बातों के साथ-साथ परिसंपत्तियों का निर्माण करने में भी सहायता करता है जिससे भूमि उत्पादकता बढ़ेगी। भारत निर्माण कार्यक्रम योजना अवधि के अंत से पहले सभी निवासों में विद्युत एवं पेय जल मुहैया कराएगा। पीएमजीएसवाई सभी गांवों जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है में पक्की सड़कें मुहैय्या कराएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्व-रोजगार वेंचरों की स्थापना अथवा मजदूरी

रोजगार के प्रावधान को प्रोत्साहित करने के माध्यम से शहरी बेरोजगार अथवा अल्परोजगार प्राप्त व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराएगी। यह कार्यक्रम शहरी गरीब समूहों पर विशेष जोर देते हुए संपूर्ण नगर आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

योजना के उद्देश्यों का मूल्यांकन करने तथा शेष अवधि के लिए आगे के उपाय सुझाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विदेशों में कार्यरत कामगारों हेतु पेंशन योजना

4260. श्री पी.टी. थॉमस : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में कार्यरत घरेलू कामगारों हेतु किसी पेंशन योजना पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत घरेलू कामगारों के प्रशिक्षण का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) इस समय विदेशों में नियोजित घरेलू कामगारों के लिए कोई पेंशन योजना नहीं है। तथापि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय विदेशों में उत्प्रवासी कामगारों के लिए कामगारों के बराबर के अंशदान के आधार पर एक वापसी और पुनर्सहयोग निधि बनाने पर विचार कर रहा है। यह योजना तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने संभावित उत्प्रवासी कामगारों के लिए एक कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया है और इस योजना के अंतर्गत प्रमुख श्रमिक प्रेषक राज्यों की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई थी ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें घरेलू क्षेत्र के कामगार शामिल हैं, में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दे सकें।

स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता

4261. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि यद्यपि कंप्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी को स्कूल स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है फिर भी इसे सभी प्रवेश परीक्षाओं में अनिवार्य बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र स्कूल स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लेते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्कूल स्तर पर भी इसे प्रमुख विषय बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इंजीनियरी और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी अनिवार्य विषयों के रूप में नहीं होते हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विभिन्न राज्य बोर्डों द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में छात्र माध्यमिक स्तर पर फाउन्डेशन आफ इनफोरमेशन टेक्नोलाजी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं। "स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी" की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर, हार्डवेयर, सोफ्टवेयर और विषय वस्तु चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि छात्रों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकें।

भारतीय वायु सीमा में संयुक्त अरब अमीरात का वायुयान

4262. श्री इन्दर सिंह नामधारी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
योगी आदित्यनाथ :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना का एक वायुयान तथा इसके नौ चालक दल के सदस्यों को कार्गों की प्रकृति की घोषणा किए बिना हथियार तथा गोलाबारूद को कथित रूप से ले जाने के लिए रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में संयुक्त अरब अमीरात की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने 25 अगस्त, 2009 को विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया था कि यूएएफ 1211 (टाईप सी-130 एच) विमान को आबू धाबी-कलकत्ता-किस्यांग-कलकत्ता-आबू धाबी सैक्टर पर उड़ान भरने व ईंधन भरने के लिए अनिर्धारित रूप से रुकने की राजनैतिक निकासी प्रदान की जाए। आवेदन में दिए गए विवरण के अनुसार विमान में हथियार अथवा गोला बारूद ले जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। तदनुसार, अनुमति प्रदान की गई थी। यह विमान (टाईप-सी 130 एच) अनिर्धारित उड़ान के रूप में 6 सितंबर, 2009 को 17.30 बजे आबू धाबी से कलकत्ता एयरपोर्ट पर आया था। विमान के कप्तान मेजर अब्राहम अल शमसे ने सीमा शुल्क काउंटर पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि विमान में हथियार/गोलाबारूद/विस्फोटक ले जाए जा रहे हैं। तथापि, चूंकि प्रारंभिक आवेदन के समय हथियार/गोलाबारूद का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए कलकत्ता एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने विमान व चालक दल के सदस्यों को आगे जांच के लिए हिरासत में ले लिया था। तदनुसार, विमान के प्रभारी पायलट की सहमति से सीमा शुल्क अधिकारियों ने सामान की किस्म के बारे में जांच-पड़ताल के लिए विमान में प्रवेश किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) यूएई के अधिकारियों ने विमान में ले जाई जा रही मदों को स्पष्ट रूप से न दर्शाने से संबंधित चूक के लिए औपचारिक रूप से खेद व्यक्त किया तथा इसे एक "तकनीकी त्रुटि" बताया। तत्पश्चात, उन्होंने सामान का विवरण प्रदान किया, जिसमें मिसाइल के पुर्जे भी शामिल थे।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

4263. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छात्रवृत्ति की राशि को कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

'वन स्वीकृति'

4264. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**
श्री रमेश राठौड़ :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री राजैया सिरिसिल्ला :
श्री पी. बलराम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से वन भूमि का विभिन्न परियोजनाओं हेतु उपयोग करने संबंधी विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) संघ सरकार ने अभी तक गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डाईवर्जन हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से 791 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 572 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है और 47 प्रस्ताव या तो संघ अथवा राज्य सरकार के साथ लंबित हैं। सभी अनुमोदित प्रस्तावों के परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं। बाकी 172 प्रस्ताव या तो बंद/रद्द/अस्वीकृत लौटाए अथवा वापस ले लिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में 7 प्रस्ताव संघ सरकार स्तर में प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है जबकि 40 प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ लंबित हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं। राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी की प्राप्ति पर, इन प्रस्तावों पर संघ सरकार के निर्णय/राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।

विवरण-I

क्रम सं.	प्रस्ताव का वर्ष	प्रस्ताव का नाम	जिला	श्रेणी	अनुमोदन की तारीख	अपवर्तित क्षेत्र (हेक्ट.)
1	2	3	4	5	6	7
मामले की स्थिति : सिद्धांत रूप सहित अनुमोदित						
1	1986	परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हेवी वाटर के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए मार्फत एरियल रोपवे	खम्माम	रक्षा	06-01-89	9.58
2	1988	भारत डाइनेमिक्स लि. द्वारा न्यू मिसाईल टेस्टिंग रेन्ज	रंगा रेड्डी	रक्षा	10-25-88	0.63
3	1989	मार्फत लाचिंग पैड टुवड्र्स मिसाईल टेस्टिंग रेन्ज	रंगा रेड्डी	रक्षा	10-18-89	0.19
4	2002	भारत डाइनेमिक्स लि. के पक्ष में मिस्साईल टेस्टिंग रेन्ज	रंगा रेड्डी	रक्षा	05-08-02	0.93
5	1985	पेयजल की आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाना	कड्डपा	पेयजल	05-07-85	0.04
6	1988	तिरूमाला शहर में जल आपूर्ति के आवर्धन के लिए मार्फत डाइवर्जन वेयर एण्ड चैनेल	चित्तूर	पेयजल	09-28-88	0.63
7	1988	मैसोनरी जन आपूर्ति स्कीम	तिरुपति	पेयजल	09-28-88	0.63
8	1990	पापविनाशन बैंक से तिरूमाला राईट आफ वे तक पाईपलाइन बिछाना	चित्तूर	पेयजल	09-03-90	0.55
9	1992	साथनापल्ली में सरस्वती नहर के डिस्ट्रब्यूटरी नं. 28 की उत्खनन	अदिलाबाद	पेयजल	02-24-95	19.05

1	2	3	4	5	6	7
10	1993	समर स्टोरेज टैंक और फिल्ट्रेशन प्लान्ट का निर्माण	नेल्लौर	पेयजल	12-22-94	45.00
11	1994	एसआरएसपी के अंतर्गत डीबीएम 46 विन्नावरम ब्रांच कैनाल का उत्खनन	वारानगल	पेयजल	04-26-94	34.77
12	1995	सत्या साई वाटर वर्क्स-इंस्टालेशन	अनन्थपुर	पेयजल	02-16-96	0.92
13	1996	यामचा में समर स्टोरेज टैंक का निर्माण	निजामाबाद	पेयजल	08-29-96	11.30
14	1996	वेल्गालाराया सागर परियोजना के राईट मुख्य कैनाल उत्खनन	विजयनगरम	पेयजल	08-22-96	3.64
15	1997	वेडुखाडा में मार्फत बलोसिंग रिजर्वायर	विजयनगरम	पेयजल	05-07-97	0.27
16	1998	तिरूपति शहर में जल आपूर्ति के लिए जीएलआर फारमेंशन	चित्तूर	पेयजल	08-19-99	1.00
17	1998	पेड्डागड्डा में रिजरवायर फार्मेशन	श्रीकुलम	पेयजल	06-28-00	3.75
18	1998	चित्तूर (पूवी) प्रभाग में तिरूपति शहर में जल आपूर्ति के लिए जीएलआर फार्मेशन के लिए एफएल अपवर्तन	चित्तूर	पेयजल	08-19-98	1.00
19	2001	रामागिरी और कानागलीपल्ली मंडलों के लिए पाईपलाईन और एप्रोच रोड बिछाना मार्फत जीएलआर	अनन्थपुर	पेयजल	02-20-02	0.51
20	2001	एनएस कैनाल से पान्डी टैंक तक जल आपूर्ति चेनेल	कृष्णा	पेयजल	04-19-02	0.22
21	2001	एनडब्ल्यूएसपी-पी के VI-सीसीडब्ल्यूएस स्कीम टू उलीन्डाकोन्डा धोने एंड 28 अन्य वास-स्थल यपरलापाडू आरएफ के कंपार्टमेंट सं. 65 में एफएल के जीएलबीआर-अपवर्तन और पाईप लाईन बिछाना	कुरनूल	पेयजल	08-12-02	0.04
22	2001	धोने कस्बे के अंजेनायास्वामी के नजदीक मार्फत वाटर टैंक	कुरनूल	पेयजल	07-12-01	0.20
23	2001	चिंथालापल्ली बीट, धोने कस्बे के अंजेनायास्वामी कोन्डे के नजदीक पानी की टंकी का निर्माण	कुरनूल	पेयजल	12-07-01	0.20

1	2	3	4	5	6	7
24	2002	पोन्डुगाला और अनंतावारम (V), माइलावरम (एम) में एन.एस. कैनाल से पनिगडी टैंक तक जल आपूर्ति के प्रयोजनार्थ 0.22 हेक्टेयर एफ.एल. का अपवर्तन	कृष्णा	पेयजल	04-19-02	0.22
25	2002	रामगिरी और कानागनीपल्ली मंडल तक एप्रोच रोड और पाईपलाईन बिछाने के लिए जीएलआर के निर्माण के लिए एफएल का अपवर्तन	अनन्तपुर	पेयजल	02-20-02	0.51
26	2003	बोरवेल की खुदाई और पाईपलाइनों को बिछाना	हैदराबाद	पेयजल	02-26-03	0.01
27	2003	बोरवेल की ड्रिलिंग और बसूरेगाड़ी (V) के नजदीक पाईप लाईन बिछाने के लिए वन भूमि का अपवर्तन	रंगा रेड्डी	पेयजल	02-26-03	0.01
28	2003	ड्रिलिंग बोरवेल और पेयजल आपूर्ति प्रयोजनार्थ पाईप लाईन बिछाने के लिए वन भूमि का अपवर्तन	रंगा रेड्डी	पेयजल	05-05-03	0.01
29	2008	बूस्टर/जीएलबीआर (टैंक) के निर्माण के लिए शेषचलन आरएफ में 4.40 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन, एसईपीआरआरडब्ल्यूएस सर्कल, कडापा के पक्ष में एलआर पल्ली और अन्य ग्रामों में सीपीडब्ल्यूएस स्कीम प्रदान करने के लिए डीआई के 9 पाईप पम्पिंगमेन बिछाना	कडापा	पेयजल	06-09-09	4.40
30	2009	सुपरईनटेंडिंग इंजीनियर, आरडब्लयूएसपीआर, काकीनाडा के पक्ष में सीपीडब्लयूएस, जूमपेटा के अंतर्गत वाटर पम्पिंग मेन के निर्माण के लिए काकीनाडा प्रभाग के मल्लावरम में 0.572 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	पूर्वी गोदावरी	पेयजल	09-23-09	0.57
31	1981	मोटुपल्ली माईनर ईरीगेशन परियोजना के अंतर्गत चेनेल की खुदाई	प्रकाशम	सिंचाई	07-16-84	6.49
32	1981	ब्राईन आपूर्ति चेनेल का उत्खनन	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	01-27-82	3.48
33	1981	मोटुपल्ली लिफ्ट ईरीगेशन स्कीम के लिए सिंचाई चेनेल के मार्कल	प्रकाशम	सिंचाई	07-16-84	6.49
34	1981	ब्राईन चेनेल की खुदाई	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	01-25-82	3.48

1	2	3	4	5	6	7
35	1982	सरस्वती नहर का निर्माण	अदिलाबाद	सिंचाई	05-13-82	44.89
36	1983	मार्फत अनीकट एक्रास येचारमवाजू	निजामाबाद	सिंचाई	01-17-84	0.30
37	1983	सिंचाई टंकी का निर्माण	निजामाबाद	सिंचाई	01-17-84	0.30
38	1984	तेलुगु गंगा परियोजना के लिए रिजरवायर, कैनाल	कुरुनूल	सिंचाई	10-14-88	10371.40
39	1984	नागार्जुन सागर परियोजना का लेफ्ट केनाल का निर्माण	कृष्णा	सिंचाई	07-07-86	5.49
40	1985	श्री सेलम राईट बैंक केनाल का निर्माण	कुरुनूल	सिंचाई	05-03-93	177.47
41	1985	बग्गावेका एमआईपी	कड्डाप	सिंचाई	10-28-96	120.60
42	1986	नागर्जुनसागर लेफ्ट कैनाल	नालगोंडा	सिंचाई	10-17-88	231.80
43	1986	सरस्वती कैनाल की जल वितरिका	अदिलाबाद	सिंचाई	02-23-98	3.30
44	1986	सरस्वती कैनाल की जल वितरिका	अदिलाबाद	सिंचाई	02-23-98	81.08
45	1986	धाराकल्वा के पार रिजरवायर का निर्माण	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	10-04-91	10.81
46	1987	सरस्वती कैनाल का निर्माण	अदिलाबाद	सिंचाई	02-24-94	19.05
47	1987	वम्शाधारा परियोजना फेस-II के निर्माण के लिए वन भूमि का अपवर्तन	श्रीकुलम	सिंचाई	10-22-07	37.50
48	1988	बैथ पल्ली से 49 माईनर सिंचाई परियोजनाओं के लिए चैनेल का निर्माण	खम्माम	सिंचाई	09-28-88	12.50
49	1988	सिंचाई चेनेल्स का उत्खनन	पश्चिमी गोदावरी	सिंचाई	09-21-89	4.20
50	1988	27 माईनर सिंचाई परियोजनाएं	चित्तूर	सिंचाई	06-08-90	212.16
51	1988	सिंचाई का उत्खनन-ईलुरू वन प्रभाग	पश्चिमी गोदावरी	सिंचाई	09-21-89	4.20
52	1990	कम्पार्टमेंट सं. 194, डुग्गुन्टावागू परियोजना के तुम्मलापुर के पोषण के लिए आपूर्ति नहर का उत्खनन	नेल्लौर	सिंचाई	05-31-01	8.71
53	1991	धाराकलुवा के आर पार रिजरवायर का निर्माण	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	10-27-00	10.81
54	1992	ममथा आर.एफ में वितरिका नं. 25 का उत्खनन	अदिलाबाद	सिंचाई	02-23-98	3.30

1	2	3	4	5	6	7
55	1992	मध्यम सिंचाई स्कीम-चेलामालावागू परियोजना	अदिलाबाद	सिंचाई	01-25-01	20.00
56	1993	वन्नावरम ब्रांच केनाल की डीवीएस 48 के कैनाल का उत्खनन	वारानगल	सिंचाई	04-26-94	34.77
57	1993	ट्रिगलवेनी वितरिका	वारानगल	सिंचाई	03-30-94	50.00
58	1993	नहरों और वितरिकाओं का निर्माण	वारानगल	सिंचाई	06-08-99	45.13
59	1994	थालीवेस परियोजना का राईट बैंक कैनाल का उत्खनन	खम्माम	सिंचाई	10-21-94	4.55
60	1994	तेलुगु गंगा सिंचाई परियोजना	कुरुनूल	सिंचाई	07-27-01	120.06
61	1994	नहर और रिजरवायर का निर्माण (मुख्य सिंचाई परियोजना)	कुरुनूल	सिंचाई	11-14-06	883.42
62	1995	सिंगरथम से फीडर चेनल का उत्खनन	निजामाबाद	सिंचाई	05-23-96	7.92
63	1995	येडुलाचेरू पर लंबे समय से छोड़ गए ब्रीच टैंक का पुनरुद्धार करना	निजामाबाद	सिंचाई	06-22-98	8.09
64	1996	नालगोन्डा और गुंटूर जिले में नागार्जुन सागर बांध में टेल पोन्ड डैम अनुप्रवाह का निर्माण	नालगोंडा	सिंचाई	06-15-06	113.00
65	1996	रिजरवायर का निर्माण	निजामाबाद	सिंचाई	05-19-99	57.25
66	1997	चेलामालावागू परियोजना में राईट बैंक केनाल का उत्खनन	अदिलाबाद	सिंचाई	02-19-98	3.10
67	1997	मोग्कलापाडु में गोड्डेस नदी के पार मार्फत अनीकट	नेल्लौर	सिंचाई	07-16-99	11.00
68	1998	डीबीएम 48 श्री राम सागर परियोजना का उत्खनन	वारानगल	सिंचाई	04-05-01	24.60
69	1998	महबूबनगर जिले में येरागुट्टावागू के पार ऐयरिएन्ट का निर्माण	महबूबनगर	सिंचाई	12-15-99	6.10
70	1998	खनन सिंचाई-जम्पारकोटा (वी) के पास पालाकोन्डा में पेड्डागड्डा के पार रिजरवायर का निर्माण	श्रीकुलम	सिंचाई	06-28-00	3.75
71	1999	राज्य सिंचाई विभाग द्वारा पलेमवागू के पार रिजरवायर का निर्माण	खम्माम	सिंचाई	11-25-05	273.04

1	2	3	4	5	6	7
72	2000	मार्फत एनएस केनाल मेडीचारिआ माईनर	कृष्णा	सिंचाई	06-12-01	14.26
73	2000	कोथरू आरएफ-जक्कमपाडी मेजर कैनाल का उत्खनन	कृष्णा	सिंचाई	06-12-00	19.10
74	2000	येरूगुंटला (V) के नजदीक नीलाद्रीवागू के पार अनीकट के निर्माण के लिए खम्मम के लंकेशपल्ली आरएफ में 2.412 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन/भूतपूर्व इंजीनियर एल.डी. (आईबी) प्रभाग, खम्माम	खम्माम	सिंचाई	02-01-06	2.41
75	2000	येरागुंटला के नजदीक नीलाद्री वागू के पार मार्फत अनीमट	खम्माम	सिंचाई	02-01-06	2 41
76	2001	असिफाबाद मंडल में उदा गांव के नजदीक बेलमपल्ली में पेड्डागू माईनर सिंचाई परियोजना	अदिलाबाद	सिंचाई	12-02-05	189.20
77	2001	तिरुमाला तिरूपति देवस्थानाम के पक्ष में वाटर रिजरवायर का निर्माण	चित्तूर	सिंचाई	02-28-05	80.00
78	2002	टिक्कावालापप्पाडू मेजर केनाल का विस्तार	नेल्लौर	सिंचाई	12-07-02	0.96
79	2002	सिंचाई विभाग के पक्ष में टिक्कावईअप्पाडू मेजर केनाल के विस्तार के प्रयोजनार्थ वन भूमि का अपवर्तन	नेल्लौर	सिंचाई	07-12-02	0.96
80	2003	भूपतिपलेम रिजरवायर को सीपावल्लीबागू पर बनाया जाना	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	12-22-05	220.09
81	2004	कोनापुर (V) के नजदीक पेड्डाबागू और बोन्गुरूवागू के पार रिजरवायर के निर्माण के लिए भीमगल में वन भूमि का अपवर्तन	निजामाबाद	सिंचाई	11-23-06	12.00
82	2004	ई.ई. येलुस सिंचाई प्रभाग के पक्ष में मड्डीगेड्डा रिजरवायर के अंतर्गत मुख्य नहर का उत्खनन	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	01-24-07	3.82
83	2004	ई.ई. एबीएसआईडीसी प्रभाग, ओनगोले के पक्ष में सिंचाई संभाव्य गोवानीवारी पलेम लिफ्ट ईरीगेशन स्कीम सृजित करने के लिए भूमिगत पाईपलाईन बिछाना	प्रकाशम	सिंचाई	09-28-04	0.19

1	2	3	4	5	6	7
84	2004	गोदावरी लिफ्ट ईरीगेशन स्कीम के लिए वाटर कंडक्टर सिस्टम को बिछाना	प्रकाशम	सिंचाई	12-01-05	361.40
85	2005	अधिशासी इंजीनियर, पीपी प्रभाग न. III जे पेट विजयवाडा के पक्ष में कृष्णा नदी के पार बैलेसिंग रिजरवायर के रूप में जुली-चिन्ता ग्राम में पुलीचिन्तला परियोजना का निर्माण	गुन्टूर	सिंचाई	10-20-06	1157.20
86	2005	अधिशासी अभियंता, माईनर ईरीगेशन परियोजना के पक्ष में नागालापुरम मंडल में बीरा-कुप्पम के नजदीक भूपटेशवारा कोना के पार नई टंकी के निर्माण के लिए चित्तूर पूर्वी (डब्ल्यूएल प्रभाग) के सत्यावडू रेन्ज के टीवी पुरम रिजर्व वन के कम्पार्ट मेंट नं. 282 और 283	चित्तूर	सिंचाई	02-22-07	50.64
87	2005	कडापा जिला में रिजर्व वन से संबंधित सीबीआर राईट कैनाल (लिंगाला कैनाल)	कडापा	सिंचाई	11-10-06	118.71
88	2005	अधीक्षक इंजीनियर, आई एंड सीएडी, टीटीपीआर सर्कल, विजीनगरम के पक्ष में मीडियम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए केसाली आरएफ में वन भूमि का अपवर्तन	विजयनगरम	सिंचाई	05-12-09	38.40
89	2005	ईईआईएसएलएमकेएस (निर्माण) प्रभाग, राजामुंदरी-1.00 हेक्टेयर के पक्ष में पुष्कर एलआईएस में ग्राऊंड स्तर के नीचे मुख्य 1.1 मीटर दबाव बिछाने के लिए वन भूमि का अपवर्तन	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	04-21-06	1.00
90	2005	सिंचाई विभाग के पक्ष में गांदीकोटा आरएफ-1.23 हेक्टेयर में एप्रोच रोड बिछाने के लिए और गांदीकोटा डैम के निर्माण के लिए वन भूमि का अपवर्तन	कड्डाप	सिंचाई	10-11-06	1.23
91	2005	वेलीगल्लू रिजरवायर के निर्माण के लिए पदीकुटा और गुंडलकोंडा का अपवर्तन	कड्डाप	सिंचाई	09-12-06	38.42

1	2	3	4	5	6	7
92	2006	एपीजीईएलसीओ, प्रकाशम और कुरूनूल जिलों के पक्ष में श्रीसेलम बांध की अनुधारा 14.60 कि.मी. पर वियर के निर्माण के लिए मरकापुर और नंदी कोटकूर में 7 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	प्रकाशम	सिंचाई	06-08-09	7.00
93	2006	अदिलाबाद जिले में मुलकला गांव के नजदीक मंचेरियल (मंडल) में रालीवागू सिंचाई परियोजना का निर्माण	अदिलाबाद	सिंचाई	10-05-06	228.00
94	2006	अदिलाबाद जिले में जयपुर मंडल में भीमाररम ग्राम के नजदीक गोलावागू सिंचाई परियोजना का निर्माण	अदिलाबाद	सिंचाई	10-04-06	230.00
95	2006	राज्य सिंचाई विभाग में एन. प्रभाग भद्राचलम के कोपसूर आरएफ में गुंमडलावागू के लिए 5.65 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कड्डाप	सिंचाई	04-22-08	5.65
96	2006	बीएन कंडरिगा मंडल में उब्बलामाडुगू के पतर रिजरवायर के निर्माण के लिए डब्ल्यू एल प्रभाग चित्तूर के सत्यावेडू रेन्ज के कम्बक्कम रिजर्व वन और श्री कलाहस्ती के अंजुर रिजर्व वन	चित्तूर	सिंचाई	06-26-08	59.62
97	2006	सिंचाई विभाग, पूर्वी गोदावरी जिले के पक्ष में दिवानचेरू वेस्ट आरएफ में प्रेशर मेन लाईन (वेकटानगरम पपिंग स्कीम) बिछाने के लिए 0.575 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	03-23-07	0.57
98	2006	ईई, जीएनएसएस प्रभाग सं. 5, जम्माला माडूगु में प्रोड्डाटूर प्रभाग, कडापा जिले में ओक रिजरवायर से गांदीकोटा तक कि.मी. 52.184 से कि.मी. 57.434 के फ्लड फ्लो कैनाल तक भूमिगत गांदीगोटा के उत्खनन के लिए 4.00 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कड्डाप	सिंचाई	12-29-06	4.00

1	2	3	4	5	6	7
99	2006	वेमानपल्ली मंडल में नीलवई ग्राम के नजदीक (रिजरवायर के निर्माण) पेड्डावागू नीलवई सिंचाई परियोजना का निर्माण	अदिलाबाद	सिंचाई	10-04-06	155.50
100	2006	सिंचाई विभाग, कुरनूल जिले के पक्ष में ओडब्लयूके रिजरवायर (गोलालेगू डैम) के स्पिल वे के लिए छूटे चैनल के उत्खनन के लिए 4.8 हेक्टेयर वन भूमि का धोने (आर) में अपवर्तन	कुरुनूल	सिंचाई	07-24-08	4.80
101	2006	एसई, टीजीजी, कडापा, प्रोड्डाटूर प्रभाग/ जिला के पक्ष में पोरूमामीला टैंक के परे एसजीवीबीआर लेफ्ट कैनाल के लिए 26.05 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कड्डाप	सिंचाई	02-02-07	26.05
102	2006	वेल्लुगोडू बैलेन्सिग रिजरवायर से लिफ्ट द्वारा सिड्डापुरम टैंक तक वाटर स्प्लीमेंटेशन के प्रयोजनार्थ डब्ल्यूएलएम आत्माकुर वन प्रभाग के वेलुगोडू आरएफ में वन भूमि का अपवर्तन	कुरुनूल	सिंचाई	03-17-08	17.78
103	2007	ईई, एचएनएसएस प्रभाग के पक्ष में एचएनएसएस कैनाल के उत्खनन के लिए गुंडलाकोडां आरएफ, कुरूनूल प्रभाग में वन भूमि 2.05 हेक्टेयर का अपवर्तन	कुरुनूल	सिंचाई	09-16-08	205
104	2007	ईई, एसआरबीसी प्रभाग, न. 3 ओक के पक्ष में कि.मी. 57.70 से 63.70 तक जीएनएसएस फ्लड फ्लो कैनाल के ओक टनेल-II के उत्खनन के लिए ओक आरएफ में 28 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कुरुनूल	सिंचाई	10-14-08	28.00
105	2007	सीई, आईएसपी, डोंलईस्वरम के पक्ष में पश्चिमी गोदावरी जिले में ताड़ीपुड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम के अंतर्गत मेन कैनाल के उत्खनन के लिए ईलुस प्रभाग में 36.82 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	पश्चिमी गोदावरी	सिंचाई	01-02-08	36.82
106	2007	एसई, टीजीपी, कडापा के पक्ष में गोडुमररी अनीकट से चित्रावती बैलेरूिंग रिजरवायर तक पाईप लाईन के स्कीम/ उत्खनन जीएनएसएस लिफ्ट के लिए (7.01 हेक्ठेयर अनंतपुर प्रभाग और प्रोड्डायूर प्रभाग में 2.28 हेक्टेयर) 9.29 हेक्टेयर का अपवर्तन	अनंतपुर	सिंचाई	09-19-08	9.29

1	2	3	4	5	6	7
107	2007	एसई, आईएसएलएमसी ट्यूनी, काकीनाडा प्रभाग, पूर्वी गोदावरी जिले के पक्ष में पुष्कर एलआईएस के अंतर्गत (कोडीगा आरएफ में 5.65 हेक्टेयर और मल्लारापुकोन्डा असाएफ में 11.1124 हेक्टेयर) तल्लूरू लिफ्ट कैनाल के उत्खनन के लिए 16.7624 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	पश्चिमी गोदावरी	सिंचाई	03-03-08	16.76
108	2007	एसई, एसआरबीसी सर्किल नं. 2, नान्दयाल के पक्ष में पैकेज-36 एसआरबीसी मेन कैनाल कि.मी. 124-925 से कि.मी. 146.275 तक के लिए कुरूनूल प्रभाग के संजामुला (एम) के गिड्डालूर (वी) के एस वाय सं. 531 के 29.26 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कुरुनूल	सिंचाई	07-21-08	29.26
109	2007	एसई, एसआरबीसी सर्किल सं. 2, नान्दयाल में कि.मी. 56.400 से कि.मी. 57.14 तक गोराकल्लू रिजरवायर के ओक रिजरवायर तक कैनाल-पैकेज 29 जीएनएसएस फ्लड फ्लो के लिए कुरूनूल प्रभाग के डब्ल्यूकेआरएफ में 39.45 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कुरुनूल	सिंचाई	08-22-08	39.45
110	1981	स्वामी एंड कंपनी के पक्ष में क्वरिंग ब्लैक ग्रेनाईट	चित्तूर	खनन	07-01-82	5.00
111	1981	मैसर्स स्वामी और कंपनी को माईनिंग लीज	अनन्तपुर	खनन	01-07-82	5.00
112	1981	मैसर्स काकतिमा सीमेंट कंपनी	कृष्णा	खनन	12-02-82	150.00
113	1982	रामकृष्णा और संरू द्वारा चूना पत्थर का उत्खनन	गुन्टूर	खनन	02-21-83	25.00
114	1982	टैंक से क्ले के उत्खनन के लिए वन भूमि को जारी करना	अदिलाबाद	खनन	04-21-83	2.30
115	1982	डेक्कन सीमेंट के पक्ष में एमएल	नालगोंडा	खनन	11-30-81	101.00
116	1984	मैसर्स एससीसीएल (एमवीके-6) को खनन पट्टा	हैदराबाद	खनन	06-02-89	33.45
117	1985	कोठागुदेम से एससीसीएल के लिए खनन पट्टा	खम्माम	खनन	08-05-99	2338.90

1	2	3	4	5	6	7
118	1985	येलान्दु से एससीसीएल के लिए खनन पट्टा	खम्माम	खनन	07-10-86	963.63
119	1986	मैसर्स एससीसीएल को पट्टा	खम्माम	खनन	10-30-87	412.40
120	1986	मैसर्स एससीसी बेलामपाली को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	04-05-89	9.00
121	1988	केसोराम सीमेंट को खनन पट्टा	करीम नगर	खनन	03-13-97	230.66
122	1988	मैसर्स एससीसीएल को पट्टा	अदिलाबाद	खनन	09-15-99	1790.00
123	1989	एसीसी लिमिटेड द्वारा लाइम स्टोन का खनन (मंत्रालय द्वारा संसाधित)	अदिलाबाद	खनन	05-04-89	9.00
124	1990	एससीसीएल के पक्ष में रवीन्द्र खानी नई प्रौद्योगिकी के लिए खनन प्रविष्टि और अन्य कार्य	अदिलाबाद	खनन	02-23-98	8.96
125	1990	मैसर्स दक्कन लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	नालगोंडा	खनन	09-26-91	22.55
126	1990	मैसर्स एससीसीएल को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	02-23-95	49.75
127	1991	येल्लादु ओसीपी-II के लिए मैसर्स एससीसीएल लिमिटेड	खम्माम	खनन	07-25-08	42.50
128	1991	मैसर्स गोपाल कृष्णा राजू के पक्ष में ग्रेफाइट के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	खम्माम	खनन	11-26-91	0.50
129	1991	मैसर्स सिंगरानी कोलारीज लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	खम्माम	खनन	02-11-93	261.31
130	1991	मैसर्स सिंगरानी कोलारीज कंपनी टू एसएससीटी के पक्ष में खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	02-12-05	253.00
131	1991	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	05-29-01	13.85
132	1991	भारत गोल्ड माइंस के पख में स्वर्ण और चांदी खनन पट्टा	चित्तूर	खनन	12-09-92	10.00
133	1991	मैसर्स भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	12-09-92	10.00
134	1991	मैसर्स एसीसी लिमिटेड को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	07-04-94	92.18

1	2	3	4	5	6	7
135	1991	रवीन्द्र खानी सं. 58 अतिरिक्त इनक्लान में नई खान की ओपनिंग (मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत केस)	अदिलाबाद	खनन	02-23-96	4.85
136	1992	जी. राम मोहन रेड्डी को खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	07-19-95	25.98
137	1993	वाई.के. कृष्णा राव को खनन पट्टा	विजयनगरम्	खनन	02-01-95	29.48
138	1993	रवीन्द्र खानी सं. 8 इनक्लाइन प्रोजेक्ट	अदिलाबाद	खनन	02-23-96	6.20
139	1993	मैसर्स सिंगरानी कोलारीज कंपनी लिमिटेड को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	02-23-96	4.85
140	1993	मानुगुरू ओपसीपी-II (चरण-III) के लिए मैसर्स एससीसीएल को खनन पट्टा	खम्माम	खनन	09-14-94	125.90
141	1994	ब्रह्मारंबा मिनरल्स के पक्ष में जालाकलावा में स्टेटाइट, वाइटक्ले आर डोलामाइट	अनंतपुर	खनन	12-22-95	4.68
142	1994	मैसर्स एनसीएल इंडस्ट्रीज को खनन पट्टा	नालगोंडा	खनन	12-09-96	46.36
143	1994	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में मानुगुरू के लिए खनन पट्टा	खम्माम	खनन	02-14-97	104.00
144	1994	खैरियागुड्डा में मैसर्स एससीसीएल को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	09-28-00	29.85
145	1994	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	गुंटूर	खनन	07-16-96	200.00
146	1994	ब्रह्मारम्भा मिनरल्स के पक्ष में गुलामअलीबाग नार्थ ब्लाक में लाइनस्टोन केलसाइट एंड सरपेंटाइन के लिए खनन पट्टा	कुरनूल	खनन	09-12-95	1.76
147	1994	वी. मणिक्कम के पक्ष में मूलबाग से क्वाटर्ज के लिए खनन पट्टा	विजयनगरम	खनन	08-03-96	0.99
148	1996	कृष्णा खनन कंपनी के पक्ष में मोलाकालापुंडला के एसवाई संख्या 530 से 534 तक में माइक्रो के लिए खनन पट्टा	नेल्लौर	खनन	04-21-98	18.90
149	1996	जुलाकालावा में स्टेटाइड और डोलामाइड के लिए साउंड इंडिया कंपनी लिमिटेड का नवीकरण	अनंतपुर	खनन	03-10-97	8.50

1	2	3	4	5	6	7
150	1996	स्वामी कासी रतनाम के पक्ष में मेदिनापाडु के बत्रापालन में खनन पट्टे का नवीकरण	गुंटूर	खनन	08-23-04	4.85
151	1996	मैसर्स दक्कन सीमेंट लिमिटेड के लिए खनन पट्टा संख्या 27	नालगोंडा	खनन	02-23-98	73.93
152	1996	मैसर्स एससीसीएल के बेल्लामपाली वन प्रभाग में ओपन कास्ट परियोजना-II के लिए खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	12-26-97	32.70
153	1996	ओपन कास्ट परियोजना II चरण-III के लिए मैसर्स एससीसीएल के खनन पट्टा	खम्माम	खनन	10-10-97	286.25
154	1996	श्री वी नरेश कुमार के पक्ष में ग्रेनाइट के खनन के लिए खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	08-07-01	8.65
155	1996	नव भारत फेरोएलोय के पक्ष में कलवापल्ली रेंज के ब्लाक संख्या 33 में फेरो एलोय	नालगोंडा	खनन	01-06-00	4.80
156	1996	काकालापुनडला का क्रम संख्या 504 और 505 और 528 माइका, फेल्स्पार, क्वाटर्ज वर्मी क्लूयट का खनन पट्टा	नेल्लौर	खनन	04-09-00	19.91
157	1996	कृष्णा माइनिंग कंपनी के पक्ष में मोलाकाकापुडंल का एसवाई सं. 612, 826 से 827 में माइका के लिए खनन पट्टा	नेल्लौर	खनन	12-05-99	19.91
158	1997	के.टी. माइंस के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	कुड्डापा	खनन	01-05-98	2.69
159	1997	साऊथ इंडिया माइनिंग कंपनी के पक्ष में स्टेटाइट, व्हाइट शेल का खनन	अनंतपुर	खनन	06-06-00	2.83
160	1997	मैसर्स वेल्लारी आयरन और (पी) लिमिटेड का खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	05-26-98	27.12
161	1997	आसिफाबाद में कंपार्टमेंट सं. 502,503 में लाइमस्टोन खदान के लिए एसवाई संख्या 138 में खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	04-29-02	13.75
162	1997	पेमुल्लोपाडू थामामाला आरएफ रायपुर टीक्यू एसवाई सं. 675 में क्वाटर्ज माइका एंड वर्मिलाइटे	नेल्लौर	खनन	02-23-01	12.14

1	2	3	4	5	6	7
163	1998	नारासू एंड कंपनी के पक्ष में स्टेटाइट, डोलामाइट आदि के लिए खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	02-29-00	9.85
164	1998	एससीसीएल के पक्ष में येलादू पर सेटेंरी इनक्लाइन	खम्माम	खनन	11-04-08	4.77
165	1998	केसीपी लिमिटेड मचराला के पक्ष में खनन पट्टा	गुंटूर	खनन	10-16-02	18.14
166	1998	केसीपी लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	गुंटूर	खनन	06-20-00	18.14
167	1998	तालाबोडू कंपनी के पक्ष में पट्टों का नवीकरण	गुंटूर	खनन	08-07-00	17.63
168	1998	वाई महाबलेश्वरवरा एंड संस को खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	11-12-99	20.24
169	1998	मैसर्स राष्ट्रीय ईस्पात निगम लिमिटेड को खनन पट्टा	कृष्णा	खनन	04-25-00	900.00
170	1998	वी. सत्यम यादव के पक्ष में चाइनाक्ले और वाइटशेल के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	कुड्डापा	खनन	01-29-99	2.82
171	1998	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में गोथम खानी ओसीपी-चरण-II के लिए खनन पट्टा	खम्माम	खनन	02-08-99	124.00
172	1998	चाइनाक्ले के लिए एम चांगल रेड्डी के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	कुड्डापा	खनन	11-21-99	0.81
173	1998	गैतिला आरएफ, ओबयूला वारीपाली (वी) में चाइनाक्ले के लिए 2.00 एकड़ विस्तार के लिए श्री एम चांगल रेड्डी के खनन पट्टे का नवीकरण	कुड्डापा	खनन	01-18-99	0.81
174	1998	श्री वी. सत्यम यादव के पक्ष में पत्तूर आरएफआफ वोनटी रेंज कुड्डापा प्रभाग के चाइनाक्ले और वाइट शेल के खनन पट्टे का नवीकरण-एम और एम	कुड्डापा	खनन	01-29-99	1.62
175	1999	मैसर्स एसीसीएल को खनन पट्टा	खम्माम	खनन	05-14-00	236.00

1	2	3	4	5	6	7
176	1999	श्रीमती एस के बीबीजन के पक्ष में चांगय गांव, सदयापुरम मंडल के नैल्लौर जिले में एसवाई सं. 553 का चांगन गांव में 2 हेक्टेयर का विस्तार क्वाटर्ज, वर्मिकुलेट माइका फेल्सर के लिए खनन पट्टा	नेल्लौर	खनन	01-03-07	2.00
177	1999	श्री एस. शंकर रेड्डी के पक्ष में बेरीटस के लिए खनन पट्टा	प्रकाशम	खनन	05-30-06	2.69
178	1999	मैसर्स एसीसी लिमिटेड के पक्ष में साल वैल्लीलोडी के कंपार्टमेंट सं. 540, 541, 542 और 544 खनन पट्टे का नवीकरण (मैसर्स मनविरियल सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 05.12.2007 का स्थानातंरण)	अदिलाबाद	खनन	04-19-02	80.44
179	1999	विजयवाड़ा प्रभाग में मैसर्स मद्रास सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में लाइन स्टोन का खनन पट्टा	कृष्णा	खनन	03-20-01	60.72
180	1999	मैसर्स एससीसीएल को खनन पट्टा	वारंगल	खनन	10-16-00	235.00
181	2000	एससीसीएल के पक्ष में खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	09-10-03	140.30
182	2000	मैसर्स एपी मिनरल्स डेवलैपमेंट कारपोरेशन को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	10-01-01	110.00
183	2000	श्री डी. शिव कुमार रेड्डी के पक्ष में रोड मैटल और बिल्डिंग स्टोम के लिए खदान पट्टा	नेल्लौर	खनन	07-27-01	2.00
184	2000	श्री कोटेश्वराराव के पक्ष में कोदांविडु आरएफ-खदान मार्ग	गुंटूर	खनन	05-23-01	7.74
185	2000	इन्दावाम में मैसर्स एससीसीएल को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	11-28-01	1054.84
186	2000	दक्खन लाइमस्टोन माइनिंग कंपनी (प्रा.) का नवीकरण, धोन	करनूल	खनन	09-28-01	18.62
187	2000	काकारिया में मैसर्स एससीसीएल को खनन पट्टा	वारंगल	खनन	01-03-02	144.00

1	2	3	4	5	6	7
188	2000	मैसर्स एससीसीएल को काकाटिया खानी 9 और 9ए इनक्लाइन भूमिगत खान के लिए खनन पट्टा	वारंगल	खनन	05-17-05	431.85
189	2000	मुतचाऊकोटा आरएफयू में 4.05 हेक्टेयर वन भूमि के विस्तार के लिए स्टेटाइट के लिए मैसर्स श्री निवास मिनरल्स का खनन पट्टा अनुप्रयोग	अनंतपुर	खनन	07-08-02	4.05
190	2000	श्री डी. शिवकुमार रेड्डी के पक्ष में वादालापुड्डी में पालीचेरालापडु एसवाई सं. में 135 में 3485 हेक्टेयर का विस्तार, शेड मैटल और बिल्डिंग स्टोन के लिए अनुदान हेतु आवेदन	नेल्लौर	खनन	07-27-01	2.00
191	2001	तादापवरी की श्रीमती ए सुमाना के पक्ष में सेटे लाइट के लिए खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	05-16-02	2.00
192	2001	शांति खानी एक्सटेंशन ब्लाक के लिए एससीसीएल को खनन पट्टा	अदिलाबाद	खनन	12-20-05	290.77
193	2001	एम एंड एम-तूरीमेलारेंज गिद्धलौर डिवीजन प्राकसन जिले में 1.97 हेक्टेयर का विस्तार कंपार्टमेंट संख्या 755 में बेरीटेस का खनन पट्टा श्री एस. शंकर रेड्डी के प्रस्ताव	प्रकाशम	खनन	05-30-06	2.69
194	2001	मैसर्स नरसिम्हा मैटल इंडस्ट्रीज के पक्ष में एसवाई संख्या 1265, शमीरेपेट, फारेस्ट ब्लाक, हैदराबाद डिवीजन के लिए खनन पट्टे हेतु वन भूमि का अपवर्तन	रंगा रेड्डी	खनन	03-08-05	4.00
195	2001	प्रस्तावित पेड्डावागु परियोजना निकट एडीए (वी) असिफाबाद मंडल, केनाल स्ट्रक्चर एंड एप्रोच रोड के लिए पत्थर खदान के लिए वन भूमि का अपवर्तन	अदिलाबाद	खनन	06-21-06	5.00
196	2001	श्री प्रेम नागिरेड्डी के पक्ष में श्री साई मिन्रल्स के लिए सेटेलाइट और डोलामाइट के लिए खनन पट्टा	अनंतपुर	खनन	05-10-02	4.05

1	2	3	4	5	6	7
197	2001	मैसर्स श्री रघु ग्रेनाइटस के पक्ष में तुममाला में 4.00 हेक्टेयर के विस्तार के लिए उत्खनन कलर ग्रेनाइट के लिए खनन पट्टे के अनुदान के वन भूमि का अपवर्तन	अनंतपुर	खनन	10-09-02	4.00
198	2001	महबूब मिनरल्स के पक्ष में बैरीटेस के उत्खनन के लिए खनन पट्टे के उद्देश्य के लिए 4.00 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	अनंतपुर	खनन	08-17-04	4.00
199	2001	तादीपटरी के श्रीमती ए सुमाना के पक्ष में मुट्कचूकोटा आरएफ में बेटरी के उत्खनन के लिए वन भूमि का अपवर्तन	अनंतपुर	खनन	05-16-02	2.00
200	2002	तिस्माला ग्रेनाइट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के लिए खदान पट्टे का अनुदान	अनंतपुर	खनन	01-21-03	8.00
201	2002	एससीसीएल वेलमपल्ली के पक्ष में रूबीना (ए) में-आईइनक्लाइम भूमिगत खदान एन्ट्रीज-गोलेटी के लिए तन्दौर आरएफ का वन भूमि का अपवर्तन	अदिलाबाद	खनन	06-10-04	4.56
202	2002	मानदादी रिजर्व फारेस्ट ब्लाक-II में मैसर्स केसीपी लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	गुंटूर	खनन	11-21-02	34.98
203	2002	काकाटिया सीमेंट सुगर इंडस्टीयल को खनन पट्टा	कृष्णा	खनन	03-31-05	121.46
204	2002	चित्तौड़ जिले में मैसर्स सत्यक खनन कोरपोरेशन के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के लिए खनन पट्टे के अनुदान के लिए 4.00 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	चित्तौड़	खनन	01-17-08	4.00
205	2002	मैसर्स सिंगरानी कोलारीज कंपनी लिमिटेड के पक्ष में गौतमी खानी ओसीपी खनन पट्टा (चरण-I)	खम्माम	खनन	06-16-09	261.31
206	2003	स्टेटाइड एंड डोलामाइट, कुरनूल प्रभाग में पट्टे के लिए डबी संजीब रेड्डी मंदद्याल का वन भूमि के अपवर्तन के लिए आवेदन	कुरनूल	खनन	09-18-06	4.96

1	2	3	4	5	6	7
207	2003	मैसर्स श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए चितौड़ जिले के बासाव पल्ली आरएफ में वन भूमि का अपवर्तन	चित्तौड़	खनन	04-21-05	3.19
208	2003	श्री पी करूणाकर को माइंस और खदान पट्टे	कृष्णा	खनन	04-25-08	0.00
209	2003	श्री केदाखरा राव के पक्ष में रोडमैटल के उत्खनन के लिए विजयवाड़ा डिवीजन के कृष्णा जिले में आरएस सं.1 कोडापल्ली गांव में वन भूमि के 2.024 हे. का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	2.02
210	2003	मैसर्स वेंगामांवा इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में रोड मैटल के उत्खनन के लिए आरएस संख्या-1 कोडापल्ली (वी) इब्राहिमनम मंडल, कृष्णा जिले में वन भूमि 2.429 हेक्टेयर का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	2.43
211	2003	मैसर्स चैतन्य ग्रेनाइट मैटल वर्क्स के पक्ष में रोड मैटल के उत्खनन के लिए कृष्णा जिले के विजयवाड़ा डिवीजन कोडापल्ली गांव इब्राहिम पट्टनम मंडल में 3.643 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	3.64
212	2003	श्री पी. करूणाकर के लिए वन भूमि पट्टों का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	2.43
213	2003	मैसर्स बाजीबाबू कंस्ट्रशन के पक्ष में रोड मैटल के उत्खनन के लिए आरएस संख्या-1 कोडापल्ली गांव, इब्राहिम पट्नम मंडल विजयवाड़ा प्रभाग कृष्णा जिला में 1.406 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	1.41
214	2003	स्टेटाइड और डोलामाइट के पट्टे के लिए डॉ. बी संजीव रेड्डी नंद दयाल का आवेदन	कुरनूल	खनन	09-18-05	4.96

1	2	3	4	5	6	7
215	2003	श्री एस. कैदश्वर राव के पक्ष में रोड मैटल के उत्खनन के लिए आरएस संख्या-1 कोडापल्ली गांव, इब्राहिम पट्नम मंडल विजयवाड़ा प्रभाग कृष्णा जिला में 1.620 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	1.62
216	2003	श्री एस. रघुराम के पक्ष में रोड़ मैटल के उत्खनन के लिए आरएस संख्या-1 कोडापल्ली गांव, इब्राहिम पट्नम मंडल विजयवाड़ा प्रभाग कृष्णा जिला में 1.406 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	1.41
217	2003	श्री टी.एस. मल्लिकार्जुन राव का उत्खनन पट्टे के अनुदान के लिए माइंस और मिनरल्स के लिए आवेदन	गुंटूर	खनन	12-01-03	361
218	2003	मैसर्स वेंकटरामन के पक्ष में रोड मैटल के उत्खनन के लिए आरएस संख्या-1 कोडापल्ली गांव, इब्राहिम पट्नम मंडल विजयवाड़ा प्रभाग कृष्णा जिला में 1.620 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	कृष्णा	खनन	04-25-08	1.62
219	2003	श्रीमती टी. साथियावा आफ मुगदाव (वी) के पक्ष में ग्रेनाइट मैटल के उत्खनन के लिए वन भूमि का अपवर्तन	विजयनगरम	खनन	03-23-07	1.25
220	2003	मैसर्स श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट एक्सपोर्ट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट का उत्कर्षण	चित्तौड़	खनन	04-21-05	3.25
221	2003	पेड्डावागू परियोजना के लिए प्रस्तावित पत्थर खदान	अदिलाबाद	खनन	06-21-06	5.00
222	2003	सादू पल्ली के लिए एससीसीएल को खनन पट्टा-1 ओपकरास्ट परियोजना	खम्माम	खनन	02-02-05	244.02
223	2003	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में वेकेटेश खानी 7 नैल्लौर का रिएलाइंगमेंट	खम्माम	खनन	08-31-05	11.96
224	2003	आरएस संख्या 1 में वन भूमि का 2.429 हेक्टेयर अपवर्तन मैसर्स स्वरूपा ग्रेनाइट मैटल वकर्स के पक्ष में कोंडापल्ली गांव इब्राहिमपट्टनम मंडल-विजयवाड़ा प्रभाग	कृष्णा	खनन	04-25-08	2.43

1	2	3	4	5	6	7
225	2004	मैसर्स नागलिंगाश्वेरा माइंस एंड आनंदपुर मिनरल्स का आवेदन	अनंतपुर	खनन	05-15-08	4.00
226	2004	वैशव ग्रेनाइट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्कर्षण के लिए खान के अनुदान के लिए वन भूमि का अपवर्तन	चित्तौड़	खनन	04-10-07	4.90
227	2004	मैसर्स शिव शक्ति ग्रेनाइट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए खनन पट्टा	चित्तूर	खनन	09-13-06	2.50
228	2004	मैसर्स जुरासिक स्टोन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बोलापल्ली आरएफ में खदान पट्टे के अनुदान के लिए खनन पट्टा	गुंटूर	खनन	07-14-08	8.21
229	2004	मैसर्स प्रशांति ग्रेनाइट के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के ग्रेनाइट के उत्खनन पट्टे के लिए वन भूमि का अपवर्तन	चित्तूर	खनन	08-04-06	3.80
230	2004	कांथा लाचूरूवू (वी) के मैसर्स ज्योतिस्वर्ण ग्रेनाइट के पक्ष में रेजीमेन उपएंता आरएफ में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए खनन पट्टा	चित्तूर	खनन	05-10-07	2.25
231	2004	मैसर्स के सीपी लिमिटेड गुंटूर जिले में के पक्ष में एरियल रोपवे के उद्देश्य के लिए कंडाला गुंटूर एक्सटेशंन 1 आरएफ में वन भूमि के स्टैकर और रिक्लेमर और 6.77 हेक्टेयर, वन भूमि, और 1.41 हेक्टेयर वन भूमि के खनन पट्टे का नवीकरण	गुंटूर	खनन	12-15-05	8.18
232	2004	मैसर्स एससीसीएल वैलामपल्ली के पक्ष में ओसीपी 11 के लिए तंदूर आरएफएन रूबीना रेंज में वन भूमि का अपवर्तन	अदिलाबाद	खनन	07-06-06	28.62
233	2004	मैसर्स जुरासिट स्टोन के पक्ष में विनुकोंडा में खदान पट्टे का अनुदान	गुंटूर	खनन	10-31-06	3.63
234	2004	मैसर्स शिवा ग्रेनाइट्स के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के विस्तार के लिए खनन पट्टे का अनुदान	चित्तूर	खनन	04-21-08	5.00

1	2	3	4	5	6	7
235	2004	एससीसीएल के पक्ष में ओसीपी II पीएच III मानुगुरू में कोंडापरू/अश्वपुरा रेंज का एक्सटेंशन 1, खनन पट्टे का नवीनीकरण	खम्माम	खनन	07-14-08	125.90
236	2004	मैसर्स नागामणि ग्रेनाइटिड के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए वन भूमि का अपवर्तन	चित्तूर	खनन	05-26-05	5.40
237	2005	मालापाना गुड्डी (वी) के एसवाई 1 (पी) में आयरन ओर के उत्खन के लिए एसआर मिनरल्ड के पक्ष में अन्नतपुर के वैल्लारी आरएफ में 18.00 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	अनंतपुर	खनन	10-21-05	18.00
238	2005	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में गौवनी खानी ओपन कास्ट परियोजना के चरण III के लिए कोंडागुड्डम प्रभाग में रामवरम रिजर्व वन में कंपार्टमेंट संख्या 11,12 और 13 का खनन	खम्माम	खनन	07-15-08	154.96
239	2005	मैसर्स विष्णु ग्रेनाइट के पक्ष में रागीनाथुपेंटा में ब्लैक ग्रेनाइट के निष्कर्षण के लिए खनन पट्टे के अनुदान हेतु 4.50 हेक्टेयर का अपवर्तन	चित्तूर	खनन	02-06-08	4.50
240	2005	मैसर्स एससीसीएल के पक्ष में जीडी के-9 वकीलपल्ली ब्लाक ए, 10 और 10ए इंकलाइन इन रामगुडम-II 247 हेक्टेयर सतही उपयोग के लिए भूमिगत खनन	करीमनगर	खनन	05-02-08	412.40
241	2005	एम और एम श्रीमती इन्दु यादव मारकापुरा के पक्ष में विनुकोडा रेंज के वोलापाली आरएफ में स्टेट स्टोन मेटेरियल के उत्खनन के लिए वन भूमि का अपवर्तन	गुंटूर	खनन	12-12-05	2.00
242	2005	श्री वी. वेणुगोपाल नायडू बोबीली विजयनगरम जिला-1.153 हेक्टेयर के पक्ष में ग्रेनाइट स्टोन और मैटल में पेडाकोंडा एफबी में खान के लिए वन भूमि का अपवर्तन	विजयनगरम	खनन	09-15-08	1.20

1	2	3	4	5	6	7
243	2005	मैसर्स सिंगरानी कोलारीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के पक्ष में गोलेट-I इनक्लाइन अंडरगाऊंड खनन ब्लाक के लिए वन भूमि का अपवर्तन	अदिलाबाद	खनन	01-30-09	83.77
244	2005	रायावरम और निदगुल रिजर्व वन ब्लाक में एटोमिक एनर्जी को विभाग यूरेनियम और अन्य संबंधित रिलेटिड एटोमिक मिनरल्स का सर्वेक्षण और अन्वेषण, एक्सपोलेशन, रिसर्च के लिए एटोमिक मिनरल्स निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण और अन्वेषण	नालगोंडा	खनन	09-12-05	0.00
245	2005	मैसर्स विष्णु ग्रेनाइट के पक्ष में वीरसेट्टीपाली-बी आरएफ चित्तूर (डब्ल्यू) प्रभाग की कंपार्टमेंट सं. 218 में 2.50 हे. ब्लैक ग्रेनाइट के उत्खनन के लिए खनन पट्टे का सर्वेक्षण	चित्तूर	खनन	04-03-07	2.50
246	2005	श्री आर. श्रीनिवास राव, मैसर्स न्यू इंडिया स्टोन्स विनुकोंडा के पक्ष में स्लेट स्टोन मटेरियल के उत्खनन हेतु वन भूमि का डाईवर्जन	गुंटूर	माइनिंग	10-01-07	2.09
247	2005	मैसर्स मारूती ग्राटिंज के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाईट के उत्खनन हेतु वन भूमि का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	12-26-05	2.00
248	2005	श्री कडियाला राजेन्द्र के पक्ष में विनुकोंडा रेंज के नायडुपलेम बीट में स्टेट स्टोन के अनुदान हेतु एफएल का डाईवर्जन	गुंटूर	माइनिंग	11-28-05	2.00
249	2005	भूमिगत कोयला माइनिंग फोर इन्दराम एक्सटेंशन माईनिंग एसएससीएल के पक्ष में	अदिलाबाद	माइनिंग	06-09-09	180.88
250	2005	मैसर्स एफसीसीएल के पक्ष में टीडब्ल्यूपी के अनुदान हेतु 1312 हेक्टेयर के वन भूमि के अनुरोध को शामिल करते हुए 2186 पर मनुगुरू माईनिंग लीज ओवर एक्सटेंट का नवीकरण	खम्माम	माइनिंग	07-10-08	1312.00

1	2	3	4	5	6	7
251	2005	मैसर्स जयश्री ग्रेनाईट्स के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाईट के उत्खनन हेतु माईनिंग लीज के अनुदान हेतु चित्तूर वेस्ट डिवीजन में सयचुर बीट के वीरासेटिपल्ली में वन भूमि का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	05-11-07	3.20
252	2005	वारंगल डिवीजन में मैसर्स एक्जोटिक ग्रेनाईट और एक्सपोर्ट्स के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाईट के उत्खनन हेतु एफएलएमएल के लिए एफएल का डाईवर्जन	वारंगल	माइनिंग	11-22-06	4.92
253	2006	मैसर्स ओबुलापुरम माईनिंग के पक्ष में अनंतपुर डिवीजन में कल्याण दुर्ग रेंज के बेल्लरी रिजर्व वन में लौह की अयस्क की माईनिंग	अनंथपुर	माइनिंग	01-08-07	68.50
254	2006	ओबुलापुरम माईनिंग, अनंतपुर जिला-39.50 हेक्टेयर के पक्ष में लौह अयस्क की माईनिंग हेतु कल्याणदुर्ग रेंज के बेल्लारी आरएफ में वन भूमि का डाईवर्जन	अनन्थपुर	माइनिंग	10-05-06	39.50
255	2006	पेरेचेरला (वी), गुनटूर जिला के श्री एन. शिवा रामा के पक्ष में रोड मैटल के उत्खनन हेतु अमीनाबाद बीट गुनटूर डिवीजन के कोंडादिडु आरएफ में वल भूमि के 1.387 हेक्टेयर का डाईवर्जन	गुंटूर	माइनिंग	10-27-06	1.39
256	2006	मैसर्स पदमावती ग्रेनाईट्स चित्तूर के पक्ष में चित्तूर वेस्ट डिवीजन के पदरमी आरएफ के कम्पार्टमेंट नं. 213 में वन भूमि के 3.00 हेक्टेयर का ब्लैक ग्रेनाईट ओवर एन एक्सटेट हेतु माईनिंग लीज के अनुदान हेतु आवेदन	चित्तूर	माइनिंग	04-21-08	3.00
257	2006	सिंगरेनी कोटियारी कंपनी के पक्ष में आपन कास्ट कोल माईनिंग (ओसीपी-II कोयागोदेम) हेतु कोथागुडेम वन डिवीजन में वन भूमि का डाइवर्जन	खम्माम	माइनिंग	01-08-08	231.94

1	2	3	4	5	6	7
258	2007	मैसर्स कोलेटी माईन्स एवं मिनरल इंडस्ट्रिज के पक्ष में क्रम्मामपल्ली आरएफ अदाविस्री रामपुर बीट, करीम नगर (ईस्ट) डिवीजन का काम्प्ट नं. 452 के एम.वाई. नं. 617 में वन भूमि के 2.00 हेक्टेयर का डाईवर्जन	करीमनगर	माइनिंग	06-10-08	2.00
259	2007	मैसर्स ओबुलापुरम माईनिंग (प्राईवेट) लिमिटेड डी. हिरेचल मंडल अनंतपुर जिला के एस नं. 1/पी में लौह अयस्क के उत्खनन हेतु वन भूमि के 25.98 हेक्टेयर के क्षेत्र के ऊपर माईनिंग लीज का रिन्युअल	अनन्थपुर	माइनिंग	07-27-07	25.98
260	2007	मैसर्स देवकी ग्रेनाईट के पक्ष में चित्तूर (वेस्ट) में पारादर्मी आरएफ के कॉम्पट नं. 213 में ब्लैक ग्रनाईट के उत्खनन हेतु वन भूमि के 4.90 हेक्टेयर का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	10-05-09	4.90
261	2007	सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के पक्ष में मंचेरियअल डिवीजन में श्रीरामपुर, इंदारम आरएफ में श्रीरामपुर आपेन कास्ट के ओपनिंग हेतु वन भूमि का डाईवर्जन	अदिलाबाद	माइनिंग	06-16-09	100.82
262	2007	श्री वेंकटाटेश्वर ग्रेनाईट्स चित्तूर (वेस्ट) डिवीजन के पक्ष में चितापारा आरएफ में ब्लैक ग्रेनाईट के उत्खनन हेतु वन भूमि का 3.50 हेक्टेयर का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	01-19-09	3.50
263	2007	मैसर्स हरिहरा माईन्स एवं मिनरल्स इंडस्ट्रिज के पक्ष में लौह अयस्क के माईनिंग लीज हेतु कम्मापल्ली आरएफ, अदाविसरी रामपुर बीट करीमनगर (ईस्ट) डिवीजन के काम्पट नं. 452 के एसवाई नं. 617 में वन भूमि के 2.00 हेक्टेयर का डाईवर्जन	करीमनगर	माइनिंग	06-10-08	2.00
264	2007	श्री पी.बी. जोशी मैसर्स बी.वी. जोशी माईन्स एवं मिनरल्स सिकंदराबाद के पक्ष में काम्पट नं. 77 इम्बाम आरएफ रमालाकोटा बीट में 19.00 हेक्टेयर विस्तार से ऊपर लौह अयस्क हेतु एमएल एरिआ का रिन्युअल	कुरनूल	माइनिंग	11-04-08	19.00

1	2	3	4	5	6	7
265	2008	मैसर्स श्री साई रोकस के पक्ष में रागीमेनुपेन्टा आरएफ के काम्पट नं. 209 में ब्लैक ग्रेनाईट के उत्खनन हेतु वन भूमि के 5.00 हेक्टेयर का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	10-23-08	5.00
266	2008	मैसर्स प्रसाद एवं रमेश ग्रेनाई प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में पेड्डाकोंडा आरएफ के कम्पार्टमेंट नं. 199 ब्लैक ग्रेनाईट का उत्खनन हेतु वन भूमि का 3.50 हेक्टेयर का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	08-06-09	3.50
267	2008	सिंगारेनी को लिमरीज कंपनी लिमिटेड (कोल माईनिंग) के पक्ष पलो वन डिवीजन में ओपन कास्ट कोल माईनिंग (ओसीपी-II मनाडुगुरू)	खम्माम	माइनिंग	12-30-08	175.69
268	2008	मैसर्स श्रीनिवास ग्रेनाईट चित्तुर के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाईट्स के उत्खनन हेतु चित्तुर जिला के चित्तुर (वेस्ट) डिवीजन के परादर्मी आरएफ के काम्पट नं. 213 में वन भूमि के 4.90 हेक्टेयर का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	05-13-09	4.90
269	2008	एटोमिक इनर्जी विभाग/एटोमिक मिनरल्स निदेशालय (डीएई/एएमडी) (कोल माईनिंग) के पक्ष में कडाप्पा डिवीजन का इडुपुलापाया-रेडलाचेवसु आरएफ के गंडी मडयाला बोडु क्षेत्रों में यूरेनियम और अन्य एटोमिक मिनरल्स का सर्वे और एक्स्प्लोरेशन हेतु अनुमति	कड्डापा	माइनिंग	08-22-08	0.00
270	2009	मैसर्स श्रीनिवास स्टोन क्राशरर्स, प्रोपर्टी श्री एन. रमेश के पक्ष में रोड मेटल एवं ग्रावेल के उत्खनन हेतु काम्पट नं. 28, कोंडापल्ली आरएफ में वन भूमि के 4.00 हेक्टेयर का डाईवर्जन	कृष्णा	माइनिंग	04-21-09	4.00
271	2009	मैसर्स डीसीआर ग्रेनाईटस के पक्ष में ब्लैक ग्रेनाईट के उत्खनन हेतु वन भूमि का 4.00 हेक्टेयर का डाईवर्जन	चित्तूर	माइनिंग	04-21-09	7.40
272	2009	एएमडी-डीएई के पक्ष में डब्ल्यू एल नागार्जुन सागर के चितियाल में बोर्स के सर्वे और इन्वेस्टिगेशन/ड्रिलिंग हेतु अनुमति का प्रस्ताव अपेक्षित है	नालगोंडा	माइनिंग	11-13-09	

1	2	3	4	5	6	7
273	1981	एटोमिक एनर्जी विभाग द्वारा एक भारी जल संयत्र की स्थापना	खम्माम	अन्य	06-14-82	81 24
274	1981	ओरियन्ट सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा रेलवे साईडिंग का निर्माण	अदिलाबाद	अन्य	01-04-82	7.10
275	1982	पीएण्डटी डिपार्टमेंट हेतु माईक्रोवेव स्टेशन का निर्माण	प्रकाशम	अन्य	03-28-85	0.58
276	1982	मैसर्स लक्ष्मी टाइल्स द्वारा टैंक से क्ले का उत्खनन	अदिलाबाद	अन्य	04-21-83	2.30
277	1983	टीवी रिलेस्टेशन का निर्माण	कृष्णा	अन्य	03-04-85	1.14
278	1983	पशु हजबेंडरी डिपार्टमेंट को वन भूमि	मेढक	अन्य	04-24-84	120.00
279	1984	टीजीपी कोलोनी हेतु डिग्री कालेज आईआईटी और आवासीय स्कूल के निर्माण हेतु तेलगु गंगा प्रोजेक्ट का विस्तार	नेल्लौर	अन्य	10-17-94	21.60
280	1985	दूरदर्शन के पक्ष में टीवी रिले स्टेशन की स्थापना	कृष्णा	अन्य	09-03-85	1.14
281	1985	माईक्रोवेव रिपिटर स्टेशन का निर्माण	करीमनगर	अन्य	05-28-86	0.15
282	1986	एटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट द्वारा भारी जल संयत्र हेतु रोप वे का निर्माण	खम्माम	अन्य	01-06-89	9.58
283	1987	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु ऐस पाईप लाईन को बिछाना	करीमनगर	अन्य	07-04-88	152.00
284	1987	नेशनल एचवीडीसी प्रोजेक्ट हेतु ग्राउंड इलेक्ट्रोडस को बिछाना	खम्माम	अन्य	06-17-88	0.10
285	1988	प्रति सेट्लमेंट एवार्ड के अनुसार सर्वे नं. 1370, 1374 एवं 1428 में वन भूमि का डिरिजर्वेशन	निजामाबाद	अन्य	04-01-89	10.50
286	1988	कृषि उद्देश्य हेतु वन भूमि	खम्माम	अन्य	06-13-90	22.68
287	1988	बिथाम्पल्ली टैंक से सी/ओ फ्लड फ्लोर चैनल	खम्माम	अन्य	09-28-88	12.50

1	2	3	4	5	6	7
288	1989	क्लीयर फेलिंग और कृत्रिम पौधरोपण को बढ़ाने हेतु दौलाटी चौगुले को वन भूमि	ईस्ट गोदावरी	अन्य	02-24-93	25.00
289	1990	एससीसीएल के पक्ष में माईन इंट्री और सर्विस बिल्डिंग गोलाटी नं.-01 इनक्लीन प्रोजेक्ट	अदिलाबाद	अन्य	06-12-94	9.00
290	1991	एससीसीएल द्वारा बिल्डिंग एवं माईन इंट्री का निर्माण	अदिलाबाद	अन्य	02-23-96	12.50
291	1992	एअरपोर्ट आथिरिटिज के पक्ष में तिरूमाला हिल रिसार्ट मे सोलर पावर्ड लाईटस	चित्तूर	अन्य	03-20-92	0.04
292	1992	आंध्र प्रदेश स्टेंट मीट एवं पाउल्ट्री डेवलपमेंट कोरपोरेशन के पक्ष में माडर्न बूचड़खना प्रोजक्ट के रिनन्युअल हेतु हैदराबाद डिवीजन के चेंगीचेरला आरएफ में वन भूमि के 0.15 हेक्ट. का डाईवर्जन	रंगा रेड्डी	अन्य	09-18-92	0.15
293	1993	प्रोजेक्ट टाईगर एरिया द्वारा श्री सैलम लेफ्ट बैंनु कैनल हेतु अंडर ग्राउंड टनेल का बिछाना	महबूबनगर	अन्य	04-21-94	42.93
294	1994	चिप्पडाके समीप समुद्र जल मैग्नेसिआ से पाईप लाईन को बिछाने के लिए	विशाखापट्नम	अन्य	11-15-94	0.70
295	1994	कलावला पल्ली आरएफ में सी/ओ साईक्लोन शेल्टर्स	विशाखापट्नम	अन्य	02-22-00	0.01
296	1994	ईस्ट कोस्ट एक्वा प्राईवेट लिमिटेड द्वारा एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट हेतु समुद्र जल से पाईप लाईन बिछाने हेतु	नेल्लौर	अन्य	09-20-94	0.03
297	1995	एपीएसईसी के यूनिट हेतु एएसआर-पोंड का निर्माण	खम्माम	अन्य	03-04-98	47.00
298	1996	वन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	दुल्लापल्ली	अन्य	05-07-96	40.00
299	1996	एटोमिक एनर्जी विभाग के पक्ष में मनुगुरी में भारी जल संयंत्र हेतु पौंड का विस्तार	खम्माम	अन्य	05-15-98	17.90
300	1997	जन जातियों को वन भूमि का डिरिजर्वेशन	ईस्ट गोदावरी	अन्य	01-23-98	33.00

1	2	3	4	5	6	7
301	1997	मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क कंसेट्रेंट फीड पाईप लाईन को बिछाना	विशाखापट्नम	अन्य	01-19-04	19.67
302	1997	पेड्डेरगाडा में सी/ओ डाईवर्जन सट्रक्चर	विशाखापट्नम	अन्य	03-27-98	0.03
303	1997	एसीसीसएल के पक्ष में वर्क्स कालोनी से गौतम खानी यूसीपी तक अप्रोच रोड का निर्माण	खम्माम	अन्य	08-27-99	1.80
304	1997	बोरा कैप्स के टूरिस्ट फेसिलिटीज की स्थापना	विशाखापट्नम	अन्य	12-13-00	0.28
305	1997	मैसर्स एससार स्ओील लिमिटेड द्वारा फीड पाईप लाईर्न को बिछाना	विशाखापट्नम	अन्य	01-19-04	19.67
306	1998	पीके नं.1 इनक्लीन मनुगुरू-प्रोपोजल्स हेतु सैंड स्टाविंग प्लांट हेतु एफएल का वनभूमि-सिंगारेनी कोलियारिज कंपनी लिमिटेड, मनुगुरू एरिआज डाईवर्जन	खम्माम	अन्य	07-27-99	2.00
307	1998	टनेल के निर्माण हेतु वेलीगोंडा प्रोजेक्ट के अन्वेषण हेतु सर्वे अनुमति	प्रकाशम	अन्य	05-17-02	10.81
308	1998	एससीसीएल के पक्ष में पी.के. 1 हेतु सैंड स्टोविंग प्लांट	कुड्डपाह	अन्य	01-19-99	2.00
309	1998	एपीवन (सुरक्षा) अधिनियम के सैक्शन 4 में तरीके के अधिकार के उपयोग करे इंगित नहीं किए हेतु हैदराबाद डिवीजन में वन भूमि के. 0.48 हेक्ट. का डाईवर्जन	रंगा रेड्डी	अन्य	11-27-03	0.48
310	2000	टनेल के निर्माण हेतु वेलीबोंडा प्रोजेक्ट के इंवेसटिगेशन हेतु सर्वे अनुमति	प्रकाशम	अन्य	05-17-00	10.81
311	2000	मैसर्स अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड को भूमि के वन भूमि-एलिएनेशन के 4.4 हेक्ट. का डाईवर्जन	चित्तूर	अन्य	08-13-07	4.44
312	2000	ओएनजीसी द्वारा वोज लाटेवु पीएफ में गैस पाईप लाईन को बिछाना	ईस्ट गोदावरी	अन्य	11-17-00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
313	2000	मैसर्स ओएनजीसी आथोरिटिज द्वारा काकीनाड़ा डिवीजन में बोडालारेवु प्रोटेक्टेड फारेस्ट में गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु आवेदन हेतु अपेक्षित अनुमति	ईस्ट गोदावरी	अन्य	11-17-00	0.25
314	2001	अमर लिंगेश्वरा स्वामी मंदिर को 11 केवी इलेक्ट्रिक लाईन को बिछाना	गुंटूर	अन्य	03-30-01	0.98
315	2001	एक हाई स्कूल, गिद्धालुर डिवीजन, तुरीमेलरेंज के निर्माण हेतु वन भूमि का डाईवर्जन	प्रकाशम	अन्य	12-07-01	0.40
316	2002	मैसर्स भारत डाईनेमिक्स लिमिटेड के पक्ष में मिसाईल टेस्टिंग रेंज हेतु वन भूमि का डाईवर्जन	रंगा रेड्डी	अन्य	08-05-02	0.93
317	2003	सिरवेल आरएफ में नंदीमाल-गिड्डालुर रोड पर वाकिलेस वगु के पास ब्रिज के निर्माण हेतु वन भूमि के 0.05 हेक्ट. का डाईवर्जन	कुरनूल	अन्य	12-14-04	0.05
318	2003	नंदीयाल गिड्डालुर रोड पर वाकीलेस वगु के पार ब्रिज का निर्माण	कुरनूल	अन्य	12-14-04	0.05
319	2003	असिस्टेंट कमीशनर, इन्डोवमेंट डिपार्टमेंट, कुरनूल द्वारा नंदीमाल डिवीजन के वेलिका रेंज के सिरवेल आरएफ में नंदीयाल-गिड्डालुर रोड पर वकिलेस वागु के पार ब्रिज के निर्माण हेतु वन भूमि के 0.05 हेक्ट. का डाईवर्जन	कुरनूल	अन्य	12-14-04	0.05
320	2003	रथी कलुवा द्वारा रिलायनस इंडस्ट्रिज लिमिटेड द्वारा नेचुरल गैस पाईप लाईन को इंसटाल करने हेतु अनुमति	ईस्ट गोदावरी	अन्य	05-21-07	13.21
321	2003	रिलाइंस इंडस्ट्रीज मिमिटेड द्वारा नेचुरल गैस पाईप लाईन को इंसटाल करने हेतु अनुमति	ईस्ट गोदावरी	अन्य	05-21-07	13.21
322	2003	आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में पारि-पर्यटन प्रोजेकट	रंगा रेड्डी	अन्य	03-23-06	110.87
323	2005	एससीसीएल; अदिलाबाद जिला 4.88 हेक्ट. के पक्ष में खनीलान्गवाल परियोजना की शाफ्ट सिंकिग हेतु बेल्लामपल्ली डिवीजन में वन भूमि का डाईवर्जन	अदिलाबाद	अन्य	07-14-08	4.88

1	2	3	4	5	6	7
324	2005	एयरपोर्ट आथिरिटी द्वारा तिरूपति एयरपोर्ट में एअर क्राफ्ट आपरेशन की सुरक्षा को बढ़ाने हेतु हिल टाप लोकेशंस पर सोलर पावर्ड ऑब्स्टेकल का इंसटालेशन करने हेतु वन भूमि के 0.08 हेक्ट. का डाईवर्जन	चित्तूर	अन्य	05-17-05	0.08
325	2005	ओएनजीसी के पक्ष में काकीनाड़ा वन डिवीजन में ओडालारेवु पीएफ द्वारा गैस/ तेल पाईप लाईन द्वारा बिछाने हेतु वन भूमि का डाईवर्जन	ईस्ट गोदावरी	अन्य	03-24-06	0.44
326	2005	गैस ट्रांसपोर्टेशन एवं इनफ्रास्अक्चर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन हेतु काकीनाड़ा से हैदराबाद तक पाईप लाईन को बिछाने हेतु वन भूमि का डाईवर्जन	खम्माम	अन्य	08-09-06	11.45
327	2006	महारथी रामादत्ता प्रकाशम जिला के पक्ष में अनाथों के लिए डिसपैंसरी और प्राईमरी स्कूल के लिए गिद्धलौर वन प्रभाग के वेतूरू आरएफ में वन भूमि के 0.95 हे. का अपवर्तन	प्रकाशम	अन्य	03-09-07	0.95
328	2006	श्री माराथी रामदत्ता प्रकाशम जिला 0.95 हेक्ट. के पक्ष में ओफर्स के लिए डिस्पैंसरी और प्राईमरी स्कूल के लिए गिद्धलौर वन प्रभाग के चेरूवु आरएफ में भूमि का अपवर्तन	प्रकाशम	अन्य	03-09-07	0.95
329	2006	कोथागुंडम जिला, खम्माम जिले में 4.74 हेक्टेयर वन भूमि में रामावरम आरएफ 4.74 हेक्ट. का अपवर्तन 22 केवी केटीएस, नूना एससी लाइन रामावरम से आरएफ खम्माम जिला	खम्माम	अन्य	11-21-06	4.74
330	2007	एअरपोर्ट आथिरिटी आफ इंडिया, वीएसपी के पक्ष में विशाखापटनम एअरपोर्ट के आस-पास हिलटाप में सोलर पावर एविएशन आसस्टेकल लाईट्स के इंसटालेशन हेतु एफएल के 0.03 का डाईवर्जन	विशाखापट्नम	अन्य	11-12-07	0.03

1	2	3	4	5	6	7
331	2007	चीफ इंजीनियर, थर्मा के पक्ष में चेलपुर (वी), घनपुर (एम), वारांगल जिले में ककातिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट (केटीपीपी) के गोदावरी नदी से परियोजना स्थल तक वाटर पाईप लाईन बिछाने हेतु करीमनगर ईस्ट डिवीजन में वन भूमि के 4.60 हेक्ट. का डाईवर्जन	वारांगल	अन्य	02-13-08	4.60
332	2007	इंडियन आयल कोरपोरेशन चेन्नई के पक्ष में पेट्रोलियम उत्पाद के ट्रांसपोशन के लिए 4.641 वन भूमि का पाला मोनेर आरएफ में लाइन बिछाने के लिए अपवर्तन	चितूर	अन्य	06-24-08	4.64
333	2007	सुपरिडेंटिंग इंजीनियर एसआर बीसी के पक्ष में सर्कल संख्या 2 नंद दयाल के पक्ष में 33.51 हेक्ट. वन भूमि का अपवर्तन 27 किमी से 9 किमी तक कैनाल पैकेज के उत्खनन के लिए	कुरनूल	अन्य	03-26-08	33.51
334	2008	0.2703 हेक्ट. वन भूमि का अपवर्तन किस्तनापुर में नैचुरल गैस पाईप लाइन बिछाने के लिए काकीनादा-हैदराबाद के पक्ष में रिलाइंस गैस ट्रासपोंटेशन लि. हैदराबाद	रंगा रेड्डी	अन्य	03-26-08	0.27
335	2009	मैसर्स रिलायंस जीटीआईएल के पक्ष में काकीनाड़ा से हैदराबाद तक नैचुरल गैस पाईप लाईन बिछाना	कृष्णा	अन्य	10-29-09	3.60
336	1981	रेलवे लाईन-ओरयन सीमेंट लिमिटेड	अदिलाबाद	रेलवे	04-01-82	7.10
337	1982	रेलवे ट्रैंक सिरपुर से कागज नगर का डबलिंग	अदिलाबाद	रेलवे	12-20-82	107.90
338	1982	रेलवे लाइन सिरपुर-कागज नगर और रेचीनी मार्ग को दोहरा करना	अदिलाबाद	रेलवे	10-29-82	9.30
339	1985	चित्रदुर्गा और रायदुर्ग के बीच नई एमएजी बिछाना	अनंतपुर	रेलवे	05-20-92	7.25
340	1985	नई मीटर गेज रेलवे लाइन बिछाना	अनंतपुर	रेलवे	09-02-94	5.50

1	2	3	4	5	6	7
341	1989	मार्फत थालाभजी और अल्लूरे के बीच नई क्रासिंग स्टेशन	नेल्लौर	रेलवे	07-19-89	0.12
342	1989	क्रांसिग स्टेशन का निर्माण	नेल्लौर	रेलवे	07-19-89	0.12
343	1991	एससी रेलवे में पलोंचा ईस्ट आरएफ ब्लाक से टावर के लिए माइक्रोवेव पेसिव रिफेलेक्टर का निर्माण	खम्माम	रेलवे	03-07-91	0.09
344	1992	विकाराबाद से तंदूर स्टेशन के बीच डबल लाइन रेलवे ट्रैक को बिछाना	रंगा रेड्डी	रेलवे	03-31-94	32.00
345	1994	गिद्धलौर से द्रोनाचलन स्टेशन के बीच रेलवे लाइन से ब्राडगेज का निर्माण	प्रकाशम	रेलवे	08-22-94	132.31
346	1994	रेलवे द्वारा बेल्लरी और रायचुर के बीच मीटर ग्रेज से ब्राड गेज का कन्वर्सन	अनंतपुर	रेलवे	05-17-96	2.38
347	1997	टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के पक्ष में पाथवे के सी/ओ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाईन और फोर्मेशन	गुंटूर	रेलवे	10-23-97	0.93
348	1997	गाजुलागुडेम रेलवे स्टेशन से केटीपीएस पलोंचा तक बाई पास रेलवे लाईन	खम्माम	रेलवे	12-24-97	4.78
349	2007	रेलवे विकास निगम लिमिटेड, सिंकदराबाद के पक्ष में हिटर लैंड को पोर्ट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु ओबुलावारिपल्ली से कृष्णापटनम के बीच नई ब्रॉड गेज के निर्माण हेतु कनुपुरू ईस्ट और सर्वपल्ली आरएफएस में वनभूमि के 33.28 हेक्ट. का डाईवर्जन	नेल्लौर	रेलवे	04-24-08	33.28
350	2008	चीफ इंजीनियर, निर्माण, एससीआर, सिकंदराबाद के पक्ष में विष्णुपुरम से जन पहाड़ तक नए ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु नलगोंडा डिवीज़न के वजीराबाद और सैडुलनामा में वन भूमि के 20.78 हेक्ट. का डाईवर्जन	नालगोंडा	रेलवे	04-06-09	20.78
351	1986	बोक्कलगट्टा ग्राम का पुनर्वास	अदिलाबाद	पुनर्वास	12-16-86	16.19

1	2	3	4	5	6	7
352	1992	बारिश से जलमग्न ग्रामो के जनजातियों और हरिजनों का पुनर्वास	खम्माम	पुनर्वास	12-24-01	10.00
353	1981	एनएच 7 (नागपुर से हैदराबाद) को चौड़ा करना	अदिलाबाद	मार्ग	04-05-94	3.95
354	1984	बेलमपल्ली प्रभाग में एससीसीएल के पक्ष में एप्रोच रोड का फार्मेशन	अदिलाबाद	मार्ग	07-25-85	6.50
355	1984	एप्रोच रोड का निर्माण	अदिलाबाद	मार्ग	07-25-85	6.50
356	1985	गोलाटी सं. 3 के टीएल और माईन एन्ट्री और एप्रोच रोड	अदिलाबाद	मार्ग	02-23-96	12.50
357	1990	कोटापपाकोम्डा टेम्पल से घाट रोड का निर्माण	गुंटूर	मार्ग	08-28-90	8.11
358	1990	कोटापपाकोम्डा टेम्पल से घाट रोड का निर्माण	गुंटूर	मार्ग	08-28-90	8.11
359	1992	एनएच-7 (नागपुर, हैदराबाद रोड) को चौड़ा किया जाना	अदिलाबाद	मार्ग	05-04-94	3.95
360	1995	मैसर्स एडवांस रेडियो मास्ट्म लिमिटेड के पक्ष में बोरवेल्स की ड्रिलिंग, मार्फत एप्रोच रोड, पार्किंग रोड	रंगारेड्डी	मार्ग	12-14-95	0.30
361	1995	डामाकू से निम्मालापाडू तक मार्फत रोड	विशाखापट्नम	मार्ग	11-06-97	10.97
362	1996	रेड्डी गोदाम से अनकापल्ली तक रोड का निर्माण	खम्माम	मार्ग	06-12-97	3.50
363	1998	एससीसीएल के पक्ष में इंडाराम आरएफ, कम्पार्टमेंट सं. 678 अदिलाबाद में आरकेआईए इनक्लाईन	अदिलाबाद	मार्ग	03-11-03	8.26
364	1999	कोल्हापुर मोलाचिन्तापल्ली रोड पर हाई लेवल ब्रिज तक एप्रोच रोड का निर्माण	महबूबनगर	मार्ग	09-02-99	0.89
365	1999	सन्यापालम से मन्गापडू पुर्नवास केन्द्र तक एप्रोच रोड का निर्माण	गुंटूर	मार्ग	06-25-99	0.90
366	1999	नेल्लौर में प्रोड्डाटूर तक बायपास रोड का निर्माण	कड्डाप	मार्ग	05-07-99	0.82

1	2	3	4	5	6	7
367	1999	सनायापेलम से मंगापाडू पुनर्वास केन्द्र तक एप्रोच रोड के निर्माण के लिए नेल्लौर जिले में आरएफ का अपवर्तन	नेल्लौर	मार्ग	06-25-99	0.90
368	1999	महबूब नगर जिले में कोल्हापुर-मोलाचिन्तापल्ली रोड कोलापुर (एम) पर 11.8 कि.मी. पर हाई लेवल ब्रिज तक एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 1.36 हेक्टेयर आरएफ क्षेत्र का अधिग्रहण	महबूबनगर	मार्ग	12-09-99	0.89
369	1999	रामेश्वरम आरएफ, प्रोड्डाटूर प्रभाग, कम्पार्टमेंट सं. 70, कड्डाप में 2.03 एकड़ (0.823 हेक्टेयर) के अपवर्तन के लिए मेल्लौर-बेल्लारी रोड-पर प्रोड्डाटूर तक बायपास रोड का निर्माण का प्रस्ताव	कड्डाप	मार्ग	07-05-99	0.82
370	2000	सुल्तानपुर (वी) हुजुरनगर (एम) नालगोन्डा जिले, में खानों से फैक्टरी तक मार्ग के प्रयोजनार्थ 6.65 एकड़ वन भूमि (2.71 हेक्टेयर) का अपवर्तन, मैसर्स एनसीएल इंडस्ट्रीज के पक्ष में	नालगोंडा	मार्ग	09-12-02	2.71
371	2000	एनसीएल इंडस्ट्रीज के पक्ष में खानों से फैक्टरी तक रोड	नालगोंडा	मार्ग	12-09-02	2.71
372	2000	कोनापट्टी से सीतारामपुरम तक रोड का निर्माण	गुंटूर	मार्ग	11-17-00	11.20
373	2001	मैसर्स सुशा किरम मूवीज लि. द्वारा रामोजी फिल्म सिटी में इंटरनल रोड का निर्माण	रंगारेड्डी	मार्ग	02-08-02	0.73
374	2001	4 लेन डिवाईडेड कैरिज की पुनःस्थापना और उन्नयन	पूर्वी गोदावरी	मार्ग	12-08-02	2.71
375	2001	लखनपुर वागू के पार, कि.मी. 239/8.10 एनएच सं. 7 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण	अदिलाबाद	मार्ग	04-19-02	0.20
376	2001	एनएचएआई के पक्ष में वन भूमि के कम्बालाकोन्डा आरएफ	विशाखापट्नम	मार्ग	11-26-02	8.00

1	2	3	4	5	6	7
377	2001	एनएचएआई के पक्ष में 4 लेन डिवाईडेड कैरिज वे आफ एनएच की पुनःस्थापना और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को बिछाने के लिए 2.17 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन	पूर्वी गोदावरी	मार्ग	08-12-02	2.71
378	2002	अनंतपुर जिले से गुट्टापल्ली में कोना (रामालिंगोश्वरा स्वामी टेम्पल) लिंग रोड बिछाने के लिए वन भूमि का अवपर्तन	कुरनूल	मार्ग	06-14-04	1.92
379	2002	कि.मी. 300/0 से 359/2 तक एनएच 5 से 4 लेनिंग तक चौड़ा करने के लिए बय्यावरम में वन भूमि के अपवर्तन के लिए आंध्र प्रदेश में एनएच-5 उन्नयन	विशाखापट्नम	मार्ग	09-26-03	1.88
380	2002	टीजीजी द्वारा अद्रिपल्ली से पेन्जलकोना रापुर से पेनजलकोना तक अल्टरनेट मार्गों का निर्माण	नेल्लौर	मार्ग	08-26-02	10.30
381	2002	रेनीगुंटा रोड-कड्डाप को चौड़ा करने के लिए वन भूमि का अपवर्तन (एपीएसएस-4) आरएफ में माध्यम से नए मार्ग को गुजारना	कड्डाप	मार्ग	06-05-03	4.86
382	2002	मैसर्स उषा किरन मूवीज लि. द्वारा रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में इंटरनल रोड के निर्माण के लिए वन भूमि का अपवर्तन	रंगारेड्डी	मार्ग	08-02-02	0.73
383	2002	हाई लेवल ब्रिज, लखनपुर वागू के पार के निर्माण के लिए कि.मी. 239/8-10, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 पर, वन भूमि के अपवर्तन के लिए ईई, आर एंड बी, एनएच वे प्रभाग के पक्ष में	अदिलाबाद	मार्ग	04-19-02	0.20
384	2003	डायवर्जन आफ 0.13 हे. फारेस्ट लैंड इन काडुर आरएफ आफ सत्यवेदू रेंज इन वाइल्ड लाइफ चित्तूर (ई) डिवीजन फार लेइंग एप्रोचरोड फ्राम वारादैहपालम टू टाडा आर एंड बी रोड टू गोल्डन सिटी हास्पीटल एंड लेक्चर हाल।	चित्तूर	रोड	08-29-03	0.13

1	2	3	4	5	6	7
385	2003	डायवर्जन आफ फारेस्टलैंड फार लेइंग डायरेक्ट एप्रोच रोड टू अपैनल एक्सपोर्ट पार्क फ्राम डोलापल्ली (वी) टू गोंडला पोचाम्पल्ली (वी) इन फेवर आफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एपिक लि. हैदराबाद।	रंगारेड्डी	रोड	11-28-07	1.21
386	2005	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड इन प्रोडाट्टूर एंड अनंतापुर डिवीजन फार फार्मेशन आफ रोड फ्राम पुलीवेंडला टू मुडी गोब्बा इन फेवर आफ ईई आर एंड बी, पुलीवेडला।	अनंतपुर	रोड	10-10-06	24.29
387	2005	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड फार अप्रगेडिंग आफ एक्सिस्टिंग 2 लेन टू 4 लेन डिवाइटेड कैरिज वे कान्फिगरेशन फ्राम कुरनूल टू अनंतपुर इन फेवर एनएचएआई।	कुरनूल	रोड	09-25-05	0.50
388	2005	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड फार वाइडनिंग आफ रोड फ्राम 4 टू 6 लेन इन एनएच-7 फ्राम अनंतपुर टू कर्नाटक बाईट इन फेवर आफ एनएचएआई अनंतपुर डीटी-0.75 हे.।	अनंतपुर	रोड	08-14-06	0.75
389	2005	डायवर्जन आफ 3.45 हे. फारेस्ट लैंड फार फार्मेशन आफ डब्ल्यूबीएम रोड फ्राम्म फारेस्ट चेक पोस्ट कोल्लापुर आईई मुलाचिंतापल्ली रोड टू अमारागिरि (बी) इन फेवर आफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोटेक्शन वर्क्स डिवीजन, कुरनूल इन अचाम्पेट डब्ल्यूएलएम डिवीजन महबूबनगर डिस्ट्रिक	महबूबनगर	रोड	01-11-07	3.45
390	2005	डायवर्जन आफ 10.686 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार फार्मेशन आफ रोड फ्राम जम्माला माडुगु टू कादिरी केएम न. 59/0 टू 83/0 इन फेवर आफ सीईआर एंड बी रोड	अनंतपुर	रोड	10-11-06	10.69
391	2006	डायवर्जन आफ 13.62 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार अपग्रेडिंग आफ एक्सिटिंग 2 लेन टू 4/6 लेन डिवाइडेड कैरिजवे कांफीगेरेशन फ्राम आर्मोर टू काल कल्लू सेक्शन एनएच 7 फ्राम कि.मी. 309 टू 398/2 कि.मी. इन फेवर आफ एनएचएआई, कायारेड्डी डिवीजन, निजामाबाद डिस्ट्रिक	निजामाबाद	रोड	08-20-09	13.62

1	2	3	4	5	6	7
392	2006	डायवर्जन आफ 17.66 हे. आफ फारेस्ट लैंड प्रपोज्ड ओआरआर फेस-I फ्राम गाची बोली टू शमशाबाद वाई हुडा इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक	रंगारेड्डी	रोड	03-06-07	17.66
393	2006	डायवर्जन आफ 9.37 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार अपग्रेडेशन आफ एक्सिटिंग 2 लेन टू 4 लेन डिवाइडेड कैरिज वे कि.मी. 309 टू 447 एंड 398/2 टू कि.मी. 447/0 रामायण पेट टू कारकल्लू इन फेवर आफ एनएचएआई, मेडक डिस्ट्रिक।	मेडक	रोड	04-23-07	9.37
394	2006	डायवर्जन आफ 1.68 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार लेइंग आफ न्यू रोड फ्राम गुंडूमाला-गंगूला वोगापालम टू समासेनू गुंडला इन फेवर आफ ईई पंचायत राज विभाग, पेनुकोंडा, अनंतपुर डिस्ट्रिक	अनंतपुर	रोड	05-11-07	1.68
395	2006	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड इन कंपोजिट नं. 550 इन पालाकोड़ा-बोंगीमाला आरएफ फार फार्मेशन आफ बाई पास रोड-कडापा डाउन प्रपोजल, कडापा डिस्ट्रीक-4.8 हे.	कडापा	रोड	07-11-07	4.80
396	2007	अपग्रेडेशन आफ द एक्सिटिंग रोड फ्राम टू लेन्स टू 4/6 लेन्सफ्राम इस्लामनगर (230 कि.मी.) टू कडटाल (278 कि.मी.) फ्राम नागपुर टू हैदराबाद इन फेवर आफ नेशनल हाइवेज अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई)	अदिलाबाद	रोड	11-12-08	116.56
397	2007	डायवर्जन आफ 19.8 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार फार्मिंग सिक्स लेन रोड फ्राम वेंकटाचलम टू कृष्णापटनम पोर्ट फ्राम 0/0 कि.मी. टू 23/325 इन फवर आफ ईईआर एंड बी, नेल्लोर	नेल्लौर	रोड	10-07-09	19.80
398	2007	डायवर्जन आफ 3.24 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन पीलीकार बर्ड सेंचुरी फार रोड वाइडनिंग विटवीन कुडीरी (बी) एंड एसडीएससी शार श्री हरिकोटा इनफेवर आफ कंट्रोलर, एसडीएससी, शाट श्री हरिकोटा, नेल्लोर डिस्ट्रिक	नेल्लौर	रोड	02-25-08	3.24

1	2	3	4	5	6	7
399	2007	डायवर्जन आफ 0.044 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन तुमलूर आरएफ फार लेइंग एप्रोच रोड टू द फैक्टरी इन माहेश्वरम (एम) इन फवर आफ सूर्यकिरण इंटरनेशनल लि.	रंगारेड्डी	रोड	07-04-08	0.04
400	2008	डायवर्जन आफ 0.81 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन इडिपुलापाया आरएफ फार फार्मेशन आफ 4 लेन रोड फ्राम राया चोटी-वेम्पाली रोड टू योगी वेनोना यूनिवर्सिटी (वेस्ट कैम्पस) एंड प्रपोज्ड आईआईआईटी कैम्पस इन फेवर आफ ईई (आर एंड बी) पुलीवेंडला।	कुडापाह	रोड	10-13-08	0.81
401	2008	डायवर्जन आफ 39.40 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार फार्मेशन आफ आउटर रिंग रोड फेस II इन फेवर आफ हुडा	रंगा रेड्डी	रोड	07-21.08	39.40
402	2008	डायवर्जन आफ 5.959 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार इम्प्रूवमेंट्स टू रोड कडोरी-वेम्पाली रोड (वाया) तालूपुला, कोलेकनूमा, अड्डालामारी एंड गांडी क्षेत्रम इन फेवर आफ ई ई, आर एंड बी, पुलीवेंडला	कडापा	रोड	11.10.09	5.96
403	2009	डायवर्जन आफ 0.355 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन राजापेट आर एफ फार फार्मेशन आफ एप्रोच रोड/राइट आफ वे टू द फैक्टरी प्रीमिसेस फार ट्रांसपोर्ट आफ मिनरल फ्राम माइन साइट इन फेवर आफ डायरेक्टर, मैसर्स आर.आर. स्टोन प्रा. लि. हैदराबाद	महबूबनगर	रोड	11.10.09	0.35
404	2001	सी/ओ आफ हाई स्कूल	प्रकाशम	स्कूल	07.12.01	0.40
405	1981	लेइंग 132 के बी डी सी लाइन फार रायागुंडम-कमलापुरम इन फेवर आफ ए पी एस ई बी	करीमनगर	ट्रांसमिशन लाइन	09.03.83	1.50
406	1981	इरेक्शन आफ 132 के बी डी सी लाइन फ्राम रामागुंडम टू वेलम्पल्ली	आदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	01.27.82	6.78
407	1981	इरेक्शन आप 132 के वी लाइक् वाई ए पी एस ई बी फ्राम वेलम्पल्ली टू देवाकुर	आदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	02.01.82	3.89

1	2	3	4	5	6	7
408	1981	220 के वी/डी सी टी एल लोअर सिलेरी टू बारसर (एम पी)	खम्माम	ट्रांसमिशन लाइन	12.30.81	110.00
409	1981	132 के वी टी एल रामागुंडम टू बेलाम्पल्ली	आदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	01.27.82	6.78
410	1981	लेइंग 132 के वी, डी सी लाइन फार रामागुंडप-कमलापुरम इन फेवर आफ ए पी एस ई बी	करीमनगर	ट्रांसमिशन लाइन	04.13.83	8.80
411	1981	इनेक्शन आफ 132 के बी डी सी लाइन फ्राम रामागुंडम टू कमलापुरम	वारांगल	ट्रांसमिशन लाइन	08.05.94	9.20
412	1981	132 के वी, टी एल बेलाम्पल्ली टू देवापुर	आदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	01.02.82	3.89
413	1981	132 के वी, टी एल वेलाम्पल्ली टू आदिलाबाद	आदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	01.21.82	49.79
414	1982	400 के वी, टी एल रामागुंडम-हैदराबाद, नागार्जुन सागर कडापा, बेंगलौर वाई एन टी पी सी	नलगुंडा	ट्रांसमिशन लाइन	11.01.83	13.25
415	1982	132 के वी डी/सी टी एल रामागुंडम टू कमलापुरम	वारांगल	ट्रांसमिशन लाइन	05.08.84	9.20
416	1982	लेइंग 132 के वी लाइन फ्राम कडडापा टू कदीरी	अनंनपुर	ट्रांसमिशन लाइन	04.02.83	1.40
417	1982	लेइंग 11 के वी लाइन फार इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ 31 विलेजेज इन गुंटूर तालुका	वारंगल	ट्रांसमिशन लाइन	06.03.85	14.77
418	1982	केयर आफ माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन वाई पी एंड टी डिपार्टमेंट	प्रकाशम	ट्रांसमिशन लाइन	09.25.82	0.58
419	1982	लेइंग 400 के वी टी एल फ्राम नागार्जुनसागर	नलगुंडा	ट्रांसमिशन लाइन	01.11.83	13.25
420	1982	33 के वी टी एल वाडपल्ली टू डेक्कन सीमेंट लि.	नलगुंडा	ट्रांसमिशन लाइन	06.14.82	0.82
421	1983	132 के वी टी एल कडापा टू कडीरी	अनंतपुर	ट्रांसमिशन लाइन	04.02.83	1.40

1	2	3	4	5	6	7
422	1983	220 के वी एस/सीटी एल लोअर सिबरु टूडोंकाराय	पूर्वी गोदावरी	ट्रांसमिशन लाइन	11.15.83	80.50
423	1984	इरेक्शन आफ 11 के वी लाइन फार इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ विलेजिज	वारंगल	ट्रांसमिशन लाइन	05.27.86	13.30
424	1984	लेंइन 132 के वी लाइन फ्राम बोम्मारु टू ए पी पेपर मिल्स	पूर्वी गोदावरी	ट्रांसमिशन लाइन	11.03.85	6.10
425	1984	इरेक्शन आफ 11 के वी लाइन फ्राम माचारेड्डी टू राजाखानपेट	निजामाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	05.14.85	1.89
426	1984	11 के वी टी एल पेड्डायाडला टू चिचन्नावोडला	करीमनगर	ट्रांसमिशन लाइन	11.27.87	0.74
427	1984	132 के वी डी/सी टी एल फ्राम बोम्मेरु टू ए पी पेपर मिल्स लि.	काकीनाडा	ट्रांसमिशन लाइन	12.03.85	6.10
428	1984	लेइंग आफ 400 के वी कड्डापा-बंगलौर-मद्रास लाइन	कुडापाह	ट्रांसमिशन लाइन	03.29.85	7.42
429	1984	11 के वी टी एल कोठागुडम टू गंगराम	वारंगल	ट्रांसमिशन लाइन	06.03.85	14.77
430	1984	इरेक्शन आफ 220 के वी लाइन फ्राम नागार्जुन सागर टू विजय वाड़ा थर्मल स्टेशन।	गुंटूर	ट्रांसमिशन लाइन	02.04.85	6.21
431	1984	रेक्शन आफ 11 के वी लाइन फ्राम अंगानापल्ली टू रंगापुर	वारागंल	ट्रांसमिशन लाइन	03.28.85	1.33
432	1985	220 के वी टी एल नागाजुर्नलसागर टू विजयवाडा थर्मल पावर स्टेशन	गुंटूर	ट्रांसमिशन लाइन	04.02.85	6.21
433	1985	इरेक्शन आफ 33 के वी पावर लाइन वाई ए पी एस ई बी एंड इंस्टालेशन आफ रोपवे,	अदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	09.28.88	20.02
434	1985	11 केवी टी एल अंकार पल्ली टू रंगापुर	वारांगल	ट्रांसमिशन लाइन	03.28.85	1.33
435	1985	400 के वी गुडूडुपा - बंगलौर - मद्रास टी एल	कुडापाह	ट्रांसमिशन लाइन	03.29.85	7.42

1	2	3	4	5	6	7
436	1985	11 केवी टी एल माचारेड्डी टू राजखान पेट	निजामाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	05.14.85	1.89
437	1985	फार के वी लाइन फ्राम पेड्डियोबला टू चिन्ना ओडला (प्रोसेस्ड बाई मिनिस्ट्री)	करीमनगर	ट्रांसमिशन लाइन	11.03.85	0.74
438	1986	केयर आफ माइक्रोवेव स्टेशन एट अनडावाल्लीहिल	गुन्टूर	ट्रांसमिशन लाइन	04.11.86	0.57
439	1986	220 के वी टी एल फ्राम सिलेरु टू बोम्मुरु	खम्माम	ट्रांसमिशन लाइन	02.07.95	215.46
440	1987	लेइंग आफ एड अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रोड फार नेशनल एच बी डी सी प्रोजेक्ट	खम्माम	ट्रांसमिशन लाइन	06.17.88	0.10
441	1988	400 के वी डी/सी टी एल रामागुंडम चंद्रपुर	अदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	07.31.90	18.20
442	1988	400 के वी एस डी सी टी एल बिटवीन रामागुंडम एंड चंद्रपुर	अदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	07.31.90	18.20
443	1989	400 के वी एस डी/सी टी एल नागार्जुन - सागर - गूटी	गुंटूर	ट्रांसमिशन लाइन	10.08.90	22.26
444	1990	केयर आफ माइक्रोवेब रिपीटर स्टेशन एट मामांडुर मिठ्टा इन आन तिरुमाला हिल्स	चित्तूर	ट्रांसमिशन लाइन	11.24.94	0.88
445	1991	केयर आफ 400 के वी डबल सर्किट टी एल फ्राम जयपुर टू गाजूवाका	विजयानगरम	ट्रांसमिशन लाइन	04.04.96	9.36
446	1991	400 के वी जयपुर (उड़ीसा) टू गाजूवाला (विजय) टी/एल	विजयानगरम	ट्रांसमिशन लाइन	04.04.96	9.36
447	1993	केयर आफ 132 के वी डी सी लाइन फ्राम निजामाबाद टू कामारेड्डी	निजामाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	06.28.94	7.54
448	1994	220 के वी ट्रांसमिशन लाइन फ्राम कुददानुर टू अनंतपुर	अनंतपुर	ट्रांसमिशन लाइन	04.18.95	6.27
449	1994	इरेक्शन आफ 11 के वी लाइन फ्राम वायाटला टू सूर्य लंका	गुंटूर	ट्रांसमिशन लाइन	12.04.00	0.91
450	1994	केयर आफ 220 केवी लाइन फ्राम सोम्य सुलापल्ली टू नंदपाल	कुरनूल	ट्रांसमिशन लाइन	02.14.95	9.01

1	2	3	4	5	6	7
451	1995	इरेक्शन आफ 220 के वी लाइन बिटवीन नेल्लोर एंड रेनीगुंटा	नैल्लौर	ट्रांसमिशन लाइन	06.10.95	9.94
452	1996	220 के वी टी एल फ्राम कड्डापा टू रेनूगुंटा	चित्तूर	ट्रांसमिशन लाइन	03.18.99	126.94
453	1998	500 केवी डी/सी तालचर-बंगलौर टी/एल	कुरनूल	ट्रांसमिशन लाइन	11.15.99	45.55
454	1998	इरेक्शान आफ 33 के वी लैड नीयर अहोबिलम	कुरनूल	ट्रांसमिशन लाइन	11.20.98	9.00
455	1998	लेइंग ट्रांसमिशन लाइन फ्राम बंगलौर टू मद्रास इन फेवर आफ पावर ग्रिड कारपोरेशन	अनंतपुर	ट्रांसमिशन लाइन	12.10.99	13.78
456	1998	ए पी एच एम एंड ई सी आर प्रोजेक्ट-इरेक्शान आफ 33 के वी लाइन इन फारेस्ट एरिया नीयर अहोविलम (बी)	कुरनूल	ट्रांसमिशन लाइन	11.20.98	1.80
457	2001	डायवर्जन आफ 6.16 हे, आफ फारेस्ट लैंड फार इरेक्शन आफ 220 केवी लाइन फ्राम कालापका टू डेयरी फार्म पासिंग थ्रू येराकोंडा एफ बी	विशाखापटनम	ट्रांसमिशन लाइन	11.21.02	6.16
458	2001	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड इन डैडा आर एफ फार लेइंग आफ 11 के वी इलेक्ट्रिक लाइन टू अमारा लिंगेश्वर स्वामी टेम्पिल	गुंटूर	ट्रांसमिशन लाइन	03.30.01	0.98
459	2007	डायवर्जन आफ 2.92 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार इलेक्ट्रीफिकेशन आफ 132 के वी रचेरला लिलो लाइन फ्राम एल ओ सी सं. 82 आफ धोने-गूटी लाइन इन – जलादुर्गम रिजर्व फारेस्ट-कुरनूल डिवीजन इन फेवर आफ ई ई, टी एल सी डिवीजन, एपट्रांस्को, कुरनूल	कुरनूल	ट्रांसमिशन लाइन	09.26.07	2.92
460	2008	डायवर्जन आफ 6.639 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन सैदुल्लानामा आर एफ आफ नलगोंडा डिवीजन फार लेइंग आफ 132 के वी पावर लाइन आफ ए पी ट्रांस्को फ्राम गनेश पहाड़ सब स्टेशन इन फेवर आफ डेस्कान सीमेंट्स लिमिटेड	नलगुंडा	ट्रांसमिशन लाइन	01.07.09	6.64

1	2	3	4	5	6	7
461	2008	डायवर्जन आफ 3.00 हे. आफ फारेस्ट लैंड सेडुल्लानामा आर एफ फार इरेक्शन आफ 33 के वी लाइन बी/डब्ल्यू आंनगोल एंड मानीवरीपल्ली इन फेवर आफ एस ई आपरेशंस, ए पी सी पी डी एल	महबूबनगर	ट्रांसमिशन लाइन	05.15.08	3.00
462	2009	डायवर्जन आफ 2.35 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन कानपुर आर एफ ऑफ कामारेड्डी डिवीजन इन निजामाबाद डिस्ट्रिक फार इरेक्शन आफ 132 के वी डी सी/एस सी टू 132/33 के वी सब स्टेशन रेड्डीपेट फ्राम कामारेड्डी - डामाकोंडा 132 के वी लाइन इन फेवर आफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टी एल सी डिवीजन, ए पी, ट्रांस्को निजा	निजामाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	12.03.09	2.35
463	1984	11 के वी टी एल फार इलेक्ट्रीफिकेशन आफ विलेजिज	करीमनगर	गांव में विद्युतीकरण	09.07.85	21.51
464	1985	11 के वी टी एल फार इलेक्ट्रीफिकेशन आफ सिक्स विलेजिज	पश्चिम गोदावरी	गांव में विद्युतीकरण	10.30.86	2.40
465	1985	इलेक्ट्रीफिकेशन आफ सिक्स विलेजेज एलांग द रिवर गोदावरी	पश्चिम गोदावरी	गांव में विद्युतीकरण	10.31.86	2.40
466	1985	11 के वी टी एल फार इलेक्ट्रीफिकेशन आफ विलेजिज	वारांगल	गांव में विद्युतीकरण	05.27.86	13.30
467	2007	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड फार राजकोडा फील्ड फायरिंग रेंजेज इन फेवर आफ लेफटीनेंट कर्नल ओ एफ एफ जी, कर्नल जी एस फार सी डी आर, हेड आफिस आंध्र सब एरिया सिकंदराबाद	रंगा रेड्डी	डिफेंस	22.08.2008	1322.88
468	2007	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड इन राजकोंडा, जनगांव - I आफ नारायनपुर फील्ड फायरिंग रेंज इन फेवर आफ लेफ्टीनेंट कर्नल, ओ एफ एफ जी कर्नल जी एस फार सी डी आर, हेड ऑफिस आंध्र सब एरिया सिंकदराबाद	नलगुंडा	डिफेंस	22.08.2008	5652.51

1	2	3	4	5	6	7
469	2009	डायवर्जन आफ 0.70 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन मेडक डिस्ट्रिक फार कांस्ट्रक्शन आफ ओ एच बी आर एंड इनलेट एंड आउट लेट पाइप लेन फार ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू गजवाल, नरसापुर, रामायन पेट एंड डोम्माटा असेम्बली कांस्टीट्वेंसीज इन फेवर आफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पी आर (आर डब्ल्यू एस) डिवीजन एस आई डी डी।	मेडक	पीने का पानी	13.08.2009	0.7
470	2005	डायवर्जन आफ फोरेस्ट लैंड फार इंदिरा सागर (पोलाबरम प्रोजेक्ट) एक्रांस गोदावरी रिवर, इन खम्माम, राजामुंदरी एंड विशाखापटनम फारेस्ट सर्किल्स	खम्माम	हाइडेल	29.12.2008	3731.07
471	1985	अपर पेन्नार प्रोजेक्ट	अनंथपुर	सिंचाई	12.08.1994	96.38
472	1991	फार्मेशन आफ रिजर्वायर	खम्माम	सिंचाई	29.07.1992	27
473	1993	कांस्ट्रक्शन आफ रिजर्वायर	निजामाबाद	सिंचाई	08.09.1994	32.37
474	1998	कोवाड कल्वा रिजर्वायर	पूर्वी गोदावरी	सिंचाई	11.10.1998	39.27
475	1998	चेम्मुर मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट	कुडापाह	सिंचाई	20.02.2006	54
476	1999	तुलाराम इरीगेशन प्रोजेक्ट	खम्माम	सिंचाई	15.02.2001	71.08
477	2001	डायवर्जन आफ 0.52 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार एक्सकेवेशन आफ इरीगेशन चैनल इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट	गुंटूर	सिंचाई	27.08.2001	0.52
478	2001	एक्सकेवेशन आफ इरीगेशन चैनल इन फेवर आफ इरीगेशन डिपार्टमेंट	गुंटूर	सिंचाई	27.08.2001	0.52
479	2002	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड फार कांस्ट्रक्शन आफ फीडर चैनल फ्राम मूलावागू प्रोजेक्ट टू कोडम चेरूबू, कोनाराओ पेट (वी) एंड मंडल सिरीसिलारेंज	करीमनगर	सिंचाई	13.08.2002	4.79
480	2005	डायवर्जन आफ 27 हे. आफ फारेस्ट लैंड फार फार्मेशन आफ कल्वाकुर्थी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन अचाम्पेट वाइल्ड लाइफ डिवीजन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट इन फेवर आफ इरीगेशन डिपार्टमेंट	महबूबनगर,	सिंचाई	14.03.2006	27

1	2	3	4	5	6	7
481	2006	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड फार एडीशनल रिक्वायरमेंट अंडर के पी केनाल सिस्टम आफ तेलुगू गंगा प्रोजेक्ट	नैल्लौर	सिंचाई	29.10.2008	313.63
482	2006	डायवर्जन आफ फारेस्ट लैंड इन कंपोजिट नं. 489 आफ मुडीपल्ली आर एफ फार फार्मेशन आफ गुडी पल्ली गट्टू बैलेंसिंग रिजर्वायर आफ महात्मागांधी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट रेगुभंगड़ा इन फेवर आफ इरीगेशन डिपार्टमेंट, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट - 8.21 हे.	महबूबनगर	सिंचाई	10.11.2006	8.21
483	2006	मोडीकुंट वेगू मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट ओवर गोदावरी नीयर विलेज कृष्णापुरम	खम्माम	सिंचाई	10.12.2008	498.896
484	2007	अंडराग्राउंड एरिया आफ फारेस्ट लैंड इन डब्ल्यू एल एम आत्माकुर एंड डब्ल्यू एल एम मरकापुर डिवीजन फार कांस्ट्रंक्शन आफ टनल - I एंड II अंडर वेलीगोंडा प्रोजेक्ट इन फेवर आफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कांस्ट्रक्शन सर्किल, प्रकाशम, आंनगोल (राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी)	कुरनूल	सिंचाई	30.09.2009	106.91
485	2007	डायवर्जन आफ 6.08 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन सर्किल नं. 555 एंड 55 आफ आरिसकोटा आर एफ फार कांस्ट्रक्शन आफ ओपन माउथ चैनल फ्राम वारिवेगू इन थंगुरु (वी) इन फेवर आफ एस ई आई सी निर्मल	करीमनगर	सिंचाई	29.05.2008	6.08
486	2007	डायवर्जन आफ 4.75 हे. आफ फारेस्ट लैंड इन कोथाकोटा-दासीरीपल्ली आर एफ आफ वोनीपेंट रेंज आफ प्रोडाट्टूर डिवीजन फार तेलुगूगंगा प्रोजेक्ट-II केनाड अंडर सब्सीडायरी रिजर्वायर नं. II आफ टी जी पी इन फेवर आफ़ एस ई टी जी पी सर्किटल, कडापा	कुडापाह	सिंचाई	26.03.2008	4.75
487	2007	डायवर्जन आफ 0.995 हे. आफ फारेस्ट लैंड आफ वारंगल नॉर्थ डिवीजन फार री कांस्ट्रक्शन आफ एनिकट एक्रास गोवरारापु वागू नीयर कोमाटीपल्ली (वी) मैंगापेट (एम), वारंगल डिस्ट्रिक्ट इन फेवर आफ स्टेट इरीगेशन डिपार्टमेंट	वारंगल	सिंचाई	14.05.2007	0.995

1	2	3	4	5	6	7
488	2007	पूला सुब्बैया वेलीगोंडा प्रोजेक्ट इन फेवर आफ इरीगेशन डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश	प्रकासम	सिंचाई	30.09.2009	3069.91
489	2007	डायवर्शन ऑफ 17.40 हैक्ट, ऑफ फॉरिस्टलैण्ड (इन एडिशन टू 344.05 हैक्ट, फॉर विंच अप्रुवअल आलरेडी अकारडिड बाई द गर्वरमेंट ऑफ इंडिया), फॉर लेयइंग वाटर कंडेक्टर, सिस्टम अंडर गलीस (देवादुला प्रोजेक्ट) इन वारंगल नॉर्थ एंड करीमनगर ईस्ट-इन फेवर ऑफ सीइ सलीम द्वारा	वारंगल	सिंचाई	30.11.2007	17.4
490	2008	डायवर्शन ऑफ फॉरेस्टलैण्ड फॉर सागर लीफ्ट रिमेशन स्कीम पद फेवर ऑफ एसई, आई एंड सीएडी, डीजीपी, सर्किल, तेकुलापल्ली	खम्माम	सिंचाई	03.08.2009	87.18
491	2008	डायवर्शन ऑफ फारेस्टलैण्ड जीएनएसएस फ्लौड फ्लोव कानल फ्रोम गोरकाल्लु रेसरवोर टो ओडब्ल्यूके रेसरवोर फ्रोम 10,12 टो 13,1, 39,525 टो 41,483,47.5 टो 50.58, 51.4 टो 52.7 एंड 55.725 टो 56.4 इन फेवर ऑफ सुपर्निगटेनडिंग इंजिनियर, एसआरबीसी सर्किल नं. 2 नंदयाल	कुरनूल	सिंचाई	30.09.2009	259.82
492	2008	डायवर्शन ऑफ 13.04 हैक्ट, ऑफ फॉरिस्टलैण्ड इन लनकलापल्ली एंड वेदनथपुरम आरएफएस फॉर कंसट्रक्शन ऑफ फ्लौड फ्लोव कनल फ्रोम वेनकाम्मा चेरूवू, असवारोपेता (दी) टो फीड मी तनक इन फेवर ऑफ ई.ई., आईबीपी, खम्माम	खम्माम	सिंचाई	22.10.2008	13.04
493	2008	डायवर्शन ऑफ 4.98 हैक्ट, ऑफ फॉरिस्टलैण्ड इन श्रीवेल्ला एक्सटेन, III आरएफ ऑफ नंदयाल डब्ल्यूएल डीवीएन फॉर डिसट्रीबुटेरी सिस्टम अंडर तेलगू गंगा प्रोजेक्ट-ब्लॉक : 38 एंड 39 इन फेवर ऑफ एसई, टीजीपी सर्किल, कडापा	कडापा	सिंचाई	26.03.2008	4.98
494	1982	मिनिंग ऑफ लिमे स्टोन	कुरनूल	खनन	16.01.1992	20
495	1996	रेनेवाल ऑफ एमएल ऑरन ओआरई इन एफ/ओ अनंतपुर मिनिंग कोरपन.	अनंतपुर	खनन	13.07.1998	6.5

1	2	3	4	5	6	7
496	1998	डायवर्शन ऑफ 2 हैक्ट, ऑफ एफएल इन कोमपत. नं. 474 ऑफ बेल्लामपल्ली डीवीएन. फॉर क्यूरिंग स्टोन फॉर वत्तीतागू प्रोजेक्ट फॉर रिगेशन डिपार्टमेंट	आदिलाबाद	खनन	02.07.1999	2
497	1998	रेनेवाल ऑफ एमएल इन एसवाई. नं. 553 एंड 537 ऑफ चंगनम – यूतुकू रेसपेक्टिवली इन सद्पुरम इन एफ/ओ अमरूतेश मिनिंग को.	नेल्लौर	खनन	06.10.2000	16.19
498	2001	एम एंड एम डायवर्शन ऑफ एफएल इन मंगलागिरि आरएफ फॉर क्यूरिंग मिनोर मिनिरल स्टोन गर्नेल इन एफ/ओ श्री चौ. टिनपलू	गुंटूर	खनन	31.12.2004	2
499	2001	एम एंड एम – डायवर्शन ऑफ एफएल इन तदपल्ली आरएफ, गुंटूर डिस्ट्र. फॉर क्यूरिंग लैस इन एफ/ओ श्री चौ. टिनपलू रेनेवाल ऑफ एमएल	गुंटूर	खनन	29.06.2001	4
500	2001	मिनिंग लैस टो एससीसीएल फॉर ओसीपी-III मनुगुरू कोल मिने	खम्माम	खनन	01.01.2002	75
501	2001	डायवर्शन ऑफ फॉरेस्टलैण्ड इन मंगलागिरि आरएफ फॉर क्यूरी मिनोर मिनिरल इन फेवर ऑफ श्री चौ. तिरूपलू	गुंटूर	खनन	08.12.2004	2
502	2001	क्यूरिंग लैस इन एफ/ओ श्री थिरूपलू	गुंटूर	खनन	29.06.2001	4
503	2003	डायवर्शनऑफ एफएल-लैस टो श्री वी. रामा मोहना रोड	कृष्णा	खनन	16.01.2007	1.215
504	2003	डायवर्शन ऑफ 1.013 हैक्ट. ऑफ फॉरेस्टलैण्ड इन आर.एस. नं. 1 कोडापल्ली विलेज, इब्राहिमपट्नम मनदल, विजयवाड़ा डायवर्शन ऑफ कृष्णा डिस. फॉर क्यूरिंग ऑफ रोड मेतल इन फेवर ऑफ एम/एस विजय ज्योति स्टोन रूशर	कृष्णा	खनन	26.11.2007	1.013
505	2004	कॉम्पार्टमेट नं. 29 ऑफ पसुपुसुबोदू ब्लॉक ऑफ नलगौड़ा फॉरेस्ट डायवर्शन इन फेवर ऑफ एम/एस चाणक्य सेमेंट	नलगौंड़ा	खनन	23.02.2005	162.56

1	2	3	4	5	6	7
506	2004	मिनिंग लैस टो एम/एस सिंगर्नी कोल्लीरीज कम्पी. लिमि. इन तडवाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट	वरनागल	खनन	14.09.2004	250
507	2005	मिनिंग ऑफ लिमे स्टोन इन फेवर ऑफ एम/एस मद्रास सेमेंट इन बुदावाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट	कृष्णा	खनन	31.12.2008	160
508	2005	डायवर्शन ऑफ फॉरेस्टलैण्ड फॉर रेनेवाल ऑफ गर्फीते मिनिंग लैस इन भद्राचलम साउथ डायवर्शनइन फेवर ऑफ गोपालराजू मिनिंग वर्कस (लैंस हैज बीन सबसे-क्यूटेली ट्रांसफर्ड टो श्री ए.जगन, एम/एस विजय मैग्ना गर्फीटीज, खम्माम)	खम्माम	खनन	20.11.2007	0.5
509	2005	यूरेनियम प्रोडेक्शन इन लाम्बापुर पैरागुटूं एरियास बाई यूरोनियम को. ऑफ इण्डिया लिमि. डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी	नलगौड़ा	खनन	23.08.2005	447.22
510	2006	डायवर्शन ऑफ 2.00 हेक्ट. ऑफ एफएल फॉर रेनेवल ऑफ क्यूरी लीज ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट इन कॉप्ट. नं. 222 ऑफ चितापारा आरएफ इन फेवर ऑफ श्री वी रमेश कुमार, चित्तूर (डिविजन)	चित्तूर	खनन	24.01.2007	2
511	2006	डायवर्शन ऑफ 5.00 हेक्ट ऑफ फॉरेस्टलैण्ड ग्रांट आफ एमएल फार एक्ट्र. आफ ब्लैक ग्रेलाइट इन चिमाकुर्थी आरएफ आफ आगोल रेंज इन फेवर आफ श्री कानूदूला रामी रेडी गिदालूर डिविजन प्रकाशम डिटी.	प्रकाशम	खनन	13.09.2006	5
512	2007	बॉक्साइट मानिंग इन फेवर आफ मैसर्स एपीएमसी लिमि, इन सेलूरू फॉरेस्ट ब्लॉक, जिराला (वी) एंड नरसीपटनम फॉरेस्ट डिविजन	विशाखापट्नम	खनन	12.08.2008	1212
513	2007	डायवर्शनऑफ एफएल इन मुटचुकोटा आरएफ फॉर एक्स. ऑफ स्टेटाइट इन गुटीरेंस इन एफ/ओ मैमर्स व्हाइटफील्ड मिनिरलस	अनंतपुर	खनन	03.12.2007	4.1

1	2	3	4	5	6	7
514	2007	डायवर्शन ऑफ फॉरेस्टलैण्ड ब्लैक ग्रेनाइट इन काम्प. नं. 213 ऑफ पैराद्रमी आरएफ ऑफ चित्तूर (वेस्ट डिविजन) यादामरी (एम) चित्तूर डिस्ट. इन फेवर ऑफ मैसर्स सिद्धार्थ ग्रेनाइटस	अनुंतपुर	खनन	27.11.2007	4.9
515	2007	डायवर्शनऑफ 3.827 हैक्ट. ऑफ एफएल इंन काम्प/ नं. 33 ऑफ वोलापल्ली आरएफ रामवलापुरम पीट फॉर क्यूरिंग ऑफ स्लेट स्टोम इन फेवर ऑफ मैसर्स श्री दुर्गा स्टोनस विनूकोड़ा	गुंटूर	खनन	10.06.2008	3.827
516	2007	डायवर्शन ऑफ 4.8 हैक्ट, ऑफ फारेस्ट लैंड इन कम्पार्टमेंट नं. 457 ऑफ बासवापल्ली फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट इन फेवर ऑफ मैसर्स विष्णु ग्रेनाइट एंड एक्स पोर्ट्स इन चित्तूर (ई) डिवीजन, चित्तूर जिला।	चित्तूर	खनन	17.04.2008	4.8
517	2007	डायवर्शन ऑफ 4.90 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट इन कम्पार्टमेंट नं. 213 ऑफ पारादर्मी आरएफ इन फेवर ऑफ मै. दिव्या ग्रेनाइट, हैदराबाद।	चित्तूर	खनन	01.05.2008	4.9
518	2008	डायवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैड फॉर एक्स-जेंशन ऑफ एगजिस्टिंग जेवीअग ओसीआई मानइ (फोमेरली सत्तुपल्ली ओसीपी - I) इन फेंवर ऑफ सिंगटेनी कोल्लीथरीज कम्पनी लिं. (एससीपीएल)	खम्माम	खनन	13.11.2009	136.5
519	2008	डायवर्शन ऑफ 2.00 हे. ऑफ एफएल फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ स्टोन एंड मेटल इन सत्तारिगुट्ठा ब्लॉक आर एफ, अश्वपुरम, रेंज, पालोंचा डिवीजन।	खम्माम	खनन	29.10.2008	2
520	2008	डायवर्शन ऑफ 4.596 ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन कम्पार्टमेंट नं. 33 ऑफ बोल्लापल्ली आर एफ रावुलापुरम बीट फॉर क्वेयरिंग ऑफ स्लेट स्टोन फेवर ऑफ मै. यमुना स्लेट इंडस्ट्रीज, माकोपुर।	प्रकाशम	खनन	04.09.2008	4.596

1	2	3	4	5	6	7
521	2008	डायवर्शन ऑफ 4.415 है। ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन कम्पार्टमेंट नं. 33 ऑफ बोल्लापल्ली आर एफ रावुलापुरम बीट फॉर क्वेयरिंग ऑफ स्लेट स्टोन इन फेवर ऑफ श्री एस.वी.एस. अप्पारात विनुकोंडा।	गुंटूर	खनन	16.10.2008	4.415
522	2008	रिन्यूवल ऑफ एमएल फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ आयरन और एंड ऑक्साइड इन फेवर ऑफ श्रीमती टी. सुब्बम्मा, वोल्दुरथी इन कम्पार्टमेंट नं. 77 ऑफ एम्बांस आर एफ- 9.308 हे. 9.308 हे.।	कुरनूल	खनन	05.03.2009	9 308
523	2008	डायवर्शन ऑफ 4.05 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन एसबाई नं. 30011, कम्पार्टमेंट नं. 595 और 596 ऑफ मुचुकोटा आर एफ ऑफ गूटी रेंज फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ स्टीटाइट एंड डोलोमाइट इन फेवर ऑफ श्री ए.वी. सुब्बारेड्डी	अनंतपुर	खनन	24.06.2009	4.05
524	2008	डायवर्शन ऑफ 4.00 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट इन कम्पार्टमेंट नं. 222 ऑफ चिट्टापारा आरएफ गुडीपाला (एम) इन फेवर ऑफ मैमर्स हरीश ग्रेनाइट।	चित्तूर	खनन	21.07.2008	4
525	2008	डायवर्शन ऑफ 7.00 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन कम्पार्टमेंट नं. 228 ऑफ की नार्टेपाल्ली आर एफ चित्तूर (पश्चिम) डिवीजन, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट इन फेवर ऑफ मै. गुलशन ग्रेनाइट्स	चित्तूर	खनन	29.07.2008	7
526	2008	डायवर्शन ऑफ 3.00 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन कम्पार्टमेंट नं. 218 ऑफ वीरा सेट्टीपल्ली 'बी' आर एफ इन चित्तूर वेस्ट डिवीजन इन फेवर ऑफ मै. सक्कू ग्रेनाट्स	चित्तूर	खनन	21.07.2008	3

1	2	3	4	5	6	7
527	2008	रिन्यूवल ऑफ माइनिंग लीज फॉर आयरन ओर एंड रेड ऑक्साइड ओवर एन एक्स्टेंट ऑफ 31.16 हे. इन कम्पार्टमेंट नं. 77, एम्बाय आरएफ इन फेवर ऑफ श्रीमती सुब्बम्मा, मै, रामकृष्णन, मिनरल्स, वेल्दुरथी।	कुरनूल	खनन	05.03.2009	31.16
528	2009	डायवर्शन ऑफ 7.40 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट इन फेवर ऑफ मै, कमला ग्रेनाइट्स	चित्तूर	खनन	05.03.2009	7.4
529	2009	डायवर्शन ऑफ 24.32 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन कम्पार्टमेंट नं. 82 मंडाडी आर एफ, पचेरला रेंज ऑफ गुंटूर डिवीजन फॉर माइनिंग लीज फार लाइमस्टोन इन फेवर ऑफ मै. के.सी.पी.लि. मचेरला।	गुंटूर	खनन	05.11.2009	24.32
530	2009	डायवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर खैरा गुडा ओसीपी इन चोपड़ा आर.एफ ऑफ बेल्लामपल्ली डिवीजन इन फेवर ऑफ एससीसीएल	आदिलाबाद	खनन	13.11.2009	126.71
531	1986	रीहेबिलिटेशन ऑफ लैंड लेस पीपुल	खम्माम	अन्य	21.08.1932	10
532	1998	फॉर यूज ऑफ राइट ऑफ के इन एफ/ओएम/एस प्रसाद सीड्स लि.	रंगा रेड्डी	अन्य	21.05.2002	0.48
533	2003	डायवर्शन ऑफ 1.44 हे. ऑफ एफएल इन कम्पार्ट. नं. 124 ऑफ तिरूपति हिल आरएफ ऑफ वेंकटेश्वरा डब्ल्यूएल सेंक्चुरी ऑफ डब्ल्यू एलएम डिवीजन तिरूपति फॉर द परपजिज ऑप कंस्ट्क्शन ऑफ पेसेंजर रोपके फॉर तिरूपति टू तिरमला हिल्स फॉर 33 ईयर्स लीज इन फेवर ऑफ चाइटमन एंड एमडी, एपी	चित्तूर	अन्य	18.10.2004	1.44
534	2003	कंस्ट्रक्शन ऑफ पेसेंजर रोपवे फॉर तिरूपति टू थिरूमाला हिल्स फॉर 33 ईयर्स लीज।	चित्तूर	अन्य	18.10.2004	1.44

1	2	3	4	5	6	7
535	2007	डायवर्शन ऑफ 17.57 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन अमानम आरएफ फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) इन फेवर ऑफ मैमर्स डिवीज लेबोरेट्रीज लि. हैदराबाद।	विशाखापट्नम	अन्य	12.12.2007	17.857
536	2007	डायवर्शन ऑफ 0.71 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन गिलिमेन फील्ड आर एफ फॉर फामेशन ऑफ अप्रोच बंड टू जेट्टी टू ड्रा सी वाटर इन फेवर ऑफ मै. डिवीज लेबोरेट्रीज लि. छिप्पाडा (वी) भीमीनिपट्टनम (एम) इन विशाखापट्नम फॉरेस्ट डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट।	विशाखापट्नम	अन्य	05.06.2007	0.71
537	2007	डायवर्शन ऑफ एफएल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवेटिड रिजर्वायर लेइंग ऑफ पाइपलाइन एंड अप्रोच रोड एट गोपलाई-पल्ली हिल्लोक नारकेटपल्ली (एम) इन फेवर ऑफ एसई, आर डब्ल्यूएम सर्किल, नालकोड़ा	नलगौड़ा	अन्य	28.06.2007	1.9
538	2005	डायवर्शन ऑफ एफएल फॉर डबलिंग द आर एलबी/डब्ल्यू पुल्लामपेट-भकरेपेट-इन फेवर ऑफ सीईसी III एससी रेलवे, सिकंदराबाद।	चुद्दापत	रेलवे	20.12.2005	2.49
539	2008	कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यु बीजी रेलवे लाइन फ्राम जगाइयापेटा टू मेल्लाचिरूवु ओवर ए लेंग्थ ऑफ 21.60 किमी. पासिंग थ्रू बुडवाडा रिजर्वड फॉरेस्ट इन फेवर ऑफ सीई कंस्ट्रक्शन साउथ सेंट्रल रेलवे	कृष्णा	रेलवे	21.08.2008	21.74
540	2002	डायवर्शन ऑफ एफएल इन ओटूर आरएपु कानपुर ईस्ट एंड वेस्ट आर एफ फॉर वाइडनिंग ऑफ एनएच 5 टू 4 लेन बी/डब्ल्यू किमी 110 एंड किमी. 164.75 इन फेवर ऑफ एन एच ए आई।	नेल्लौर	रोड	07.05.2003	1.37

1	2	3	4	5	6	7
541	2002	डायवर्शन ऑफ 4.71 हे. ऑफ एफएल फॉर वाइडनिंग ऑफ एनएच 5 टू 4 लेन कैरियेज वे-नाइडुपेट-टाडा बोट प्रोजेक्ट (एपी-7) इन नेल्लोर फॉरेस्ट डिवीजन	नेल्लौर	रोड	12.05.2003	4.71
542	2003	वाइडनिंग ऑफ एनएच 5 टू फोर लेन्स ऑफ एग्जिस्टिंग टू लेन फ्रोम नेल्लोर टू चिल्का लुरीपेट	प्रकाशम	रोड	15.09.2003	10.37
543	2007	????? रोड/कार्ट ट्रेक फ्रोम पासरा टू गुंडला इन बांडला आर एफ इन फेवर ऑफ आर एंड बी डिपार्ट वारंगल (एन) डिवीजन/डीटी	वारंगल	रोड	10.05.2007	19.02
544	2007	डायवर्शन ऑफ 6.66 हे. ऑफ एफएल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड/कार्ट ट्रैक फोम नारलापुर (वी) टू बाइकपेट (वी) टू ए टोटल विद्थ ऑफ 9.00 मीटर्स विद् बीटी कैरियेज के विद्थ ऑफ 3.75 मीटर्स इन फेवर ऑफ एसई, आर एंड बी, वारंगल, वारंगल डीटी	वारंगल	रोड	08.05.2007	6.66
545	2007	डायवर्शन ऑफ 12.18 हे. ऑफ एफएल फॉर इम्प्रूवमेंट टू रोड ऑन गंगाराम-रंगापुर बाइवाराम (वी) फ्रोम केएम 10/2 टू 27/6 इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट इन फेवर ऑफ एसई (आर एंड बी)	वारंगल	रोड	08.05.2007	12.18
546	2007	डायवर्शन ऑफ फॉरेरट लैंड फॉर इम्प्रूमेंट ऑफ रोड टू महादेवपुर-मुकनूर कर्ना कवूर - काटाराम रोड फ्रोम 1315 टू 90/5 केएम एस (53 केएमएस फालिंग इन फॉरेन्ट लैड एंड टोटली 77 केएमएस) ऑफ एनएमकेके रोड इन करीम नगर ईस्ट डिवीज	करीमनगर	रोड	26.08.2008	106

1	2	3	4	5	6	7
547	2007	डायवर्शन ऑफ 6.66 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड/कार्ट ट्रैक फ्रोम नालापुर (वी) टू अ टोटल विद्थ ऑफ 9.00 मीट्र्स विद् बी.टी. कैरिवेज के विद्थ ऑफ 3.75 मीटर्स इन फेवर ऑफ एसई आरएंड बी, वारंगल, वारंगल, डीटी।	वारंगल	रोड	08.05.2007	6.66
548	2007	डायवर्शन ऑफ 8.92 हे. ऑफ एफएल इन थुमकुंता आरएफ फॉर लेइंज अप्रोच रोड टू द प्रोपोजड बिट्स कैंपस एट जवाहरनगर इन फेवर ऑफ हूडा।	रंगा रेड्डी	रोड	03.01.2008	0.92
549	2007	डायवर्शन ऑफ 0.88 हे. ऑफ एफएल इन पुडिरेयाडोरावू आर एफ फॉर फार्मेशन ऑफ लिंक रोड फ्रोम चिन्नाथोट्टा टू रेयाडोरूबू/नवाबपेट इन फेवर ऑफ एसडीएससी, शार, श्री हरिकोटा, नेल्लोर, डीटी	नेल्लौर	रोड	19.12.2007	0.88
550	2007	डायवर्शन ऑफ 8.82 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड/ट्रैक फ्रोम बाथ्याक्कापेट (वी) रायपुर (बाया) डुडे कलापल्ली (वी) टू अ विद्थ ऑफ 9.00 मीटर्स विद् बीटी कैरियेज वे विद्थ ऑफ 3.75 मीटर इन फेवर ऑफ एसई आर एंड बी वारंगल डिस्ट्रिक्ट	वारंगल	रोड	08.05.2007	8.82
551	2008	डायवर्शन ऑफ 0.976 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर फार्मेशन ऑफ रोड फ्रोम कोप्पूकोंडा टू कोप्पूकोंडा थांडा इन फेवर ऑफ एसई, पीआर सर्किल, गुंटूर	गुंटूर	रोड	15.05.2008	0.976
552	2008	डायवर्शन ऑफ 0.1647 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आल वैदर रोड इन मुदमियाल आरएफ ब्लॉक इन फेवर ऑफ श्री एमडी राफथुल्लाह खान, हैदराबाद	रंगा रेड्डी	रोड	21.10.2008	0.1647

1	2	3	4	5	6	7
553	2008	डायवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अदवाउलादेवी एक्सटेंशन आरएफएस ऑफ गुंटूर डिवीजन फॉर फार्मेशन ऑफ रोड फ्रोम कुचिनापुडी टू डिंडी गोल्लापालेम इन फेवर ऑफ ई ई आर एंड बी डिवीजन, तेनाली।	गुंटूर	रोड	13.05.2009	0.8
554	2008	डायवर्शन ऑफ 0.1522 हेक्टेयर आफ फॉरेस्ट लैंड इन मुदिमियाल आरएफ फॉर लेइंग वैदर रोड ओवर द एग्जिस्टिंग कुच्छा रोड इन फेवर ऑफ मिस. हासन अली रोड हैदराबाद।	रंगा रेड्डी	रोड	14.10.2008	0.1522
555	2008	डायवर्शन ऑफ 3.75 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर स्पेशल डिपेयर्स ऑफ रोड फ्राम केएम 14/4 टू 18/8 ऑफ तालुपुला-कोलेकानुमा रोड (वाया) पेड्डान्नाबाटिपल्ली इन फेवर ऑफ सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (आर एंड बी) सर्किल, अनंतपुर।	अनंतपुर	रोड	05.06.2009	3.75
556	2008	डायवर्शन ऑफ 4.93 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन गंगनापल्ली आर फॉर वाइडनिंग ऑफ रोड फ्रोम मित्तमीडीपल्ली टू पोलथाला टेंपल इन फेवर ऑफ ईई पीआर काडपा	कडापा	रोड	16.06.2009	4.93
557	2008	डायवर्शन ऑफ 0.181 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन युम्मुलूर आर एफ फॉर अप्रोच रोड/राईट ऑफ वे टू रीच मेन रोड हैदराबाद श्री साइलम हाइवे इन फेवर ऑफ मैक प्रोजेक्ट प्रा.लि.।	रंगा रेड्डी	रोड	19.05.2009	0.181
558	2008	डायवर्शन ऑफ 0.1403 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड एट मुदिमियाल आरएफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वैदर रोड टू दीथ देयर लैंड इन सेक्रेटरी, एम.ए. फार्मर्स ओनर्स एसोएिशन।	रंगा रेड्डी	रोड	12.11.2008	0.1403
559	2008	डायवर्शन ऑफ 0.206 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन मेडिपल्ली आरएफ फॉर लेइंग ऑफ अप्रोच रोड फ्रोम मेडिपल्ली-चारापल्ली रोड टू न्यूली प्रोप्रोजड चार्गचेरता हास्पिटल इन फेवर ऑफ डॉ. दासरी प्रसाद राव।	रंगा रेड्डी	रोड	10.11.2008	0.135

1	2	3	4	5	6	7
560	2008	डायवर्शन ऑफ 3.845 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड मंडाडी ब्लाक-II आर एफ वेलदूरथी बीट ऑफ माचेरला रेंज फॉर फार्मेशन ऑफ अप्रोच रोड टू ट्रांसपोर्ट लाइमस्टोन फ्रोम तेरला माइनिंग टू फीड इनपुट प्वांइट इन फेवर ऑफ मै. के.सी.पी. सीमेंट्स लि. माचेरला	गुंटूर	रोड	15.07.2008	3.845
561	2008	डायवर्शन ऑफ 4.25 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर लेनिंग ऑफ तिरूपति-चेन्नई रोड फ्रोम 245/0 टू केएम 341/60 ऑफ एच एच-III (ए) इन फेवर ऑफ एनएचएआई-पीआईयू (वॉट) हैदराबाद।	चित्तूर	रोड	23.07.2008	4.25
562	2008	डायवर्शन ऑफ 3.82 हे. ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन कम्पार्ट, नं. 336, ऑफ पेनुकोंडा आरएफ फॉर फार्मेशन ऑफ रोड फ्रोम बेड लेवल टू श्री लक्ष्मीनारसिन्हा स्वामी टेंपल इन हिल्लोक ऑफ पेनुकोडा इन फेवर ऑफ एस ई पी आर, अनंतपुर।	अनंतपुर	रोड	06.02.2008	3.82
563	2009	प्रबंधन निदेशक, हैदराबाद ग्रोथ काटीड़ार लि. के पक्ष में रिडियल रोड नं. 25, बैरामालागुडा जंक्शन से बेंगलूर (ओ आर आर) जंक्शन को मजबूत बनाने और चौड़ा करने के लिए गुरामगुडा तंथ थुरकायामजल में 4.6 हे. वन भूमि का उपयोग।	रंगा रेड्डी	रोड	05.11.2009	4.6
564	2001	कोयूरू से मलारम (वी) मलदार राव (एम) तक 33 के वी लाइन विछाने के लिए आर एफ भूमि का उपयोग।	करीमनगर	ट्रांसमिशन लाइन	16.01.2002	6
565	2006	आं.प्र. ट्रांस को, निर्मल एफ डी, आदिलाबाद जिले के पक्ष में निर्मल से खांडेपुर तक 132 डी सी/डी सी लाइन बिछाने के लिए 4.05 हे. वन भूमि का उपयोग।	आदिलाबाद	ट्रांसमिशन लाइन	01.12.2008	4.05
566	2008	आं.प्र. ट्रांसको के पक्ष में पुलीवेदना से हिंदूपुर तक 220 के वी लाइन बिछाने के लिए 6.79 हे. वन भूमि का उपयोग अनंतपुर प्रभाग में 2.55 हे. तक प्रोदापुर डब्ल्यु रत्न प्रभाग में 4.24 हे.)।	अनंतपुर	ट्रांसमिशन लाइन	23.07.2008	6.79

1	2	3	4	5	6	7
567	2009	एनसीएल इंडस्ट्रीज लि. के पक्ष में 132 के वी एच टी लाइन बिछाने के लिए सुल्तानपुर आर एफ में 4.109 हे. वन भूमि का उपयोग।	नलगौंडा	ट्रांसमिशन लाइन	09.03.2009	4.109
568	2009	अधीक्षम अभियंता, आर एंड बी कडप्पा के पक्ष में मालेला-लवनूर वाया अहोविलम तक मानुकोटा माला तक सड़क बिछाने के लिए मुदालाप्राया आर एफ में 3.224 हे. वन भूमि का उपायोग।	कड्डापा	ट्रांसमिशन लाइन	16.06.2009	3.224
569	2007	मैसर्स सुजलान इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., पुणे में 21 मे.वा. डब्ल्यु पी पी की स्थापना के लिए 24.17 हे. वन भूमि का उपयोग।	कडापा	वायु	27.06.2008	24.17
570	2008	मे. सारजन के पक्ष में 33.00 मे. वा. विंड पावर प्रोजेक्ट बी स्थापना के लिए छोनेरेंज की देवागुडिपाडू के सी एस नं. 208 तथा 211 में 16.84 हे. वन भूमि का उपयोग।	कुरनूल	वायु	27.06.2008	16.84
571	2008	सुजलसप इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में प्रोडाटुर प्रभाग में गोडिकोटा उत्तरी, गोंडीकोटा दक्षिण तथा यामावरम आरक्षित वनों में विंड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना।	कड्डापा	वायु	02.02.2009	50.11
572	2009	48 वे वा. विंड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु अनंतपुर वन प्रभाग के अनंतपुर रेंज के 566 इटनूटा आर एफ के लिए कंपार्टमेंट न. 522 में वन भूमि का उपयोग।	अनंतपुर	वायु-विद्युत	27.02.2009	47.96

विवरण-II

"वन स्वीकृति" के बारे में श्री एम राजा मोहन रेड्डी, श्री रमेश राठौड़, श्री पोन्नम प्रभाकर, श्री राजैया सिरिसिल्ला तथा श्री पी.बलराम दिनांक 16.12.2009 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4264 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र. सं.	प्रस्ताव का वर्ष	प्रस्ताव का नाम	जिला	परियोजना की श्रेणी	प्राप्ति की तारीख	आवेदित क्षेत्र (हे.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
मामला स्थिति : केन्द्र सरकार के पास लंबित							
1.	1997	मैमर्स ओटिएंट सीमेंट कंपनी को खनन पट्ठा	अदिलावाद	खनन	01/09/2009	100	क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर से एसआरआई की प्रतीक्षा है

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2009	मैमर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि. के पक्ष में 2300 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में कल्याणदुर्गा (दक्षिण) पिलालापल्ली, इदुकल्लू तथा बुदिकोंडा आरएफएस अंतरपुर प्रभाग में हीरा दोहन के लिए अनुमति मांगने हेतु 3 प्रस्ताव	अंतपुर	खनन	01/10/2009	0	आवेदित क्षेत्र 2300 वर्ग कि.मी.
3.	2009	मैमर्स लक्ष्मी नरसिम्हा खनिज कुसूल के पक्ष में लौह अयस्क खनन के लिए यपारलापाडु आर, एफ, पुलागुमी (वी) बेलनुर्थी (एम) कुरूनूल जिला एस आई न. 226, कम्पार्टमैट न. 69 में 4.86 है. वन भूमि का उपयोग	कुरूनूल	खनन		4.86	एसएजी बी आगामी बैठक में विचार किया जाना है।
4.	2009	कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की भूमिगत खान परियोजना, मनुगुरू के अतंर्गत कोंडापुरम के लिए पोलांचा प्रभाग के कोंडापुरम में 477.03 हे. वन भूमि का उपयोग	हैदराबाद	खनन	26/10/2009	477.03	26.10.2009 को क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर का स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध
5.	2009	मै. नारसू एंड कंपनी, कडपा के पक्ष में एसवाई न. 300/1(पी), काम्पार्टमेंट न. 595 तथा 596-मुचुकोटा आर एफ जुलाकालवा (वी) सिंगानामालार (एम) अंतपुर जिले में स्टीएटाइड एवं डीलोमाइट के लिए 4.95 हे. से अधिक खनन पट्टा का नवीकरण	अंतपुर	खनन		4.95	प्रस्ताव 30.11.2009 को प्राप्त हुआ और इसकी जांच की जा रही है।
6.	2009	ओक रिजरवायर के लिए फोर शोर सबमार्जिबल क्षेत्र के लिए कुरनूल प्रभाग में वन भूमि का उपयोग	कुरूनूल	अन्य	05/03/2009	72.54	अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए है।
7.	2009	ई. ई., आरएंडबी, एनएच प्रभाग, परकिट के पक्ष में गायब सम्पर्कों को जोड़ने हेतु निजामाबाद से जगदलपुर तक सं. रोड नं. 16 के फार्मेशन हेतु मंचीरिपल प्रभाग के चेन्नुर एवं यंचापाली आरएफएस में 12.892 हे. वन भूमि का उपयोग	अदिलाबाद	सड़क		12.892	एनबीडब्लयूएल से मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार एसएजी को आगामी बैठक में विचार किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8
मामला स्थिति : राज्य सरकार के पास लंबित							
1.	2009	मै. डक्कन सीमेंट्स लिमिटेड, नालगोंडा के पक्ष में पेयजल पाइपलाइन, सीमेंट कंक्रीट रोड, पम्पशेड आदि बिछाने के लिए नालगौंडा प्रभाग के सैदुलानामा आर एफ के काम्पट सं. 27 में 1.897 हे. वन भूमि का उपयोग	नालगौंडा	पीने का पानी		1.897	राज्य सरकार से दिनांक 25.09.2009 के पक्ष के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने तथा दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया गया है।
2.	2001	यूलेरू राइटमेन केनल के लिए वन भूमि का उपयोग	पश्चिम गोदावरी	सिंचाई	20/02/2002	6.4752	20.02.2002 का आयोजित एसएजी की बैठक में विचार किया गया था। राज्य सरकार से अपेक्षित ब्यौरें मांगे गए हैं (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार की रिपोर्ट लंबित है।
3.	2002	सिंचाई विभाग के पक्ष में पश्चिम गोदावरी प्रभाग में काकानाडा प्रभाग के सुदीकोंडा रेंज के मल्लावरम आरएफ में सिंचाई नहरों के उत्खनन के लिए 7.285 हे. वन भूमि का उपयोग	पश्चिम गोदावरी	सिंचाई	27/06/2002	7.285	27.06.2002 में आयोजित एसएजी की बैठक में विचार किया गया। राज्य सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा है (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से संबंधित मामले राज्य सरकार की रिपोर्ट लंबित है।)
4.	2007	सोमासिला परियोजना, वन (संरक्षण) अधिनियम तथा वन्यजीव फार्मूला के अंतर्गत फोरशोर सबमर्जन तथा सोमासिला परियोजना के लिए प्रोदातुर कडप्पा, राजमपेट और नैल्लौर प्रभागों में वन भूमि का उपयोग	कडप्पा	सिंचाई	25/09/2007	252.25	सुरक्षित क्षेत्रों के संबंध में उच्चतम न्यायालय से मंजूरी के बारे में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।
5.	2007	एस.ई, आईसी.आई तथा सीएडी विभाग के पक्ष में कुप्पम में गणेशपुरम कानगुंडी के पास पालार नदी पर जलाशय में वन भूमि का उपयोग	चित्तूर	सिंचाई	28/04/2009	144.5	राज्य सरकार से मंजूरी की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	2007	महात्मा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जोनाला बोगुडा बैसेंसिंग रिजरवायर के लिए वन भूमि का उपयोग	महबूबनगर	सिंचाई	12/07/2007	114.12	राज्य सरकार से दिनांक 12.07.2007 के पत्र के द्वारा समेकित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।
7.	2006	आंध्र प्रदेश खनिज विकास नि. लि. के पक्ष में पेडेरू प्रभाग के सुनकारामेटा आरक्षित वन में बाक्साईट खनन।	विशाखापट्टनम	खनन	04/07/2008	97.486	सीईसी और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पश्चात् इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गऐ है।
8.	2006	मै. एपीएमडीसी लि. द्वारा विशाखापट्टनम प्रभाग के अनंतगिरी के रथकोडा डिपाजिट क्षेत्र से बाक्साइट खनिज के उत्खनन के लिए वन भूमि का उपयोग	विशाखापट्टनम	खनन	24/09/2009	54.657	सीईसी और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पश्चात् इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गऐ है।
9.	2006	एपीएमडीसी लि. द्वारा मुलियागालुगु आरएफ बीट कम्पार्टमैंट सं. 6 तथा 7 से बाक्साइट के निकालने के लिए वन भूमि का उपयोग	विशाखापट्टनम	खनन	04/07/2008	153.665	सीईसी और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पश्चात् इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गऐ है।
10.	2008	एससीसीएल (कोयला खनन) द्वारा बेलमपाली प्रभाग के बेलमपाली आरएफ के कंपार्टमेंट सं. 376,/377 तथा 378 में शंखतीखानी लॉग वाल में बारे होल्स के 27 नं. की व्यापक खोज तथा ड्रिलिंग के लिए सर्वेक्षण जांच एवं	आदिलाबाद	खनन	21/11/2008	0.27	21.11.2008 को एफएसी में विचार किया गया राज्य सरकार से 18.12.2008 के पत्र द्वारा सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.	2008	साउथ सेंट्रल कोलाफील्ड्स लि. (कोयला खनन) द्वारा नरवेटपेट बीट बेलमपल्ली प्रभाग के 73 बोरहोलस की ड्रिविंग तथा एक वर्जिन कोल ब्लाक्स में विस्तृत खोज हेतु सर्वेक्षण, जांच एवं प्रोस्पेक्टिंग के लिए अनुमति	आदिलाबाद	खनन	18/12/2008	0	21.11.2008 को एफएसी में विचार किया गया राज्य सरकार से 18.12.2008 के पत्र द्वारा सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	2008	साउथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (कोयला खनन) के मंचीरियल प्रभाग के आर एफ इन्रम के 116 बोरहोल्स के 3 वर्जिन कोल ब्लाक्स की व्यापक खोज एवं बोर होल्स की ड्रिजिंग के लिए सर्वेक्षण जांच एवं प्रोक्पेक्टिंग	आदिलाबाद	खनन	18/12/2008	0	21.11.2008 को एफएसी में विचार किया गया राज्य सरकार से 18.12.2008 के पत्र द्वारा सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
13.	2008	साउथ सैंट्रल कोलफील्ड्स लि. (कोयला खनन) द्वारा कोठागुडेम प्रभाग के इन्दारम आरएफ के 11 वर्जिन कोल ब्लाक्स की व्यापक खोज एवं बोरहोल्ड की ड्रिलिंग के लिए सर्वेक्षण जांच एवं प्रोस्पेक्टिंग हेतु अनुमति	कोठागुडम	खनन	13/02/2008	0	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 13.02.2008 के पत्र के द्वारा क्षेत्र के बारे में बताने और उसे इस मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया गया है।
14.	2008	एपीएमडीसी लि., हैदराबाद के पक्ष में महबूबाबाद रेंज के इंगुरती पूर्व में खनन पट्टे के लिए 4.916 है. वन भूमि का उपयोग	वारांगल	खनन		4.916	राज्य सरकार से दिनांक 28.8.2009 के पत्र द्वारा 2008 के डब्ल्यु पी सं. 16298 में 2008 की डब्लयु पीएमपीसं. 21104 में माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के दिनांक 30.7.08 के स्थगन आदेश को रद्द करने तथा जारी करण बताओं नोटिस पर निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
15.	2008	सीजीएम, एससीसीएल, मनुगुरू के पक्ष में कुनावरम ओपन कास्ट प्रोजेक्ट मनुगुरू के लिए अस्वपुरम रेंज के कोंडापुरम आर एक के कंपा सं. 9 में 21.09 है. वन भूमि का उपयोग	खम्मम	खनन		21.09	इस प्रस्ताव पर 22/6/09 की सीएजी की बैठक में विचार किया गया था। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों में यह पाया कि प्रस्तावित क्षेत्र में वासस्थल है तथा इतने पास में कोयला खनन से पड़ोसी जिला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
16.	2008	श्री बी. श्रीराममुलु, बेलारी के पक्ष में कलर ग्रेनाइट के लिए एस वाई न. 328, कम्पार्ट, सं. 507, देवीकांडा आरएफ करीमनगर, पश्चिम प्रभाग में 20.00 हे. वन भूमि का उपयोग	करीमनगर	खनन		20	राज्य सरकार से दिनांक 24.9.09 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.07.09 तथा 03.08.2009 के पत्र सं. 11.9/1988 एफसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने और जरूरी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	2009	एससीसीएल के पक्ष में फिरलि ओसीपी-II एच-II के लिए तिरयानी आरएफ बेलमपाली में 26.9 हे. वन भूमि का उपयोग	आदिलाबाद	खनन		26.9	राज्य सरकार से दिनांक 25.9.09 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.07.09 तथा 03.08.2009 के पत्र सं. 11.9/1988 एफसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने और जरूरी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।
18.	2009	मे. सहांय मेटल्स एंड मिनरल्स प्रा.लि. के पक्ष में पत्थर तथा धातु उत्खनन के लिए रंगापुर आरएफ, मधानी (आर) के कंपार्ट 711 में 2.34 हे. वन भूमि का उपयोग	करीमनगर	खनन		2.34	राज्य सरकार से दिनांक 24.9.09 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.07.09 तथा 03.08.2009 के पत्र सं. 11.9/1988 एफसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने और जरूरी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।
19.	2009	एससीसीएल के पक्ष में रेबीना तथा तंदुर आर एफ एस में बेलमपाली ओपी-II विस्तार परियोजना बी तथा 'डी' ब्लाक	आदिलाबाद	खनन	20/07/2009	108.78	एफसी द्वारा विचार किया गया तथा राज्य सरकार से 9.11.09 को अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए है।
20.	2007	बीयूडीए, विशाखापतनम के पक्ष में "कार्तिक वनम" के लिए विशाखापतनम प्रभाग में 4.00 है. वन भूमि का उपयोग	विशाखापट्टनम	अन्य		4	राज्य सरकार से दिनांक 14.10.2008 के पत्र द्वारा अवैध कब्जों के दोषी अधिकारियों पर की गई/की जाने वाली कार्रवाई की स्थिति और तटीय क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित अनुसार सीआरजेड संदर्भ में भूमि की स्थिति भेजने का अनुरोध किया गया था।
21.	2008	आईआरडीएम, चितूर के पक्ष में गोल्डन सिटी अस्पताल और लेक्चर हाल के निर्माण के लिए संपर्क मार्ग बिछाने हेतु चिल्मातुर आर एफ के कम्पार्ट 330 और 331 में 1.72 हे. वन भूमि का उपयोग	चितूर	अन्य	09/10/2009	1.72	इस कार्यालय ने अपने पत्र के द्वारा राज्य सरकार से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30.7.2009 तथा 3.8.2009 के पत्रों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	2008	मे. आंध्र प्रदेश सीमेंट्स लि. गुन्टूर के पक्ष में रामापुरम से गमलापाडु एमएल तक चूना पत्थर के परिवहन के लिए गुन्टूर प्रभाग के रामालापाडू में 0.624 हे. वन भूमि का उपयोग	गुन्टूर	अन्य	05/11/2008	0.624	राज्य सरकार से दिनांक 7.10.2009 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30.7.2009 तथा 3.8.2009 के पत्र संख्या 11-9/1988-एफसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया है।
23.	2009	सहायक आयुक्त, बोयाकोंडा, चित्तूर के पक्ष में श्री बायो कोंडा के विकास के लिए बायाकोंडा, आरएफ में 4.95 हे. वन भूमि का उपयोग	चित्तूर	अन्य		4.95	राज्य सरकार से दिनांक 06.11.2009 के पत्र द्वारा विस्तृत योजना तथा प्रत्येक प्रयोजन के लिए क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र के साथ संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि इस पर आगे विचार किया जा सके।
24.	2009	साउथ सेंट्रल रेलवे के पक्ष में जन पहाड़ रेलवे स्टेशन से पेना सीमेंट उद्योग लि. ग्रेट तक रेलवे साइडिंग टेक आफ लाइन के निर्माण के लिए सैदुजानामा, आरएफ, नालगोंडा जिले में 3.34 हे. भूमि का उपयोग	नालगोंडा	रेलवे		3.34	राज्य सरकार से दिनांक 25.09.2009 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30.7.2009 तथा 3.8.2009 के पत्र संख्या 11.9/1988-एफसी के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने और जरूरी सूचना देने का अनुरोध किया गया है।
25.	2009	ब्रहमणी उद्योग लि. (बीआईएल) के पक्ष में मुडानुरूर रेलवे स्टेशन से इंस्पात संयंत्र तक बीजी रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रोडामूर प्रभाग, कडापा जिले के कोसिनेपेली में 2.9 हे. वन भूमि का उपयोग	कुडप्पा	रेलवे		2.9	राज्य सरकार से दिनांक 5.11.2009 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30.7.2009 तथा 3.8.2009 के पत्र संख्या 11-9/1988-एफसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	2009	संयंत्र में कच्ची सामग्री लाने और तैयार माल की बाहर आवाजाही के लिए विश्नुपुरम जनपहाड़ मेन बीजी लाइन तक रेलवे साइडिंग टेकिंग आफ के लिए नालगोंडा प्रभाग के सैदुलानामा में 2.60 हे. वन भूमि का उपयोग	नैल्लौर	रेलवे		2.6	राज्य सरकार से दिनांक 5.11.2009 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30.7.2009 तथा 3.8.2009 के पत्र संख्या 11-9/1988-एफसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में जांच करने और जरूरी सूचना देने का अनुरोध किया गया है।
27.	2009	कृष्णापतनम पोर्ट कं. लि. के पक्ष में कृष्णापतनम जंक्शन से कृष्णापतनम पोर्ट के बीच नई एड्क तथा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नैल्लौर प्रभाग के इपुरू आर एफ में 16 हे. वन भूमि का उपयोग	नैल्लौर	रेलवे		16	राज्य सरकार से दिनांक 30.9.2009 के पत्र के द्वारा 30 मीटर तक की चौड़ाई तक सीमित रखने का संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है क्योंकि आवेदित सड़क एवे रेलवे लाइन की ऊंचाई बहुत अधिक अर्थात् 100 मीटर से 300 मीटर तक है।
28.	2009	पीसीआईएल-पेना सीमेंट उद्योग लि. के पक्ष में इनप्लांट रेलवे साइडिंग के लिए नालगोंडा प्रभाग के सैदुल्तानामा आरएफ में 1.85 हे. वन भूमि का उपयोग	नालगोंडा	रेलवे		1.85	राज्य सरकार से दिनांक 25.09.09 के पत्र द्वारा यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि रेलवे लाइन को विश्नुपुरम जनपीड़ मुख्य रेलवे लाइन तक क्यों नहीं बिछाया जा रहा है तथा प्रस्ताव की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में जांच करने का अनुरोध किया गया है।
29.	2003	वुडा द्वारा विशाखापटनम मिमली के लिए सड़क को चौड़ा करना और सुधार के लिए विशाखापतनम रेंज एवं सर्कल में सीताकोंडा (चिंगादिली) आरएफ में 0.4045 हे. वन भूमि का उपयोग	विशाखापट्टनम	सड़क	25/03/2004	0.4045	राज्य सरकार से इस कार्यालय के दिनांक 25.03.2004 के पत्र द्वारा मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा है। यह सीआरजैड उल्लंघन के उल्लंघन से संबंधित है तथा रिपोर्ट लंबित है।

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	2007	चेडमल से मनछिपा तक सड़क बनाने के लिए निजामाबाद के प्रभाग के कम्पार्टमैंट से. 147ण 148 तथा 149 की 5.08 हे., काम्पारेडी प्रभंग के गांधीहारी आर एफ' की कम्पार्ट, 757 तथा 756 की 3.96 हे. वन भूमि, अर्थात् 9.09 हे. वन भूमि का उपयोग।	निजामाबाद	सड़क	06/10/2009	9.04	राज्य सरकार से दिनांक 5.06.2009 के पत्र के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के बारे में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन, एक उपयुक्त इंडेक्स मैप, निज़ामाबाद डिवीजन के लिए जीसीएफ का साइट निरीक्षण रिपोर्ट, आवश्यक वास्तविक और अपेक्षित क्षेत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
31.	2007	पी एण्ड की विभाग के पक्ष में कडपा जिले में के एम 23/4 से 24/4 तक शयाचोटी-वेमपाली सड़क के निर्माण के लिए 0.3825 हे. वन भूमि का उपयोग	कुद्दापथ	सड़क		0.3825	राज्य सरकार से दिनांक 16.02.2007 के पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम तथा पदनाम भेजने का अनुरोध किया गया है।
32.	2008	कार्यापालक अधिकारी, लक्ष्मी नरसिम्हा स्पामी मंदिर के पक्ष में सड़क बनाने, पोण बिछाने तथा 11 के वी विद्युत लाइन विछाने के लिए मरकापुर डब्ल्यु एल एम प्रभाग के पोडी लि कोंडा आर एफ में 3.3 हे. वन भूमि (संशोधित 0.586 हे.) का उपयोग	प्रकासम	सड़क		0.586	राज्य सरकार से दिनांक 11.09.09 के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 11 के वी लाइन के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है तथा अलग प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है क्योंकि वर्तमान राइट आफ वे केवल 3.66 मीटर है।
33.	2009	बाहरी सड़क परियोजना, चरण-II बी-हुडा अग्रिम कार्यों के लिए कांडलाकोई (10.354 हे.), शमीरपेट (10.610) आरक्षित वन में 98.093 हे. वन भूमि का उपयोग।	हैदराबाद	सड़क		98.093	राज्य सरकार से ईडीएस की प्रतीक्षा है।
34.	2009	आर एंड बी डिपार्टमैंट के पक्ष में रिपाड अंतर्गत तीन सड़कों के निर्माण के लिए 8.954 हे. वन भूमि का उपयोग	विजय नगरम	सड़क		8.954	राज्य सरकार से दिनांक 24.09.2009 के पत्र द्वारा इन्डेक्श मैंच, सी ए क्षेत्र तथा सी ए मैप का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	2009	कार्यपालक अभियंता, आर एंड वी प्रभाग, मिरयालगुडा के पक्ष में के लिए 25/4 से के एम 31/0 तक डिंडी पी डब्लयु डी सड़क से केशराजपल्ली पर रेड कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 5.60 कि.मी. सड़क के निर्माण के लिए निडुगंल आर एफ, नालगोंडा जिले में 8.70 हे. वन भूमि का उपयोग	नलगोंडा	सड़क		8.7	राज्य सरकार से दिनांक 30.10.2009 के पत्र द्वारा एनबीडब्ल्यु एल तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने तथा इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव पर विचार करने हेतु भेजने का अनुरोध किया है।
36.	2009	पंचायत राज विभाग के पक्ष में रियाड के अंतर्गत आठ मार्गों के निर्माण के लिए 22.7639 हे. वन भूमि का उपयोग	विजय नगरम	सड़क		22.7639	राज्य सरकार से दिनांक 24.9.09 के पत्र द्वारा सी ए क्षे की उपयुक्तता तथा राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी-द्वारा अधिप्रमाणित सी ए मैप भेजने का अनुरोध किया।
37.	2009	अध्यक्ष एवं सचिव, कालीगिरी एस वी एस टी समिति, चित्तूर के पक्ष मे सड़क के निर्माण के लिए चित्तूर पूर्वी प्रभाग के चित्तूर पश्चिमी प्रभाग में पुचलापट. टू आर एफ के कम्पार्टमेंट सं. 446 में 1.488 हे. भूमि का उपयोग।	चित्तूर	सड़क		1.488	राज्य सरकार से दिनांक 25.09.2009 के पत्र द्वारा (i) मंडल राजस्व अधिकारी, पेनूमुर- से कलेक्टर, चित्तूर को मंदिर की अवसंरचना के विकास के भाविष्य में लिए 650.59 एकड़ भूमि के उपयोग के लिए भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा भेजने का अनुरोध किया गया है।
38.	2009	डॉ. पी रमेश रेड्डी, नेल्लौर के पक्ष में निजी खेतों से कृष्णापटनम पोर्ट रोड तक सम्पर्क सड़क के निर्माण के लिए नेल्लौर प्रभाग के निर्माण के लिए नेल्लौर प्रभाग के सर्वेपल्ली आर एफ में 0.912 हे. वन भूमि का उपयोग।	नेल्लौर	सड़क		0.912	राज्य सरकार से दिनांक 25.09.2009 के पत्र द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 30.07.09 तथा 3.08.09 के पत्र के पत्र सं. 11.9/1988-एफसी (पार्ट) के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने एवं ज़रूरी सूचना भेजने का निदेश हुआ है।
			नालगोंडा	सड़क		0.2	राज्य सरकार से दिनांक

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	2009	श्रीमती वी विमाला के पक्ष में नालगोंडा प्रभंग के सोमाजीपल्ली आर एफ के माध्यम से राइट आफ वे के निर्माण के लिए 0.2 हे. वन भूमि का उपयोग					25.09.2009 के पत्र द्वारा पर्यावरण एव वन मंत्रालय के दिनांक 30.07.09 तथा 3.08.09 के पत्र के पत्र सं. 11.9/1988-एफसी (पार्ट) के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्रस्ताव की जांच करने एवं जरूरी सूचना भेजने का निदेश हुआ है।
40.	2009	मे. अग्रवाल फाउन्ड्रीज प्रा. लि., हैदराबाद के पक्ष में 132 के वी ए विद्युत लाइन बिछाने के लिए मनोहराबाद के कम्पार्टमैट 187 में 0.133 हे. वन भूमि का उपयोग।	मेडक	लाइन	09/10/2009	0.133	राज्य सरकार से दिनांक 9.11.2009 के पत्र द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से एन जी वी के भुगतान हेतु अंडरटेकिंग भेजने का अनुरोध किया गया है।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र को कोयला ब्लाकों का आबंटन

4265. **श्री सोमेन मित्रा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) को झारखंड में बोकारो, महल तथा तेंगूघाट झिक्की में कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खानों में विभिन्न तकनीकी, भौगोलिक तथा सतह संबंधी बाधाएं हैं तथा यहां खनन नहीं किया जा सकता;

(घ) क्या वीएसपी ने अच्छे वैकल्पिक कोकिंग कोयला ब्लाकों के आबंटन का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उसके अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो वीएसपी को अच्छे कोकिंग कोयला ब्लाकों के आबंटन के बारे में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., विशाखापतनम को दो कोकिंग कोयला ब्लाक अर्थात झरिया कोलफील्ड में स्थित लगभग 1098.50 मिलियन टन के भू-वैज्ञानिक भंडार वाले महल और इसके इस्पात संयंत्र के लिए झारखंड राज्य में स्थित ईस्ट बोकारो कोलफील्ड्स में लगभग 215.78 मिलियन टन के भू-वैज्ञानिक भंडार वाले तेलुघाट झिरकी का आबंटन किया गया था।

(ग) इस्पात मंत्रालय ने इन दोनों कोयला ब्लाकों अर्थात महल और तेनूघाट झिरकी को लौटा दिया है। इस्पात मंत्रालय ने प्रतिकूल स्थितियां और अत्यधिक निवेश, निम्न निष्कर्षणीय भंडार तथा उत्पादन लागत का होना इसके लौटाने के कारण बताए हैं जिसमें खनन आरंभ करने में न्यूनतम 9 वर्ष लग सकते हैं।

(घ) और (ङ) इस्पात मंत्रालय ने ओपनकास्ट खनन की संभावनाओं वाले अन्य अच्छे कोकिंग कोयला ब्लाकों के आबंटन का अनुरोध किया है। वर्तमान दिशा-निर्देशों में, लौटाए गए कोयला ब्लाक के बदले में वैकल्पिक कोयला ब्लाक के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना

4266. श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री एन. पीताम्बर कुरूप :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़, केरल तथा वड़ोदरा सहित देश में पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में विशेषकर तिरूवनंतपुरम में वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों के आधुनिकीकरण/नवीकरण हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) भारत में कितने पासपोर्ट कार्यालय किराए के भवनों में चल रहे हैं; और

(ङ) इस समस्या के सामाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) पूरे देश में 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय कार्य कर रहे हैं। पासपोर्ट सेवा परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में चंडीगढ़, केरल और वड़ोदरा सहित 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद, और तिरुवनन्तपुरम स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में आईटी बुनियादी सुविधा का उन्नयन करने का एक प्रस्ताव है। इस उन्नयन कार्यक्रम के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। तिरूवनंतपुरम में सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए भी अन्य कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) 19।

(ङ) मंत्रालय का प्रयास है कि सभी पासपोर्ट कार्यालय सरकारी स्वामित्व के भवनों में स्थापित किये जाएं। फिलहाल 9 जगहों पर भूमि की खरीद की गई और निर्माण कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु योजनाएं/परियोजनाएं

4267. डॉ. संजय जायसवाल :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री जयंत चौधरी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) के विकास हेतु राज्य-वार कौन-कौन सी योजनाएं/परियोजनाएं चलाई गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन योजनाओं/परियोजनाओं हेतु राज्य-वार कितनी राशि आबंटित तथा जारी की गई;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठन भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उन्हें दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु नई योजनाएं/परियोजनाएं आरंभ करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"कच्छ वनस्पति का संरक्षण"

4268. श्री एंटो एंटोनी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कच्छ वनस्पति के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंध के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उनकी प्रबंध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सर्वेक्षण और सीमांकन, कच्छ वनस्पति रोपण, पुनर्वास और पुनरुद्धार, आजीविका सहायता, सुरक्षा और निगरानी उपाय और शिक्षा और जागरूकता जैसे घटकों के लिए अभिनिर्धारित स्थलों में अनुमोदित प्रबंध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राष्ट्र व्यापी आधार पर कच्छ वनस्पति के रोपण और उनके संरक्षण और प्रबंध के लिए उपयुक्त 38 स्थल अभिनिर्धारित किए गए हैं। राज्य-वार सूची विवरण में दी गई है। इनमें से 2 स्थल केरल में हैं, नामतः वैम्बनाद और कन्नौर। केरल सरकार ने मई, 2006 में कन्नौर और वैम्बनाद पर कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंध के लिए संशोधित कार्य योजनाएं प्रस्तुत की थीं। मंत्रालय द्वारा, 2006-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए कन्नौर के लिए 49.21 लाख रु. और वैम्बनाद के लिए 51.25 लाख रु. स्वीकृत किए थे। चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल सरकार ने कन्नौर अथवा वैम्बनाद के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित तालिका में 2006-07 से चालू वित्त वर्ष (नवम्बर, 2009 तक) तक कच्छ वनस्पति के संरक्षण और प्रबंध के लिए राज्य सरकारों को जारी धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	17.06	34.46	—	—
3.	गोवा	3.65	5.19	14.9468	10.39872
4.	गुजरात	170.45	226.25	177.6176	119.968
5.	कर्नाटक	130.35	—	54.933	—
6.	केरल	75.45	14.76	10.25	—
7.	महाराष्ट्र	—	—	—	—
8.	उड़ीसा	25.50	65.70	85.664	83.226
9.	तमिलनाडु	64.23	29.61	194.1228	49.0957
10.	पश्चिम बंगाल	55.87	149.00	213.906	—

विवरण

भारत में कच्छ वनस्पति स्थल

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कच्छ वनस्पति स्थल
1	2
पश्चिम बंगाल	1. सुंदरवन
उड़ीसा	2. वैतरणनिका
	3. महानदी
	4. सुर्वणरेखा
	5. देवी
	6. धर्मा
	7. मैनग्रोव जेनेटिक संसाधन केन्द्र
	8. चिल्का
आंध्र प्रदेश	9. कोरिंगा
	10. पूर्व गोदावरी
	11. कृष्णा
तमिलनाडु	12. पीचावरण
	13. मुथुपेट
	14. रामनाद
	15. पुलीकट
	16. काजूवेली
अंडमान और निकोबार	17. उत्तरी अंडमान
	18. निकोबार
केरल	19. वेंमवनाड
	20. कन्नौर (उत्तर केरल)
कर्नाटक	21. कुन्दापुर
	22. दक्षिण कन्नड़/होनावास
	23. करवार
	24. मंगलौर वन प्रभाग
गोवा	25. गोवा
महाराष्ट्र	26. अचरा-रत्नागिरि
	27. देवगढ़-विजयदुर्ग
	28. वेल्दूर
	29. मुम्ब्रा-दिवा
	30. कुण्डालिका-रेवदंदा
	31. विकरौली
	32. श्रीवर्धन
	33. वैतरणा
	34. वसाई-मनौरी
	35. मालवन
गुजरात	36. कच्छ की खाड़ी
	37. खंभात की खाड़ी
	38. दुमास-उभराट

[हिन्दी]

गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएं

4269. श्री आर.के. सिंह पटेल :
श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री जयराम पांगी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपके मंत्रालय की उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष-वार तथा योजना-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ग) योजना के निष्पादन में असंतोषजनक कार्यकरण के लिए आपके मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 'सेमिनार' तथा 'भवन निर्माण' योजनाओं के अंतर्गत सहायता हेतु दिशानिर्देश/मानदंड क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ङ) इस संबंध में उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रोजगार बढ़ाने के लिए प्रमुख क्षेत्र की पहचान

4270. **श्री एस. अलागिरी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या कम करने के मद्देनजर सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां विकास दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की विकास दर में वार्षिक कितनी वृद्धि की जानी है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन क्षेत्रों में कितनी विकास दर दर्ज की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) का लक्ष्य कृत्रि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4%, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10 से 11% और सेवा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 9 से 11% की लक्षित वृद्धि दर के साथ-साथ प्रतिवर्ष 9% की औसत वृद्धि दर प्राप्त करना है। इस वृद्धि की समावेशिता को दर्शाते हुए, इन वृद्धि लक्ष्यों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, बहु-आयामी आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप वास्तविकता में बदला गया है। इनके अंतर्गत 58 मिलियन नये रोजगार अवसर सृजित करना और 10 प्रतिशतता बिन्दु तक उपभोग गरीबी के प्रति व्यक्ति अनुपात में कमी करना शामिल है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) के प्रथम वर्ष के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में 4.9%, औद्योगिक क्षेत्र में 8.1%, और सेवा क्षेत्र में 10.3% सहित 9% होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में मंदन था तथा 2008-09 के दौरान सूखे की स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर थी। वर्ष 2008-09 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में 1.6%, उद्योग में 4.2% और सेवा क्षेत्र में 10% की वृद्धि सहित 6.7% (संशोधित अनुमान) होने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही के अनुमानों से पता चलता है कि जीडीपी वृद्धि पर कृषि में 2.4%, उद्योग में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि के साथ-साथ 6.1% है। वर्ष 2009-10 की द्वितीय तिमाही के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी जीडीपी की वृद्धि दर के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि जीडीपी की वृद्धि दर उद्योग में 8.2% और सेवा क्षेत्र में 9.6% के साथ 7.9% है जो अर्थव्यवस्था में सुधार दर्शाती है। तथापि, कृषि क्षेत्र में वृद्धि चिंता का क्षेत्र बना हुआ है।

नैट परीक्षा की समीक्षा

4271. **श्री नीरज शेखर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) की समीक्षा हेतु गठित मुंगेकर समिति की अंतिम सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एनईटी परीक्षा के मूल्यांकन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छूट देता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यूजीसी अगली परीक्षा के विज्ञापन से पूर्व नैट परीक्षा के परिणाम की घोषणा नहीं करता;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार नैट परीक्षा की तैयारी कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की कोचिंग हेतु केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजनाएं बनाने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) उक्त परीक्षा को पास करने में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर मुंगेकर की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि अभ्यर्थी के एम. फिल अथवा पी.एच.डी. डिग्री धारी होने पर ध्यान दिए बिना अवर स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तर पर शिक्षण के लिए लेक्चरर की नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा के रूप में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए। सरकार ने विनियमों के तहत निर्धारित किए गए कठोर मानदंडों के अनुसार पी.एच.डी. धारी व्यक्तियों को छूट प्रदान करते हुए इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। तद्नुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 1 जून, 2009 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और इससे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर प्रोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) तृतीय संशोधन विनियम, 2009 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाविधि) विनियम, 2009 अधिसूचित किए हैं।

उच्चतर शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता बड़ी चिन्ता का मामला है। जब केन्द्र सरकार ने कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार किया तो सरकार ने शिक्षकों के लिए समूह "क" सिविल सेवा के अधिकारियों से अधिक वेतन और अन्य भत्तों के संबंध में इस शर्त पर सहमति व्यक्त की थी कि शिक्षकों की पात्रता शर्तों को कठोर बनाया जाएगा तथा अर्हताएं भी उच्च स्तर की होगी। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कठोर प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से और वेतन तथा प्रोत्साहनों को उदार बनाने से कालान्तर में शिक्षण व्यवसाय में सर्वेत्तम प्रतिभावान व्यक्ति ही आएंगे।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2009 में आयोजित की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में छूट प्रदान करना शुरू किया है।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्यतः अगली परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर देता है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार जून, 2009 में आयोजित की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का परिणाम इस तथ्य के कारण विलंब से घोषित किया गया था कि मूल्यांकन स्थल अर्थात् पुणे स्वाइन फ्लू के संक्रमण से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था और मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे।

(छ) से (झ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्कों से संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेक्चरर बनाने के लिए अनिवार्य पात्रता है, के लिए तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक कोचिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत चुनिंदा विश्वविद्यालयों द्वारा कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 100 प्रतिशत आधार पर अनुदान प्रदान करता है।

कोयले में सरकारी-निजी भागीदारी

4272. डॉ. जी. विवेकानन्द : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोयले के दोहन में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) कोयला ब्लाकों का आबंटन भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत पात्र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है। जांच समिति के माध्यम से कैप्टिव व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित कोयला ब्लाकों के संबंध में आबंटिती सरकारी

कंपनी आबंटित ब्लाक से कोयले के निष्कर्षण के लिए संबद्ध/सहायक कंपनी को तैनात कर सकती है जिसे कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(क)(iii)(4) के अंतर्गत रापपत्र अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित कोयला ब्लाकों के संबंध में कोयला खनन आबंटिती सरकारी कंपनी अथवा आबंटी सरकारी कंपनी की भागीदारी से सृजित की जाने वाली एक पृथक कंपनी द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार सृजित की गयी पृथक कंपनी कोयला खनन करने के लिए एक पात्र सरकारी कंपनी हो।

'ताज संरक्षण मिशन'

4273. प्रो. रामशंकर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज महल के संरक्षण से संबंधित कई परियोजनाए स्वीकृति हेतु मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा ये परियोजनाएं कब से लंबित है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) 1984 की रिट याचिका संख्या 13381 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ताजमहल के पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु प्रथम चरण में 10 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। इसके पश्चात, ताज महल की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं वर्ष 2006 से आगे उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं ताज ट्रैपेजियम जोन हेतु वनीकरण, 21 आगरा सिटी सड़कों का सुधार, आगरा बैराज, ताज महल के पश्चिमी गेट पर पार्किंग, आगरा में सीवेज प्रणाली के सुधार, बिजली आपूर्ति में सुधार, आगरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उन्यन आदि से संबंधित हैं।

उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि किसी भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरणीय लाभों और ताज महल की पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए उन परिवर्तनों को देखने के लिए जो आकलन करने के लिए पूर्व की निष्पादित परियोजनाओं के पर्यावरणीय ऑडिट के रूप में परियोजना बाद-मूल्यांकन किया जाए। तदनुसार, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) नागपुर को मूल्यांकन-बाद अध्ययन करने के लिए कहा गया था। एनईईआरआई ने केन्द्र सरकार को हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

[हिन्दी]

निजी स्कूलों में मिड-डे-मील योजना

4274. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी/नियमित मान्यताप्राप्त स्कूल सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे मिड-डे-मील से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भविष्य में निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मिड-डे-मील प्रदान करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत सरकारी (स्थानीय निकाय सहित) सरकारी सहायता प्राप्त, शिक्षा गारंटी स्कीम के अंतर्गत संचालित केन्द्र/वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता-प्राप्त मदरसे/मकतब शामिल हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने एक राष्ट्र स्तरीय समिति गठित की है जो गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं सहित आदिवासी क्षेत्रों में निजी रूप से प्रबंधित गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को शामिल करने के लिए मध्याह्न भोजन स्कीम का विस्तार करने की जांच करेगी।

बोधगया में बौद्ध इतिहास संबंधी उत्खनन

4275. श्री हरि मांझी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोधगया तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बौद्ध इतिहास के अवशेषों का उत्खनन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विचार बौद्ध इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु उपरोक्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) बोधगया और इसके निकट बौद्ध इतिहास की वस्तुओं तथा स्थानों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) बोधगया में तथा इसके आस-पास किसी भी प्रकार का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी अन्य एजेंसी द्वारा शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) बोधगया के नजदीक बकरौर में सुजातागढ़ एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है। यहं भलीभांति संरक्षित है। सुजातागढ़ तथा बोधगया के आस-पास के क्षेत्र से प्राप्त पुरावशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बोधगया पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय में परिरक्षित हैं।

लकड़ी की तस्करी

4276. श्री राम सुन्दर दास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में लकड़ी की तस्करी से संबंधित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं;

(ख) न्यायालयों में ऐसे कितने मामले लंबित हैं तथा उपरोक्त अवधि के दौरान अन्य मामलों में आरंभ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए एक कार्यबल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए किन-किन राज्यों में इस कार्यबल की तैनाती की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) इमारती लकड़ी की तस्करी को रोकने और तदनंतर न्यायालय को भेजे गए मामलों समेत वनों की सुरक्षा करने का दायित्व राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों का है। इसलिए इमारती लकड़ी की तस्करी और न्यायालय में तत्संबंधी लंबित पड़े मामलों के आंकड़ों का समाकलन केन्द्रीय स्तर पर नहीं होता है।

(ग) से (ङ) देश में इमारती लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अपनी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट' के अंतर्गत वन संरक्षण के लिए ढांचागत सुविधाओं तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा इमारती लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

संस्कृत व्याख्याता

4277. श्री शिवराज भैया :
डॉ. भोला सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संस्कृत के व्याख्याताओं हेतु अधिकांश पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अंग्रजी अथवा हिन्दी में चलाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार संस्कृत सहित विभिन्न विषयों में संकाय हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा दिग्विन्यास कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में स्थित अकादमिक स्टाफ कालेजों (एएससी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संस्कृत लेक्चरर्स के लिए ऐसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन उस्मानिया विश्वविद्यालय (आंध्र प्रदेश), कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय (हरियाणा), जय नारायण व्यास

विश्वविद्यालय (राजस्थान), इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश) में किया जाता है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजना उस संचार माध्यम से किया जाता है जो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा रहे हैं कि जहां तक संभव हो संस्कृत लेक्चरर्स के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रों के आयोजन हेतु संचार का माध्यम संस्कृत भाषा में होना चाहिए।

[हिन्दी]

जिला कलैक्टरों की भूमिका

4278. **श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम पी लैड योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में जिला कलैक्टरों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या जिला कलैक्टर उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का निरीक्षण, जांच तथा निगरानी करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एम पी लैड योजनाओं से स्वीकृति के बाद भी कार्य करने में विफल रहे चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जिला कलेक्टर (डीसी) जिला प्राधिकारी है। जिला कलेक्टर से यह अपेक्षित है कि वह राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की प्रशासनिक कार्यविधि के अनुसार कार्य की जांच, तकनीकी कार्य के आकलन, टेंडर देने के लिए स्थापित कार्य-पद्धति का अनुसरण करे। जिला कलेक्टर पर ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने का भी दायित्व है जो पात्र कार्य को गुणवत्ता के साथ, समय पर और असंतोषजनक ढंग से निष्पादित कर सके।

जिला प्राधिकारी, जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है तथा उससे यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत कार्यान्वयनाधीन कार्यों का निरीक्षण करे। जिला कलेक्टर के स्तर पर मॉनीटरिंग के अलावा, सभी एमपीलैड कार्यों का कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है तथा मॉनीटरिंग की जाती है।

(घ) मंत्रालय के ध्यान में कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं, जहां कार्यनिष्पादन एजेंसियां जिला प्राधिकारी के स्वीकृति आदेश के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रही हैं। ऐसे मामलों में, मंत्रालय कार्यनिष्पादन एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारी को निदेश देता है।

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान संस्थान

4279. **श्री के.पी. धनपालन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसी भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) को संस्थान के रूप में में उन्नयन करने के लिए मापदंड/मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) किसी संस्थान को भारतीय विज्ञान संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए कोई निश्चित मानक/मानदंड प्रचलित नहीं हैं। एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम में की गई है, जो अगस्त, 2008 से कार्य कर रहा है। यह संस्थान प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर देश में स्थापित पांच (5) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

[हिन्दी]

नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

4280. **श्री अर्जुन मुंडा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने

में कितनी अनुमानित निधियों के व्यय होने की संभावना है और संयंत्र-वार विदेशी निवेश का कितना हिस्सा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): परमाणु विद्युत संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर स्थापित करने के लिए अपेक्षित निधियों संबंधी ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

सीआईसी/एसआईसी कार्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

4281. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित सूचना आयुक्तों की चौथी वर्षगांठ के सम्मेलन में सीआईसी तथा इसकी राज्य इकाइयों को निम्न बजटीय प्रावधानों सहित विकीर्ण कार्यालय परिसरों, मूलभूत कार्यालय उपकरणों तथा श्रमशक्ति के अभाव संबंधी कठिनाईयों को उजागर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सीआईसी तथा एसआईसी कार्यालयों को उन्हें प्राप्त तथा निपटाई जा रही शिकायतों की संख्या के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं तथा श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए 116 पदों को स्वीकृत किया है। आयोग ने अपनी स्टाफ संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार इस समिति की रिपोर्ट, जैसे ही यह प्राप्त होती है, की जांच करेगी। आयोग को दिल्ली में स्थान आबंटित कर दिया गया है। आयोग के एक भवन के निर्माण के लिए एक भूखंड भी आबंटित कर दिया गया है। राज्य सूचना आयोगों को स्टाफ देना तथा जगह एवं अन्य सुविधाएं मुहैया करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार एक केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सूचना आयोगों को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थता के लिए कुछ सहायता प्रदान कर रहा है।

महिला साक्षरता

4282. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 80% महिला साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त के दौरान कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस व्यय में केन्द्र और राज्यों का हिस्सा कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 80 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नए स्वरूप साक्षर भारत के तहत 11वीं योजना के अंत तक 60 मिलियन महिलाओं को साक्षर बनाने पर विचार किया गया है।

(ख) और (ग) साक्षर भारत के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान परिकल्पित व्यय 6000 करोड़ रुपए है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में इसकी भागीदारी 90:10 के अनुपात में होगी।

[हिन्दी]

अध्यापन कार्य में बाधा

4283. **श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित विभिन विश्वविद्यालयों में अध्यापकों/प्रोफेसरों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में आया है कि अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ की रिक्तियों के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य बाधित हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों एवं सांविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी या परीक्षा नियंत्रक जैसे प्रशासनिक पद रिक्त होने या पदधारी द्वारा अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, इन कार्यों का निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस उद्देश्यार्थ नियुक्त करे। ऐसे प्रशासनिक कार्यों को संभालने वाले अध्यापक हालांकि, अध्यापक के रूप में भी अपने कार्यों को जारी रख सकता है ताकि कोई भी शिक्षण कार्य अव्यवस्थित न हो।

जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संबंध है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक जैसे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है। शिक्षण पदों में से विश्वविद्यालय ने 26 रिक्त पदों को पहले ही भर दिया है तथा शेष रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

ए.एम.यू. का बंद होना

4284. शेख सैदुल हक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) के बंद होने के कारण इस संस्था में अध्यापन कार्य कुछ समय के लिए आस्थगित रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हुई गोलीबारी की एए घटना में, दिनांक 25.10.2009 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एक छात्र की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक वर्ग ने रेलवे लाइनों सहित विश्वविद्यालय परिसर एवं इसके आसपास धरना दिया जिसमें वे अन्य बातों के साथ-साथ कथित अप्रभावी एवं असंवेदनशील प्रशासन के आधार पर कुलपति तथा अन्य विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को तुरंत हटाने तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी यूनियन की तुरंत बहाली की मांग कर रहे थे। दिनांक 1.11.2009 से 15.11.2009 तक विश्वविद्यालय के बंद रहने के कारण शिक्षण कार्य आस्थगित रहा। विश्वविद्यालय ने दिनांक 16.11.2009 से 30.11.2009 तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया।

(ग) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने विद्यार्थियों की समस्याओं की जांच करने तथा इनके समाधान हेतु तुरंत एवं दीर्घकालीन कार्रवाई का सुझाव देने हेतु डीन की एक समिति का गठन किया। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी यूनियन के संबंध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू करने के तौर-तरीकों की जांच करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति की भी नियुक्ति की है। विश्वविद्यालय ने यह आश्वासन दिया है कि अभी हाल ही के धरना-प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसी भी विद्यार्थी को परेशान नहीं किया जाएगा। समझाने-बुझाने के बाद विद्यार्थियों ने दिनांक 26 नवंबर, 2009 को धरना समाप्त कर दिया। विश्वविद्यालय को दिनांक 1 दिसंबर, 2009 से चरणबद्ध ढंग से फिर खोल दिया गया है तथा वर्तमान में सभी कक्षाएं पूरे जोर-शोर से चल रही हैं।

अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक चीन की रेल लाइन

4285. श्री संजय तकाम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश के निकट लहासा से बमला तक रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार भारत-चीन सीमा पर सड़कों और अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) सरकार को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ल्हासा से निंग्ची तक क्विंघाई-तिब्बत रेलवे लाइन के प्रस्तावित विस्तार के बारे में जानकारी है। सरकार सीमा-पार चीन में अवसंरचना के विकास के प्रति सचेत है और उस पर खास तौर से नजर रखे हुए है, ताकि हमारी जायज सामरिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें और साथ ही इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी सुगम हो सके। इसके अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं।

कोयला खनन क्षेत्र को अवसंरचना उद्योग का दर्जा

4286. श्री गजानन ध. बाबर :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कोयला खनन क्षेत्र को अवसंरचना उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) ऊर्जा समन्वय समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मसलों के संबंध में 13.04.2007 को हुई सचिवों की समिति की बैठक में कोयाला खनन क्षेत्र को अवसंरचना उद्योग का दर्जा मंजूर करने के मसले पर चर्चा हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि योजना आयोग इस मसले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाएगा। बदले में योजना आयोग ने यह अवगत कराया कि वित्त मंत्रालय कोयला खनन उद्योग को अवसंरचना के दर्जे के बारे में एकीकृत ऊर्जा समिति से संबद्ध विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने पर सहमत नहीं हुआ।

अध्यापक प्रशिक्षण

4287. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा में सुधार के लिए अध्यापकों के कौशल को सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी निधियों की स्थिति नीचे दी गई है:

शिक्षक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट प्रावधान	जारी की गई निधियां
2006-07	180.00	179.70
2007-08	500.00	315.10
2008-09	500.00	253.70

सर्व शिक्षा अभियान

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट प्रावधान	जारी की गई निधियां
2006-07	635.26	370.43
2007-08	591.62	383.31
2008-09	636.00	449.08

शिक्षक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग के कई कारण थे, जिनमें शामिल हैं: (क) XIवीं योजनावधि के लिए योजना में संशोधन नहीं किया जा सका; और (ख) शिक्षक प्रशिक्षुओं के पदों में रिक्तियां/सर्व शिक्षा अभियान के मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि में प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए क्षमता निर्माण की गति धीमी होने के कारण निधियों का कम उपयोग हुआ।

(घ) और (ङ) माध्यमिक शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुंच के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक नई केन्द्र प्रायोजित योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त शिक्षकों की भरती और सभी माध्यमिक स्तरीय शिक्षकों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

4288. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने प्रतिष्ठान जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य से जुड़े हैं;

(ख) इस संबंध में किए गए अनुसंधान का राज्य-वार क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने इस विभाग में किसी कृतक बल/सलाहकार समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समिति में सदस्यों के चयन हेतु क्या मापदंड अपनाया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जून 2007 में प्रकाशित जैवप्रौद्योगिकी उद्योग एवं संस्थानों की निदेशिका (डारेक्टरी) में उपलब्ध विवरणों के अनुसार 668 संस्थान/विश्वविद्यालय और 374 निजी क्षेत्र की कंपनियां जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य से जुड़ी हैं।

(ख) अनुसंधान के परिणामों का आकलन अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक साइटेशन इंडेक्स में सूचीबद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल वैज्ञानिक अनुसंधान लेखों की संख्या के आधार पर तथा अन्य लेखकों द्वारा प्रति प्रकाशित पेपर ('एच' इंडेक्स) के संबंध में ऐसे प्रकाशनों की प्रशस्तियों के आधार पर किया जाता है। किए गए अनुंसधान का विवरण जैवप्रौद्योगिकी विभाग, ब्लाक 2, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली की वेबसाइट www.dbtindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 23 रिसर्च विषय-विशिष्ट कृतक बल हैं। इन कृतक बलों द्वारा जिन विषयों को देखा जाता है उनमें : कृषि जैवप्रौद्योगिकी, जानवर जैवप्रौद्योगिकी, जल कृषि एवं समुद्री जैवप्रौद्योगिकी, आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान, जैवविविधता संरक्षण एवं पर्यावरण, जैव-अभियांत्रिकी, जैव उर्वरक, बायोइनफार्मेटिक्स, जैव-कीटनाशक एवं फसल प्रबंधन, बायोटेक उत्पाद एवं प्रक्रम विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व ग्रामीण आबादी हेतु जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रम, महिलाओं हेतु जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, मानव जेनेटिक्स व जीनोम विश्लेषण, मानव संसाधन विकास, संक्रामक रोग जीव विज्ञान, अवसंरचना एवं उत्कृष्टता केन्द्र, जैवप्रौद्योगिकी में अन्तर विषयी अनुसंधान समिति, औषधीय व सुगंधित पौधे, चिकित्सीय जैवप्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा - विज्ञान निदान-शास्त्र एवं टीके, पादप जैवप्रौद्योगिकी, रेशमकीट जैवप्रौद्योगिकी तथा स्टेम सैल जीव विज्ञान शामिल हैं। कृतक बलों का गठन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 3-5 वर्ष की अवधि हेतु किया जाता है। कृतक बल अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन संबंधी कार्य देखते हैं तथा उनके निधियन हेतु संस्तुतियां करते हैं। इन समितियों की सदस्यता संबंधी मानदंडों में अत्यधिक उद्धत अन्तर्राष्ट्रीय

पत्रिकाओं में प्रकाशन का ट्रैक रिकार्ड, 'एच' इंडेक्स, प्रकाशनों का संघात कारक, विशेषज्ञता के क्षेत्र में वर्षों के अनुभव का ट्रैक रिकार्ड, विकसित की गई या उद्योग को अन्तरित प्रौद्योगिकियां तथा फाइल किए गए/प्रदत्त पेटेंटों की संख्या शामिल हैं।

[अनुवाद]

बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था

4289. **श्री एम. आनंदन :**

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रथम चरण में नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में तथा बाद में देश के अन्य भागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उपस्थिति की बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली के क्या लाभ हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रणाली में गहरी रुचि दर्शाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) समय पाबंदी संबंधी अनुदेशों में यह परिकल्पित है कि बृहत उद्देश्य के आलोक में कार्यालयों और विभागों के प्रमुखों द्वारा, समयपाबंदी के प्रवर्तन हेतु आवश्यक उपाय विकसित किए जाने हैं। इस विभाग के पास सरकारी कार्यालयों अथवा राज्य सरकारों में चरणबद्ध तरीके से इस प्रणाली को प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की प्रभावकारिता

4290. **श्री बदरूद्दीन अजमल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी स्थित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यरो असम में संगठित वन्यजीव अपराध को नियंत्रित कर पाने में प्रभावी नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान असम में कुल कितने छापे मारे गए और मामले दर्ज किए गए;

(घ) उपरोक्त मारे गए छापों और दर्ज किए गए मामलों में से कितने मामले गुवाहाटी अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्मिकों द्वारा सीधे तौर पर दी गई आसूचना के आधार पर दर्ज किए गए हैं; और

(ङ) गुवाहाटी में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यरो का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) वन्यजीव अपराध नियंत्राण ब्यरो की स्थापना 2007 में की गई थी जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई, चैन्ने, कोलकाता और जबलपुर में हैं। गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में तीन उप क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। यह संगठन नया है और इसमें कोई रिक्त पद हैं। इन पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पंजीकरण किए गए और जब्ती मामलों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	पंजीकृत मामले	जब्ती मामलों की संख्या
2006	8	4
2007	6	2
2008	14	13
2009 (आज तक)	9	30

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने 2008 में एक मामले में और 2009 में 8 मामलों में पूरी सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

इको-पार्क

4291. **श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में इको-पार्क की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त पार्कों पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फिनलैंड के साथ विज्ञान और प्रोद्योगिकी संबंधी समझौता

4292. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिनलैंड सरकार के साथ हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप किन लाभों की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। एक समझौते पर 25 मार्च, 2008 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में जिन क्षेत्रों के लिए सहयोग का प्रावधान किया गया है, वे इस प्रकार हैं:- (i) प्रत्येक देश के राष्ट्रीय अनुसंधान, विकास तथा नवोन्मेष नीतियों एवं कार्यक्रमों में अनुभवों की हिस्सेदारी; (ii) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सूचना एवं दस्तावेजों का आदान-प्रदान; (iii) अपने-अपने देशों में औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न संभावनाशील भागीदारों का ध्यान दूसरे देश के साथ सहयोग की संभावनाओं की ओर आकृष्ट करना; (iv) फिनिश एवं भारतीय कंपनियों के बीच विशिष्ट परियोजनाओं अथवा भागीदारियों की पहचान करने के कार्य को सुसाध्य बनाना और दौरों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के माध्यम से शोधकर्ताओं, अनुसंधान संगठनों एवं कंपनियों के बीच संपर्क की शुरूआत करना; (v) शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के आवागमन को सुसाध्य बनाना; (vi) संयुक्त वाणिज्यिक एंव गैर-वाणिज्यिक पहलों के सृजन को सुसाध्य बनाना।

इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण भारतीय पक्ष की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा फिनिश पक्ष की ओर से रोजगार एवं आर्थिक कार्य मंत्रालय हैं। इस समझौते में इसके अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं एवं क्रियाकलापों की समीक्षा करने हेतु विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति/समूह का भी प्रावधान किया गया है।

(ग) यह समझौता भारत और फिनलैंड के बीच वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा तथा इसे सुदृढ़ करेगा।

भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान

4293. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के गांधीनगर स्थित भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ने एक नई फ्यूजन प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान चुंबकीय परिरूद्ध तापनाभिकीय संलयन हासिल करने से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी

विकास संबंधी कार्य करने में जुटा हुआ है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संस्थान ने अतिचालकता चुंबकों का उपयोग करके एक आधुनिकतम अनुसंधान 'टोकामैक' (एसएसटी-1) का निर्माण किया है और उसे कमीशन करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, 'टोकामैक' पर परीक्षण करने के लिए अनेक आवश्यक अनुषंगी प्रगत तकनीकी प्रणालियां भी विकसित की गई हैं। इनमें ऊर्जात्मक उदासीन किरणपुंज प्रणालियां, रेडियो आवृत्ति ऊष्मा स्रोत और परिष्कृत नैदानिकी शामिल हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग इस अनुसंधान और विकास कार्य को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है और इन प्रौद्योगिकियों को राष्ट्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय उद्योगों के साथ शेयर करने को भी बढ़ावा दे रहा है।

[हिन्दी]

हिन्दी विश्वविद्यालय खोलना

4294. डॉ. बलीराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और स्थानवार कितने हिन्दी विश्वविद्यालय मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक हिन्दी विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) नए विश्वविद्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्धा स्थित महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी) सहित हिन्दी विश्वविद्यालयों के विकास के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) वर्धा, महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम से केवल एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार ग्यारहवीं योजना के तहत विश्वविद्यालय को विकास अनुदान के रूप में अब तक 2539.28 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की समीक्षा के लिए पैनल

4295. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 में संशोधन की सिफारिश के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने कोई समीक्षा पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पालिसी पोस्ट 1947 से संबंधित पत्र और अभिलेख भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें किस प्रकार संरक्षित रखा जाता है;

(ङ) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों को संरक्षित रखने के वर्तमान मानदंड क्या हैं और इस प्रणाली को त्रुटि रहित बनाने के लिए मौजूदा मानदंडों में कितना सुधार किए जाने की जरूरत है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियमावली, 1997 तथा इनसे संबंधित और इनसे उत्पन्न मामलों का अध्ययन करने तथा सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियमावली, 1997 के मसौदा संशोधन में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए 18 फरवरी, 2009 को समीक्षा पैनल गठित किया गया है।

(ग) जी हां। वर्ष 1947 के बाद के समय से संबंधित कुछेक अभिलेख भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी उपलब्ध हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत यथा निर्धारित, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखागार की सूचना की लघु पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतिरत 1947 के बाद के समय के सभी श्रृंखलाओं के अभिलेखों सहित सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियमावली, 1947 के तहत यथा उल्लिखित अभिलेखों की सभी मंत्रालयों की सूचना समाविष्ट है जिसे अध्याय 6, पृष्ठ 30-101 पर देखा जा सकता है। यह सूचना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationlarchives.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(घ) 1. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित मानक दिशानिर्देशों तथा तकनीकों के अनुसार मानक तकनीकी विधियों और निर्धारित पद्धतियों का अनुसरण करके अभिलेखों का रख-रखाव व परिरक्षण किया जाता है।

2. परिरक्षण और भंडारण की मानक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके इस्तेमाल पर, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रयोगशाला में सामग्री की जांच करके निगरानी रखी जा रही है।

3. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के स्टैक खंडों में थर्मोहाइग्रोग्राफ संस्थापित करके स्टैक खंडों के विनियमित परिवेश की सतत निगरानी की जा रही है।

4. अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने का कार्य भी चल रहा है और वास्तविक रूप में और माइक्रोफिल्म के डिजिटीकरण आदि के अन्य तरीकों के जरिए सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में माइक्रोफिल्म की प्रतिलिपियां रखी गई हैं।

5. अभिलेखों की वास्तविक रूप में सुरक्षा हेतु मानक अग्नि भेदी और अग्नि शमन प्रणालियां संस्थापित की गई हैं। सुरक्षा और निगरानी के प्रयोजनों से अनुकुल स्थानों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं।

(ङ) वर्तमान मानंदड मानक पद्धति और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यथा अपेक्षा उक्त प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक उपाय करेगा।

(च) उपर्युक्त पैरा (ङ) में दिए गए उत्तर के अनुसार।

[हिन्दी]

तुलसी संग्रहालय के लिए धनराशि का आबंटन

4296. श्री गणेश सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सतना जिले में राम वन स्थित तुलसी संग्रहालय के निर्माण के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) इस संबंध में सरकार को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य पूरा करने के लिए स्वीकृत की गई संपूर्ण धनराशि को कब तक जारी कर दिया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) वर्ष 2004-05 में "क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों के सवंर्धन एवं सुदृढ़ीकरण" स्कीम के अंतर्गत सतना, मध्यप्रदेश स्थित मौजूदा रामवन संग्रहालय के विस्तार के लिए 10.00 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी तथा प्रथम किस्त के रूप में 7.50 लाख रु. की राशि संग्रहालय को जारी की गई थी। चूंकि संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था, अत: उनसे अगस्त 2007 में संशोधित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। संग्रहालय ने अभी तक उपयोग प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया है।

इस समय शेष राशि को जारी करने के लिए निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

जनजातियों के लिए कोयला ब्लाक

4297. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषकर कर्नाटक में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिए कोयला ब्लाक आबंटित करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान जनजातियों को आबंटित की गई कोयला खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) आवेदकों की श्रेणी/समुदाय के आधार पर कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु संविधि में कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

समुद्र में प्रवाहित जल

4298. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में नदी का जल समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जल के समुद्र में बहकर चले जाने से पहले इसके समुचित उपयोग के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है/किए जाने का विचार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) देश में औसत वार्षिक वर्षण का आकलन 4000 विलियन घन मीटर के रूप में किया गया है। प्राकृतिक प्रक्रिया वाष्पीकरण आदि का परिकलन करने के बाद, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता का आकलन 1869 बीसीएम के रूप में किया गया है। यह अनुमान है कि स्थलाकृति, भूजल वैज्ञानिक एवं अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य जल 1123 बीसीएम है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 433 बीसीएएम पुनर्भरणीय भूजल संसाधन शामिल है। उपलब्ध आकलन के अनुसार लगभग 450 बीसीएम सतही जल और 231 बीसीएम भूजल संसाधन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह मान लिया जा सकता है कि शेष जल समुद्र में बह जाता है। उपलब्ध जल संसाधन का आकलन नदी बेसिन-वार किया गया है।

(ख) से (घ) उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन के विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें भण्डार का सृजन, जल निकायों का पुनर्स्थापन, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना आदि शामिल हैं। अब तक लगभग 225 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) भण्डारण क्षमता का सृजन किया गया है। वर्तमान आकलन के अनुसार विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की अनुमानित भण्डारण क्षमता लगभग 64 बीसीएम है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अन्वेषण एवं योजना के लिए अन्य विभिन्न स्कीमों की पहचान की है जिनका भण्डारण लगभग 108 बीसीएम है। राज्य सरकारें जल संसाधनों के उपयोग के लिए वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु स्कीमों (सतही एवं भूजल) को संस्थापना, आयोजना एवं कार्यान्वयन करती हैं। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीब्ल्यूएम) कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापन आदि के माध्यम से राज्य सरकारों के केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। जल संसाधन मंत्रालय जल संरक्षण सहित अन्य उपाय जैसे पारंपरिक जल संरक्षण पद्धति, वर्षा जल संचयन एवं भूजल का पुनर्भरण तथा बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। सात राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में डगवेल के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीम की भी शुरूआत की गई है।

[अनुवाद]

सी.एस.आई.आर. के अधिकारियों के खिलाफ सी.बी.आई. मामले

4299. श्री एम.बी. राजेश : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सी.बी.आई. मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीएसआईआर में मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सीएसआईआर के अधिकारियों/कर्मचारियों (सेवारत एवं सेवानिवृत्त दोनों) के खिलाफ विभिन्न चरणों में लंबित सीबीआई के कुल 8 मामले हैं;

सीबीआई का मामला	लिप्त अधिकारी/कर्मचारी कर्मचारी का नाम, पदनाम और प्रयोगशाला/संस्थान का नाम
1	2
पहला मामला (क्रम सं. 1 से 10 तक के लिए संयुक्त अभियोजन संस्वीकृति जारी)	1. डॉ. बी.के. तिवारी, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
	2. डॉ. एम.के. चक्रवर्ती, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
	3. श्री डी.के. धर, उप भंडार एवं क्रय अधिकारी, उस समय सीएमआरआई,* धनबाद में तैनात
	4. श्री टी.बी. सिंह, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
	5. डॉ. डी.बी. सिंह, वैज्ञानिक, उस समय सीएमआरआई,* धनबाद में तैनात बाद में आईआईएमटी, भुवनेश्वर में स्थानांतरित
	6. डॉ. मोबिन अहमद, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
	7. डॉ. एस.के. चौल्या, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
	8. डॉ. आर.के. तिवारी, वैज्ञानिक,सीएमआरआई,* धनबाद
	9. डॉ, ए.के. सिंह, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
	10. श्री हलधर मंडल, उप भंडार एवं क्रय अधिकारी उस समय सीएमआरआई,* धनबाद में तैनात
(सेवानिवृत्त कर्मी होने के नाते क्रम सं.11 से 19 तक के लिए अभियोजन संस्वीकृति आवश्यक नहीं)	11. श्री जे.सी. साहा, वित्त एवं लेखाधिकारी, उस समय सीएमआरआई,* धनबाद में तैनात, सेवानिवृत्त
	12. डॉ. टी.एन. सिंह, निदेशक, सीएमआरआई,* धनबाद, सेवानिवृत्त
	13. श्री डी.सी. गोस्वामी, भंडार एंव क्रय अधिकारी, उस समय सीएमआरआई,* धनबाद में तैनात, सेवानिवृत्त
	14. श्री एम.आर. भगत, प्रशासन अधिकारी, उस समय सीएमआरआई,* धनबाद में तैनात, सेवानिवृत्त
	15. डॉ. पी.आर. शोरी, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद, सेवानिवृत्त
	16. डॉ. जे. आचारी, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद, सेवानिवृत्त
	17. श्री एम.एल. गुप्ता, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद, सेवानिवृत्त
	18. डॉ. बी.के. दूबे, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद, सेवानिवृत्त
	19. डॉ. ए.के. दूबे, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद, सेवानिवृत्त

1		2
दूसरा मामला (इन दोनों कर्मियों को संयुक्त अभियोजन संस्वीकृति जारी)	1.	डॉ, एम.के. चक्रवर्ती, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
	2.	डॉ. एस.के. चौल्या, वैज्ञानिक, सीएमआरआई,* धनबाद
तीसरा मामला	1.	श्री एस.के. सोनी, वैज्ञानिक, सीएमआरआई, नई दिल्ली
चौथा मामला	1.	डॉ. पी. षणमुगम, वैज्ञानिक, ई-1, एनआईआईएसटी (अस्थायी तौर पर सीएलआरआई में स्थानांतरित)
पांचवा मामला	1.	श्री विजय कुमार गुप्ता, सहायक (भंडार एवं क्रय) ग्रेड-1, एनपीएल, नई दिल्ली
छठा मामला	1.	श्री राजेन्द्र महतो, सहायक (सा.) ग्रेड-III, सीएआईआर, मुख्यालय
सातवां मामला (संयुक्त अभियोजन संस्वीकृति सेवाकाल के दौरान जारी)	1.	श्री फूल सिंह, सहायक, सीएसआईआर काम्प्लेक्स, सेवानिवृत्त
	2.	श्री बिंदादीन, फोटो-मशीन आपरेटर, सीएसआईआर काम्प्लेक्स, सेवानिवृत्त
आठवां मामला (अभियोजन संस्वीकृति सेवाकाल के दौरान जारी)	1.	श्री आई.पी. वेंकटरमनाप्पा, ग्रेड-III(6), एनएएल, बेंगलूर (सेवा से बरखास्त)

*सीएमआरआई और सीएफआरआई को मिलाकर सीआईएमएफआर, धनबाद नामक एक नए संगठन का गठन किया गया है।

(ग) सीएसआईआर में भष्ट्राचार को रोकने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि मौजूद है। सतर्कता ढांचे के प्रधान मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिश के आधार पर की जाती है और जो सीधे महानिदेशक, एसएसआईआर को रिपोर्ट करते हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर जांच आरंभ की जाती हैं और ऐसी जांच के परिणामों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, समपूर्ण भारत में स्थित सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों के दौरे भी किए जाते हैं ताकि उनके कार्यकरण का निरीक्षण किया जा सके और साथ ही कुछ विशेष मुद्दों की जांच भी की जा सके।

वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन

4300. श्री जयराम पांगी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित इस्पात संयंत्र और ताप विद्युत योजना के शुरू हो जाने के पश्चात् उड़ीसा के अंगुल और तलचर जिलों में संभावित पर्यावरणीय खतरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उड़ीसा में अंगुल तलचर क्षेत्र की अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। पर्यावरणीय मंजूरियां देने से पहले विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावित इस्पात और ताप विद्युत संयंत्रों का मूल्यांकन किया था। पर्यावरणीय मंजूरियां देते समय पर्यावरण पर किन्ही बड़े प्रतिकूल प्रभावों को न पड़ने देने के लिए आवश्यक शर्तें एवं सुरक्षापाय निर्धारित किए गए थे।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं;

— अंगुल तलचर क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय कार्य योजना 1991 में तैयार की गई थी और तत्पश्चात् उसकी समीक्षा की गई थी। तदनुसार, 2007 में संशोधित कार्य योजना तैयार की गई थी और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

— निर्धारित शर्तों की मानीटरी इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है।

विद्यालयों में यौन शोषण

4301. श्री वरूण गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विद्यालयों में बाल में यौन शोषण के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अपराध को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित स्कूलों में से किसी स्कूल ने ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूली बच्चों के यौन शोषण अथवा उत्पीड़न तथा शारीरिक दंड से संबंधित मामलों की रोकथाम करने तथा उनका पता लगाने के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है।

सारस विमान

4302. श्री राजैया सिरिसिल्ला : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया पोस्ट ने नेशनल ऐयरोस्पेस लेबोरेट्रीज (एनएएल) के सारस विमान में गहरी रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कदम के पीछे क्या प्रयोजन हैं;

(घ) क्या अभी तक दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर हंस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस विमान के उपयोग के लिए इंडिया पोस्ट ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख जी हां। इंडिया पोस्ट ने सारस विमान संबंधी जानकारी के लिए सीएसआईआर की घटक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं (एनएएल), बेंगलूर से अनुरोध किया था।

(ग) इंडिया पोस्ट उपयोगकर्ताओं में शीघ्र वितरण हेतु हल्के कार्गो/कोरियर ले जाने के लिए सारस विमान का शार्ट हाल रूट्स पर उपयोग करने पर विचार कर रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

4303. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मौजूद हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विशेषकर तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में इस तरह के और अधिक संस्थानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) उक्त केन्द्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभापना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) देश में केवल एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) से (घ) बेंगलूरू, कोलकाता और जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र/गोवा राज्यों में तथा उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पांच क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बेंगलूरू केन्द्र ने पहले ही फरवरी, 2009 से कार्य करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारकों के परामर्श से अन्य केंद्रों के स्थानों का पता लगाया जा रहा है। XIवीं योजना अवधि के दौरान इन केन्द्रों को चालू करने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु में ऐसा कोई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

लघु सिंचाई आंकड़ों की तर्कसंगतता

4304. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "लघु सिंचाई आंकड़ों की तर्कसंगतता" के अंतर्गत कुओं की संख्या का पता लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केरल राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को 620 लाख रु. का एक प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है/किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता देतेहुए "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तीकरण (आरएमआईएस)" नामक केंद्रीय योजना स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। 'आरएमआईएस' स्कीम के अंतर्गत पंचवर्षीय आधार पर लघु सिंचाई परियोजनाओं की गणना करने का प्रावधान है। सिंचाई स्रोतों अर्थात् डगवेलों, उथले ट्यूबवेलों, गहरे ट्यूबवेलों, सतही प्रवाह एवं सतही लिफ्ट स्कीमों के संबंध में विस्तृत सूचना इस गणना के माध्यम से एकत्रित की जाती है।

(ग) जी, हां। राज्य सरकार ने 620 लाख रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से केरल की भूजल निकासी संरचनाओं की 100% गणना के लिए एक परियोजना प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

(घ) राज्य सरकार के प्रस्ताव में डगवेलों/तालाबों, उथले ट्यूबवेलों/फिल्टर पाइंट कुओं, गहरे ट्यूबवेलों एवं बोरवेलों की गणना करना शामिल है। चूंकि आरएमआईएस स्कीम में इन सभी संरचनाओं को शामिल किया गया है, इसलिए वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित गणना के लिए निधि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

4305. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए आबंटित और जारी की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को नियत समय-सीमा में पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) राष्ट्रीय परियोजनाओं की श्रेणी में 14 वृहद सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया गया है। गत तीन वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए शामिल की गई इन परियोजनाओं की स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की शुरूआत से पांच वर्षों की अवधि में पूरा करने का अनुरोध किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों में परियोजनाओं को यथा समय पूरा करने के लिए उपायों को अपनाने का उल्लेख किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वित्त वर्ष के दौरान जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)				स्थिति	
			2006-07	2007-08	2008-09	2009-10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गोसीखुर्द	महाराष्ट्र	–	–	450.00	720.00	राष्ट्रीय परियोजनाओं की श्रेणी की केन्द्रीय सहायता से निर्माणाधीन	वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय परियोजनाओं की श्रेणी में शामिल की गई परियोजना राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से निर्माणाधीन है।
2.	तीस्ता बराज	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	राज्य सरकार द्वारा निर्माण शुरू किया गया है।	इन परियोजनाओं को वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय परियोजनाओं की श्रेणी में शामिल किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय श्रेणी की परियोजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3.	शाहपुर कांडी	पंजाब	–	–	–	–	राज्य सरकार द्वारा निर्माण शुरू किया गया है।	
4.	बुरसार	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण शुरू किया गया है।	
5.	दूसरा रावी व्यास संपर्क	पंजाब	–	–	–	–	व्यवहार्यता रिपोर्ट को शुरू किया गया है।	
6.	उझ बहुउद्देशीय परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण शुरू किया गया है।	राष्ट्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत इन परियोजनाओं का वित्त-पोषण तब ही किया जाएगा जब राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि यह परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के सभी आवश्यक मानदंड पूरा करती है।
7.	जिस्पा परियोजना	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	व्यवहार्यता रिपोर्ट शुरू की गई है।	
8.	लखवर व्यासी	उत्तरांचल	–	–	–	–	राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण शुरू किया गया है।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	किशाऊ	हिमाचल प्रदेश/उत्तरांचल	–	–	–	–	राज्य सरकार द्वारा डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू किया है।	
10.	रेणुका	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	राज्य सरकार द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है।	
11.	नव-देहंग बांध परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	व्यवहार्यता रिपोर्ट शुरू की गई है।	
12.	कुल्सा बांध परियोजना	असम	–	–	–	–	अन्वेषण शुरू किया गया है।	
13.	ऊपरी सियांग	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है।	
14.	केन बेतवा	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	डीपीआर पूरी की गई है।	

डी.पी.आर. - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में मुगलकालीन स्मारक

4306. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगल काल के कितने स्मारकों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है;

(ख) इन स्मारकों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन स्मारकों के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेषकर राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन स्मारकों पर विशेष ध्यान देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) मुगल काल के 652 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इन स्मारकों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(ग) इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए दिल्ली में उन्नयन हेतु 46 स्मारकों की पहचान की गई है जिसमें पर्यटकों से संबंधित सुविधाएं जैसे पेय जल की सुविधा, प्रसाधन कक्ष सूचना पट्ट, रास्ते, शाररिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, भाषान्तरण केन्द्र, वाहन की पार्किंग आदि शामिल हैं। ऐसे स्मारकों की सूची विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

मुगल काल के ऐसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	–

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	3
4.	बिहार	9
5.	छत्तीसगढ़	—
6.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	9
7.	गोवा	—
8.	गुजरात	16
9.	हरियाणा	72
10.	हिमाचल प्रदेश	—
11.	जम्मू और कश्मीर	8
12.	झारखंड	—
13.	कर्नाटक	2
14.	केरल	—
15.	मध्य प्रदेश	46
16.	महाराष्ट्र	42
17.	मणिपुर	—
18.	मेघालय	—
19.	नागालैंड	—
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	63
21.	उड़ीसा	—
22.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	—
23.	पंजाब	22
24.	राजस्थान	31
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	—
27.	त्रिपुरा	—
28.	उत्तर प्रदेश	283
29.	उत्तरांचल	—
30.	पश्चिम बंगाल	43
	कुल	652

विवरण-II

मुगल काल के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में किया गया व्यय

(लाख रुपयों)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	असम	0.24	0.60	05.75	0.74
4.	बिहार	20.35	67.23	69.86	23.16
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—
6.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	18.92	31.98	26.82	07.47
7.	गोवा	—	—	—	—
8.	गुजरात	66.02	34.52	47.69	04.50
9.	हरियाणा	187.69	184.30	148.60	82.38
10.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
11.	जम्मू और कश्मीर	20.14	21.23	03.52	24.30
12.	झारखंड	—	—	—	—
13.	कर्नाटक	18.43	0.68	0.46	0.40
14.	केरल	—	—	—	—
15.	मध्य प्रदेश	94.85	171.51	106.25	56.19
16.	महाराष्ट्र	193.50	236.05	167.49	53.44
17.	मणिपुर	—	—	—	—
18.	मेघालय	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	837.82	617.86	680.63	154.10
21.	उड़ीसा	—	—	—	—
22.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	—	—	—	—
23.	पंजाब	73.46	123.36	134.88	117.17
24.	राजस्थान	20.00	26.05	38.44	02.24

1	2	3	4	5	6
25.	सिक्किम	07.36	48.62	52.44	55.33
26.	तमिलनाडु	—	—	—	—
27.	त्रिपुरा	—	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	623.00	602.20	675.58	344.30
29.	उत्तरांचल	—	—	—	—
30.	पश्चिम बंगाल	47.59	52.50	33.66	13.64
	कुल	2229.37	2218.69	2192.07	939.36

विवरण-III

राष्ट्रमंडल खेल-2010 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में संरक्षण/उन्नयन के लिए पहचान किए गए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम
1	2
1.	पुराना किला परिसर
2.	खैरूल-मंजिल-मस्जिद
3.	शेरशाह गेट
4.	हुमायूं का मक़बरा परिसर
5.	खान-ए-खाना का मकबरा
6.	सब्ज बुर्ज
7.	नीला गुम्बद
8.	भू-हालिमा मकबरा
9.	अरब-की-सराय
10.	बाराखम्भा
11.	हजरत निजामुद्दीन परिसर स्मारक समूह
12.	सफदरजंग मकबरा परिसर
13.	लोदी गार्डन स्मारक (संख्या 5)
	मुहम्मदशाह का मकबरा
	बारा गुम्बद मस्जिद
	शीश-गुम्बद
	सिकन्दर लोदी का मकबरा
	सतपुला
14.	नजफ खान मकबरा
15.	सिटी वाल, कश्मीरी गेट
16.	वजीराबाद पुल, मकबरा तथा मस्जिद
17.	कोटला फिरोजशाह
18.	दिल्ली गेट, दरियागंज
19.	सिटी वाल, दरियागंज
20.	खूनी दरवाजा
21.	जंतर मंतर परिसर

1	2
22.	लाल बंगला
23.	उग्रसेन-की बावली
24.	लाल किला परिसर
25.	अजमेरी गेट
26.	सलीम गढ़ किला
27.	अशोक शिला लेख
28.	बीरां का गुम्बद
29.	दादी पोती
30.	सकरी गुमटी
31.	बारा खम्भा
32.	मुहम्मदी वाली मस्जिद
33.	लाल गुम्बद (मालवीय नगर)
34.	तीन बुर्जी
35.	सीरी फोर्ट वाल
	(1) पंचशील पार्क से लगा स्ट्रेच
	(2) एशियाड विलेज से लगा स्ट्रेच
	(3) एशियाड टॉवर से सीरीफोर्ट खेल परिसर तक दीवार का स्ट्रेच
36.	हौज खास परिसर
37.	जहांपनाह वाल
38.	किला रायपिथौरा वाल
39.	सतपुला
40.	कुतुब मीनार परिसर
41.	जमाली कमाली मकबरा तथा मस्जिद
42.	आजिम खान का मकबरा
43.	बलबन का मकबरा तथा खंडहर
44.	तुगलकाबाद फोर्ट
45.	गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा
46.	अदीलाबाद फोर्ट

ग्यारहवीं योजना में संसाधनों का अंतर

4307. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 1,60,000 करोड़ रुपये का संसाधन अंतर होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) 1 सितम्बर, 2009 को आयोजित पूर्ण योजना आयोग की बैठक में "अर्थव्यवस्था की स्थिति" संबंधी विचार विमर्श पत्र पर चर्चा की गई थी। पत्र में राजकोषीय संसाधनों तथा ग्यारहवीं योजना के अंतिम दो वर्षों के लिए कुछ मुख्य धारणाओं पर आधारित परिदृश्य के अनंतिम अनुमान सहित वर्तमान आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में आर्थिक मंदी तथा उसके पश्चात ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर की ओर क्रमिक वापसी योजना वित्तपोषण हेतु संभावित उपलब्ध संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण विवक्षाएं है। जबकि 2008-09 तथा 2009-10 (ब.अ.) में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधन वास्तविक अर्थों में 11वीं योजना में मूल रूप से लगाए गए अनुमान से अधिक थे, योजना के अंतिम दो वर्षों में जीबीएस उपलब्धता में काफी कमी होने की संभावना थी। 11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों का कुल मिलाकर वास्तविक जीबीएस, 2008-09 तथा 2009-10 में मुख्य रूप से राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण योजना अनुमान से अधिक हो गया है लेकिन इससे असंधारणीय स्तर पर राजकोषीय घाटा हुआ

है जिसे अब कम किया जाना है। निर्धारण में यह उल्लेख है कि यदि 11वीं योजना के शेष भाग में योजना संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए अधिक राजकोषीय दायरा सृजित नहीं किया जाता है, तो 11वीं योजना अवधि में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए समग्र रूप से अनुमानित कुल केन्द्रीय जीबीएस में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है।

सरकार इससे अवगत है।

यूनेस्को को प्रस्ताव

4308. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने यूनेस्कों द्वारा विचारार्थ बीस प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 2009 में भारत ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची पर दूसरे दौर के उत्कीर्ण के लिए 20 नामांकन डोजियर (सूची संलग्न विवरण में दी गई है) जमा की है। इसके प्रत्युत्तर में, यूनेस्को कार्यालय ने हाल ही में सूचित किया है कि वे उत्कीर्ण के चालू (दूसरे) दौर में भारत से केवल 3 नामांकन डोजियर की जांच करने की स्थिति में होंगे।

विवरण

यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के संबंध में चालू (दूसरे) दौर के लिए यूनेस्को को अगस्त, 2009 में प्रस्तुत नामांकन डोजियरों की सूची

1. लद्दाख के बौद्ध गीत : ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध पाठों का सस्वर पाठ;
2. मुदियेत्तु : धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटक, केरल, भारत;
3. फाद : खर्रा (स्क्रॉल) चित्रकारी तथा उनका वर्णन, राजस्थान, भारत;
4. छार वायत : गीतात्मक मौखिक कविता में मुस्लिम परंपरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान;
5. वीणा और इसका संगीत;
6. छऊ नृत्य;
7. मणिपुर भारत का संकीर्तन;
8. सतरिया संगीत, नृत्य तथा रंगमंच;
9. छाया पुतुल रंगमंच परंपरा;
10. नाच : लोक रंगमंच, छत्तीसगढ़, भारत;
11. कालबेलिया : लोक गीत तथा नृत्य, राजस्थान, भारत;
12. रथवा-नी-घेर : रथवाओं, गुजरात, भारत का जनजातीय नृत्य;
13. सिक्किम का लामा नृत्य : बौद्ध मठ नृत्य, सिक्किम, भारत;
14. सांखेडा-नु-लख कम : सांखेडा, गुजरात, भारत का लेकर पोलिश वाले लकड़ी के फर्नीचर;
15. पटोला : पाटन, गुजरात, भारत का दुहरा इकात सिल्क वस्त्र;
16. हिंगन : मोलेला, राजस्थान, भारत का व्रतानुष्ठित (वोटिव) टेराकोटा चित्रित फलक;
17. दशावतार : परंपरागत लोक रंगमंच रूप: महाराष्ट्र और गोवा, भारत;
18. जंडियाला गुरू का उठेरा : बर्तन निर्माण का परंपरागत पीतल तथा कांस्य शिल्प, पंजाब, भारत;
19. कोलम : तमिलनाडु, भारत का अनुष्ठानिक प्रवेश-द्वार रेखाचित्र तथा डिजाईन;
20. सलहेश उत्सव, बिहार, भारत;

असैन्य परमाणु समझौता

4309. श्री मिलिंद देवरा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की तर्ज पर भारत के प्रधान मंत्री और उनके कनाडाई समकक्ष के बीच हुई बैठक के दौरान कोई असैन्य परमाणु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ एनएसजी द्वारा भारत पर लगे 34 वर्ष पुराने प्रतिबंध उठाए जाने के बाद असैन्य परमाणु समझौते किए गए हैं; और

(घ) भारत पर प्रतिबंध लगाने के कारण क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत ने कनाडा के साथ असैनिक परमाणु सहयोग करार पर वार्ता पूरी कर ली है। करार पर अभी दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोग हेतु आधार प्राप्त होगा।

(ग) और (घ) दिनांक 6 सितंबर, 2008 को भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग पर एनएसजी द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद से भारत ने फ्रांस, अमेरिका, रूस, नामीबिया, मंगोलिया और अर्जेंटीना के साथ असैनिक परमाणु सहयोग करार निष्पन्न किए हैं। इस निर्णय से पहले भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग एनएसजी के परमोषु हस्तांतरण संबंधी दिशा-निदेशों, जिनकी पहली बार घोषणा 1978 में की गयी थी, के कारण बाधित था।

निःशक्तों के लिए विशेष योजनाएं

4310. श्री रूद्रमाधव राय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बधिर और मूक व्यक्तियों के लिए विशेष और गंभीर प्रयास करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, विशेष विद्यालय और डिग्री कालेज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इसके लिए कितना बजट आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) इस संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के उपबंधों के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(च) उपरोक्त व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी हां। संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ संकेत भाषा एवं प्रशिक्षण के विकास एवं संवर्धन हेतु समर्पित होंगे।

(ग) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) वर्ष 2010-11 में शुरू होगा। देश में मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, भुबनेश्वर, सिकंदराबाद और इंदौर स्थित 6 केन्द्र भारतीय संकेत भाषा में प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(घ) आवर्ती लागत 9.31 करोड़ रु. और अनावर्ती लागत 2.84 करोड़ रु. समेत पांच वर्षों की अवधि के लिए 12.15 करोड़ रुपए।

(ङ) वर्ष 2010-11 में क्रियान्वित होने की संभावना है।

(च) (i) अनुदेशकों को आईटीआईज एवं पालीटेक्नीक में कम्यूनिकेशन मोड में प्रशिक्षण देकर तकनीकी शिक्षा बधिरों के अनुकूल बनाई जर रही है। (ii) समावेशी शिक्षा को अनुसंधान एवं विकास के जरिए समर्थ बनाया जा रहा है, और (iii) समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा दोनों के पाठ्यक्रमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है।

लोक सुनवाई से एसईजेड को छूट देना

4311. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2005 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना के अनुसार एसईजेड पर्यावरणीय स्वीकृति लेने वाले उद्योगों की अनुसूची के खंड 7(ग) में सूचीबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है तो इस अधिसूचना के अनुसार एसईजेड को स्थानीय और लोक परामर्शन हेतु ईएआई रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय की निर्यात मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा किसी एसईजेड को लोक सुनवाई/परामर्शन से छूट दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार, अधिसूचना की अनुसूची 7(ग) के अंतर्गत सूचीबद्ध विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) से संबंधित प्रस्तावों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है।

(ख) ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख1' में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया में जन परामर्श एक घटक है, जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की स्थापना से संबंधित किसी प्रस्ताव को जो ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची की मद 7(ग) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं, जन परामर्श से छूट प्रदान नहीं की गई है, उन परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों को छोड़कर जो अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार औद्योगिक संपदा अथवा उद्यानों में स्थित है। तथापि जो एसईजेड 7(ग) के अंतर्गत शामिल नहीं है लेकिन अधिसूचना की अनुसूची की मद 8(क) और 8(ख) के अंतर्गत शामिल हैं, उन पर दिए गए उपबंधों के संदर्भ में विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

4312. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के कुछ लाभार्थियों से बकाया राशि वसूल की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस बकाया राशि के शीघ्र भुगतान हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। सरदार सरोवर परियोजना पर गुजरात सरकार द्वारा प्राप्त निर्विवाद व्यय में से मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से शेयर लागत का अंश बकाया है। राजस्थान सरकार से कोई बकाया शेष नहीं है।

(ख) सरदार सरोवर परियोजना हेतु सितम्बर, 2009 तक निर्विवाद व्यय के क्रम में गुजरात सरकार को भागीदारी राज्यों से देय बकाया का राज्यवार विवरण निम्न प्रकार से है।

(रुपये करोड़)

क्रम सं.	व्यय	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान
1.	व्यय का अंश	2291.14	1085.28	608.84
2.	प्राप्त राशि	2086.09	897.04	646.95
3.	शेष अंश	205.05	188.24	38.11

(उपरोक्त आंकड़े सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. गुजरात सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर है।)

(ग) और (घ) सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) के माध्यम से केन्द्र सरकार पक्षकार राज्यों को गुजरात राज्य को कम से कम अपना बकाया भाग लागत के निर्विवाद अंश का भुगतान करने के लिए सहमत करने के प्रयास कर रही है। एसएसपी की अंश लागत का भुगतान न किए जाने के मामले को एसएससीएसी की प्रत्येक बैठक में उठाया गया है। ऐसी बैठकों में अध्यक्ष ने सरदार सरोवर परियोजना के पक्षकार राज्यों का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया तथा बकाया अंश लागत के शीघ्र भुगतान हेतु जोर दिया है।

एसएससीएसीकी अभी हाल ही में दिनांक 15, जून, 2009 को सम्पन्न हुई (76वीं) बैठक में, समिति ने मध्य प्रदेश सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों को गुजरात सरकार के निर्विवाद शेयर अंश के व्यय आंकड़ों के साथ सामंजस्य करने तथा गुजरात सरकार को देय शेयर अंश के शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात सरकार को बकाया देयता के विरुद्ध इस वर्ष (सितम्बर 2009 तक) 37.07 करोड़ रु. का भुगतान किया।

[अनुवाद]

पर्यावरण अनुकूल रोजगारों (ग्रीन जाब्स) का सृजन

4313. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उभरती वैश्विक "हरित अर्थव्यवस्था" की असीम संभावनाओं को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में "ग्रीन जाब्स" सृजित हो सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सरकार "ग्रीन जाब्स" की संभाव्यता से परिचित है, जो कि न केवल नवीकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंध, जल संरक्षण और उपचार, और कार्बन प्रबंध से संबंधित है, बल्कि हरित, स्वच्छ तथा अधिक सतत् रोजगार के पक्ष में रोजगार पैटर्नों में परिवर्तन से संबंधित है।

(ख) और (ग) जलवायु परिवर्तन को संभालने से उनके "ग्रीन जाब्स" ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में पैदा होंगी जिसमें वायु और सौर ऊर्जा जनरेशन भी शामिल है। इसके अलावा, भारत में ग्रीन जाब्स की बड़ी संख्या प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि जल और भूमि तथा अपशिष्ट प्रबंध के प्रबंधन से आएंगी।

(घ) और (ङ) सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय सौर मिशन अनुमोदित किया है, जिसमें 2022 तक 20,000 मेगावाट जोड़ने की योजना है। मिशन के लिए निधि की आवश्यकता जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन (यूएनएफसीसीसी) में चर्चा के तहत बजटीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय फंड से पूरा की जाएगी। इसके अलावा, वायु, बायोमास, और वानिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों के तहत 1482 परियोजनाओं को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) में भाग लेने के लिए मेजबान देश अनुमोदन दिया गया है। सीडीएम परियोजनाओं में 2,11,065 करोड़ रुपए के निवेश की सुविधा है।

कोयले का परिवहन

4314. श्री यशवीर सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) तथा अन्य कोयला कंपनियों को कोयले के परिवहन के लिए ग्लोबल पोजिशन प्रणाली (जीपीएस)/इलेक्ट्रानिक निगरानी प्रणाली (ईएसएस) अपनाने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन कोयला कंपनियों ने उक्त निर्देशों का पालन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सीआईएल का विचार कोयले के परिवहन हेतु कोयला कंपनियों विशेषकर एसईसीएल में खुली निविदा प्रणाली प्रारंभ करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(छ) क्या सीआईएल विशेषकर एसईसीएल में भूतपूर्वक सैनिक परिवहन कंपनी प्रचालकों की दरें सिविलियन परिवहन कंपनियों की दरों से अधिक हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या सीआईएल ने पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भूतपूर्व सैनिक परिवहन कंपनियों की दरें बढ़ायी हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने सीआईएल तथा उसकी कंपनियों में वैश्विक अवस्थिति पद्धति (जीपीएस) आधारित ट्रक प्रेषण पद्धति (टीडीएस) तथा इलेक्ट्रानिक निगरानी पद्धति

(ईएसएस) को अपनाने का निर्णय लिया है। अधिकतम उत्पादकता हेतु विश्वभर में जीपीएस आधारित टीडीएस का उपयोग किया जा रहा है। सीआईएल को परिवहन पद्धति के प्रचालन में बढ़ोत्तरी हेतु जीपीएस आधारित टीडीएस की आवश्यकता है। बचाव तथा सुरक्षा प्रयोजन हेतु ईएसएस की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) इन पद्धतियों की स्थापना हेतु कोयला कंपनियों ने खरीद की कार्रवाई शुरू कर दी है तथा कोयला कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।

(ङ) और (च) एसईसीएल में सतह से सतह पर कोयले के परिवहन, वेगन लदान तथा ओवरबर्डन रिमूवल कार्य हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। पुनर्वास महानिदेशक (डीजीआर) द्वारा प्रायोजित ईएसएम कंपनियां सतह से सतह तक कोयले के परिवहन कार्य हेतु तैनात की जाती हैं।

(छ) और (ज) सीआईएल तथा डीजीआर, रक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार एसईसीएल में भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) परिवहन कंपनियां तैनात की जाती हैं। डीजीआर, नई दिल्ली द्वारा ईएसएम परिवहन कंपनियां प्रायोजित की जाती हैं। इन अभिकरणों को लागू दरें नियामक दरें हैं जिन्हें एक बाह्य अभिकरण द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। निम्नलिखित के संबंध में दरें निकाली गई हैं:

(i) मुहाने से सतह तक कोयले के परिवहन हेतु और

(ii) सतह से सतह तक कोयले के परिवहन हेतु।

ईएसएम परिवहन कंपनियों को मुहाने से सतह तक परिवहन हेतु रखा गया है तथा इस कार्य को करने के लिए किसी सिविलियन ठेकेदार को नहीं रखा जा रहा है, इस प्रकार तुलन के लिए कोई दर उपलब्ध नहीं है।

सतह से सतह तक परिवहन हेतु भी नियामक दरें निकाली गई हैं। सतह में परिवहन हेतु सिविलियन ठेकेदारों को अवार्ड की गई दरें इन नियामक दरों की अपेक्षा कम हैं।

(झ) और (ञ) 13.11.2008 को सम्पन्न सीआईएल बोर्ड की 246वीं बैठक में ईएसएम कंपनियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे उच्च क्षमता वाले टिप्परों के लिए मुहाने से सतह तक तथा सतह से सतह तक कोयले के परिवहन हेतु संशोधित नयी नियामक दरें अनुमोदित की गई हैं।

श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास हेतु धनराशि

4315. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू बजट में श्रीलंका में तमिलों को राहत देने और उनके पुनर्वास हेतु आबंटित धनराशि जारी कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) सरकार उत्तरी श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने हेतु विभिन्न उपाय कर रही है। सरकार ने आईडीपी के पुनर्वास तथा उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। इस धनराशि को वावुनिया में 60-सदस्यीय भारतीय आपातकालीन क्षेत्रीय अस्पताल की तैनाती, भारत से 7 विखनन टीमों, 5,200 टन शरण सामग्र, 70,000 कृषि स्टारटर पैक्स, कृत्रिम अंग फिटमैन्ट कैंप तथा सीमेंट बैगों की आपूर्ति, बसों की आपूर्ति आदि पर खर्च किया जा रहा है।

एनआरआई की संपत्तियों की सुरक्षा

4316. श्री प्रदीप माझी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने सरकार से भारत स्थित अपनी संपत्तियों और निवेशों की सुरक्षा का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसे अनिवासी भारतीयों की संपत्तियों और निवेश की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को, अपनी सम्पत्तियों (खरीदी हुई अथवा पैतृक) में अधिकारों और हितों को प्राप्त करने, विशेषरूप से, जब उनके साथ धोखा हो जाताहै अथवा उन्हें धोखेबाजी से ऐसी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उनके अनुरोध प्रायः अवैध व्यक्तियों द्वारा उनकी भूमि/फ्लैट/अपार्टमैंट/मकान आदि पर अवैध कब्जे,

बिल्डरों/विक्रेताओं/सम्पत्ति के व्यापारियों द्वारा वांछित फ्लैटों/अपार्टमैंट की देरी से सुपुर्दगी, संवन्धित न्यायिक मामलों के निपटान में विलम्ब, आदि के बारे में होते हैं।

(ग) (i) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की पहल पर, अनेक राज्य सरकारों, जहां डायस्पोरा जनसंख्या काफी है, ने उनकी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए विशेष एन.आर.आई. प्रकोष्ठ बनाए हैं।

(ii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों से इस मंत्रालय को प्राप्त अनुरोधों को समुचित कार्रवाई के लिए संबन्धित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

(iii) ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के लिए वार्षिक परामर्श बैठकों में अनुरोध किया जाता है।

(iv) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 7 जनवरी, 2010 को होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, 2010 सम्मेलन के दौरान अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों से संबंधित संपत्ति के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। चर्चा में विभिन्न सरकारी एजेन्सियों/निजी उपक्रमों की भूमिका, ऐसे विवादों का शीघ्र निपटान जिसमें फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करके मामलों का शीघ्र निपटान आदि विषय शामिल होंगे।

ई.सी.एन.आर. का दर्जा

4317. **श्री समीर भुजबल : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पासपोर्ट पर स्टांपिंग इमिग्रेशन चैक नॉट रिक्वायर्ड (ई.सी.एन.आर.) राज्यों द्वारा संपोषित का ब्यौरा क्या है और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यह कितना उपयोगी है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर छूट वाली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पासपोर्टों पर ''ईसीएनआर'' स्टांप लगाने की पहले चल रही प्रक्रिया को 2006 से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गैर-ईसीआर पासपोर्ट की पात्रता के लिए शैक्षिक योग्यताओं को मंत्रालय द्वारा बारहवीं कक्षा से घटाकर दसवीं कक्षा कर दिया गया था। इस समय केवल ऐसे मामलों में, जहां आवेदक की शैक्षिक योग्यता दसवीं से कम है, उसके पासपोर्ट पर ईसीआर स्टाम्प लगाई जाती है और कोई भी व्यक्ति जो दसवीं कक्षा पास अथवा अधिक योग्यता रखता है वह बिना ईसीआर स्टाम्प वाले पासपोर्ट के लिए पात्र होगा और किसी उत्प्रवास जांच के बिना रोजगार के लिए विदेश जा सकता है।

[हिन्दी]

गरीब ग्रामीण विद्यार्थियों हेतु योजना

4318. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री सुदर्शन भगत :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक रूप से कमजोर गरीब विद्यार्थियों को मान्यताप्राप्त संस्थान से अपना पेशेवर कैरियर बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, द्वारा भारत में उच्चतर माध्यमिक के बाद मान्यताप्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय बैंक संघ की शैक्षिक ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंकों से लिए गए शैक्षिक ऋण पर ऋणस्थगन अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in पर उपलब्ध है।

पड़ोसी देशों से संचालित भारत विरोधी गतिविधियां

4319. **श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री सुदर्शन भगत :
योगी आदित्यनाथ :
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर भारत विरोधी गतिविधियां चलायी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या पाकिस्तानी उच्चायोग/दूतावास विदेशों में भी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) भारत सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है तथा इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है। सरकार ने संबंधित सरकारों के साथ पड़ोसी देशों में भारतीय आतंकवादी समूहों, तस्करी, सीमा-पार आतंकवाद और नकली मुद्रा इत्यादि के प्रवाह इत्यादि जैसी भारत विरोधी गतिविधियों के मामले को उठाया है तथा स्थापित द्विपक्षीय संस्थागत वार्ता संरचना के माध्यमों सहित सभी माध्यमों से अपनी चिंता प्रेषित की है। हमारे पड़ोसियों ने यह सूचित किया है कि वे भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए अपने भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते। सरकार सतर्क रहती है तथा अपनी उचित सामरिक तथा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक उपाय करती है।

(घ) और (ङ) सभी विदेशी राजनयिक मिशनों से आशा की जाती है कि वे मेजबान राष्ट्र के नियमों व विनियमों का सम्मान करें। सरकार इस संबंध में हमेशा सतर्क रहती है।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक

4320. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री मिलिंद देवरा :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं तथा उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) कब तक इसे पेश करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं की प्रविष्टि तथा प्रचालन को विनियमित करने हेतु एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

4321. श्री रमेश राठौड़ : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने राज्यों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए प्रस्तावित विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा और उनके स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) राज्य विधायिकाएं विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में सक्षम हैं। केन्द्र सरकार केवल नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने या राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के पूरक प्रयास करती है। 11वीं योजनावधि के दौरान शामिल न किए गए राज्यों में प्रत्येक में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार, ऐसे राज्यों में जम्मू व कश्मीर में दो विश्वविद्यालयों

सहित 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। वर्तमान में गोवा के अतिरिक्त सभी राज्यों में कम-से-कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने या अपनी मौजूदा संस्थाओं का विस्तार करने के लिए हिस्सेदारी आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करने की एक नई योजना सरकार के विचाराधीन है।

सूचना के अधिकार हेतु धनराशियों का जारी किया जाना

4322. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्षमता निर्माण तथा चेतना जागरण को मजबूत करने के लिए सी.एस.एस. प्लान योजना के अंतर्गत सूचना के अधिकार के सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित तथा प्रसार हेतु वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य सूचना आयोगों को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निधियां अनुदान सहायता के रूप में हैं;

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने शेष राशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान सूचना औद्योगिक समर्थता हेतु 3.74 करोड़ रुपए की राशि तथा सूचना का अधिकार के प्रचार हेतु 0.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(घ) और (ङ) वर्ष 2008-09के दौरान कर्नाटक राज्य सूचना आयोग को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थता हेतु 21.00 लाख रुपए की राशि तथा सूचना का अधिकार के प्रचार हेतु 3.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। कर्नाटक सरकार ने सूचना का अधिकार के प्रचार हेतु 1.50 लाख रुपए की शेष राशि को जारी करने के लिए अनुरोध किया है। स्कीम मानीटरिंग कमेटी द्वारा राशि को जारी करने का अनुमोदन पहले ही की दिया गया है। फिर भी, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थता हेतु 9.00 लाख रुपए की शेष राशि को, आयोग द्वारा पहले जारी की गई राशि हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी कर दिया जाएगा।

संरक्षण के परंपरागत तरीके

4323. **श्री पी. कुमार : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों के धरोहर ढांचों के पुनर्स्थापन और संरक्षण हेतु परंपरागत तरीकों का पालन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चुने गए धरोहर ढाचों की स्थान-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विचार देश के अन्य भागों के अन्य धरोहर ढांचों के जीर्णोद्धार हेतु इसी तरीके को अपनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) स्मारकों/विरासत संरचनाओं के संरक्षण, परिक्षण तथा जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अपनाएं जाने वाला मूल सिद्धांत उनकी प्रमाणिकता तथा अखंडता को बनाए रखना है। इस स्थिति के लिए ऐसी विरासत संरचनाओं का मानचित्रण/प्रलेखन किया जाता है, इनके मूल निर्माण में प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी तथा सामग्री का अध्ययन किया जाता है तथा इनके संरक्षण और जीर्णोद्धार में इसे अपनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्मारकों की स्थान-वार सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

दिल्ली मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्मारकों की स्थान-वार सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्थान
1	2	3
1.	तुगलकाबाद किला	तुगलकाबाद
2.	उग्रसेन की बावली	जंतर मंतर
3.	जंतर मंतर परिसर	कनाट प्लेस
4.	सकरी और छोटी गुम्टी	ग्रीन पार्क खरेहरा गांव
5.	बारा खम्भा	हौज खास, कुतुब रोड खरेहरा गांव
6.	बीरां का गुम्बद	हौज खास, कुतुब रोड खरेहरा गांव
7.	नगर दीवार, दरियागंज	दरियागंज
8.	खैरूल मुनाजी मस्जिद	बावर बाजीपुर (काका नगर)
9.	जमाली कमाली	महरौली
10.	ग्यासूद्दीन तुगलक मकबरा	तुगलकाबाद
11.	दिल्ली गेट	दरिया गंज
12.	दादी पोती	खरेहरा गांव, हौजखास, कुतुब रोड
13.	किला राय पिथौड़ा (एम)	अदचीनी गांव
14.	शेरशाह गेट	पुराना किला के सामने खैरूल मनाज मस्जिद के एकदम उत्तर-पूर्व में
15.	नजफखान मकबरा	सफदरजंग फ्लाई ओवर
16.	आदिलाबाद किला	तुगलकाबाद
17.	सीरी फोर्ट दीवार	शाहपुर जाट
18.	सतपुला	खिड़की गांव
19.	सलीमगढ़ किला	बेला रोड
20.	सफदरजंग मकबरा परिसर	लोधी रोड

1	2	3
21.	नगर दीवार, कश्मीरी गेट	कश्मीरी गेट
22.	लाल गुंबद, मालवीय नगर	मालवीय नगर
23.	मुहम्मदपुर तीन बुर्जी	भीकाजी कामा प्लेस के पास
24.	कुतुब परिसर	महरौली
25.	पुराना किला परिसर	शाहजहानाबाद के दिल्ली गेट के दक्षिण में दो मील
26.	हौज खास परिसर	हौज खास
27.	अजमेरी गेट	बाजार अजमेरी गेट
28.	अशोक शिला लेख	ईस्ट कैलाश कालोनी
29.	बलबन का मकबरा तथा अवशेष	लाडो सराय, महरौली
30.	जहांपनहां दीवार	अदचीनी गांव
31.	बजीराबाद पुल, मकबरा तथा मस्जिद	मजनू का टीला के पास
32.	खूनी दरवाजा	बहादुरशाह जफर मार्ग पर (कोटला फिरोजशाह के सामने)
33.	अजीम खान का मकबरा	लाडो सराय
34.	खान-ए-खाना मकबरा	निजामुद्दीन
35.	लाल किला परिसर	लाल किला
36.	फिरोजशाह कोटला	जेल से दो फर्लांग पूर्व तथा शाहजहांनाबाद के दक्षिण पूर्व किनारे से तीन फर्लांग दक्षिण में
37.	लाल बंगला	बाबापुर (काका नगर)
38.	मुहम्मदी वाली मस्जिद	शाहपुर जाट
39.	संरचना की मरम्मत, कश्मीरी गेट	कश्मीरी गेट
40.	रोशनारा बारादरी का संरक्षण	सब्जी मंडी
41.	त्रिपोलिया गेट	दिल्ली-करनाल रोड
42.	आदम खान मकबरा	महरौली
43.	पुराना किला का लेक एरिया	शाहजहानाबाद के दिल्ली गेट के दक्षिण में दो मील
44.	चौबुर्जा मस्जिद	हिन्दूराव अस्पताल के पास रिज

बोफोर्स मामला

4324. **श्रीमती जयाप्रदा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीआई/सरकार बोफोर्स मामले को बंद करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बोफोर्स मामले के मुख्य आरोपी क्वात्रोची के प्रत्यर्पण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सीबीआई द्वारा वापस लिए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट और भारत के विद्वान महान्यायवादी और सालिसिटर जेनरल आफ इंडिया की सलाह के आधार पर सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत बोफोर्स मामले के अभियुक्त ओतावियो क्वात्रोची के विरुद्ध कोर्ट मामला सं. 2/2002 को वापस लेने के बारे में सहमति दे दी है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस प्रयोजन के लिए विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दिल्ली के विचारण न्यायालय में आवेदन दायर किया है।

(ग) श्री क्वात्रोची को अर्जेन्टीना के अधिकारियों द्वारा 6.2.2007 को हिरासत में लिया था। भारत सरकार ने अर्जेन्टीना से भारत में श्री क्वात्रोची के प्रत्यार्पण के लिए अर्जेन्टीना के प्राधिकारियों को एक अनुरोध भेजा था। तथापि, अर्जेन्टीना के संघीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.6.2007 के आदेश के अंतर्गत यह अनुरोध ठुकरा दिया गया।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में 30.10.2009 तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 16 मामले वापस लिए गए हैं। मामले वापस लेने के कारणों सहित मामलावार विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

क्र.सं. सं.	मामला सं. और दर्ज किए जाने की तारीख और अभियुक्त का नाम	वह तरीख जन न्यायालय ने मामले को वापस लेने की अनुमति दी	वापस लेने के कारण
1	2	3	4
		2006	
1.	आरसी12(ए)/1978 दिनांक 31.8.1978 एसीबी, विशाखापटनम, पीवी कृष्णा, तत्कालीन उप क्षेत्रीय प्रबंधक, एनएमडीसी, विशाखापटनम	24.2.2006	सभी कोशिश करने के बावजूद अभियुक्त को ढूंढा न जा सका है। मामला लगभग 30 साल पुराना है।
2.	आरसी1/02-एसीयू(VII/V) दिनांक 14.4.02 एसी.II माइकल फिलिप पिंटो, आईएएस (सेवानिवृत्त) (एमएच:66) तत्कालीन अध्यक्ष, जेएनपीटी और पूर्व सचिव, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	3.4.2006	याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर केन्द्र सरकार ने मामले को वापस लेने का निर्णय लिया है।

1	2	3	4
		2008	
3.	आरसी22(एस)/1981 दिनांक 3.10.81, एसीबी विशाखापटनम, भगत राम, प्रबंधक, अनूप सिंह सुंदरलाल, वाणिज्यक एजेंसी, गुंटुर	31.12.2008	तीनों सह-अभियुक्तों पर अलग-अलग मुकदमा चलाया गया और 29.10.2004 को दोषमुक्त कर दिया गया और एक ढूंढा नहीं जा सका है।
4.	आरसी7(ए)/1968, दिनांक 1.4.1968, एसीबी बंगलौर, श्री गोवर्धनगिरि	23.4.2008	अभियुक्त अंतिम बार 1968 में दिखा था और अब उसका कोई अता-पता नहीं हैं
5.	आरसी7(ए)/1968, दिनांक 1.4.1968, एसीबी बैंगलौर, श्री गंगाधर महादेवप्पा गोतगी	23.4.2008	अभियुक्त को ढूंढा नहीं जा सका और मामला 40 साल पुराना है।
6.	आरसी1(एस)/94-एसआईजी, दिनांक 3.8.1994, सीसी सं. 248/98, कलिट्स गोमा	25.9.2008	अभियुक्त को ढूंढा नहीं जा सका। भारत की नाईजीरिया के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है।
		2009	
7.	आरसीसीएचजी1994ए0019, दिनांक 9.5.1994, उसीबी चंडीगढ़, 1. श्री नवप्रीत विर्क 2. श्री रंजीत ओबेरोय 3. श्री रंजीत सिंह	11.4.2009	सह-अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया। तीन व्यक्तियों को अभी ढूंढा नहीं जा सका है। अगर उनको पकड़ा भी जाता है, तो वे न्यायालय के पूर्व निर्णय के अनुसार छोड़ दिए जाएंगे।
8.	आरसी17(एस)/86-एससीबी चेन्नई, सीसी नं. 2218/01, प्रेम कुमार ओझा	24.06.09	अभियुक्त को पिछले 20 वर्षों में ढूंढा नहीं जा सका।
9.	आरसी12एवं15(एस)/87-एससीबी चेन्नई, दिनांक 20.8.87 एवं 14.9.87 सीसी सं. 1791/02, ए.एम. भाटिया और आर.के.सूरी	01.07.09	अभियुक्त को ढूंढा नहीं जा सका। यह मामला बीस साल से अधिक पुराना है और अधिकांश गवाह या तो मर गए या कहीं चले गए हैं और उनको ढूंढा नहीं जा सकता।
10.	आरसी6(एस)/89-एससीबी चेन्नई, दिनांक 03.5.1989 सीसी सं. 1447/91 (1) ए.एस. शेट्टी	6.7.09	मूल दस्तावेज न तो न्यायालय में और न ही कार्यालय में उपलब्ध हैं। इस 20 साल पुराने मामले में दिए गए पते पर गवाह उपलब्ध नहीं है।

1	2	3	4
	(2) श्रीमती छाया तेजानी		इसलिए मामले की सुनवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
	सीसी सं. 1783/01 (1) पीपी शेट्टी (2) आशिष एस कोठारे एवं (3) वीए कुदवा	2.7.09	
11.	आरसी5(एस)/91-एससीबी-चेन्नई, दिनांक 15.3.91 सीसी सं. 6471/95 ए1-वीसी केदार, वीसीके ट्रेवल्स (मृत) प्रोपराइटर ए2-के मोहम्मद फैजल, ए3-इ. रजाक ए4-बी रामाचंद्रन (मृत) ए5-वी. मोइडु ए6-शिवसंकरणचंद्र बाबू ए7-हसन कट्टिलपुरम	30.06.09	दिए गए पते पर गवाह उपलब्ध नहीं था और इस लम्बे लम्बित मामले में अभियोजन उन्हें न्यायालय में ला पाने में असमर्थ रहा।
	सी.सी. सं. 6472/95 ए1-वीसी केदार, वीसीके ट्रेवल्स (मृत) प्रोपराइटर ए2-के मोहम्मद फैजल, ए3-इ. रजाक ए4-बी रामाचंद्रन (मृत) ए5-पी. राजू ए6-वी. मोइडु ए7-अम्बाजहान	30.06.09	
12.	आरसी 3(एस)/92-एससीबी चेन्नई दिनांक 05.02.1992, सीसी स. 8906/98 पी रतनागिरि @ गिरि(प्रा.) (ए1), नंदकुमार @ विनोद@राधा (प्रा.)(ए2), राजसेखरन (प्रा.) (ए3), पुष्पाराथीनम (प्रा.) (ए4)	01.07.09	अभियुक्त व्यक्ति ए1 से ए4 ढूंढे नहीं जा सके और ए5 को मरा हुआ बताया गया। अभियुक्त श्रीलंका के राष्ट्रीयक हैं और इंटरपोल के माध्यम से किए गए प्रयासों से भी उन्हें ढूंढा नहीं जा सका क्योंकि अभियुक्तों द्वारा दिए गए पते जाली पाए गए।

1	2	3	4
13.	आरसी6/67एसीयू (VII/V) दिनांक 13.6.67एसी.II मेसर्स न्यू स्वदेशी मिल्स अहमदाबाद लि. और अन्य	30.3.09	मामला लगभग 40 साल पुराना है। इसके अधिकांश गवाह या तो मर गए हैं या उन्हें ढूंढा नहीं जा सका।
14.	आरसी10/66एसीयू(VI) दिनांक 25.5.66 श्री जीत पॉल, साझेदार मेसर्स अमीनचंद प्यारे लाल, कलकत्ता-1 और अन्य	28.5.09	मामला लगभग 40 साल पुराना है। 8 में से 6 अभियुक्त मर गए हैं। अधिकांश गवाह या तो मर गए हैं या उन्हें ढूंढा नहीं जा सका।
15.	आरसी1(एस)/94-एसआईजी दिनांक 3.8.2004 सीसी सं. 214/2002 जीयाद अहमद इकबाल कुशायमाह	8.6.2009	अभियुक्तों को ढूंढा नहीं जा सका। भारत की जार्डन के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है।
16.	आरसी1एंड2(एस)/94-एसआईजी (डीडी धोखाधड़ी मामला) दिनांक 3.8.1994 एवं 29.9.1994 सीसी सं. 148/02 1. कमल यूसूफ खादर सुलेमान-जार्डन राष्ट्रीयक 2. अहमद नजल (जार्डन राष्ट्रीयक) 3. घसन घीस अब्बास (फिलीस्तीन राष्ट्रीयक) 4. मो. अल अलोवनेह (जार्डन राष्ट्रीयक) 5. वालिद मचौर (सीरिया राष्ट्रीयक)	8.6.2009	अभियुक्तों को ढूंढा नहीं जा सका। भारत की जार्डन, फिलीस्तीन और सीरिया के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है। अभियुक्त कमल जोसेफ और अहमद नजल को जार्डन में गिरफ्तार किया गया था। तथापि, उन्हें प्रत्यार्पित करने के भारत सरकार के अनुरोध जार्डन सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में रिक्तियां

4325. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध कार्यालयों के संवर्ग प्राधिकरण, उपलब्ध रिक्तियों हेतु अधिदेशाधीम अधिकरण के माध्यम से भर्ती करने के लिए अपने-अपने भर्ती नियमों के अनुसार सीधे कार्रवाई

करते हैं और इन रिक्तियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से मार्गाधीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शासकीय संकल्प में आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उसे प्रस्तुत की गई मांग के अनुसार विनिर्दिष्ट श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाएं तथा विभागीय रिक्तियों को भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं (एलडीसीई) संचालित करता है। तदनुसार, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सभी श्रेणियों के पदों की विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए किसी व्यापक योजना तैयार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अन्तरग्रहीय खोज संबंधी पहल

4326. **श्री शेर सिंह धुबाया** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतरग्रहीय खोज के लिए इसरो द्वारा की गई अद्यतन पहल क्या है; और

(ख) बाहरी अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) अंतरिक्ष में प्रवीण अन्य देशों के यथासंभव सहयोग से मंगल, शुक्र आदि ग्रहों के लिए अंतरग्रहीय मिशन पर अध्ययन चल रहा है।

(ख) बाहरी अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठकों सहित विविध अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत की भागीदारी जारी रहेगी।

भारतीय भूमि पर बांग्लादेश का दावा

4327. **श्री जोसेफ टोप्पो** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश ने 30,000 एकड़ की उस भारतीय भूमि पर अपना दावा किया है जो कि असम में नदी के स्थान परिवर्तन के परिणामस्वरूप सीमा पर उभरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, नहीं। बांग्लादेश सरकार से 30,000 एकड़ की उस भारतीय भूमि के बारे में सरकार को कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है जो कि असम में नदी के स्थान परिवर्तन के परिणामस्वरूप सीमा पर उभरी है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भू-जल के सतत विकास हेतु उपाय

4328. **श्री आनंदराव अडसुल** :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा द्वितीय प्रशासनिक आयोग सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने देश में भू-जल के सतत विकास के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है और उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश में भूजल स्थिति के संबंध में विभिन्न रिपोर्टों की जांच की है और उनके स्वयं के अध्ययनों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा है कि देश के कुछ क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के अति-दोहन का रुझान पाया गया है। देश में भूजल के सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:-

- देश में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- 7 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में भूजल संसाधनों के संवर्धन हेतु "डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन।

- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन। स्कीम के उद्देश्यों में भूजल पुनर्भरण का संवर्धन शामिल है।

- जल संरक्षण पद्धतियों के संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

- भूजल के विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए उचित कानून अधिनियमित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने हेतु 'माडल बिल' का परिचालन।

- देश में भूजल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की स्थापना।

- जल प्रबंधन, वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

- राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया गया है। तदनुसार इसके अनुसरण में 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने भवन उप-नियमों के अंतर्गत वर्षाजल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रावधान को अनिवार्य कर दिया है।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु एक मास्टर योजना का परिचालन।

- लोगों की सहभागिता के माध्यम से भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण की नूतम पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन के लिए भूमिजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की संस्थापना।

डेल्टाओं का संकुचन

4329. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में डेल्टाओं का संकुचन हो रहा है और इनमें से कई भारत में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में ब्रह्मनी, आंध्र प्रदेश में गोदावरी, महानदी तथा कृष्णा अत्यधिक खतरे में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने संकुचित हो रहे डेल्टाओं के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं। कोई निश्चित रुझान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (च) भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक समान स्तर

4330. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा के स्तर का आंकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार ने देश में सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एक समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने 2002 से कक्षा-III, V और VII/VIII के अंत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के दो दौर आयोजित किए हैं। सरकारी और सरकार द्वारा सहायताप्राप्त स्कूलों को प्रदत्त विभिन्न जानकारी के परिणामस्वरूप अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न विषयों और विभिन्न कक्षाओं में चक्र-I (2002-2004) से चक्र-II (2006-2008) में बच्चों की औसत उपलब्धि 2 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों

में एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक विनियम अधिसूचित किया है।

[हिन्दी]

नर्मदा प्रदूषण

4331. श्रीमती मीना सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदारों द्वारा नर्मदा नदी के तट और तल से रेत के खनन से नदी की पारिस्थितिकी बिगड़ रही है तथा इसका जल प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नदी से रेत निकालने के हानिकारक प्रभावों का आंकलन करने तथा इसकी पूर्व ख्याति को बनाए रखने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कब तक तैयार किए जाने की योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता सामान्यता स्वीकार्य सीमाओं के अंदर पायी जाती है। रेत खनन संबंधी मामले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये जाते हैं। फिलहाल, मंत्रालय का नर्मदा नदी में रेत खनन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अवैध बूचड़खाने

4332. श्री मनोहर तिरकी :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध बूचड़खानों से पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण नदियों का जल और पेयजल प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.एच.आर.सी. ने भी इस संबंध में कोई आदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में बूचड़खानों की उक्त गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या-क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कृषि मंत्रालय ने, पश्चिम बंगाल सहित देश में पंजीकृत बूचड़खानों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया है। स्थानीय नगरीय और प्रशासनिक एंजेसियां पशुओं को मारने सहित सभी अवैध कार्यों को रोकने के लिए कार्रवाई करती हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में बूचड़खानों से नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव मानकों की अधिसूचना भी शामिल है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार बहिस्राव/उत्सर्जन के डिसचार्ज के लिए बूचड़खानों को स्वीकृति मंजूर करने के लिए शक्ति संपन्न किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों और बूचड़खानों को मार्ग दर्शन देने के लिए ''बूचड़खानों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन'' प्रकाशित किया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जा सकें। राज्य सरकारों और बूचड़खानों से संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मेरठ में अवैध बूचड़खाने को बंद करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सिफारिश की थी। तद्‌परांत, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आगे एक अंतरिम उपाय के रूप में बहिस्राव शोधन संयंत्र के साथ एक स्थायी बूचड़खाने की स्थापना

करने और निजी सेवा संयंत्र द्वारा पशुओं के भागों के निपटान के लिए सिफारिश की थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निगम आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ को अनाधिकृत भट्टियों को नष्ट करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।

प्रतिपूरक वन रोपण

4333. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने हैक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वन रोपण किया गया है;

(ख) किन प्रजातियों के पेड़ों का रोपण किया गया है तथा इन पौधों की सफलता दर क्या है; और

(ग) प्रतिपूरक वन रोपण की प्रति हैक्टेयर भूमि पर औसतन कितनी लागत आई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध प्रतिपूर्ति वनीकरण करने के लिए लगभग 24,744 हैक्टेयर वनेत्तर और अवक्रमित वन भूमि को अभिज्ञात किया गया है। तथापि, 71.21 हैक्टेयर पर प्रतिपूर्ति वनीकरण प्राप्त कर लिया गया है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिपूर्ति वनीकरण में मामूली उपलब्धि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार इसके लिए निधि के प्रवाह को तदर्थ प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (तदर्थ सीएएमपीए) के लेखा में रोकने के कारण हुई जिसे दिनांक 18.08.2009 से खोल दिया गया।

(ख) सामान्यतया, जहां प्रतिपूर्ति वनीकरण प्रस्तावित किया गया है, स्थान विशेष के लिए अनुकूल स्थानीय और देशज प्रजातियों को प्रतिपूर्ति वनीकरण कार्यक्रम के तहत रोपित किया जाता है। ऐसे रोपणों का रिकार्ड विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वन विभागों द्वारा रखरखाव किया जाता है।

(ग) प्रतिपूर्ति वनीकरण के प्रति हैक्टेयर पर औसत लागत एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है तथा एक राज्य के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उस विशेष क्षेत्र की मौजूदा मजदूरी दर संरचना के अनुसार भिन्न-भिन्न है। औसतन प्रति हैक्टेयर लगभग 1100 पौद/पौध का रोपण किया जाता है।

विवरण

प्रतिपूरक वन रोपण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	गत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान निर्धारित और प्राप्त प्रतिपूर्ति वनीकरण का ब्यौरा									
		2006		2007		2008		2009		कुल	
		निर्धारित	प्राप्त	निर्धारित	प्राप्त	निर्धारित	प्राप्त	निर्धारित	प्राप्त	निर्धारित	प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अंडमान और निकोबार	65.1	0	2.32	0	0	0	0	0	67.42	0
2	आंध्र प्रदेश	811.89	0	654.94	0	293.33	0	15	0	1775.16	0
3	अरुणाचल प्रदेश	17.95	0	82.6	0	8.5	0	0	0	109.05	0
4	असम	53	0	40.49	0	146.88	0	0	0	240.37	0
5	बिहार	77.77	0	6.01	0	0	0	0	0	83.78	0
6	चण्डीगढ़	4.86	0	0	0	0	0	0	0	4.86	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	छत्तीसगढ़	1469.73	0	649.87	0	69.54	0	6.08	0	2195.22	0
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	13.5	0	20.57	0	0	0	34.07	0
11	गोवा	39.78	0	14.17	0	72.86	0	0	0	126.81	0
12	गुजरात	442.02	0	1122.33	0	677.993	0	837.72	0	3080.063	0
13	हरियाणा	150.73	0	102.47	0	148.18	0	28.56	0	429.94	0
14	हिमाचल प्रदेश	706.92	14.71	686.11	0	763.23	0	0	0	2156.26	14.71
15	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	66.92	0	444.51	0	511.27	0	0	0	1022.7	0
17	कर्नाटक	573.42	0	298.78	0	269.56	0	68.67	56.50	1210.43	56.50
18	केरल	82.12	0	95.4	0	4.09	0	0	0	181.61	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	335.88	0	957.53	0	684.41	0	99.74	0	2077.56	0
21	महाराष्ट्र	596.66	0	317.81	0	228.17	0	9.87	0	1152.51	0
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	2.4	0	8.54	0	10.94	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	643.55	0	270.38	0	32.092	0	20.57	0	966.592	0
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	766.77	0	382.56	0	418.56	0	87.65	0	1655.54	0
29	राजस्थान	1344.72	0	2168.07	0	36.6	0	0	0	3549.39	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	सिक्किम	307.8	0	381.08	0	34.41	0	109	0	832.29	0
31	तमिलनाडु	8.34	0	26.29	0	11.6	0	2.36	0	48.59	0
32	त्रिपुरा	47.29	0	32.32	0	14.5	0	0	0	94.11	0
33	उत्तर प्रदेश	158.67	0	2.9	0	4.511	0	0	0	166.081	0
34	उत्तराखंड	702.58	0	223.54	0	177.92	0	129.52	0	1233.56	0
35	पश्चिम बंगाल	167.63	0	32	0	39.19	0	0	0	238.82	0
	कुल	9642	14.71	9008	0	4670	0	1423	56.50	24744	71.21

[हिन्दी]

गहरे अन्वेषण के कारण भू-जल का घटता स्तर

4334. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के कारण उत्तरी गुजरात में भू-जल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा मेहसाना तथा गुजरात में पड़ोसी क्षेत्र में क्या जल स्तर में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा तेल तथा गैस हेतु उत्खनन के कारण रिक्तीकरण हुआ है, के निरीक्षण का अध्ययन किया गया जिसमें यह दर्शाया गया है कि भू-जल की हानि तेल तथा गैस हेतु उत्खनन के कारण नहीं हुई है।

(ग) देश में भू-जल स्तर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा गुजरात को शामिल करते हुए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- देश में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में भू-जल संसाधनों के संवर्धन हेतु "डग वेलों द्वारा भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी स्कीम का कार्यान्वयन।
- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार का कार्यान्वयन स्कीम का उद्देश्य भू-जल पुनर्भरण का संवर्धन करना है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल विकास के विनियमन तथा नियंत्रण हेतु उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति देने के लिए "मॉडल बिल" परिचालित करना।
- देश में भू-जल प्रबंधन तथा विकास के विनियमन के उद्देश्य हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की स्थापना।
- राज्यों को वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाने हेतु सलाह दी गई है। इसके अनुक्रम में गुजरात को शामिल करते हुए 18 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भवन उपनियमों के अंतर्गत वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, गुजरात सरकार राज्य में भू-जल स्तर बनाए रखने हेतु स्कीम तथा अन्य उपाय भी कर रहा है जिसमें सरदार पटेल सहभागी जल संचय योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, शुष्क बंजर भूमि तथा पुनर्भरण ट्यूबवेलों, चैक बांध आदि के निर्माण के लिए नहरों को अत्यधिक सतही जल के अपवर्तन हेतु लिफ्ट सिंचाई स्कीम का कार्यान्वयन शामिल है।

डॉ. लोहिया का जन्मशती स्मृति उत्सव

4335. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010 में डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मशती स्मृति उत्सव आयोजित किए जाने हेतु की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में अनेक संसद सदस्यों ने सरकार को लिखित ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने डॉ. लोहिया के जन्मशती उत्सव को मनाने हेतु तैयारियां आरंभ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) जी, हां। अनेक सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार को मामले की जानकारी है।

कोयला खनन की आउटसोर्सिंग

4336. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियों विशेषरूप से भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) ने अपने खनन प्रचालनों की आउटसोर्सिंग की है;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंसियों का कंपनी-वार तथा वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कंपनी-वार तथा वर्ष-वार प्रत्येक आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या इस प्रकार की योजना कोयला कंपनियों एवं इसकी सहायक कंपनियों के लिए लाभकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जल और मृदा में आर्सेनिक की मौजूदगी

4337. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों से जल और मृदा में आर्सेनिक की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में कुछ स्थानों पर भूजल में आर्सेनिक संदूषण होने की सूचना मिली है। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) भूजल में आर्सेनिक संदूषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) सीजीडब्ल्यूबी ने प्रभावित राज्यों में आर्सेनिक मुक्त गहरे जलभृत्तों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण एवं भूजल अन्वेषण कराया है।

(ii) आर्सेनिक संदूषित जलभृत्तों के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं।

(iii) राज्य सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आर्सेनिक मुक्त पीने योग्य जल मुहैया कराने के लिए कई न्यूनिकरण उपाय प्रारंभ किए हैं।

विवरण

भूजल में आर्सेनिक संदूषण का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	भूजल में आर्सेनिक संदूषण से प्रभावित जिले
1	2	3
1.	बिहार	1. बेगुसराय
		2. भागलपुर
		3. भोजपुर
		4. बक्सर
		5. दरभंगा
		6. कटिहार
		7. खगड़िया
		8. मुंगेर
		9. पटना
		10. समस्तीपुर
		11 सारण
		12. वैशाली
		13. किशनगंज
		14. पूर्णिया
		15. लखीसराय
2.	छत्तीसगढ़	1. राजनंदगांव
3.	उत्तर प्रदेश	1. बहराइच
		2. बलिया
		3. बरेली
		4. चंदोली
		5. गाजीपुर
		6. गोरखपुर
		7. लखीमपुरखीरी
		8. बलरामपुर
		9. बस्ती
		10. बिजनौर
		11. गोंडा
		12. मेरठ
		13. मिर्जापुर
		14. मुरादाबाद
		15. रायबरेली
		16. संत कबीर नगर
		17. संत रवीदास नगर
		18. शाहजहांपुर
		19. सिद्धार्थनगर
		20. खिरी
		21. सीतापुर
		22. बाराबंकी
		23. पिलीभीत
		24. फैजाबाद
		25. उनाव
		26. अंबेडकर नगर

1	2	3
		27. बागपत
		28. बदायूं
4.	पश्चिम बंगाल	1. वर्धमान
		2. हावड़ा
		3. हुगली
		4. माल्दा
		5. मुर्शीदाबाद
		6. नादिया
	—	7. उत्तरी 24 परगना
		8. दक्षिण 24 परगना

वैश्विक तापन

4338. श्री रामसिंह राठवा :
प्रो. रामशंकर :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक तापन का मानव के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वैश्विक तापन के सीधे प्रभाव से राज्य-वार कितने लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है; और

(च) देश में वैश्विक तापन का मुकाबला करने के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्ष 2007 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पेनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में यह संकेत किया गया है कि अति तीव्र, बार-बार होने वाली, दीर्घकालिक हीट बेव्स, ग्रीष्म शुष्कता के अधिक जोखिम के साथ-साथ सूखे और बाढ़ आदि की घटनाओं का जोखिम बढ़ गया है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कृषि, खाद्य उत्पादन पर दुष्प्रभावों की संभावना व्यक्त की गई है तथा संक्रमणकारी रोगों की घटनाओं, जिनमें मानव जीवन के दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है, में वृद्धि की भी संभावना व्यक्त की गई है।

(ग) और (घ) जून, 2007 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गठित विशेषज्ञ समिति ने स्वास्थ्य सहित छह क्षेत्रों पर नृविज्ञानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्याकन किया था। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जलवायु की परिवर्तनशीलता और संक्रमणकारी रोगों जैसे मलेरिया आदि का निकट का संबंध है।

(ङ) ग्लोबल वार्मिंग के सीधे प्रभाव के कारण हुई मौतों की संख्या के बारे में भारत के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं है;

(च) भारत की अधिकांश जनसंख्या आजीविका के मामले में जलवायु दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि कृषि और वानिकी पर निर्भर करती है। भारत कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य और सफाई, वनों और तटीय जोन ढ़ांचे के क्षेत्रों में जलवायु की परिवर्तनशीलता के प्रति अनुकूलन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2.5 प्रतिशत पहले ही खर्च कर रहा है।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लंघन

4339. श्री सुदर्शन भगत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इनेमेल पेन्ट ब्रान्डों द्वारा सीसे की मात्रा के संबंध में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन किए जाने के संबंध में 'सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.)' की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पर्यावरणीय मानदण्डों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कोई नियमित प्रभाव आंकलन नीति मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सरकार ने पेन्ट विनिर्माण उद्योगों सहित उद्योगों की कतिपय श्रेणियों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सामान्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं, जिनके अनुसार उत्सर्जनों में सीसे के सांद्रण की अनुज्ञेय मात्रा 10 एम जी/एन $एम^3$ निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सरकार ने पेन्ट्स से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के लिए ईको मार्क स्कीम के तहत ईको-लेबलिंग मापदंड भी अधिसूचित किए हैं, जिनके अनुसार पेन्ट्स के अंदर कोई मरकरी अथवा मरकरी युक्त मिश्रण नहीं होना चाहिए या उनको सीसे, केडमियम, क्रोमियम-VI के रंजकों और उनके ऑक्साइड्स से रंगा नहीं होना चाहिए।

उर्वरकों द्वारा भू-जल का प्रदूषण

4340. श्रीमती सुषमा स्वराज :
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्टेट आफ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट इंडिया 2009' के अनुसार कृषि उपयोग किए गए उर्वरक बड़े पैमाने पर भू-जल को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भू-जल को उर्वरकों तथा अन्य खतरनाक पदार्थों से प्रदूषित होने से बचाने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) 'स्टेट ऑफ ऐनवायर्नमेंट रिपोर्ट-इंडिया 2009' के अनुसार पिछले पांच दशकों में कृषि-रासायनिक उपयोग में त्वरित वृद्धि के कारण सतही और भूमिजल संसाधनों दोनों का अत्याधिक प्रदूषण हुआ है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर भूमिजल में नाइट्रेट को उच्च संकेंद्रण पाया गया है (विवरण)। भूमि जल में नाइट्रेट के उच्च संकेंद्रण के लिए खाद के अत्याधिक उपयोग को प्रमुख कारण बताया गया है।

(ग) और (घ) खादों तथा अन्य खतरनाक पदार्थों द्वारा हुए भूमिजल प्रदूषण की जांच करने के लिए कृषि मंत्रालय के पास कई स्कीमें हैं। 'नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी' (एनपीएमएसएफ) के अंतर्गत खादों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की व्यवस्था है। मंत्रालय, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु "भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कीट प्रबंधन को भी समर्थन देता है।

विवरण

भूमिजल में नाइट्रेट प्रदूषण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	बिहार	8
3.	छत्तीसगढ़	12
4.	दिल्ली	7
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	22
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	झारखंड	11
11.	कर्नाटक	23

1	2	3
12.	केरल	11
13.	मध्य प्रदेश	46
14.	महाराष्ट्र	29
15.	उड़ीसा	28
16.	पंजाब	17
17.	राजस्थान	34
18.	तमिलनाडु	27
19.	उत्तर प्रदेश	43
20.	उत्तराखंड	3
21.	पश्चिम बंगाल	2

[अनुवाद]

चोरी के कारण केन्द्रीय भंडार को हानि

4341. श्री पूर्णमासी राम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय भंडार को चोरी के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भंडारों की कोई सुरक्षा आडिट की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपने केन्द्रों की सुरक्षा में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इस पर कितना व्यय हुआ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान चोरी के परिणामस्वरूप केन्द्रीय भंडारण द्वारा उठाई गई हानि के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय भंडार के रिटेल स्टोरों का चोरी आदि के कारण होने वाली हानि के लिए बीमा किया जाता है। पुलिस में एफआईआर दर्ज करने सहित बीमा कंपनी से हानि की वसूली करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। केन्द्रीय भंडार स्टोरों में 185 किलोग्राम वजन वाले मजबूत एवं हैवी डयूटी गोदरेज सेफ चरणबद्ध ढंग में स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 8 स्टोरों में ऐसे सेफों को स्थापित करने हेतु 1,78,344 रुपये की राशि उपगत की गई है। चोरी की घटना या चोरी के प्रयास के तुरंत बाद कुछ रिटेल स्टोरों अर्थात् वसंत विहार, एंड्रयूज गंज, मिन्टो रोड आदि में वेंटिलेटरों को पक्की ईंट से बंद करना, लोहे के अतिरिक्त आयरन गेटों का प्रावधान, खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगाने जैसे अन्य सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए गए हैं।

विवरण

चोरी के कारण केन्द्रीय भंडार में हानि

वित्तीय वर्ष	शाखाओं की संख्या	शामिल धनराशि (रुपये)
2006-07	5	242142
2007-08	4	115368
2008-09	10	372112
2009-10 (चालू वित्त वर्ष)	4	283051

मूर्ति तथा पुरातन कलाकृतियों की चोरी और तस्करी

4342. श्री निशिकांत दुबे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से राज्य-वार कितनी मूर्तियों की चोरी की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दूसरे देशों को दुलर्भ मूर्तियों की तस्करी की जानकारी भी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मामलों में कितने कर्मचारी/अधिकारी संलिप्त पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों से मूर्तियों की चोरी के नौ मामले सूचित किए गए हैं। इनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित स्मारकों/स्थलों से पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरावशेषों की चोरी के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

2007

क्रम सं.	राज्य	स्मारक/स्थल का नाम और जिला	वस्तु का ब्यौरा	चोरी की तारीख	की गई कार्रवाई	स्थिति
1	2	3	4		5	6
1.	हिमाचल प्रदेश	एक लघु प्रस्तर शिव मंदिर (जगत सुख) जिला कुल्लू	चार खुली मूर्तियां	7.12.2007 तथा 9.12.2007	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई
2.	मध्य प्रदेश	तापसी मठ बिलहारी जिला कटनी	1. भूमिस्पर्श मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध	20-21/1/07	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई
			2. एक कमल पर ध्यानमुद्रा में बैठे बुद्ध की मूर्ति			बरामद नहीं हुई
			3. बैठी हुई मुद्रा में महिला देवी तारा			बरामद हुई
3.	मध्य प्रदेश	दुधई स्मारक, जिला ललितपुर	पुरुष आकृति (वराह) की प्रस्तर मूर्ति	5.2.2007	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई
4.	मध्य प्रदेश	सिद्धेश्वर मंदिर, नेमावार जिला देवन (म.प्र.)	एक प्रलेखित मूर्ति	30.11.2007 तथा 1.12.07	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई

1	2	3	4		5	6
5.	तमिलनाडु	शिव मंदिर अम्मानकुरीचि जिला पुडुकोट्टई	गणेश प्रस्तर मूर्ति	10.11.2007	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई
			2008			
1.	हिमाचल प्रदेश	प्राचीन शिव मंदिर, फतेह गढ़, जिला बारामूला	मूर्ति का एक टुकड़ा (गदाधर) लघु मूर्ति)	12.4.2008 तथा 13.4.2008	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई
2.	मध्य प्रदेश	शिव की मूर्ति, खजुराहो, जिला छतरपुर	एक मूर्ति जिसका प्रलेखन नहीं किया गया	13.7.2008	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई
			2009			
1.	राजस्थान	मंदिरों के अवशेष (गरगच मंदिर) अटरू, जिला वरन	मंदिरों के अवशेष अटरू, जिला वरन से एक मूर्ति की चोरी दिनांक 22 तथा 23.04.09 की रात में		प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई
2.	राजस्थान	मंदिरों के अवशेष (गरगच मंदिर) अटरू, जिला वरन	खड़े हुए युग्म की एक प्रस्तर मूर्ति की चोरी दिनांक 18 तथा 19 सितम्बर, 2009 की रात में		प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	बरामद नहीं हुई

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

4343. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में अंतर के क्या कारण हैं तथा राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के संबंध में (प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार मापी गई) राज्यवार प्रति व्यक्ति आय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में अन्तर इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक अवसंरचनात्मक एंडोमैंट, अपनाई गई विकास नीतियों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन-स्तरों तथा विकास के कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी के स्तरों में अन्तर है।

सरकार राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय करती रही है। ये उपाय नीति संबंधी-दस्तावेजों के माध्यम से किए जाते रहे हैं, जैसे कम विकसित राज्यों को तरजीह देते हुए केन्द्र से योजना और गैर योजना संसाधन राज्यों को अन्तरित करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना करना, पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योग लगाने हेतु कर संबंधी प्रोत्साहन देना, आदि। राज्यों की आय में असमानता को कम करने हेतु अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि शामिल हैं।

विवरण

प्रचलित कीमतों पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

12.11.2009 की स्थिति के अनुसार

(रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	26662	30439	35864	39597
2.	अरुणाचल प्रदेश	22335	25639	27398	उ. नहीं
3.	असम	18378	19857	21464	23308
4.	बिहार	7864	9817	11135	12643
5.	झारखंड	16267	18474	19928	21465
6.	गोवा	78612	87501	105582	उ. नहीं
7.	गुजरात	34264	39459	45773	उ. नहीं
8.	हरियाणा	41997	50488	58531	67891
9.	हिमाचल प्रदेश	33954	36781	40134	उ. नहीं
10.	जम्मू एवं कश्मीर	20799	22426	24214	उ. नहीं
11.	कर्नाटक	28787	31713	36266	40998
12.	केरल	32450	36907	41814	उ. नहीं
13.	मध्य प्रदेश	15466	16875	18051	उ. नहीं
14.	छत्तीसगढ़	19501	21822	25360	29621
15.	महाराष्ट्र	36048	41144	47051	उ. नहीं
16.	मणिपुर	17772	18630	19780	21062

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	मेघालय	22852	24766	26636	उ. नहीं
18.	मिजोरम	24029	25682	27501	29576
19.	नागालैंड	21083	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं
20.	उड़ीसा	17707	20805	23403	26507
21.	पंजाब	36277	39860	44923	50558
22.	राजस्थान	18008	21203	23933	27257
23.	सिक्किम	26628	29819	33349	37553
24.	तमिलनाडु	31663	37190	40757	45058
25.	त्रिपुरा	25700	27816	28806	उ. नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	13315	14663	16060	18214
27.	उत्तराखंड	24928	29373	32884	36520
28.	पश्चिम बंगाल	24533	28073	31722	उ. नहीं
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	36984	42561	उ. नहीं	उ. नहीं
30.	चंडीगढ़	88456	100146	110728	119240
31.	दिल्ली	60951	70238	78690	उ. नहीं
32.	पुदुचेरी	52408	71719	78302	84625
	अखिल भारत प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एन एन पी)	26003	29524	33283	37490

उ. नहीं : उपलब्ध नहीं

स्रोत : क्रम सं. 1-32 हेतु - संबंधित राज्य सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, और अखिल भारत हेतु - केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

[अनुवाद]

अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण

4344. **श्री एस. सेम्मलई :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेहतर प्रशासन तथा सौहार्दपूर्व केन्द्र-राज्य संबंधों को बढ़ावा देने के मद्देनजर अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण करने की प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अखिल भारतीय सेवा के केन्द्रीय सचिवालयों में कार्यरत अधिकारियों की समस्याओं की बेहतर समझ के लिए अन्य राज्यों में अनिवार्य रूप से तैनात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूनाइटेड किंगडम में चिकित्सक

4345. श्री उदय सिंह : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने यूरोप के अलावा अन्य किसी देश के चिकित्सकों तथा अन्य पेशेवरों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनाइटेड किंगडम सरकार के ऐसे निर्णय से हजारों भारतीयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस मामले को यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ उठाने तथा यूनाइटेड किंगडम में भारतीय चिकित्सकों/इंजीनियरों के हितों की रक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) ब्रिटेन में गैर-ई.यू. कामगारों के प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए, ब्रिटेन ने अपने उत्प्रवास कानूनों में संशोधन किया है और 2008 में एक प्वाइंट आधारित प्रणाली लागू की है। नई प्वाइंट आधारित प्रणाली के अंतर्गत एक पांच स्तरीय संरचना होगी जिसके अंतर्गत गैर-ई.यू. नागरिक निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही काम, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन में प्रवेश पा सकेंगे। पांच स्तरीय प्रणाली में विभिन्न शर्तें, सुविधाएं और प्रवेश स्वीकृति जांच शामिल है। ब्रिटेन अत्यधिक कुशल कामगारों के लिए प्वाइंट आधारित प्रणाली के टायर-I द्वारा वर्तमान अत्यधिक कुशन उत्प्रवासी कार्यक्रम को बदल दिया गया है और इसे भारत के लिए 1.4.2008 से लागू कर दिया गया है। टायर्स के अंतर्गत प्रवेश के लिए, जो व्यवसायी ब्रिटेन (उच्च कौश के व्यक्ति जैसे डाक्टर और इंजीनियर) किसी खास नौकरी के आफर के बिना भी जाना चाहते हैं, उन्हें पात्रता के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता होगी। उच्च कौशल वाले कामगारों के लिए टायर-2 के भारत के लिए 27 नवम्बर, 2008 से लागू किया गया है और या केवल कुशल कामगारों के लिए है। टायर-2 के अंतर्गत भारतीय व्यावसायिक दो तरह से ब्रिटेन में जा सकते हैं-जो व्यवसाय की पूर्ति सूची में नहीं हैं, उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद प्वाइंट आधारित प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटेन की कंपनियों द्वारा सोधे ही भर्ती किया जा सकता है, और जो व्यवसाय की पूर्ति सूची में हैं और उन्हें विशिष्ट नौकरी का आफर मिला हुआ है, तो वे ब्रिटेन आ सकते हैं। ब्रिटेन सरकार द्वारा व्यवसाय पूर्ति सूची में संशोधन किया जा रहा है। अक्तूबर, 2009 में किए गए विगत संशोधन में कुछ श्रेणियों को छोड़ दिया गया था जबकि कई अन्य क्षेत्रों को व्यवसाय पूर्ति सूची में शामिल किया गया था।

(ङ) और (च) मामले पर द्विपक्षीय बैठकों के दौरान ब्रिटेन सरकार के साथ बातचीत की गई है और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया हैं कि नई प्रणाली से भारतीय व्यावसायिकों के ब्रिटेन में प्रवेश और वहां रहने में रुकावटें न आयें।

[हिन्दी]

हिमालय का पर्यावरण

4346. डॉ. संजय जायसवाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण को बचाने के लिए कोई नीति बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में हिमालय क्षेत्र में राज्यों के साथ परामर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ हिमालय से सटे हुए पड़ोसी देशों के साथ भी परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सरकार ने हिमालय सहित, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु इसकी प्राथमिकता कार्यसूची में, हिमालय सहित, पर्वतों को रखा है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी2006) ने, अन्य बातों के साथ-साथ देश की पर्वत पारिप्रणालियों से संबंधित विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान की है और कार्य योजना के तत्वों को, जिसे किया जाना है, सुपरिष्कृत किया है। एनईपी में पर्वत पारिप्रणाली हेतु कुछ विशेष उपाय परिकल्पित हैं। हाल ही में जारी की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने 'हिमालयी पारिप्रणालियों को बनाए रखना' 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक के रूप में परिकल्पित किया है। मिशन ने हिमालयी पारिप्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित रखने हेतु प्रबंधन उपायों को लक्षित किया है।

(ख) और (ग) इन पहलों के बेहतर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास (जीबीपीआईएचईडी) द्वारा हिमालयी राज्यों के साथ परामर्श किए जाते हैं, जो कि अल्मोड़ा में प्रधान कार्यालय सहित मंत्रालय का एक स्वशासी संस्थान है और इसकी चार क्षेत्रीय इकाईयां भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) श्रीनगर (गढ़वाल, उत्तराखंड), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), गंगटोक (सिक्किम) और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में स्थित है। हाल ही में, भारत सरकार ने 29-30 अक्टूबर, 2009 को शिमला में हुए हिमालयी मुख्य मंत्रियों की कनकलेव में भाग लिया, जहां, क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की चुनौतियों को संयुक्त रूप से सामना करने हेतु संकल्प किया गया था।

(घ) और (ङ) भारत एकीकृत पर्वत विकास (आईसीआईएमओडी) हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र का एक सदस्य है, जो हिमालयी क्षेत्र के आठ क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रों का एक स्वतंत्र गैर राजनीतिक अंतर शासकीय संगठन है। जीबीपीआईएचईडी और आई सीआईएमओडी के बीच समझौता ज्ञापन 25 सितम्बर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए, जो हिमालय में सतत आजीविका के सुधार के लिए सहयोगी संसाधनों हेतु आईसीआईएमओडी के जरिए भारत सरकार को समर्थ बनाता है। यह क्षेत्र में पारिस्थितिकीय रूप से और आर्थिक रूप से समृद्ध पर्वतीय पर्यावरण को प्राप्त करने के लिए एकीकृत और नवीन समाधानों को प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु क्षेत्रीय सहयोग का प्रयास करता है।

कोयला खनन में विदेशी कंपनियां

4347. श्री आर.के. सिंह पटेल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी विदेशी कंपनियां कोयला खनन में संलग्न हैं तथा वे कहां स्थित हैं;

(ख) क्या ऐसी कंपनियों ने कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के साथ सहयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) इस समय देश में किसी भी विदेशी कम्पनी को कोयला खनन रियायते मंजूर नहीं की गई हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

याकों की मौत

4348. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए कि याक की अनुपयुक्त जलवायु परिस्थितियों में एक वर्ष के भीतर ही मौत हो जाती है, याकों को ऊंचे स्थानों से कुफरी जैसे पर्यटक केन्द्रों में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या 10,000-18,000 फीट की उंचाई जो कि याक का प्राकृतिक पर्यावास है, से कम ऊंचाई के पर्यटक क्षेत्रों में याक पर प्रतिबंध लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन दुर्लभ और लुप्तप्राय पशुओं की रक्षा करने के क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पर्यटन के लिए कुफरी में केवल पालूत याक हैं तथा कुफरी में पर्यटन के लिए कोई जंगली याक नहीं लाए गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जंगली याकों (बोस ग्रूनियंस) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है, अतः इन्हें उच्च सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

विशिष्ट पहचान संख्या

4349. श्री नीरज शेखर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पहचान पत्रों को धीरे-धीरे प्रतिस्थापित करते हुए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूआईएन जारी किए जाने के बाद व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत ब्यौरे की गोपनीयता को खतरा होगा;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए सुरक्षोपाय करने हेतु गोपनीयता नीति लाए जाने की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लोगों की गोपनीयता तथा सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं के बीच यूआईएन परियोजना किस पद्धति से संतुलन बनाए रखेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) अब तक, निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या अनिवार्य बनाने अथवा वर्तमान पहचान पत्रों को प्रतिस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निवासियों के डेटा को तबतक शेयर नहीं करेगा जबतक कि कानून अपेक्षित न हो। निवासियों के डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए और देश की सुरक्षा जरूरतों पर ध्यान देने के लिए एक वैधानिक ढांचे की परिकल्पना की जा रही है।

ताजमहल की पृष्ठभूमि में फ्रांसीसी उत्सव

4350. प्रो. रामशंकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में मेहताब बाग स्मारक के निकट ताजमहल की पृष्ठभूमि में फ्रांसीसी उत्सव आयोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(ग) क्या 'नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट' (एनईईआरआई) द्वारा इस प्रकार के उत्सव आयोजित करने के संबंध में कोई अध्ययन किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) उत्सव आयोजित करने के लिए लगाई गई सभी अपेक्षित शर्तों को कब तक हटा दिया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। फ्रांस के दूतावास ने अगले वर्ष 'भारत में फ्रांस उत्सव' आयोजित करने तथा मेहताब बाग के निकट आगरा में ताजमहल की पृष्ठभूमि में इसके उद्घाटन समारोह का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश पर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई सिफारिशें पर्यावरण प्रबंधन संबंधी समस्याओं से संबंधित हैं जो इस समारोह के आयोजन से उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्य सिफारिशें हैं: स्थान का प्रयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, खाने को केवल बिजली से गर्म करने की अनुमति होनी चाहिए, दुर्गंध को रोकने के लिए नदी का बहाव बनाए रखना चाहिए, हवा में धूल न छाए इसके लिए एहतियात

बरतना होगा, डीजल तथा शोर मचाने वाले उपकरणों का प्रयोग नियंत्रित करना चाहिए, डीजल जेनरेटर सेटों के प्रयोग को रोकने के लिए ग्रिड पावर को सुनिश्चित करना होगा (यद्यपि आपातकालीन बिजली के लिए डीजल जेनरेटरों को रखा जा सकता है) वैद्युत कीट विकर्षकों के साथ साथ प्रदीप्तिकरण के लिए निम्न दवाब वाले सोडियम वैपर लैम्पों का प्रयोग किया जाना चाहिए; मेहमानों के लिए पेय जल तथा सफाई की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नदी में करने की अनुमति नहीं होगी आदि।

(ङ) प्रस्ताव को पास करने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है तथा इस प्रकार कोई भी समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

4351. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री दारा सिंह चौहान :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों जैसे विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कड़ाई से आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा में केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में दाखिले केन्द्रीय शिक्षा संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की शर्तों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) वर्ष 2006 की संख्या 265 तथा अन्य संबंधित कई रिट् याचिकाओं एवं रिट् याचिका (सिविल) वर्ष 2007 की संख्या 35 में वर्ष 2008 की आईए संख्या 3 के मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सरकार ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1.1-2008-(III) यू 1 (ए) के माध्यम से सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के निदेश जारी किए हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की सख्त अनुपालना होनी चाहिए। वर्तमान में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित विद्यार्थियों के लिए निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं हेतु कानून के प्रावधान, यदि संबंधित राज्य का कोई विधान हो, लागू होंगे।

स्कूलों तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या

4352. श्री दारा सिंह चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशक के कुल कितने पद हैं;

(ख) उक्त पदों पर इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी कार्यरत हैं तथा उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या इन पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की प्रतिशतता उनकी संबद्ध कोडर में प्रतिशतता के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की उनके कोडर में उनकी प्रतिशतता के अनुरूप पदोन्नित देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रस्ताव के कब तक अक्षरशः सामने आने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय

कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार में दिनांक 11.12.2009 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव तथा निदेशक के रूप में कार्यरत अधिकारियों की संख्या तथा इन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की संख्या एवं उनका प्रतिशत नीचे दिया जा रहा है:

	सचिव	अपर सचिव	संयुक्त सचिव	निदेशक
अधिकारियों की कुल संख्या	88	66	249	471
अनुसूचित जाति अधिकारियों की संख्या	00	01	13	31
अनुसूचित जाति अधिकारियों का प्रतिशत	0.00	1.52	5.04	6.20
अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की संख्या	04	01	09	09
अनुसूचित जनजाति अधिकारियों का प्रतिशत	4.55	1.52	3.49	1.80

(ग) और (घ) उपर्युक्त पदों पर विभिन्न संवर्गों से अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती है। इसलिए इन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों का प्रतिशत उतना होना आवश्यक नहीं है जितना कि उनके संबंधित संवर्गों में है।

(ङ) मंत्रालयों/विभागों में सचिव, अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव के पद पदोन्नति वाले नहीं हैं, सिवाय विदेश मंत्रालय आदि में पदों के, जहां इन पदनामों के पद संवर्ग-पद हैं। केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों में सचिव, अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव के पद अधिकांशत: विभिन्न संवर्गों जिसमें राज्य संवर्ग शामिल हैं जो ऐसे पदों को धारण करने के लिए पैनेल में होते हैं तथा जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के लिए अपना विकल्प देते हैं, से लिए गए अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। निदेशक के पद भी (उन पदों को छोड़कर जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में है) विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों, जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के लिए अपना विकल्प देते हैं, में से भरे जाते हैं। इन पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तथापि, पैनेल बनाने के समय, यदि आवश्यक हो तो सामान्य श्रेणी से संबंधित अधिकारियों की तुलना में उदार बैंचमार्क अपनाते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों को पैनेल में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम का मूल्यांकन

4353. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मध्यावधि मूल्यांकन में सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने विभिन्न कार्यक्रमों विशेषकर सामाजिक क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन को त्रि-स्तरीय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) से जोड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने धनराशि के लीकेज तथा खाद्यान्नों की चोरी की निगरानी पीईओ द्वारा किए जाने की इच्छा जाहिर की है; और

(च) यदि हां, तो सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों की प्रगति संबंधी मूल्यांकन के लिए पीईओ को उत्तरदायी बनाने के साथ इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन प्रारंभ किया है जो सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों सहित प्रमुख कार्यक्रमों का आकलन उपलब्ध कराएगा। इस समय मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (ङ) जी नहीं।

(घ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के लिए धनराशि के आबंटन हेतु मानदण्ड

4354. श्री राम सुन्दर दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा के लिए धनराशि के आबंटन हेतु मानदण्ड को तर्कसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए सुलभता के तर्कसंगत मानदण्ड के आधार पर उच्चतर शिक्षा के लिए निधियों के आबंटन में सहायक हुई है। इस योजना का दस्तावेज योजना आयोग की वेबसाइट Planningcommisssion.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार इस बात के प्रति सचेत है कि उच्चतर अध्ययन संस्थाओं में नामांकन में वृद्धि करने और इनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निधियों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है इसलिए लाभ न कमाने वाले प्राइवेट निवेश को इसके लिए प्रोत्साहित करना होगा। अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में प्राइवेट क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने संबंधी उपायों के बारे में विचार करने के लिए उच्चतर शिक्षा से संबंधित विचार मंच गठित किया गया है।

[अनुवाद]

संस्कृत सप्ताह

4355. श्री शिवराज भैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संस्कृत सप्ताह मना रही है;

(ख) यदि हां, तो संस्कृत सप्ताह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त अवसरों पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कि सम विश्वविद्यालय हैं, प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में 'संस्कृत सप्ताह' मना रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा (रक्षा बंधन दिवस) के दिन पड़ने वाले 'संस्कृत सप्ताह' के अंतिम दिन को 'संस्कृत दिवस' के रूप में मनाया जाता है। ये विश्वविद्यालय निबंध लेखन, वाद-विवाद, अंताक्षरी, संगीत, नृत्य, नाटक आदि में छात्रों के लिए साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं संचालित करके संस्कृत भाषा और इसकी विरासत के महत्व पर बल देने हेतु कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तथा प्रतियोगिताओं के अंत में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय 'संस्कृत सप्ताह' मनाने के उद्देश्य के लिए भिन्न-भिन्न राशियां खर्च करते हैं।

बहुकला संस्थान

4356. श्री के.पी. धनपालन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कितने बहुकला महाविद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान और बहुकला महाविद्यालयों की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्यों में बहुकला महाविद्यालय की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) देश में वर्ष 2009-10 के लिए पालिटेक्निक कालेजों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। XIवीं योजना के दौरान ''कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई में पालिटेक्निकों का उप-मिशन'' की योजना के तहत सरकार ने 225 जिलों में नए पालिटेक्निकों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। पालिटेक्निकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) पालिटेक्निक कालेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें छत्तीसगढ़ के 11 प्रस्ताव शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 11 जिलों के प्रस्तावों पर विचार किया गया है और सरकार ने 2008-09 और 2009-10 के दौरान वित्तीय अनुदान जारी कर दिया है।

विवरण-I

शैक्षिक वर्ष 2009-10 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का राज्य-वार वितरण

क्षेत्र	राज्य	संस्थानों की संख्या
1	2	3
मध्य	मध्य प्रदेश	55
	छत्तीसगढ़	25
	गुजरात	80
पूर्वी	मिजोरम	5
	सिक्किम	2
	उड़ीसा	93
	पश्चिम बंगाल	78
	त्रिपुरा	2
	मेघालय	3
	अरुणाचल प्रदेश	3
	अंडमान और निकोबार	3
	असम	16
	मणिपुर	2
	नागालैंड	3
	झारखंड	23
उत्तरी	बिहार	16
	उत्तर प्रदेश	114
	उत्तरांचल	48
पश्चिमोत्तर	चंडीगढ़	3
	हरियाणा	95
	जम्मू और कश्मीर	19
	नई दिल्ली	17
	पंजाब	88
	राजस्थान	79
	हिमाचल प्रदेश	25
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	163
	पांडिचेरी	5
	तमिलनाडु	371
दक्षिण-पश्चिम	कर्नाटक	324
	केरल	69
पश्चिमी	महाराष्ट्र	538
	गोवा	11
	दमन और दीव, दादर, नगर हवेली	2
	कुल	2380

विवरण-II

बहुकला संस्थान

क्र.सं.	जिले/राज्य	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	14
2.	छत्तीसगढ़	11
3.	गुजरात	5
4.	मिजोरम	4
5.	सिक्किम	2
6.	उड़ीसा	22
7.	पश्चिम बंगाल	11
8.	त्रिपुरा	3
9.	मेघालाय	4
10.	अरुणाचल प्रदेश	7
11.	लक्षद्वीप	1
12.	मणिपुर	2
13.	नागालैंड	2
14.	झारखंड	17
15.	बिहार	16
16.	उत्तर प्रदेश	41
17.	उत्तरांचल	1
18.	पंजाब	7
19.	हरियाणा	7
20.	जम्मू और कश्मीर	18
21.	राजस्थान	15
22.	हिमाचल प्रदेश	5
23.	आंध्र प्रदेश	1
24.	तमिलनाडु	7
25.	महाराष्ट्र	2
	कुल	225

आरटीआई के अंतर्गत सूचना की गुणवत्ता

4357. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 2009-10 के दौरान आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गयी है;

(ख) देश में अलग-अलग कितने प्रतिशत महिला और पुरूष आरटीआई अधिनियम से अवगत है;

(ग) क्या नागरिकों का एक बड़ा प्रतिशत प्रदान की जा रही सूचना की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आरटीआई के अंतर्गत आवेदकों को सूचना प्रदान करने के तंत्र में सुधार लाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वर्ष, 2009-10 के लिए "सूचना का अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन" पर केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित प्लान स्कीम के अंतर्गत 14.16 करोड़ रुपए का एक बजट अनुमान किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सूचना आयोगों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। दिनांक 11.12.2009 तक लगभग 3.63 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो गई है। अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव जांच/अनुमोदनाधीन है।

(ख) सैंपल सर्वे के आधार पर एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि 12 प्रतिशत महिलाओं और 26 प्रतिशत पुरुषों को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी थी।

(ग) और (घ) अध्ययन से पता चला है कि 75 प्रतिशत से अधिक नागरिक उनको प्रदत्त सूचना की गुणवत्ता से असंतुष्ट थे।

(ङ) सरकार लोक सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों और अन्य पणधारियों को प्रशिक्षण मुहैया करा रही है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करने वाले कई ज्ञापन जारी किए गए हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम पर 5 मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित की गई हैं।

[हिन्दी]

बांधों/जलाशयों पर बाढ़ अवरोधक

4358. श्री जगदानंद सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तराखंड में गंगा के ऊपरी भागों में बड़े जलाशयों का निर्माण किया गया है/निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ प्रबंधन हेतु निर्मित अथवा निर्माणाधीन जलाशयों में बाढ़ अवरोधक बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) उत्तराखंड में गंगा की ऊपरी खण्ड में दो जलाशयों नामतः रामगंगा नदी पर रामगंगा तथा भागीरथी नदी पर टिहरी पूरे कर लिए गए हैं। टिहरी बांध 2615 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) की सक्रिय भण्डारण क्षमता के साथ 260.5 मी. का उच्च भूमि बांध तथा रॉकफिल बांध है। रामगंगा मुख्य बांध उच्चतम जलाशय स्तर की 2448 एमसीएम की क्षमता के साथ 127.50 मी. ऊंचा बांध है।

(ग) और (घ) उपरोक्त जलाशय का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं दर्शाया गया है।

(ङ) अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी-अपनी राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकरणों द्वारा परियोजनाएं डिजाइन की गई है।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ने संबंधी जनमत

4359. श्री गजानन ध. बाबर :
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों को जोड़ने के संबंध में जनमत कराया है/कराए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य हेतु कौन सी प्रणाली अपनायी गयी है/अपनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) ने नदियों को जोड़ने से संबंधित अपनी 11वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "समितियों ने व्यक्तियों/विशेषज्ञों/गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के ज्ञापन आमंत्रित किए थे, इनमें से कुछ को समिति के समक्ष अपने विचार/सलाह देने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। इस विषय पर विशेषज्ञों के विचार/सलाह लेने के पश्चात समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि इनमें से अधिकांश आईएलआर कार्यक्रम के पक्ष में हैं"।

इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय ने आईएलआर की कार्य प्रक्रिया को परामर्शी बनाने की दृष्टि से नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में 28.12.2004 को पर्यावरणविदों, सामाजिक वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। समिति में संबंधित सरकारी विभागों के सदस्य, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, सामाजिक वैज्ञानिक और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। समिति सरकार को इसके विचारार्थ विषयों के संबंध में समय-समय पर अपनी सलाह देती है। समिति ने अब तक 7 बैठकें आयोजित की हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर समुचित कार्रवाई करता है।

सरकारी और निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं

4360. श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी संरचना की गुणवत्ता एवं क्षमता की निगरानी किस प्रकार की जाती है;

(ख) क्या सरकार बुनियादी संरचना की गुणवत्ता एवं क्षमता में सुधार करने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए कोई स्वतंत्र पारदर्शी नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में बुनियादी संरचना की गुणवत्ता एवं क्षमता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के निष्पादन की मानीटरिंग करने हेतु एक संस्थागत मैकेनिज्म बनाने पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया था। समूह की सिफारिशों का अवसंरचना संबंधी समिति की अधिकार प्राप्त उपसमिति द्वारा अनुमोदन किया गया था। इस संबंध में योजना आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्रक में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के प्रतिपादन, मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांत केन्द्रीय क्षेत्रक की पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु प्रक्रिया को अधिदेशित करते हैं। परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीपीपी परियोजनाओं की पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से बोली लगाई जाए/प्राप्त की जाए जोकि निजी भागीदारी बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा में सहायक होती है।

(घ) दिनांक 06 जुलाई, 2009 को अवसंरचना संबंधी एक मंत्रिमंडल समिति गठित की गई है। समिति का उद्देश्य 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले अवसंरचना प्रस्तावों के संबंध में विचार करना और निर्णय लेना है इसके साथ ही अवसंरचना क्षेत्रक में निवेश बढ़ाने हेतु अपेक्षित विभिन्न उपायों नामतः राजकोषीय, वित्तीय, संस्थागत और विधिक उपायों पर विचार करना और निर्णय लेना है जिसमें विशिष्ट परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक निवेश सुलभ कराने हेतु अपेक्षित अनुमोदन देना, सभी अवसंरचना क्षेत्रकों के निष्पादन हेतु वार्षिक पैरामीटर और लक्ष्य निर्धारित करना; तथा सभी अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना शामिल है। पीपीपी मूल्यांकन समिति का गठन पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारु एवं सरल बनाने के लिए किया गया है। व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण स्कीम को अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु अधिसूचित किया गया है। अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दीर्घावधिक ऋण देने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड बनाई गई है।

[हिन्दी]

लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अनियमितताएं

4361. श्री संजय सिंह चौहान :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ में पासपोर्ट जारी करने में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत पांच वर्षों में उक्त कार्यालय द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को कुछ पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी;

(छ) क्या अवैध तरीके से नकली पासपोर्ट बनाने वाले ऐसे गिरोह देश के अन्य शहरों में भी कार्य कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) अनापत्तियुक्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर लखनऊ स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 2005 में सैय्यद आमिर अली को पासपोर्ट जारी किया गया था। हाल ही में यह सूचना दी गई कि वह वास्तव में एक पाकिस्तानी नागरिक है।

(ङ) और (च) पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।

(छ) और (ज) चेन्नई/त्रिची स्थित पासपोर्ट कार्यालय से श्रीलंकाई राष्ट्रिकों द्वारा पासपोर्ट प्राप्त किए जाने के मामले की जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

[अनुवाद]

आईएईए के पक्ष में मतदान

4362. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धित संयंत्र बनाने हेतु आईएईए के पक्ष में मतदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां। भारत ने ईरान के परमाणु मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के संकल्प के पक्ष में मतदान किया है।

(ख) यह संकल्प पारित किया गया था, जिसके पक्ष में 25 मत, विरुद्ध 3 मत और 6 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया तथा एक सदस्य अनुपस्थित था। भारत की स्थिति संलग्न मतदान विवरण में प्रस्तुत की गयी है।

विवरण

मतदान ब्यौरा

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एनपीटी सुरक्षोपाय करार के कार्यान्वियन पर डीजी की रिपोर्ट तथा इस्लामिक गणराज्य ईरान में सुरक्षा परिषद के संकल्पों के संबद्ध प्रावधानों को सावधानीपूर्वक नोट किया है। डीजी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि हालांकि अभिकरण ने ईरान में घोषित परमाणु सामग्री के उचित उपयोग का सत्यापन करना जारी रखा है, फिर भी शेष मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसे कि एजेंसी को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति का पूरी तरह सत्यापन किया जा सके।

डीजी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि "सितंबर, 2009 तक इस सुविधा के आस्तित्व के बारे में तथा इसका विनिर्माण करने अथवा इसके विनिर्माण को प्राधिकृत करने का निर्णय लेते ही एजेंसी को सूचित करने में ईरान की असमर्थता तथा इसके सुरक्षा उपाय करार में सहायक व्यवस्था के अंतर्गत इसकी वचनबद्धताओं के अनुरूप नहीं है तथा ईरान द्वारा नई सुविधा की विलम्ब से घोषणा ईरान में निर्माणाधीन अन्य परमाणु सुविधाओं, जोकि एजेंसि को घोषित नहीं की गई है, की मौजूदगी के बारे विश्वास को कम करती है।"

भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सभी देशों के अधिकारों का समर्थन किया है, जोकि उनके द्वारा दी गई संबद्ध वचनबद्धताओं के अनुरूप है। ईरान एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके मामले में उसे वे सभी अधिकार व दायित्व प्राप्त हैं, जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के संबंध में इसकी एनपीटी की सदस्यता से जुड़े हैं, हमने आईएईए के सदस्य देशों द्वारा लिए गए सभी सुरक्षा उपाय दायित्वों के पूरे तथा प्रभावशाली कार्यन्वयन के महत्व पर भी जोर दिया है।

संकल्प के लिए हमारा समर्थन डीजी की रिपोर्ट में शामिल मुख्य बिन्दुओं पर आधारित है। बोर्ड की बैठकों में हमने एजेंसी व ईरान के बीच सतत सहयोग व वार्ता के तहत्व पर जोर दिया था। एजेंसी की सुरक्षा उपाय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास की आधारशिला है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा अप्रसार के उद्देश्यों को संतुलित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली की सत्यनिष्ठा को बनाए रखा जाना चाहिए।

भारत का विचार है कि डीजी की भूमिका बोर्ड के प्रशासकों द्वारा सभी मुद्दों के मनन को प्रभावित करती है। इस प्रकार उनके द्वारा उनकी रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों को नजरअंदाज करना कठिन है।

हाल ही के महीनों में हम जिनेवा व वियाना में हाल ही की बैठकों सहित ईरान के साथ खोले गए संपर्क के नए मार्गों

द्वारा उत्साहित हैं, जोकि सकारात्मक तथा उत्पादक परिणामों की आशा उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम यह नहीं मानते कि यह संकल्प पारित होने से पक्ष वार्ता से हट जाएंगे। यह संकल्प नवीकृत दंडात्मक अवधारणा अथवा नए प्रतिबंधों का आधार नहीं बन सकता। वास्तव में सभी संबंधितों द्वारा आगामी सप्ताहों का उपयोग सभी बकाया मुद्दों पर संतोषजनक ध्यान देने के लिए राजनयिक प्रयासों का विस्तार करने के लिए किया जाना चाहिए। भारत वार्ता के लिए रास्ता खुला रखने तथा टकराव से बचने का सशक्त रूप से समर्थन करता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधीन लम्बित मामले

4363. श्री जयंत चौधरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) में कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वर्ष 2007, 2008 तथा 2009 (30 सितम्बर, 2009 तक) के दौरान क्रमशः 17725, 18287 तथा 18075 मामले दायर किए गए थे।

(ख) वर्ष 2007, 2008 तथा 2009 (30 सितम्बर, 2009 तक) 18674, 20352 तथा 17415 मामले निपटाए गए थे।

(ग) दिनांक 30.9.2009 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न खंडपीठों में 22372 मामले लंबित थे।

प्रधान खंडपीठ	3299
इलाहाबाद	2949
बंगलौर	559
कलकत्ता	2794
कटक	1015
हैदराबाद	874
जोधपुर	605
मद्रास	1105
एर्नाकुलम	794
अहमदाबाद	568
लखनऊ	1099
बम्बई	1807
चंडीगढ़	1214
गुवाहाटी	306
जबलपुर	686
जयपुर	874
पटना	1824

(घ) लम्बित मामलों को निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सभी खंडपीठों से मासिक पेंडेंसी रिपोर्ट मंगाई जाती है तथा निपटान की दर को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से मानीटर किया जाता है।

(ii) अध्यक्ष द्वारा खंडपीठों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(iii) अखिल भारतीय सम्मेलन, 2009 के दौरान खंडपीठों को, वर्ष 2004 से 2007 तक लंबित पड़े पुराने मामलों के निपटान को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) की असफसलता

4364. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री संजय सिंह चौहान :
श्री मिलिंद देवरा :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थानों के लिए नवंबर 2009 में आयोजित पहली ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) सर्वर के ब्रेकडाउन होने के कारण असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऑनलाइन सीएटी प्रवेश परीक्षा के दौरान तकनीकी असफलता के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में सीएटी अभ्यर्थियों के लिए त्रुटिहीन तंत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) कम्प्यूटरीकृत साझा प्रवेश परीक्षा 2009 में पूरे देश में एक साथ 11 दिनों के लिए 361 सर्वरों को कार्य पर लगाया गया था जिससे कुल सर्वर दिवसों की संख्या 3971 थी। परीक्षा अवधि के दौरान कुल सर्वर दिवसों में से केवल 192 सर्वर दिवस डाउन हुए थे। इस प्रकार कुल सर्वर-दिवसों में से केवल 4.8 प्रतिशत डाउन हुए थे। सर्वर संबंधी समस्याओं से प्रभावित हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा को अन्य दिवसों के लिए पुनर्निधारित किया गया था।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने संयोजक साझा प्रवेश परीक्षा केन्द्र, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से कहा कि वे साझा प्रवेश परीक्षा, 2009 के संबंध में प्रतिदिन अपडेट भेजकर मंत्रालय को सूचित करें।

(ङ) भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने संपूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान देखे गए तथा रिपोर्ट किए गए व्यवधानों के कारणों का पता लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है और इन समस्याओं को सुलझाया जा रहा है ताकि वर्तमान में आयोजित साझा प्रवेश परीक्षा तथा भावी परीक्षाओं का सुचारु आयोजन सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

न्यूक फोरजिंग्स का निर्माण

4365. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने हाल ही में न्यूक फोरजिंग्स के विनिर्माण हेतु लार्सन एंड टूब्रो के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्यम में कुल कितना निवेश शामिल है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदन देने के परिणामस्वरूप, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने विशेष स्टील के उत्पादन और फोर्जिंग्स के विनिर्माण के लिए एक एकीकृत सुविधा स्थापित करने हेतु मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के गठन की घोषणा की है। इस सुविधा में नाभिकीय और ताप विद्युत संयंत्रों, पेट्रोरसायन और रक्षा एवं अंतरिक्ष के सामरिक क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त फोर्जिंग्स का विनिर्माण किया जाएगा। यह संयुक्त उद्यम मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के तौर पर काम करने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। इस परियोजना में कुल 1725 करोड़ रुपए निवेश किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

रामसर स्थलों की सुरक्षा

4366. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में रामसर स्थलों की सुरक्षा के लिए शुरु की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में

और चालू वर्ष के दौरान उन्हें राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) क्या सरकार ने इन स्थलों पर वैश्विक तापन में प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) यद्यपि, ग्लेशियरों के घटने की वजह से नमभूमियों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की सूचना है, तथापि, इन स्थलों का पुष्टिकर साक्ष्य और ऐसे प्रभावों का मूल्यांकन नहीं है।

विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र		रामसर स्थल का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1.	कोलेरू	35.85	—	47.25	126.26	209.36
2.	असम	2.	दीपर बील	82.08	50.34	—	—	132.42
3.	हिमाचल प्रदेश	3.	पोंगडेम	39.40	40.00	1.50	—	80.90
		4.	रेणुका	16.30	—	7.70	—	24.00
		5.	चन्द्राताल	4.51	—	4.95	—	9.46
4.	जम्मू और	6.	वूलर	33.00	33.78	—	—	66.78
	कश्मीर	7.	टीएसओ मोरारी	—	—	42.44	—	42.44
		8.	होकेरसार	31.00	—	—	—	31.00
		9.	मानेसर और सूरीनसार	—	—	47.17	—	47.17
5.	केरल	10.	अष्टामूदी	10.00	—	—	—	10.00
		11.	सासथामकोटा	16.23	—	—	—	16.23
		12.	वैमबलनादकोल	प्रबंध कार्य योजना अभी प्राप्त होनी है।				
6.	मध्य प्रदेश	13.	भोज	—	—	—	—	—
7.	मणिपुर	14.	लोकतक	—	30.0	—	—	30.00
8.	उड़ीसा	15.	चिल्का	54.95	90.00	—	70.44	215.39

1	2		3	4	5	6	7	8
		16.	वैतरणिका	13.50	25.60	25.76	—	64.86
9.	पंजाब	17.	हरिके	48.79	89.27	—	30.85	168.91
		18.	कजंली	—	14.00	16.20	—	30.20
		19.	रोपर	56.35	—	37.58	19.93	113.86
10.	राजस्थान	20.	सांभर	61.45	101.91	13.44	91.87	268.67
		21.	किमोलाडिओ एनपी	44.73	26.35	28.00	69.04	168.12
11.	तमिलनाडु	22.	प्वाइंट कालीमेर	23.25	71.95	34.70	34.34	164.24
12.	त्रिपुरा	23.	रूद्र सागर	—	—	24.70	—	24.70
13.	उत्तर प्रदेश	24.	अपर गंगा	प्रबंध कार्य योजना अभी प्राप्त होनी है।				
14.	पश्चिम बंगाल	25	पूर्वी कोलकाता नमभूमि	—	27.00	30.00	—	57.00
	कुल		25 स्थान	571.39	600.20	361.39	442.73	1975.71

विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक

4367. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2009-10 के अनुसार 133 देशों में भारत का रैंक 49वां है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व आर्थिक मंच और इससे संबंधित मामलों का संबंध भारत सरकार से नहीं है।

एएमयू का कैंपस के बाहर केन्द्र की स्थापना

4368. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस के बाहर एक केन्द्र की स्थापना का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सिद्धांतत: प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का राज्य में कैंपस के बाहर केन्द्र की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

द्वारा दी गई सूचना के आधार पर केरल सरकार ने केरल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय - केन्द्र खोलने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए दिनांक 21.11.2007 को विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) मालापुरम में विश्वविद्यालय का एक केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों नामतः विश्वविद्यालय न्यायालय, कार्यकारी परिषद् एवं शैक्षिक परिषद् द्वारा किए गए एक संकल्प के बाद केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर "सिद्धांत:" रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में 25 करोड़ रु. का एक बजटीय प्रावधान किया गया है। केरल सरकार ने मालापुरम जिला के पेन्थिालमन्ना में 392 एकड़ भूमि चिन्हित की है।

(ङ) चूंकि मालापुरम में केन्द्र की स्थापना राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को भूमि प्रदान करने की संभाव्यता और भौतिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक अवसंरचना के विकास के उपर निर्भर करता है इसलिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रेडियो पारिस्थितिकी हेतु केन्द्र

4369. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेडियों पारिस्थितिकी हेतु केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त केन्द्र की कब तक स्थापना करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) हिसार, हरियाणा स्थित गुरू जाम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयूएसटी) में रेडियो-पारिस्थितिकी केन्द्र की स्थापना निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्य के साथ की जा रही है:

- गैर-मानवीय प्रजातियों से संबंधित रेडियो-पारिस्थितिकी के क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान कार्य करना।

- गुरू जाम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयूएसटी) में ज्ञान के आधार को सृमद्ध करने के लिए, रेडियो-पारिस्थितिकी अध्ययन शुरू किया जाएगा।

- प्रस्तावित अध्ययन देश में अपने किस्म का पहला अध्ययन होगा और इससे, प्राकृतिक और मानव-निर्मित दोनों तरह से पर्यावरण और सामान्य लोगों पर पड़ने वाले आयनीकृत विकिरण के हानिकर प्रभावों को न्यूनतम करने की दिशा में परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) का अधिदेश और मजबूत होगा।

(ग) इस केन्द्र के सन् 2010 में काम शुरू करने की आशा है।

एच 1 बी वीजा

4370. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच1-बी. कार्य वीजा प्रदान करने में कड़ी नीति से अमेरिका में भारत के निवेश का प्रवाह कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) हालांकि अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश निर्णय व्यापक प्रकार के कारकों पर निर्भर करते हैं, जोकि परिवर्तनशील किस्म के होते हैं, फिर भी एच1-बी कार्य वीजा की नीति को सख्त बनाने से भारतीय व्यावसायिकों का आवागमन प्रभावित नहीं होता। हाल ही में अमेरिका सरकार ने ऐसी अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिन्होंने एच1-बी वीजा कर्मचारियों को किराए पर लेने के लिए ट्रबल्ड ऐसेट्स रिलीज प्रोग्राम (टीएआरपी) के अंतर्गत सरकार से सहायता प्राप्त की है। भारत सरकार का यह सतत प्रयत्न रहा है कि वह अमेरिकी अधिकारियों का इस तथ्य के बारे में सुग्राहीकरण करे कि भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उच्च निपुणता वाले कर्मचारी

प्रदान करने वाला सबसे बड़ा सहयोगी है तथा किसी प्रकार की संरक्षणवादी नीति अमेरिकी कंपनियों के हितों को अत्यधिक प्रभावित करती है।

व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण में औद्योगिक भागीदारी

4371. श्री वरूण गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कंपनियों द्वारा एपरेंटिस स्टाइपंड पर 150 प्रतिशत आयकर कटौती करने संबंधी योजना आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय वर्ष 2007-08 से "सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई को स्तरोन्नत करने" की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक भागीदारी सुनिश्चित का जा सके।

(ख) से (घ) जी, नहीं। इस समय प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत कंपनियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षुता वजीफे के लिए आयकर में छूट देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

खेल कोटा के अंतर्गत प्रवेश

4372. श्री रूद्रमाधव राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में खेल-कूद श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या ये मानदंड दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे एम.ए. (अर्थशास्त्र) सहित सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों पर लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए खेल श्रेणी के अंतर्गत कोटे को सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय इस कोटे के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्रतीक्षा-सूची भी बनाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चिकित्सा विज्ञान संकाय, प्रौद्योगिकी संकाय और प्रबंधन अध्ययन संकाय के तहत संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5 प्रतिशत सीटों का प्रस्ताव खेल-कूद में क्षमता के आधार पर दाखिले के लिए किया जाता है। दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल के तहत एम.ए. (अर्थशास्त्र) सहित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाविधि में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि सभी विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहिए, जहां लागू हो 'खेल-कूद कोटे' के तहत विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद द्वारा आयोजित किए गए खेलकूद अभ्यास में स्वयं को प्रस्तुत करें और परिषद द्वारा प्रदान किए गए अंकों को अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों में जोड़ा जाता है। सामान्य और खेलकूद श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक समान रैंक प्रदान किया जाता है और परस्पर योग्यता के आधार पर दाखिला दिया जाता है।

(ग) से (छ) जी, नहीं। एम.ए. (अर्थशास्त्र) में दाखिले के मामले में खेलकूद परिषद द्वारा प्रदान किए गए अंकों को शामिल करने के बाद भी कोई विद्यार्थी 40 प्रतिशत अंक जो इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए न्यूनतम कट-ऑफ है, प्राप्त करके दाखिले के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सका है। केवल उन मामलों में प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है जब खेलकूद कोटे के तहत उपलब्ध सभी सीटों को भरने के बाद भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होते हैं।

भारतवंसियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में सीटें

4373. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात सहित भारतवंशियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में कुछ प्रतिशत सीटों का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, विषय-वार और संस्था-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में केवल सरकार के स्वामित्व वाली और सहायता प्राप्त संस्थाओं को ही शामिल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतवंशियों के नामांकित बच्चों का संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक संस्था को इस प्रकार की सीटों का आबंटन कौन-सी केन्द्रीय एजेन्सी करती है;

(च) क्या इस प्रकार के विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस सामान्य फीस से अलग होती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों के सभी विभागों में विषय पाठ्यक्रम चाहे तकनीकी/व्यावसायिक हों या अन्यथा हों विदेशी छात्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों का सृजन करने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं बशर्ते कि संबंधित विभाग में अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। विदेशी छात्रों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा में से खाड़ी एवं दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत सीटें निर्धारित की जाएंगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2004 को जारी विनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि इंजिनियरी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला एवं नगर आयोजना, फार्मेसी, एप्लाइड आर्टस, एमबीए एवं एमसीए, होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री हेतु तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालय विभागों में अनुमोदित दाखिला क्षमता के अतिरिक्त 15 प्रतिशत सीटों की खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों में से अधिसंख्य आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि 15 प्रतिशत में से 1/3 सीटें खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न विषयों हेतु आरक्षित की जाएं। तथापि, यदि 1/3 सीटों में से कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उसे भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी राष्ट्रिकों हेतु निर्धारित 2/3 कोटे में वापस शामिल कर लिया जाएगा।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का नुकसान

4374. श्रीमती जे. शांता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत ढुलाई, चोरी और चूहों-गिलहेरियों द्वारा खाए जाने आदि के कारण खाद्यान्न के नुकसान की मात्रा और मूल्य का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या इस बर्बादी के कारण विद्यालय जाने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें लाने ले जाने में खाद्यान्न खो जाने के कारण स्कूल के बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं।

[हिन्दी]

पर्यावरणीय कानून का उल्लंघन

4375. श्री देवराज सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेपी सीमेंट सहित सीमेंट विनिर्माण इकाइयां पर्यावरणीय कानून का उल्लंघन करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक जानकारी में आए उल्लंघन के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों/इकाइयों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 128 सीमेंट संयंत्र हैं, जिनमें से छः के निर्धारित मानदंडों के गैर-अनुपालन की सूचना मिली है। ये संयंत्र हैं : (i) एसीसी लिमिटेड, जमूल सीमेंट वर्क्स, दुर्ग छत्तीसगढ़, (ii) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकाजन, असम (iii) बगलकोट सीमेंट एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बगलकोट, कर्नाटक (iv) ट्रैवेनकोर सीमेंट लि., कोट्टायम, केरल (v) ओरिन्ट सीमेंट, देवापुर, आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश, (vi) एसीसी लि., कीमोर सीमेंट वर्क्स, कीमोर, मध्य प्रदेश। यद्यपि क्रम सं. (i) पर उल्लिखित सीमेंट संयंत्र को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेश जारी किए गए हैं, अन्य पांच संयंत्रों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(i) (ख) तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निदेश जारी किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में रीवा में मैसर्स जे.पी.के. मैसर्स जे.पी. बेला सीमेंट और मैसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट संयंत्र के नामों से दो सीमेंट संयंत्र स्वामित्व में हैं। मैसर्स जे.पी. बेला सीमेंट संयंत्र उत्सर्जन मानदंडों से आंशिक रूप से अधिक पाया गया है जिसके लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

आईआईआईटीडीएफएम के लिए उचित आवास

4376. श्री एस. सेम्मलई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईआईटी, चेन्नई में अस्थाई तौर पर संचालित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन और विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएफएम) स्थाई तौर पर संस्थान को कार्यशील बनाने के लिए उचित स्थल की खोज कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस संस्थान को भूमि उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि को अलग करने के तरीके पर तमिलनाडु सरकार और केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण में कोई अंतर है; और

(च) यदि हां, तो इसे मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) तमिलनाडु सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम की स्थापना के लिए 2003 में कांचीपुरम जिले में 101.75 एकड़ भूमि पट्टे पर आबंटित की थी। संस्थान ने पहले ही भूमि का कब्जा ले लिया है और चारदीवारी का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है। तथापि, हाल के घटनाक्रम में तमिलनाडु सरकार ने पट्टे पर दी गइ 101.75 एकड़ भूमि के आबंटन को रद्द कर दिया है और 25 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की है। केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम को पहले से आबंटित 101.75 एकड़ भूमि को निःशुल्क जारी रहने दिया जाए ताकि संस्थान की यथाशीघ्र स्थापना की जा सके।

[हिन्दी]

सरिस्का बाघ अभयारण्य

4377. श्री भरत राम मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान ने सरिस्का बाघ अभयारण्य सहित बाघ अभयारण्यों के प्रमुख क्षेत्रों का आकलन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पुनर्स्थापित किए जाने वाले ग्रामीणों/परिवारों का ब्यौरा क्या है और पुनर्स्थापित किए जाने वाले ग्रामीणों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है/किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ मिलकर परिष्कृत कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर बाघों की संख्या का अनुमान लगाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरिस्का समेत बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 2008 में किए गए मूल्यांकन/अनुमान के निष्कर्षों के अनुसार बाघों की देश स्तर पर कुल संख्या 1411 है। (मध्यमान); निचली सीमा और ऊपरी सीमा क्रमशः 1165 और 1657 है। बाघों की राज्यवार संख्या और उनके द्वारा वासित लैंडस्केपों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बाघ रिजर्वों के कोर/क्रिटिकल बाघ पर्यावासों से गांवों के पुनर्स्थापन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई है। योजना अवधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है, बाघ परियोजना से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के दिशानिर्देशों में बदलाव किया गया है। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 10 लाख रु. प्रति परिवार के हिसाब से संवर्धित ग्राम पुनर्स्थापन/पुनर्वास पैकेज शामिल हैं।

विवरण-I

परिष्कृत कार्य पद्धति के अनुसार वनों में बाघों की विद्यमानता और उनकी संख्या के अनुमान

राज्य	बाघ वर्ग कि.मी.	बाघों की संख्या		
		सं.	निचली सीमा	ऊपरी सीमा
1	2	3	4	5
शिवालिक गंगा मैदानी लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
उत्तराखंड	1901	178	161	195
उत्तर प्रदेश	2766	109	91	127
बिहार	510	10	7	13
शिवालिक गंगाई क्षेत्र	5177	297	259	335
मध्य भारतीय लैंडस्केप काम्पलैक्स और पूर्वी घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
आंध्र प्रदेश	14126	95	84	107
छत्तीसगढ़	3609	26	23	28
मध्य प्रदेश	15614	300	236	364
महाराष्ट्र	4273	103	76	131
उड़ीसा	9144	45	37	53

1	2	3	4	5
राजस्थान	356	32	30	35
झारखंड**	1488		मूल्यांकन नहीं किया गया	
मध्य भारतीय	48610	601	486	718
पश्चिमी घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
कर्नाटक	18715	290	241	339
केरल	6168	46	39	53
तमिलनाडु	9211	76	56	95
पश्चिमी घाट	34094	412	336	487
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान				
असम*	1164	70	60	80
अरुणाचल प्रदेश*	1685	14	12	18
मिजोरम*	785	6	4	8
पश्चिमोत्तर बंगाल*	596	10	8	12
पूर्वोत्तर पहाड़िया और ब्रह्मपुत्र	4230	100	84	118
सुन्दरवन	1586		मूल्यांकन नहीं किया गया	
बाघों की कुल सं.		1411	1165	1657

*संख्या का अनुमान बाघों द्वारा वासित क्षेत्र में उनकी संभावित संख्या पर आधारित है, न कि डबल सैंपलिंग आधार पर

**ये आंकड़े बाघों की संख्या के अनुमान के अनुसार नहीं थे। लेकिन लैंडस्केप के बारे में उपलब्ध सूचनाएं यह संकेत करती है कि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या 0.5 से 1.5 प्रति 100 वर्ग कि.मी. तक कम हो रही है।

विवरण-II

चालू योजना अवधि के दौरान ग्राम पुनर्वास/अधिकारों के निस्तारण के लिए राज्यों को दी गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	जारी की गई 2007-08	जारी की गई 2008-09	जारी की गई (2009-10)
1	2	3	4	5
1.	सरिस्का (राजस्थान)	50.00	1912.00	—

1	2	3	4	5
2.	रणथम्भौर (राजस्थान)	50.00	500.00	10400.00
3.	बांधवगढ़ (म.प्र.)	277.3668	—	—
4.	सतपुड़ा (मध्य प्रदेश)	76.00	1024.49	—
5.	पन्ना (मध्य प्रदेश)	1577.53	300.00	—
6.	सिमलीपाल (उड़ीसा)	—	350.00	—
7.	अचानकमार (छत्तीसगढ़)	—	—	1000.00
8.	नागरहोल/बांदीपुर (कर्नाटक)	980.19	—	—
9.	कार्बेट (उत्तराखंड)	10.00	—	—
	कुल	3021.087	4086.49	20400.00

[अनुवाद]

चीन-अमरीकी संयुक्त वक्तव्य

4378. **श्री डी.बी. चन्द्रे गोडा :**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-अमरीकी संयुक्त वक्तव्य में भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) राष्ट्रपति ओबामा की चीन यात्रा के दौरान 17 नवंबर, 2009 को जारी अमेरिका-चीन संयुक्त वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि "दोनों पक्षों ने दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता व विकास के अनुकूल प्रयासों का स्वागत किया है। वे आतंकवाद से लड़ने, घरेलू स्थिरता कायम रखने के लिए अफगानिस्तान व पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करते हैं तथा भारत व पाकिस्तान के बीच संबंधों के विकास व सुधार का समर्थन करते हैं।"

संयुक्त वक्तव्य के संबंध में, भारत सरकार ने 18 नवंबर, 2009 को यह वक्तव्य जारी किया था कि "भारत सरकार शिमला समझौते के अनुसार शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सभी बकाया मुद्दों का समाधान करने के लिए वचनबद्ध है। किसी तीसरे देश की भूमिका की परिकल्पना नहीं की जा सकती और न ही यह आवश्यक है। हम यह भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद से मुक्त अथवा आतंकवाद के खतरे से मुक्त परिवेश में ही सार्थक वार्ता हो सकती है।"

प्रधान मंत्री की हाल में वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रशासन ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि वे यह मानते हैं कि भारत व पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है।

शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी

4379. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री रामसिंह राठवा :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित एक पैनल का सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 2500 स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने छात्रों का नामांकन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता देने तथा इस प्रयोजनार्थ अवसंरचना हेतु अनुदान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने ऐसा कोई पैनल गठित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा

4380. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान के केन्द्र द्वारा प्रदत्त हिस्से को काफी कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि राज्यों को प्राथमिक अध्यापकों के वेतन, स्कूलों/कक्षाओं के निर्माण आदि पर भारी खर्च का वहन करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार अपने निर्णय की समीक्षा करके केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 वित्तपोषण के पूर्व (दसवीं योजना) पैटर्न को पुनः लागू करने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की संरचना में 11वीं योजनावधि के दौरान 50:50 के निधीयन पैटर्न का प्रावधान किया गया था। तथापि, राज्य सरकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मामले पर पुनः विचार किया और 11वीं योजना के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच निम्नलिखित संशोधित निधीयन पैटर्न अधिसूचित किया:-

(i) 65:35 — वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान

(ii) 60:40 — वर्ष 2009-10 के दौरान

(iii) 55:45 — वर्ष 2010-2011 के दौरान

(iv) 50:50 — वर्ष 2011-12 के दौरान और उसके बाद

पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में, सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उद्दिष्ट 10% निधियों में से लिए गए केन्द्रीय हिस्से को ध्यान में रखने के बाद भागीदारी पैटर्न 90:10 के अनुपात में है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य यथाअनुमोदित शेयरिंग पैटर्न के अनुसार शिक्षक वेतन एवं सिविल कार्यों सहित सभी घटकों पर व्यय करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के शेयरिंग पैटर्न में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दस्तावेज प्रसंस्करण शुल्क

4381. श्री एम.आई. शानवास : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रियाद तथा जेद्दा में भारतीय मिशन दस्तावेजों के प्रसंस्करण के लिए 8 सऊदी रियाल का अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह शुल्क किस प्रयोजन के लिए संग्रहित की जा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय समुदाय कल्याण कोष, जो कठिनाई में प्रवासी भारतीय नागरिकों की मौके पर सहायता करने के लिए मिशन में

स्थापित किया गया है, के लिए राशि जुटाने के लिए भारतीय दूतावास, रियाद और भारत के महावाणिज्यिक दूत, जैद्दा द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतीय समुदाय कल्याण कोष योजना के अनुसरण में मृत्यु पंजीकरण मामलों को छोड़कर, सभी काउन्सलर सेवाओं पर 8 सऊदी रियाल (भारतीय मुद्रा के 100 रुपये के बराबर) अतिरिक्त प्रभार लगाया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षा मित्रों की नियुक्ति

4382. श्री रामकिशुन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई 'शिक्षा मित्रों' की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा मित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अध्यापकों द्वारा आहरित वेतन के बराबर वेतन देने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्र प्रायोजित योजना प्रत्येक नए प्राथमिक स्कूल के लिए दो शिक्षकों, प्रत्येक नए उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए तीन शिक्षकों और शिक्षक-छात्र अनुपात में 1:40 का सुधार करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों के अनुमोदित मानकों के आधार पर केवल शिक्षकों के वेतन के निधीयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है।

स्कूल शिक्षकों की भरती की शर्तें संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 12.82 लाख शिक्षक संस्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार की 'शिक्षा मित्रों' की नियुक्ति के लिए कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

बालिकाओं को शिक्षा

4383. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी किसी प्रविधि को बढ़ावा दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालिकाओं को स्कूली शिक्षा अनिवार्य रूप से और समान रूप से प्राप्त हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य देश में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है और इसका उद्देश्य बालिकाओं तक पहुंच बनाए रखने पर विशेष ध्यान देते हुए 6-14 आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। नामांकन, छात्रों को स्कूलों में बनाए रखने और अध्ययन में बालक-बालिकाओं के अंतर को कम करने के लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बहुल आबादी की बालिकाओं के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में अपर प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं जबकि प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत "दुर्गम पहुंच" वाली बालिकाओं, विशेषकर जो स्कूलों में नहीं हैं, के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। जागरूकता अभियानों सहित बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता आधारित उपायों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को निधियां भी प्रदान की जाती हैं। इसी तरह माध्यमिक स्तर पर "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में महिला शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों में बालिकाओं के लिए प्रसाधन ब्लाक का प्रावधान इत्यादि सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की परिकल्पना की गई है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में माध्यमिक स्तर

पर बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधाएं सृजित करने के लिए छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास योजना है। "माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन" नामक योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 में दाखिला लेने वाली अ.जा./अ.ज.जा. की सभी बालिकाओं को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

आयुध व्यापार संधि

4384. डॉ. थोकचोम मैन्या :
श्री नीरज शेखर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के छोटे हल्के आयुध संबंधी कार्यवाही कार्यक्रम (2001) और संयुक्त राष्ट्र आयुध व्यापार संधि संबंधी संकल्प भारत पर बाध्यकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारत भर में छोटे आयुध के अनियंत्रित प्रसार और अवैध आयुध व्यापार को रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) अब तक किए गए उपायों के क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र के छोटे और हल्के आयुद्ध संबंधी कार्यवाही कार्यक्रम 2001 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का निर्णय दस्तावेज है। यह एक राजनैतिक घोषणा है और भारत पर इसकी वैधानिक बाध्यता नहीं है। जिस पर भी एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते एवं हथियारों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने को यह जो प्राथमिकता प्रदान करता है, उसे देखते हुए भारत ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही कार्यक्रम के प्रभावी और व्यापक कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र आयुद्ध व्यापार संधि संबंधी संकल्प एक बहुमत से पारित संकल्प है, जिस पर अभी तक भारत ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है। प्रस्तावित आयुद्ध व्यापार संधि पर विचार-विमर्श अभी शुरू किया जाना है। अतएव संगत संकल्प भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म आधारित आरक्षण

4385. श्री देवराज सिंह पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर आरक्षण हेतु कोई उपबंध किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय ने उक्त उपबंध को असंवैधानिक माना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जबकि केन्द्र सरकार ने धर्म के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं दिया है तथापि, प्रत्येक अल्पसंख्यक संस्था अपनी इच्छा के अनुसार संस्था स्थापित कर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की अपनी नीति बना सकती है बशर्ते कि संगत अधिनियम/सांविधि/संगम ज्ञापन संस्था को ऐसा करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय आधार पर भारत के मुस्लिम छात्रों के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया था। केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के प्रति कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की थी। तथापि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक एकल पीठ ने दिनांक 4 अक्तूबर, 2005 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या के तहत एक अल्पसंख्यक संस्था नहीं है तथा मुस्लिम छात्रों के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के निर्णय एवं इस पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनापत्ति को भी रद्द कर दिया है। संघ सरकार द्वारा दायर एक विशेष अपील के बाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक डिवीजन बेंच ने दिनांक 5 फरवरी, 2006 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 के कुछ प्रावधानों को अवैध करार दिया है और इसे हटा दिया तथा केन्द्र सरकार की विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम में मुस्लिम छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के निर्णय पर जारी अनापत्ति को भी अलग रख दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं संघ सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय में

एक स्पेशल लीव पेटिशन दायर की जिस पर सुनवायी माननीय न्यायालय में 24.04.2006 को हुई। बाद में अपीलकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा एक वचन पत्र दिया गया जिसमें यह कहा गया कि वे प्रवेश के लिए भारत के मुस्लिम छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित कोटा को कार्यान्वित नहीं करेंगे, तत्पश्चात न्यायालय ने यह आदेश दिया कि अभी तक अन्य सभी संबंधित मामलों को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं के समय से हैं, को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अपील में उठाए गए प्रश्न सामान्य महत्व को होने की वजह से, इस मामले पर विचार एक उच्च पीठ द्वारा किया जाएगा और तद्नुसार इसे आगे निर्णय हेतु भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

[अनुवाद]

मोरारजी देसाई समाधि

4386. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को स्वर्गीय श्री मोरारजी भाई देसाई की समाधि पर उपयुक्त स्मारक बनाने के लिए साबरमती आश्रम गोशाला ट्रस्ट, अहमदाबाद से भूमि, जोकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार के अधीन है, का अधिग्रहण करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और स्वर्गीय मोरारजी देसाई के उक्त स्मारक में कौन से विकास कार्य शुरू किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय मोरार जी देसाई का 'अभयघाट' नाम से साबरमती नदी के किनारे स्मारक बनाया गया है। उक्त स्मारक के लिए भूमि, 'साबरमती आश्रम गोशाला ट्रस्ट', अहमदाबाद द्वारा बिना किसी कीमत के उपलब्ध कराई गई थी। स्मारक का निर्माण कार्य जुलाई, 1997 में शुरू हुआ और मार्च, 1999 में समाप्त हुआ। स्मारक का रख-रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसलिए अब भूमि की लागत के भुगतान पर उक्त भूमि को अधिग्रहित करने का प्रश्न नहीं उठता। तदनुसार, गुजरात सरकार को सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

झरिया में भूमिगत कोयला खानों में आग

4387. श्री दत्ता मेघे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में झरिया में कोयला खानों में आग फैल रही है;

(ख) क्या उक्त आग के कारण पटना-रांची राजमार्ग (एनएच-33) बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस आग को बुझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सड़कों और रेल लाइनों के विपथन सहित झरिया क्षेत्र के निवासियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) राष्ट्रीयकरण के समय में सतही आग का क्षेत्र लगभग 17 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ था। विश्व बैंक अध्ययन 1994-96 के अनुसार सतही आग का क्षेत्र घटकर लगभग 9 वर्ग कि.मी. हो गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (एनएच-33) के आग से झरिया के आग का कोई संबंध नहीं है। एनएच-33 पर वर्ष 1999 में ही बदमाशों द्वारा अवैध खनन देखा गया था और उसके बाद से संबंधित कोयला कंपनी अर्थात सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा नियमित एफआईआर दर्ज करायी गयी। बदमाशों द्वारा एनएच-33 के नीचे सीम-XII में अवैध प्रवेश किया गया, जिन्होंने कोयले को लूट लिया तथा एनएच-33 के नीचे खाली स्थान छोड़ दिया। दिनांक 26.6.2009 को सीम-XII में आग का पता चला जो संभवतः स्वतः उष्मन के कारण सतह से फैल गयी। दिनांक 9.8.2009 को एनएच-33 के एक हिस्से में गड्ढ़ा हो गया। सक्रिय धधकती हुई आग सतह पर पायी गई तथा इससे घना विषैला धुंआ निकल रहा था। आरंभ में सतह से पानी डालकर तथा सतही दरारों और खाइयों को रेत और राख डालकर आग को बुझा दिया गया। बाद में, डीएपी

मिश्रित पानी और झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ मिश्रित सोडियम सिलिकेट तथा तरल नाइट्रोजन ड्रिल किए गए 25 बोरहोलों के द्वारा डाला गया। बोरहोल ड्रिल करने के लिए ड्रिलों की तैनाती की गई तथा कूड़ा-करकट डालने और भरने के लिए पे-लोडरों की तैनाती की गई सीसीएल ने सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। हालांकि सीसीएल द्वारा किए गए सभी भरसक प्रयासों के कारण आग, तापमान और धुंआ में पर्याप्त कमी आयी है, प्रभावित क्षेत्र की खुदाई करके ही आग को पूरी तरह बुझाया जा सकता है। सड़क के प्रभावित भाग के डायवर्जन के लिए राज्य प्राधिकरण और एनएचएआई द्वारा कार्रवाई की गई है।

(घ) आग, धंसाव, पुनर्वास तथा सतही अवसंरचना के डायवर्जन से निपटने हेतु झरिया के लिए अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार, सर्वाधिक खतरा वाले क्षेत्रों में रह रहे बीसीसीएल और गैर-बीसीसीएल आबादी के पुनर्वास के लिए 4780.60 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इस मास्टर प्लान के तहत रेलवे लाइनों और सड़कों जहां आग/धंसाव का खतरा है, के डायवर्जन के लिए सर्वेक्षण और आयोजना के वास्ते एकमुश्त 20 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

अपतटीय परिसर

4388. श्री वैजयंत पांडा :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय विश्वविद्यालय ने अन्य देशों में अपतटीय परिसर की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो हाल ही में इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय तभी विदेशों में अपना परिसर स्थापित कर सकते हैं जब संगत अधिनियम जिसके तहत इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, में ऐसा करने की अनुमति हो। जहां तक 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थाओं का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु निर्धारित किए गए दिशानिर्देश इस प्रकार की संस्थाओं को भारत सरकार तथा मेजबान देश से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विदेश में (अपतटीय परिसर) शैक्षिक केन्द्र (केन्द्रों) खोलने की अनुमति देते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार निम्नलिखित 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थाओं को अपतटीय परिसरों की संस्वीकृत दी गई है:-

क्र. सं.	'सम-विश्वविद्यालय' संस्थान का नाम	वे राष्ट्र जहां अपतटीय परिसर अवस्थित है
1.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	संयुक्त अरब अमीरात
2.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची, झारखंड	ओमान, बहरीन
3.	मणीपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणीपाल, कर्नाटक	मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात एवं ओमान
4.	विनायका मिशन अनुसंधान फाउंडेशन, सेलम, तमिलनाडु	थाइलैंड
5.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु	मॉरिशस

संस्कृत को लोकप्रिय बनाना

4389. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री शिवराज भैया :
श्री गणेश सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

(एनसीईआरटी) द्वारा स्कूलों में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) इस कार्य योजना के क्रियान्वयन से छात्रों तथा शिक्षकों को क्या-क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या स्कूलों में संस्कृत के शिक्षण को नवीन बनाने हेतु एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण पद्धतियों, शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(च) एनसीईआरटी द्वारा 'संस्कृत के माध्यम से संस्कृत' परियोजना में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूलों में संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना तैयार की है:-

(i) संस्कृत पाठ्यपुस्तकों पर आधारित श्रव्य सामग्री तैयार करना।

(ii) पाठ्यपुस्तकों में संस्कृत की कहानियों पर आधारित श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना।

(iii) स्कूल स्तर पर संस्कृत गीतों की श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना।

(ख) उम्मीद है कि श्रव्य और श्रव्य-दृश्य सामग्रियों से छात्र संस्कृत को और अधिक आनंदप्रद ढंग से सीख सकेंगे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के आधार पर संस्कृत के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। शिक्षण की नई प्रणाली और इस प्रणाली के प्रयोग हेतु शिक्षकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आवश्यकता को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में दर्शाया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2009-10 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 12.60 लाख रु. आबंटित किए हैं।

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने संस्कृत में संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका को अंतिम रूप दे दिया है, संस्कृत व्याकरण के शिक्षण के लिए दृश्य कार्यक्रम तैयार किए हैं, संस्कृत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और संस्कृत के शिक्षण पर सेमिनार आयोजित किए हैं।

[हिन्दी]

ईएएस देशों का सम्मेलन

4390. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में हुए ईएएस देशों के सम्मेलन में भाग लिया है और क्या भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 16 ईएएस देशों के शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करने का कोई निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां। भारत ने 25 अक्तूबर, 2009 को चा-अम-हिन में आयोजित चौथे पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन (ईएएस) में हिस्सा लिया। भारत ईएएस का एक सदस्य है।

(ख) ईएएस नेताओं ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। ईएएस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी थी। प्रधानमंत्री जी ने एक मुक्त और सर्वग्राही क्षेत्रीय ढांचे पर आधारित एशियाई आर्थिक समुदाय के हमारे दृष्टिकोण को दूसरों के साथ साझा किया। ईएएस देशों ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को पुनर्निरूपित करने में भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और एशिया के अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए इसके द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों के महत्व को स्वीकार किया।

(ग) और (घ) नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का निर्णय जनवरी, 2009 में सेबू में आयोजित ईएएस शिखर सम्मेलन

में लिया गया था। ईएएस शिखर सम्मेलन के संपन्न होने के उपरांत अक्तूबर, 2009 में एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना एक शैक्षिक और अंतर्राष्ट्रीय समझ में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में किए जाने को मंजूरी दी गयी थी।

(ङ) सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

पंप सेटों और बोरिंग सेटों की आपूर्ति में अनियमितताएं

4391. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में सिंचाई हेतु दिए गए बोरिंग सेटों/पंप सेटों की आपूर्ति में अनियमितताएं संबंधित कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यापकों की हाजिरी

4392. **श्री संजय भोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपस्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'एजुकेशन फार ऑल' कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों की उपस्थिति के स्तर को बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी हां, भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में 19 मुख्य राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक उपस्थिति पर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की औसत उपस्थिति दर 81.7 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 80.5 प्रतिशत थी।

(ख) राज्य वार उपस्थिति दर दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के ढांचे को नवम्बर, 2006 में संशोधित किया गया था ताकि स्कूलों में अध्यापक उपस्थिति सहित निरीक्षण और अनुवीक्षण में पंचायती राज निकायों की भूमिका को बढ़ाया जा सके।

विवरण

अध्यापकों की हाजिरी

राज्य	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
1	2	3
आंध्र प्रदेश	78.1	77.3
असम	79.2	55.2
बिहार	75.8	74.9
छत्तीसगढ़	75.7	73.5
दिल्ली	95.0	—
गुजरात	70.0	87.6
हरियाणा	86.9	91.9
हिमाचल प्रदेश	80.0	88.0
जम्मू और कश्मीर	80.8	83.1

1	2	3
कर्नाटक	83.9	84.0
केरल	84.5	85.3
मध्य प्रदेश	70.4	67.0
महाराष्ट्र	87.8	87.1
उड़ीसा	87.4	86.6
पंजाब	83.5	78.1
राजस्थान	81.1	79.8
तमिलनाडु	86.6	89.6
उत्तराखंड	77.8	77.7
उत्तर प्रदेश	83.0	82.6
पश्चिम बंगाल	96.3	98.1
सकल योग	81.7	80.5

ताप विद्युत संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की अधिकतम सीमा

4393. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों से कुल ग्रीन हाउस गैस उर्त्सजन की मात्रा को सीमित करने हेतु देश में मात्रात्मक अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए वायु गुणवत्ता मानक मानदंडों की अधिसूचना के बाद ताप विद्युत संयंत्रों के निकट रहने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) क्योटो प्रोटोकाल के अनुसार केवल अनुबंध-I पक्षकार (विकासशील देश) उर्त्सजन कटौती वचनबद्धताओं को करने के लिए बाध्य है। भारत सहित विकासशील देशों की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ताप विद्युत स्टेशनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को सीमित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानकों को हाल ही में संशोधित किया है भू-उपयोग पर आधारित क्षेत्र वर्गीकरण इस तरह से किया गया है ताकि आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणता मानदंड एकरूप हों। यह एकरूप मानदंड पूर्व के औद्योगिक क्षेत्र मानदंडों से अधिक कड़े है। ये मानक वायु प्रदूषण नियंत्रण और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। संशोधित एनएएक्यूएस पर इस अधिसूचना के बाद ताप विद्युत संख्त्रों के निकट रहने वाले लोग किस प्रकार लाभान्वित होंगे, इसका मूल्यांकन करना कठिन है। तथापि, सक्रिय पर्यावरणीय नियोजन योजना और वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए, अधिक कड़े और व्यापक वायु गुणता मानदंड बेंचमार्क के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

केन्द्रीय भंडार के बारे में शिकायतें

4394. श्री पूर्णमासी राम : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भंडार बिक्री केन्द्रों में अपमिश्रित तथा खराब गुणवत्ता वाली दालों की बिक्री के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या प्रयोगशाला में जांच के लिए केन्द्रीय भंडार ने बिक्री केन्द्रों से नमूने लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में लिए गए नमूनों का ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला, और

(ङ) केन्द्रीय भंडार के बिक्री केन्द्रों द्वारा बेची जाने वाली दालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक,

लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भंडार बिक्री केन्द्रों (आउटलेट्स) के माध्यम से बेची गई दालों की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उप पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण-। के अनुसार संलग्न हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडार बिक्री केन्द्रों (उाउटलेट्स) की शेल्फों से लिए गए नमूनों और इसके परिणाम के ब्यौरे विवरण-।। के अनुसार संलग्न हैं।

(ङ) मदें, जो प्रयोगशाला जांच में असफल होती हैं बिक्री हेतु स्टारों में नहीं भेजी जाती हैं। किसी प्रकार की क्षति अथवा कीड़ाग्रस्तता (इन्फेस्टेशन) के लिए स्वयं भंडार के प्रभारी द्वारा सभी बिक्री केन्द्रों (आउटलेट्स) में नियमित रूप से जांच की जाती है। क्षतिग्रस्त/कीड़ाग्रस्त (इंफेस्टिड) दालों और अन्य मदों को तत्काल ही स्टोरों से हटा दिया जाता है। सतर्कता अधिकारी द्वारा स्टोरों के निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा जांच-पड़ताल भी की जाती है।

विवरण-।

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1.	एम.के. वत्स, ई14ई डीडीए फ्लैट्स, मुनीरका। 14.3.2009 को प्राप्त पत्र।	आरकेपुरम सेक्टर-। स्थित केन्द्रीय भंडार से उनके द्वारा खरीदे गए पैकेट सहित मूंग साबुत की घटिया गुणवत्ता की शिकायत की है।	एक विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला, एसजीएस इंडिया प्राईवेट लि., गुड़गांव से जांच कराई गई। जांच पर कोई प्रतिकूलता नहीं पाई गई। शिकायतकर्ता को मूंग साबुत का एक नया पैकेट दिया गया और मामले में प्रयोगशाला जांच के परिणाम से भी उन्हें अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता ने केन्द्रीय भंडार द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया।
2.	डॉ. जी.पी. गर्ग, आर-11/178, राजनगर, गाजियाबाद-201002 12.10.2009 को पत्र प्राप्त किया।	केजी मार्ग, नई दिल्ली के हटमेन्ट्स में स्थित केन्द्रीय भंडार स्टोर से खरीदी गई उड़द धुली, अरहर दाल और मूंग धुली के पैकटों में कीटनाशक/जन्तुनाशक की दुर्गंध की शिकायत की गई।	इन पैकेटों की एसजीएस इंडिया प्रा. लिमि. गुड़गांव से कीटनाशक/जन्तुनाशक हेतु जांच कराई गई थी। फिर भी, जांच रिपोर्टों के अनुसार नमूनों में कोई हानिकारक रसायन विद्यमान नहीं थे। जांच रिपोर्टों का जिक्र करते हुए एक उत्तर श्री गर्ग को भेजा जा रहा है।
3.	श्री विजय दर्डा, माननीय एमपी, निवासी-49, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दिनांक 4.9.2009 के पत्र द्वारा एक शिकायत प्राप्त की गई थी।	केन्द्रीय भंडार खान मार्केट, नई दिल्ली द्वारा बेचे गए चावल और अन्य अनाज, कुकिंग ऑयल, दालें, मसाले इत्यादि जैसी खाद्य सामग्री की घटिया गुणवत्ता की शिकायत की गई।	दिनांक 9.11.2009 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वाजनिक वितरण मंत्रालय को इस मामले में एक रिपोर्ट भेज दी गई है।

विवरण-II

दालों की प्रयोगशाला जांच (खुदरा बिक्री केन्द्रों (आउटलेट्स) से उठाए गए नमूने)

(सामान्यत: संदेहास्पद नमूने, प्रतिकूलत: शिकायत किए गए नमूने और अन्य नमूने भी पैकिंग के बाद जांच के लिए भेजे जाते हैं)

क्र. सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (1.4.2009 से 31.10.2009 तक)
1.	उठाए गए नमूनों की संख्या	179	218	216	49
2.	असफल नमूनों की संख्या	54	33	33	01

एमपीलैड योजना के अंतर्गत अनुमति के दायरे में न आने वाली मदें

4395. **श्री तथागत सत्पथी : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमपीलैड योजना के अंतर्गत अनुमति के दायरे में न आने वाली मदों को लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमति के दायरे में न आने वाली मदों को लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनुमति के दायरे में न आने वाली मदों को एमपीलैड योजना के अंतर्गत लिए जाने हेतु कोई संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्यालयों के लिए फर्नीचर जैसी चल मदों को अनुमति के दायरे में आने वाली मदों में शामिल किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) एमपीलैड योजना को अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) दिशा-निर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जाती है। इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का है। जिला प्राधिकारियों द्वारा केवल सांसदों द्वारा अनुशंसित पात्र कार्य ही शुरु एवं स्वीकृत किए जाएंगे। मंत्रालय के ध्यान में कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं, जहां योजना के अधीन ऐसे कार्य निष्पादित किए गए हैं, जिनकी अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में, मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने तथा एमपीलैड्स निधि की भरपाई करने के निदेश दिए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की सप्लाई योजना के अधीन अनुमेय है बशर्ते कि जब कभी कोई सांसद पूंजीगत कार्यों के अलावा किसी सरकारी अस्पताल, शिक्षा संबंधी, खेलों, पेयजल और स्वच्छता प्रयोजनों हेतु चल परिसम्पत्तियों के लिए किसी नए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है, तो चल वस्तुओं की लागत कुल लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तथापि, किसी मौजूदा सरकारी अस्पताल, स्कूल, खेलों, पेयजल और स्वच्छता कार्य आदि के लिए चल वस्तुएं 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के बिना अलग से अनुशंसित/स्वीकृत की जा सकती हैं।

(छ) सरकारी स्तर पर नियमित मानीटरिंग के अलावा, जमीनी स्तर पर योजना के प्रभाव और योजना के कार्यान्वयन में कमियां,

यदि कोई हों, का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी, नबार्ड कंसलटेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) को एमपीलैड योजना के अधीन निष्पादित कार्यों की वास्तविक मानीटरिंग का कार्य सौंपा गया है।

ब्रेन गेन योजना

4396. **श्री नवीन जिन्दल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक 'ब्रेन गेन' योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना से अन्य देशों के विद्वान भारत में अध्यापन कर पाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इनके लिए क्या-क्या निबंधन एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) उच्च शिक्षा, विशेषकर नवाचार विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित किए जाने वाले 14 विश्वविद्यालयों में प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक नीति सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोकसभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन* हुईं।]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0½ बजे

इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ बायोरिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ बायोरिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1350/15/09]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1351/15/09]

(3) (एक) सेंटर फार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1352/15/09]

(4) (एक) नेशलन इंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशलन इंस्टिट्यूट आफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1353/15/09]

(5) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1354/15/09]

(6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन आफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1355/15/09]

(7) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1356/15/09]

(8) (एक) नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1357/15/09]

(9) (एक) राजीव गांधी सेंटर फार बायोटेक्नालॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फार बायोटेक्नालाजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फार बायोटेक्नालॉजी, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1358/15/09]

(10) (एक) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली

के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1359/15/09]

(11) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1360/15/09]

(12) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी (संस्कृति स्कूल), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी (संस्कृति स्कूल), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1361/15/09]

(13) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1362/15/09]

(14) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1363/15/09]

(15) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार न किए जाने के कारणों को बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1364/15/09]

(16) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1365/15/09]

(17) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1366/15/09]

(18) (एक) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1367/15/09]

(19) (एक) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1368/15/09]

(20) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1369/15/09]

(21) (एक) इंस्टिट्यूट आफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1370/15/09]

(22) (एक) इंस्टिट्यूट आफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1371/15/09]

(23) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1372/15/09]

(24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1373/15/09]

(25) (एक) एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1374/15/09]

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 1375/15/09]

(ख) (एक) इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 1376/15/09]

(ग) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथ उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 1377/15/09]

(घ) (एक) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथ उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 1378/15/09]

(ङ) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा का वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 1379/15/09]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):-

(क) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1380/15/09]

(2) (एक) नेशनल स्टैटिस्किल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल स्टैटिस्किल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1381/15/09]

(3) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 1382/15/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सलीम अली सेन्टर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेन्टर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1383/15/09]

(2) (एक) सीपीआर इन्वायर्नमेंटल एजुकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीपीआर इन्वायर्नमेंटल एजुकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1384/15/09]

(3) (एक) सेन्टर फॉर इन्वायर्नमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर इन्वायर्नमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1385/15/09]

(4) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2942 (अ) जो 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1621 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 1386/15/09]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2125 (अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 521 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2493 (अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 2494 (अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(चार) का.आ. 2495 (अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(पांच) का.आ. 2964 (अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्ति पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किया गया है।

(छह) का.आ. 2965 (अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दाखिल करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया गया है।

(सात) का.आ. 2966 (अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्ति झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किया गया है।

(आठ) का.आ. 2967 (अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दाखिल करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया गया है।

(नौ) का.आ. 2968 (अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किया गया है।

(दस) का.आ. 2969 (अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दाखिल करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 1387/15/09]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1388/15/09]

(3) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1389/15/09]

(5) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1390/15/09]

(7) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1391/15/09]

(9) (एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1392/15/09]

(11) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1393/15/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1394/15/09]

(3) (एक) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1395/15/09]

(4) (एक) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1396/15/09]

(6) (एक) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, *देखिए* संख्या एल.टी. 1397/15/09]

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1398/15/09]

(9) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1399/15/09]

(11) (एक) पश्चिम बंग सर्वशिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्वशिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1400/15/09]

(13) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1401/15/09]

(15) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1402/15/09]

(17) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1403/15/09]

(18) (एक) महिला समाख्य-बिहार, पटना के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्य-बिहार, पटना के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1404/15/09]

(20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1405/15/09]

(22) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1406/15/09]

(23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1407/15/09]

(24) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल.टी. 1408/15/09]

(25) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त मद सं. (24) और (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1409/15/09]

(27) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1410/15/09]

(28) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1411/15/09]

(30) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1412/15/09]

(31) (एक) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1413/15/09]

(32) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1414/15/09]

(34) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1415/15/09]

(35) (एक) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1416/15/09]

(37) (एक) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1417/15/09]

(39) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1418/15/09]

(40) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1419/15/09]

(41) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, केरल, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, केरल, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1420/15/09]

(43) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1421/15/09]

(45) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1422/15/09]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 से 2006-2007 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1423/15/09]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 1424/15/09]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 दिसम्बर 2009 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे झारखंड विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 दिसम्बर 2009 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 दिसम्बर 2009 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.03½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी) : महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र देव (आरूकु) : महोदया, मैं नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16 वर्ष 2008 पर आधारित दिल्ली गुड़गांव परियोजना के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय रामजार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी-निजी भागीदारी के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2009-10) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहले प्रतिवेदन से चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती) : महोदया, मैं आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'वर्ष 2009-10 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) 'सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत कमान के कार्यान्वयन की स्थिति' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.05½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राव इन्द्रजीत सिंह (गुड़गांव) : महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

10वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) प्रधानमंत्री की हाल की रूस यात्रा*

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधान मंत्री की हाल ही की रूस यात्रा के मुख्य परिणामों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री ने वार्षिक भारत-रूस सम्मेलन के लिए 6-8 दिसंबर को मास्को की यात्रा की थी; वर्ष 2000 में रणनीतिक सहभागिता की घोषणा के साथ द्विपक्षीय संबंध पुन: क्रियाशील होने से ये सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहे हैं। ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) समूह व एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) के बहुपक्षीय सम्मेलन के लिए जून में येकातरिनबर्ग की यात्रा के बाद वर्ष 2009 में प्रधान मंत्री की दूसरी रूस यात्रा थी।

इस वार्षिक सम्मेलन की पूरी अवधि में रूस के साथ गहन उच्चस्तरीय विचार-विमर्श हुए। सितंबर, 2009 में राष्ट्रपति जी की सरकारी तौर पर रूस की यात्रा काफी सफल रही थी। हालांकि, वार्षिक सम्मेलन रणनीतिक सहभागिता का संचालन करने के लिए एक मुख्य साधन रहा है, फिर भी इस सहभागिता के विभिन्न पहलुओं के उत्प्रेरण के लिए एक प्रभावशाली व ठोस संस्थागत संरचना स्थापित की गयी है। भारत-रूस अंतरसरकारी आयोग, जिसकी 15वीं बैठक अक्तूबर में मास्को में आयोजित की गयी थी, के सह-अध्यक्ष के

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1425/15/09

[श्री एस.एम. कृष्णा]

रूप में मुझे द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा करने का अवसर मिला था। मेरे समकक्ष रूसी उप प्रधान मंत्री सरजेई सोवियानिन ने गत माह प्रधान मंत्री की यात्रा की और तैयारी करने के लिए भारत की यात्रा की थी। रक्षा, वाणिज्य व उद्योग तथा पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित मेरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने अपने प्रभार के अंतर्गत विशेष क्षेत्रों में सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही के महीनों में रूस की यात्रा की थी। नवंबर में मुझे बंगलौर में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की नौवीं त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी करने का अवसर भी मिला था।

प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान कई अवसरों पर अपने मेजबान राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव तथा साथ ही प्रधान मंत्री व्लादिगिर पुतिन से विस्तृत बातचीत की। बातचीत में व्यापक रूप से द्विपक्षीय तथा साथ ही क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय मामले शामिल किए गए थे। दोनों रूसी नेताओं ने परंपरागत मैत्री को और प्रगाढ़ बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में संवर्धित करने की दृढ़ इच्छा व्यक्त की।

प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति मेदवेदेव ने "सार्वभौमिक चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतिक सहभागिता को और गहन बनाने" के संबंध में हमारे देशों के बीच संयुक्त घोषणा जारी की थी। इस घोषणा में इस बात की पुन:पुटि की गयी है कि हमारे बीच रणनीतिक सहभागिता दोनों देशों की विदेश नीति की मुख्य प्राथमिकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारत तथा रूस के बीच सौहार्दपूर्ण मैत्री परस्पर लाभकारी है यह समय की कसौटी पर खरी रही है और यह इस क्षेत्र और विश्व में शांति और स्थिरता के कारक के रूप में उभरी है। यह घोषणा क्षेत्रीय और विश्वस्तरीय मुद्दों पर दोनों देशों के ठोस समरूप विचारों को दर्शाती है।

दोनों पक्षों द्वारा आर्थिक तथा व्यापार संबंधों की सघन समीक्षा की गयी। यह महसूस किया गया कि व्यापार 2008 में लगभग 7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंचने की संभावना से पीछे रह गया। सकारात्मक सूचना यह है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, इस कलैंडर वर्ष में भारत-रूसी व्यापार के लगभग 8 प्रतिशत तक ऊपर जाने की संभावना है। वर्ष 2015 के लिए 20 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य रखा गया है। रूसी विकास और आर्थिक मामले बैंक (व्नेशेकोनोम्बैंक) और भारतीय एक्जिम बैंक के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा भारतीय उपकरणों, प्रौद्योगिकी, सामानों और सेवाओं को रूस में निर्यात किए जाने को वित्तपोषित करने के लिए 100 मिलियन डालर की ऋण-श्रृंखला प्रदान की गयी।

व्यापारिक स्तर पर संबंधों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री पुतिन ने दोनों पक्षों की सबसे बड़ी और अत्यधिक सक्रिय कम्पनियों के सीईओ के साथ बैठक की तथा व्यापार को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत में आधारभूत ढांचे के विकास; औषधीय क्षेत्र (स्वास्थ्य में नई प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास सहित) तथा दूरसंचार में भी निवेश हेतु व्यापक अवसरों का पता लगाया।

रूसी नेतृत्व के साथ हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी ठोस चर्चा की गयी। ओएनजीसी (विदेश) लिमिटेड ने 2.7 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश सखालिन-I परियोजना में किया है, जिससे हमें ऊर्जा सुरक्षा और लाभ दोनों सुनिश्चित हो रहे हैं। दोनों पक्षों द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गयी कि रूस के उत्तर और पूर्व भूक्षेत्रों में नई संभावनाओं के क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए इस सहयोग को संयुक्त जोखिमों और संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से बढ़ाया जाए। तेल क्षेत्र में संभावित सहयोग और संयुक्त परियोजनाओं के लिए ओएनजीसी तथा रूसी कंपनी सिस्टेमा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर एक करार पर हो रही वार्ता को अंतिम रूप दिया और यात्रा के दौरान सहमत पाठ पर आद्यक्षर किया। करार में अनुसंधान और विकास, परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण और परमाणु ईंधन की आपूर्ति सहित सहयोग के कई क्षेत्रों की परिकल्पना की गयी है।

अनुसंधान व विकास सहयोग को तीव्र करने के लिए रूस की इच्छा परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धि को दर्शाती है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग दो से अधिक दशकों से चल रहा है। हमारे बीच दो 1000 मेगावाट वाले परमाणु शक्ति यूनिटों के विनिर्माण में सहयोग से संबद्ध 1998 का करार विद्यमान है। हमने दिसंबर, 2008 में कुंडामकुलम में चार अतिरिक्त यूनिटों से संबद्ध एक करार भी संपन्न किया था। भारत सरकार हाल ही में रूस द्वारा भेजे जाने वाले परमाणु शक्ति रिएक्टरों के लिए हरिपुर

(पश्चिम बंगाल) में एक और स्थान आबंटित करने के लिए भी सहमत हुई है।

प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग भारत-रूसी संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटना बना रहा है। वास्तव में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में संबंध केवल क्रेता-विक्रेता समीकरण से आगे बढ़कर प्रतिरक्षा उपकरणों के संयुक्त अभिकल्पन और उत्पादन के क्षेत्रों को भी शामिल किया जा चुका है। दोनों ओर से अग्रगामी प्रतिरक्षा सहयोग और परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। इस दौरे के दौरान प्रतिरक्षा सहयोग पर तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। 2010 के बाद दस वर्षों के लिए द्विपक्षीय सैनिक और तकनीकी सहयोग को विस्तारित किए जाने से संबंधित है। इस करार से हमारे प्रतिरक्षा बलों और प्रतिरक्षा उद्योग को नवीनतम रूसी उपकरणों में और प्रौद्योगिकी में पहुंच बनाने में सुगमता मिलेगी और साथ ही हमारे घरेलू उत्पादन के लिए भी मार्ग खुलेगा। इस करार में प्रतिरक्षा-उपकरणों की खरीद, लाइसेंसशुदा उत्पादन, उन्न्यन नवीन एवं उन्नत हथियार प्रणाली संबंधी ढांचे की व्यवस्था की गयी है। दूसरा करार जिस पर हस्ताक्षर हुए है भारत को आपूर्ति किए गए रूसी शस्त्रों एवं सैनिक उपकरणों के लिए विक्रय-बाद के सहयोग से संबंधित है। इस करार से भारत को आपूर्ति किए गए रूस निर्मित सैनिक उपकरणों के समन्वित अभिरक्षण के लिए समय से और पर्याप्त रूप से कलपुर्जों तथा सेवाओं की प्राप्ति सुगम हो सकेगी।

दोनों पक्षों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग संबंधी चिर-लंबित भारत-रूसी कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि ग्लोनैस (ग्लाबल नेविगेसनल सेटलाइट सिस्टम) कार्यक्रम के तहत किए गए मौजूदा करारों के आधार पर सहयोग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा चंद्रयान-2 और यूथसैट जैसी अन्य संयुक्त परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया।

भारत-रूसी संबंधों के प्रगाढ़ होने में सांस्कृतिक विनिमय और लोगों का आपस में सम्पर्क महत्वपूर्ण तत्व हैं। 2010 से 2012 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विनियम के कार्यक्रम संबंधी एक करार पर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। 2008 में भारत में 'रूस का वर्ष' मनाने के पश्चात 2009 में 150 विभिन्न कार्यक्रमों के साथ रूस में 'भारत का वर्ष' हाल ही में समाप्त हुआ है। रूसी शहर पर्म में अग्नि त्रासदी के पीड़ितों के सम्मान स्वरूप निर्धारित समापन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। इस त्रासदीपूर्ण घटना के लिए प्रधान मंत्री ने भारत के लोगों की ओर से शोक प्रकट किया था।

क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत और रूस के समान विचार हैं। पाकिस्तान की स्थिति पर आतंकवादी हिंसा के स्तर में वृद्धि पर दोनों पक्षों ने चिंता व्यक्त की। अफगानिस्तान पर दोनों पक्षों ने वैश्विक समुदाय के सतत रूप से व्यस्त रहने के महत्व पर बल दिया तथा सहमति प्रकट की कि 'अच्छे' और 'बुरे' तालिबान के बीच सरल मतभेद करना प्रतिकारक हो सकता है।

मास्को के लिए अपने प्रस्थान के अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा था कि रूसी नेतृत्व के साथ अगले स्तर तक हमारी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने संबंधी कदमों पर चर्चा करने का उनका प्रस्ताव था। यात्रा के निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि वास्तव में संबंध काफी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हैं। प्रधान मंत्री की यात्रा से रणनीतिक भागीदारी में आई गतिशीलता अगले वर्ष मार्च में प्रधान मंत्री पुतिन की यात्रा और बाद में अगले वार्षिक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति मेदवेदेव की यात्रा से कायम रहेगी।

...*(व्यवधान)*

(दो) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पहले, चौदहवें, उन्नीसवें और इक्तीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

महोदया कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबद्ध स्थायी समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004-2005) संबंधी अपनी प्रथम रिपोर्ट में 25 सिफारिशें की थीं। दिनांक 26.02.2009 को इस माननीय सदन को पहले ही यह सूचित किया जा चुका है कि उपर्युक्त 25 सिफारिशों में से 23 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। महोदया,

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1426/15/09

[श्री पृथ्वीराज चव्हाण]

शेष 02 सिफारिशों के संबंध में, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर एक विवरण रखता हूं, जो इन सिफारिशों पर दिनांक 31.08.2009 की स्थिति को दर्शाता हैं। विवरण सं. I इनमें से दो सिफारिशों की स्थिति को दर्शाता है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इस मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

महोदया, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2006-2007) संबंधी अपनी 14वीं रिपोर्ट में 48 सिफारिशें की थीं। दिनांक 26.2.2009 को इस माननीय सदन को पहले यह भी सूचित किया जा चुका है कि इनमें से 38 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा उनके संबंध में कोई और कार्रवाई की जानी बाकी नहीं है। शेष 10 सिफारिशों के संबंध में, महोदया, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर 2 विवरण रखता हूं, जो इन सिफारिशों की दिनांक 31.08.2009 की स्थिति को दर्शाता हैं। विवरण सं. II इन सिफारिशों में से चार के बारे में स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें अब कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण सं. III शेष छह सिफारिशों की स्थिति को सूचीबद्ध करता है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इस मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

महोदया, आपकी अनुमति से मैं आगे यह भी बताता हूं कि समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2007-2008) संबंधी अपनी 19वीं रिपोर्ट में 74 सिफारिशें की थीं। इस माननीय सदन को 26.2.2009 को यह भी सूचित कर दिया गया है कि इनमें से 53 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं या उन पर कोई अगली कार्रवाई नहीं की जानी हैं। शेष 21 सिफारिशों के संबंध में, महोदया, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर 2 विवरण रखता हूं, जो इन सिफारिशों की दिनांक 31.08.2009 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण सं. IV इन सिफारिशों में से 8 के बारे में स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें अब कार्यान्वित कर दिया गया है। विवरण सं. V शेष 13 सिफारिशों की स्थिति को सूचीबद्ध करता है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

महोदया, आपकी अनुमति से मैं आगे यह बताता हूं कि समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2008-2009) पर अपनी 25वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार के उत्तर पर की गई कार्रवाई के संबंध में इसकी 31वीं रिपोर्ट में अध्याय III, IV और V में 48 सिफारिशें की थीं।

31वीं रिपोर्ट के अध्याय III में 11 सिफारिशें है। महोदया, आपकी अनुमति से, मैं सदन के पटल पर दो विवरण रखता हूं, अर्थात् विवरण सं. VI और विवरण सं. VII जो इन सिफारिशों की 31.08.2009 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण सं. VI 10 सिफारिशों की स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है और उन पर कोई अगली कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। विवरण सं. VII शेष 1 सिफारिश की स्थिति को सूचीवद्ध करता है, जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

31वीं रिपोर्ट के अध्याय IV में 36 सिफारिशें है। महोदया, आपकी अनुमति से, मैं सदन के पटल पर दो विवरण रखता हूं, अर्थात् विवरण सं. VIII और विवरण सं. IX जो इन सिफारिशों की 31.08.2009 की स्थिति को दर्शाते हैं। विवरण सं. VIII 25 सिफारिशों की स्थिति को दर्शाता है, जिन्हें कार्यान्वित कर दी गई हैं और उन पर कोई अगली कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। विवरण सं. IX शेष 11 सिफारिशों की स्थिति को सूचीवद्ध करता है, जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

अध्याय V में 1 सिफारिश निहित है। महोदया, आपकी अनुमति से, मैं सदन के पटल पर विवरण-X रखता हूं, जो उपर्युक्त की 31.08.2009 की स्थिति को दर्शाता है, जो इस विभाग के विचाराधीन है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति को नजदीकी रूप से मानीटर किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मद सं. 17 डॉ. एम. वीरप्पा मोइली — उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे जाएंगे। वे सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं बीस मिनट के अंदर सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्ची सौंप सकते हैं। सिर्फ उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाएगा जिसके लिए विहित समय के अंदर पटल पर पर्ची प्राप्त हो चुकी है।

(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु इसे बुन्देलखण्ड के समान विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) **:** महोदय, केन्द्र सरकार देश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु समग्र विकास कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड इलाके के जनपदों के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने 7266 करोड़ रुपये का बुन्देलखंड आर्थिक पैकेज दिया है। इसी तरह की परिस्थितियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी विद्यमान हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से भयंकर बाढ़ एवं मस्तिष्क ज्वर से बड़ी संख्या में मौत हो रही है। लाखों हैक्टेयर फसल के प्रभावित होने से लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। भूख एवं बेरोजगारी की व्याप्त समस्या का समाधान ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अस्तित्व को बचा सकती है। देश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश है। हर वर्ष बाढ़ एवं सूखा वहां की नियति बन गई है। भूख एवं कर्ज के बोझ से आत्महत्या तक किसान कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में किसानों के हितों एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश को बुन्देलखंड आर्थिक पैकेज की तर्ज पर विशेष आर्थिक पैकेज जनहित में दिया जाना चाहिए।

(दो) मूंगफली उत्पादकों विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुर जिले के उत्पादकों के लिए, जिनकी फसल अपर्याप्त वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, को विशेष वित्तीय पैकेज की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तनुर) **:** आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के कई हिस्सों विशेषकर अनन्तपुर जिले में मूंगफली पैदा की जाती है। पिछले दस वर्षों से जिलों में भीषण सूखे के कारण मूंगफली की पैदावार नहीं होने के कारण मूंगफली पैदा करने वाले किसानों को भारी हानि हो रही है। इस वर्ष खरीफ के मौसम में उन्होंने बड़े क्षेत्र में मूंगफली बोई लेकिन सूखे की स्थिति के कारण उनका पूरा का पूरा निवेश बर्बाद हो गया। रायलसीमा के चार जिलों में सामान्यत: 35 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि में मूंगफली की पैदावार की जाती हैं किंतु इस वर्ष सूखे के कारण यह क्षेत्र घट का मात्र 23 लाख एकड़ रह गया। अनंतपुर जिले में सभी खेत सूख गए हैं। अनंतपुर जिला राज्य में मूंगफली की पैदावार में पहले नम्बर पर हुआ करता था। मूंगफली का उत्पादन सामान्यत: प्रति हेक्टेयर 580 कि.ग्रा. होता है किंतु इस वर्ष अनंतपुर जिले में यह उत्पादन मात्र 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है। रायलसीमा में विशेषकर अनंतपुर जिले में मूंगफली बोने के कारण किसानों का पूरा निवेश बेकार हो गया और पैदावार इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस खरीफ मौसम में कोई बारिश नहीं हुई। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश, जहां भारी क्षति हुई है, में मूंगफली उत्पादकों के बचाव के लिए आगे आए और उन्हें विशेष वित्तीय पैकेज स्वीकृत करने पर विचार करे। इससे कुछ हद तक उनकी हानि कम होगी और उन्हें अगले बुवाई मौसम के लिए तैयार करेगा।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद में दीर्घावधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खेल-कूद कार्यकलाप को बढ़ावा देने हेतु एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) **:** दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने पर भी खेलकूद के क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन अनेक छोटे देशों, जिनकी आबादी हमारे देश में एक छोटे राज्य के बराबर भी नहीं है, की तुलना में नगण्य है। यह अत्यंत ही गौरव और सम्मान की बात है कि हम आगामी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कर रहे हैं। यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्रमंडल खेलों, 2010 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए 678.00 करोड़ रुपये (2008-09 से 2010-11) की योजना कार्यान्वित

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री के.पी. धनपालन]

की जा रही है यद्यपि यह पहल प्रशंसनीय है, यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाने होंगे और खेलकूद के क्षेत्र में अल्पकालीन परिणामों की अपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। अब तक के नीतिगत वक्तव्यों और किए गए प्रयासों के बावजूद हम अभी भी खेलकूद में अग्रणी राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सके हैं। मैं केरल के ग्यारहवीं कक्षा के छात्र, जिसने उत्तरी यूरोप में इस्टोनिया में हुए वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता, की उत्कृष्ट उपलब्धि की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त उपलब्धि राज्य या केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना प्राप्त की गई है। यह पहली बार हुआ कि भारत ने वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप में भाग लिया और इसमें 12 सदस्यों का समूह भेजा जिसमें केरल के पांच बच्चे थे। इस राष्ट्र की ऐसी प्रतिभाएं और उनके पीछे जो लोग हैं उन्हें सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है।

वे राज्य और स्कूल जो खेलकूद के विकास में प्रयास करते हैं और परिणाम देते हैं, को सरकार द्वारा सहयोग दिए जाने की आवश्यकता हैं। उपलब्ध बुनियादी संरचना में सुधार करने के अलावा स्कूलों छात्रों तथा कोचों को सहयोग देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम होने चाहिए। दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पहल की भी जरूरत है।

(चार) कालीकट से खाड़ी देश जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : मैं एअर इंडिया द्वारा चलाई जा रहीं अधिकतर उड़ानों को रद्द करने से संबंधित एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। कालीकट से खाड़ी जाने वाली एअर इंडिया की अधिकतर उड़ानें बंद की जा रही हैं और विदेशी तथा निजी कंपनियों, दोनों के द्वारा इस रिक्ति को भरा जा रहा है। कुछ उड़ानों का प्रचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा भी किया जा रहा है। अधिकतर खाड़ी देशों में एअर इंडिया एक्सप्रेस का कोई आधार नहीं है जिससे स्थानीय विदेशी विमान कंपनियों को खाड़ी से सवारियां ढ़ोने में मदद मिल रही है। वास्तव में, एअर इंडिया सिर्फ शारजाह से प्रति सप्ताह लगभग 80 उड़ानों का प्रचालन कर रहा था जिसमें अब भारी कटौती की गई है। कोयम्बटूर, गोवा, बंगलूरू और केरल जैसे अधिकतर भारतीय गंतव्य स्थान जिन पर एअर इंडिया का एकाधिकार था अब एअर अरेबिया के हाथ में आ गए हैं। इसका सभी मामलों में प्रतिकूल प्रभाव सवारियों पर पड़ रहा है जिसमें विभिन्न एअर लाइनों द्वारा अपनाई गई 'बैगेज' नीति भी शामिल है। एअर इंडिया की उड़ानों के बंद होने पर उच्च श्रेणी के यात्री भी दूसरी एअर लाइनों में जा रहे हैं जिससे इस राष्ट्रीय वाहक को परोक्ष रूप से घाटा हो रहा है।

मैं सरकार से इस पर पुनर्विचार करने तथा खाड़ी के लिए एअर इंडिया के विमानों को पुनः चलाने का आग्रह करता है।

(पांच) गुजरात के बड़ोदरा में गैस आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाई बिछाए जाने के कारण, जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, उन प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु 'गेल' को आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर) : महोदय, गेल इण्डिया लिमिटेड बड़ोदरा के द्वारा दाहेज-वेमार-विजापुर गैस पाईप लाईन बिछाने का कार्य वर्ष 2003 से गुजरात के दाहेज गांव से शुरू किया गया जोकि दाहोद जिले के खंगेला गांव से आगे विजय नगर होते हुए मध्य प्रदेश तक बिछाया गया लेकिन वर्ष 2004 में उक्त पाईप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण होने के बाद इसी वर्ष में वर्षा के मौसम के दौरान ये पाईप लाइन किसानों के खेतों में धंस जाने के कारण वर्ष 2004 के खेत उत्पादन और खेती की उपज पूर्ण रूप से नष्ट होने और रेस्टोरेशन की समस्या से उत्पन्न विपरीत परिस्थिति और किसानों की खेती को हुए नुकसान की भरपाई और उचित मुआवजा प्राप्त करने हेतु 3300 डी.वी.पी.एल. किसानों ने गेल इण्डिया लिमिटेड, बड़ोदरा को अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया, लेकिन गेल इण्डिया लि. बड़ोदरा द्वारा उन्हें कोई उचित मुआवजा नहीं दिया गया और इसी के चलते असरग्रस्त किसानों ने उच्च न्यायालय, गुजरात में अपनी याचिका दायर की। उच्च न्यायालय, गुजरात ने दिनांक 07.10.2009 को स्पेशियल सी.ए. 4938/09 और 4939/09 के अंतर्गत गेल इण्डिया लि., बड़ोदरा को अपना आदेश जारी करते हुए और किसानों की दायर याचिका को स्वीकृत करते हुए ये आदेश जारी किया कि निम्नलिखित चार जिलों के असरग्रस्त किसानों के हक में कुल राशि रु. 53,,47,91,817 एक सप्ताह के भीतर पी.डी. खाते में जमा किए जाएं।

1. भरुच जिला

2. बड़ोदरा जिला

3. पंचमहल जिला

4. दाहोरी जिला

लेकिन, अद्यतन स्थिति के अनुसार उक्त राशि को गेल इण्डिया लि, बड़ोदरा द्वारा जमा नहीं की गई है।

अत: मेरा माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री महोदय जी से आग्रह और अनुरोध है कि इस विषय में वे प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर गेल इण्डिया लि., बड़ोदरा को तत्काल आदेश जारी करें और पीड़ित गरीब किसानों के हक में उनकी बकाया राशि का भुगतान करे और निर्धन और आदिवासी किसानों को उचित न्याय दिलाने का प्रयास करें।

(छः) कारली और जम्बूसर के बीच तथा वोरभाटा और कोकरवाडा के बीच क्रमश: माही और नर्मदा नदियों पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की याद में भारत सरकार ने साबरमती से डांडी तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव किया था जिसकी लंबाई 386 किलोमीटर की थी एवं सरकार ने 217 करोड़ रुपए की धनराशि भी इस कार्य के लिए स्वीकृत की थी। इस मार्ग का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग नं.226 दिया गया है। प्रथम चरण में बड़े उत्साह से इस पर काम किया गया था, परंतु दूसरे चरण का कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है जिसके कारण माही नदी पर कारली-जम्बूपुर तक पुल अभी नहीं बना है। उसी तरह से नर्मदा नदी पर वोरभाटा-कोकरवाडा तक पुल का निर्माण का कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रथम चरण की तरह दूसरे चरण का कार्य भी उत्साह से करते हुए माही नदी पर कारली-जम्बूसर तक एवं नर्मदा नदी पर वोरभाटा-कोकरवाडा तक पुल का निर्माण प्रस्तावनुसार जल्द किया जाये जिससे डांडी से साबरमती के बीच उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जल्द पूरा किया जा सके।

(सात) पश्चिम बंगाल के तमलुक, कोलाघाट, महिसादल और दुर्गाचक क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुबेन्दु अधिकारी (तामलुक) : इसमें कोई संदेह नहीं कि भा.सं.नि.लि. का दूर संचार क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। इस समय पश्चिम बंगाल में भा.सं.नि.लि. अपेक्षित उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध नहीं करा रहा है। अधिकांशत: टॉवर के कम न करने के कारण मोबाइल फोन बात करते समय ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। शहरी क्षेत्रों में तो प्राय: टॉवर फेल हो जाते हैं तथा क्रास कनेक्शन भी होते हैं। एक ओर, टॉवर में समस्या के कारण भा.सं.नि.लि. के उपभोक्ता समस्या का सामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर दूसरे मोबाइल सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता पूरी कनेक्टिविटी का लाभ उठा रहे हैं। भा.सं.नि.लि. के हजारों उपभोक्ता अपना फोन कनेक्शन कटवा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों और पूर्व मेदिनीपुर में महिषाडाल में भा.सं.नि.लि. के टॉवर लगाने को मंजूरी मिल चुकी है किन्तु इन टॉवरों को लगाने में कोई प्रगति नहीं हुई है।

पयिचम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले में अधिकतर स्थानों पर शिकायतों के पंजीकरण के लिए कोई कंप्यूटरीकृत प्रणाली नहीं है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए भा.सं.नि.लि. के केन्द्रों में जाना पड़ता है। इसके बावजूद उनकी समस्या सही समय पर हल नहीं होती है। परिणामस्वरूप, वे अपना लैंडलाइन फोन वापिस कर रहे हैं। इसकी ब्रॉडबैंड सेवा भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यह बहुत ही धीमी है।

इन गंभीर समस्याओं के दृष्टिगत, मैं केन्द्रीय दूर संचार मंत्री से पश्चिम बंगाल में तामलुक, कोलाघाट, महिषाडाल और दुर्गाचक में भा.सं.नि.लि. के उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) मातृ स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे का निवारण करने तथा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवा का अधिकार कायम रखे जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : इस समय महिलाओं के जीवन और उनके कल्याण से संबंधित महिला अधिकारों का बहुत बड़ा क्षेत्र उपेक्षित है। स्वास्थ्य देखभाल विशेषकर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का महिलाओं का अधिकार इस तरह का एक क्षेत्र है। प्रतिवर्ष प्रत्येक 1,00,000 जीवित शिशु जन्म पर अनुमानत: 254 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और भारत में मातृ मृत्यु की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यहां लगभग सत्तर हजार महिलाओं जिनकी जान बचाई जा सकती है, की सर्वाधिक प्रजननशील आयु में ही मृत्यु हो जाती है।

[श्रीमती सुप्रिया सुले]

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवा-3 (2005-06) के आंकड़े दर्शाते हैं कि दुर्भाग्यवश मातृ स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं वंचित आबादी जैसे अत्यंत ही निर्धन, ग्रामीण या दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं। इससे उक्त महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होने और मृत्यु होने की संभावना रहती हैं जो कि भेदभाव विषमता और सामाजिक अन्याय का मामला है।

छः राज्यों में हाल के अध्ययन और प्रलेखीकरण से भी पता चलता है कि यदि महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल जाती भी हैं तो भी यह गारंटी नहीं है कि वे बीमारी या मृत्यु से बच जाएंगी।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मातृ स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को हल करने पर ध्यान दे और स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं के उनके अधिकार की रक्षा करे।

अपराह्न 12.08½ बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2009

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर 2010 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है।

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर 2010 तक की एक और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे। प्रश्न यह हैं।

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा मद संख्या 21 पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायतीराज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताप स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

डॉ. सी.पी. जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री एम. वीरप्पा मोइली।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 16.12.09 में प्रकाशित।

[श्री एम. वीरप्पा मोइली]

उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि वाणिज्यिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सभा 17 दिसंबर 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.13 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा गुरूवार, 17 दिसंबर 2009/26 अग्रहायण, 1931 (शक) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव श्रीमती सुष्मिता बाउरी	381
2.	श्री समीर भुजबल	382
3.	श्री नित्यानंद प्रधान श्री हरिन पाठक	383
4.	श्री जयराम पांगी श्रीमती अन्नू टन्डन	384
5.	श्री राजैया सिरिसिल्ला श्री नारनभाई कछाड़िया	385
6.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	386
7.	श्री जोसेफ टोप्पो श्री गणेश सिंह	387
8.	श्री शेर सिंह घुबाया श्रीमती जयाप्रदा	388
9.	श्री विश्व मोहन कुमार	389
10.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्री वरूण गांधी	390
11.	श्री रूद्रमाधव राय श्री नवीन जिन्दल	391
12.	श्री मनीष तिवारी	392
13.	श्री तथागत सत्पथी श्री संजय भोई	393
14.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव श्री एस. पक्कीरप्पा	394
15.	श्री एस.आर. जेयदुरई	395
16.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	396
17.	श्री एम.बी. राजेश	397
18.	राजकुमारी रत्ना सिंह डॉ. प्रभा किशोर ताविआड	398
19.	श्री अधीर चौधरी	399
20.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री अर्जुन राम मेघवाल	400

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	4262, 4319
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	4218, 4287, 4328
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	4205, 4252, 4343,
4.	अहीर, श्री हंसराज गं,	4168, 4325, 4379,
5.	अजमल, श्री बदरूद्दीन	4290
6.	अलागिरि, श्री एस.	4270
7.	आनंदन, श्री एम.	4289
8.	अनंत कुमार, श्री	4236
9.	एंटोनी, श्री एंटो	4268
10.	अनुरागी, श्री घनश्याम	4247, 4274
11.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	4179, 4338
12.	बाबर, श्री गजानन ध.	4218, 4239, 4286, 4359, 4360

1	2	3
13.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	4266, 4364,
14.	बलीराम, डॉ.	4294
15.	बलराम, श्री पी.	4258, 4264
16.	बासवराज, श्री जी.एस.	4224
17.	बासके, श्री पुलीन बिहारी	4241
18.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4225
19.	भगत, श्री सुदर्शन	4259, 4318, 4319, 4339
20.	भैया, श्री शिवराज	4277, 4355, 4389
21.	भोई, श्री संजय	4392
22.	भुजबल, श्री समीर	4317
23.	बिजू, श्री पी.के.	4182, 4244
24.	चौधरी, श्री जयंत	4180, 4267, 4363
25.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	4255, 4282, 4380, 4386
26.	चौहान, श्री संजय सिंह	4189, 4361, 4364
27.	चौहान, श्री दारा सिंह	4233, 4351, 4352
28.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	4379
29.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	4298
30.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4330
31.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	4361, 4364
32.	दास, श्री राम सुन्दर	4276, 4354
33.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4246, 4362, 4379
34.	डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन	4383

1	2	3
35.	देवरा, श्री मिलिंद	4197, 4255, 4309, 4320, 4364
36.	देशमुख, श्री के.डी.	4203
37.	धनपालन, श्री के.पी.	4279, 4356
38.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	4281, 4320, 4357, 4379
39.	धोत्रे, श्री संजय	4256
40.	डोम, डॉ. रामचन्द्र	4253
41.	दुबे, श्री निशिकातं	4220, 4342
42.	दूधगांवकर. श्री गणेशराव नागोराव	4379
43.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	4293
44.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4213
45.	गांधी, श्रीमती मेनका	4232, 4348
46.	गांधी, श्री वरूण	4237, 4245, 4301, 4371
47.	घुबाया, श्री शेर सिंह	4326
48.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	4289, 4378
49.	हक, शेख सैदुल	4284, 4238
50.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	4210, 4255
51.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	4379
52.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	4261, 4262
53.	जायसवाल, डॉ. संजय	4267, 4346
54.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	4234, 4259, 4328
55.	जयाप्रदा, श्रीमती	4324
56.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	4207, 4311

1	2	3
57.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	4207, 4289, 4378
58.	जिन्दल, श्री नवीन	4313, 4396
59.	जूदेव, श्री दिलीप सिंह	4192
60.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	4266, 4373, 4379, 4386
61.	करवारिया, श्री कपिल मुनि	4283
62.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	4181, 4235, 4393
63.	कटारिया, श्री लालचन्द	4228
64.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	4213
65.	कृष्णास्वामी, श्री एम.	4255
66.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	4278, 4390
67.	कुमार, श्री पी.	4203, 4207, 4226, 4323
68.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	4262, 4263
69.	कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	4266
70.	लागुरी, श्री यशवंत	4340
71.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4318
72.	महतो, श्री नरहरि	4178
73.	माझी, श्री प्रदीप	4201, 4316, 4332
74.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	4178
75.	मलिक, श्री शक्ति मोहन	4253
76.	मांझी, श्री हरि	4275
77.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	4184, 4305
78.	मेघे, श्री दत्ता	4237, 4387

1	2	3
79.	मेघवाल, श्री भरत राम	4377
80.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	4384
81.	मित्रा, श्री सोमेन	4265
82.	महापात्र, श्री सिद्धांत	4251
83.	मुंडा, श्री अर्जुन	4280
84.	मुत्तेमवार, श्री विलास	4170, 4262, 4295, 4367
85.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	4249, 4389
86.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	4258
87.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	4262
88.	नारायणराव, श्री सोनेवणे प्रताप	4298
89.	निरूपम, श्री संजय	4230
90.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4185, 4306, 4329
91.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	4297, 4351
92.	पाल, श्री जगदम्बिका	4223
93.	पांडा, श्री वैजयंत	4222, 4245, 4388
94.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	4221, 4336
95.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	4340
96.	पांगी, श्री जयराम	4269, 4300
97.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	4240
98.	पटेल, श्री देवराज सिंह	4208, 4375, 4385
99.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	4253, 4269, 4347
100.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	4254
101.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4201

1	2	3
102.	पाटील, श्री संजय दिना	4255
103.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	4209
104.	पटले श्रीमती कमला देवी	4186
105.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	4177, 4191, 4264, 4308, 4370
106.	प्रधान, श्री नित्यानंद	4388
107.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	4248, 4312, 4334
108.	रहमान, श्री अब्दुल	4238
109.	राय, श्री प्रेम दास	4193
110.	राजभर, श्री रमाशंकर	4204
111.	राजगोपाल, श्री एल.	4267
112.	राजेश, श्री एम. बी.	4266, 4288, 4299
113.	राम, श्री पूर्णमासी	4188, 4194, 4217, 4341, 4394
114.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	4172, 4245, 4303, 4369
115.	रामशंकर, प्रो.	4273, 4338, 4350
116.	रामकिशुन, श्री	4382
117.	राणे, श्री निलेश नारायण	4242
118.	राव, श्री नामा नागेश्वर	4255
119.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4222, 4282, 4318, 4320
120.	राठौड़, श्री रमेश	4190, 4264, 4321
121.	राठवा, श्री रामसिंह	4257, 4338, 4379

1	2	3
122.	रावत, श्री अशोक कुमार	4204, 4233, 4319
123.	राय, श्री रूद्रमाधव	4220, 4310, 4372
124.	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	4292, 4365
125.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4264
126.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4252, 4337
127.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	4266
128.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	4187, 4307, 4318
129.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	4178
130.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	4184, 4202, 4253
131.	सेम्मलई, श्री एस.	4344, 4376
132.	सरोज, श्रीमती सुशीला	4239, 4286, 4318, 4359, 4360
133.	सरोज, श्री तूफानी	4175
134.	सत्पथी, श्री तथागत	4395
135.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	4214, 4333
136.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	4195, 4238, 4320
137.	शानवास, श्री एम.आई.	4246, 4381
138.	शांता, श्रीमती जे.	4351, 4374
139.	शरिक, श्री शरीफुद्दीन	4215
140.	शर्मा, श्री जगदीश	4210
141.	शेखर, श्री नीरज	4245, 4271, 4349, 4384
142.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	4199, 4210, 4255, 4364
143.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	4218, 4287, 4328

1	2	3
144.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	4283, 4340
145.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4319
146.	सिंह, डॉ. भोला	4183, 4277
147.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	4191
148.	सिंह, श्री दुष्यंत	4238
149.	सिंह, श्री गणेश	4296, 4389
150.	सिंह, श्री जगदानंद	4211, 4358
151.	सिंह, श्रीमती मीना	4212, 4244, 4331
152.	सिंह, श्री मुरारी लाल	4200
153.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	4269
154.	सिंह, श्री राधा मोहन	4212, 4238
155.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	4250, 4335
156.	सिंह, श्री राकेश	4240
157.	सिंह, श्री सुखदेव	4196
158.	सिंह, श्री सुशील कुमार	4188, 4217
159.	सिंह, श्री उदय	4219, 4345
160.	सिंह, श्री यशवीर	4167, 4314
161.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	4255
162.	सिंह, श्री उमाशंकर	4247
163.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	4258, 4264, 4302
164.	शिवासामी, श्री सी.	4176, 4237
165.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	4380
166.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4169, 4287
167.	सुगुमार, श्री के.	4216
168.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	4224, 4353
169.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	4171, 4266, 4304, 4368
170.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	4173, 4322
171.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	4229, 4340
172.	तकाम, श्री संजय	4285
173.	टन्डन, श्रीमती अन्नू	4243
174.	टन्डन, श्री लालजी	4219
175.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	4181, 4235, 4393
176.	थॉमस, श्री पी.टी.	4260
177.	तिरकी, श्री मनोहर	4178, 4332
178.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	4288
179.	टोप्पो, श्री जोसेफ	4327
180.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4174, 4248, 4312, 4328, 4334
181.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	4198, 4366
182.	विवेकानन्द, डॉ. जी.	4272
183.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	4227, 4351
184.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	4256
185.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	4234, 4340
186.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	4291, 4364
187.	यादव, श्री ओम प्रकाश	4206, 4315
188.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	4245, 4364
189.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	4231, 4391
190.	यास्खी, श्री मधु गौड	4213

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	394, 399
संस्कृति	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
पर्यावरण और वन	:	391, 400
विदेश	:	392, 395
मानव संसाधन विकास	:	383, 384, 385, 386, 393, 397
प्रवासी भारतीय कार्य	:	387
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	388
योजना	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	389
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	396
जल संसाधन	:	381, 382, 390, 398

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	4182, 4198, 4209, 4210, 4280, 4293, 4365, 4369
कोयला	:	4187, 4192, 4200, 4221, 4231, 4265, 4272, 4286, 4297, 4314, 4336, 4347, 4387
संस्कृति	:	4174, 4189, 4228, 4242, 4245, 4251, 4269, 4275, 4295, 4296, 4303, 4306, 4308, 4323, 4335, 4342, 4350, 4386
पृथ्वी विज्ञान	:	4193

पर्यावरण और वन	:	4167, 4178, 4179, 4211, 4219, 4237, 4243, 4255, 4264, 4268, 4273, 4276, 4290, 4291, 4300, 4311, 4313, 4331, 4332, 4333, 4338, 4339, 4346, 4348, 4366, 4375, 4377, 4393
विदेश	:	4168, 4170, 4190, 4195, 4197, 4201, 4202, 4203, 4205, 4208, 4214, 4215, 4223, 4232, 4238, 4244, 4247, 4248, 4252, 4256, 4258, 4262, 4266, 4285, 4309, 4315, 4319, 4327, 4361, 4362, 4370, 4378, 4384, 4390
मानव संसाधन विकास	:	4169, 4171, 4173, 4175, 4177, 4180, 4181, 4183, 4186, 4196, 4199, 4204, 4206, 4207, 4216, 4218, 4220, 4222, 4224, 4233, 4235, 4240, 4241, 4246, 4249, 4261, 4263, 4271, 4274, 4277, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4294, 4301, 4318, 4320, 4321, 4330, 4351, 4354, 4355, 4356, 4364, 4368, 4371, 4372, 4373, 4374, 4376, 4379, 4380, 4382, 4383, 4385, 4388, 4389, 4392, 4396
प्रवासी भारतीय कार्य	:	4254, 4260, 4316, 4317, 4345, 4381
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	4188, 4194, 4226, 4234, 4281, 4289, 4322, 4324, 4325, 4341, 4344, 4352, 4357, 4363, 4367, 4391, 4394
योजना	:	4213, 4227, 4230, 4236, 4259, 4270, 4307, 4310, 4349, 4353, 4360
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4172, 4267, 4288, 4292, 4299, 4302
अंतरिक्ष	:	4212
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	4239, 4257, 4278, 4326, 4343, 4395
जल संसाधन	:	4176, 4184, 4185, 4191, 4217, 4225, 4229, 4250, 4253, 4298, 4304, 4305, 4312, 4328, 4329, 4334, 4337, 4340, 4358, 4359

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस. – 48/6/19/2009 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।